महानगर नई दिल्ली शनिवार 10 अगस्त, 2019, रु. 5.00 (16 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान के संरा में जाने का आधार नहीं

पीओके भी हमारा : भारत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर पर भारत की पहल से पाकिस्तान बेचैन है और उसे लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर में विकास होगा तो वह लोगों को गुमराह नहीं कर पाएगा। इसी कारण वह दुनिया के सामने द्विपक्षीय संबंधों की चिंताजनक तस्वीर पेश करने का प्रयास कर रहा है। कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में जाने की पाकिस्तान की धमकी पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीओके भी हमारा है और हमारे आंतरिक मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने का पाकिस्तान के पास कोई आधार ही नहीं है। इस बात को पाकिस्तान समेत अन्य देशों को भी समझना चाहिए। अनुच्छेद 370 के संबंध में दुष्प्रचार के बारे में एक सवाल पर रवीश कुमार कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम जो संबोधन दिया, वह काफी सकारात्मक और उम्मीदों से भरा है।

कहा, जम्मू-कश्मीर पर भारत की पहल के कारण बेचैन है पाकिस्तान

पाकिस्तानी विदेश मंत्री के चीन दौरे और संयुक्त राष्ट्र में कवायद को लेकर भारत ने कहा, हमारा आंतरिक मामला, दखल की कोशिश बेकार

विदेश मंत्रालय का ताजा बयान तब सामने आया है, जब जम्मू-कश्मीर के मसले पर समर्थन जुटाने के लिए पाकिस्तान ने अपने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भेजा है और चीन ने भारत और पाकिस्तान से संवाद तथा बातचीत के रास्ते दोबारा खोलने की सलाह दी है। साथ बाकी पेज 8 पर

श्रीनगर में शुक्रवार को गश्त लगाते सुरक्षा बलों के जवान।

पाक ने थार एक्सप्रेस पर भी लगाया ब्रेक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

तिलमिलाए पाकिस्तान ने अपनी ओर से समझौता एक्सप्रेस के बाद मुनाबाव-खोखरापार ट्रेन सेवा भी रद्द कर दी है। इसके साथ ही थार एक्सप्रेस को रोकने का फैसला किया बाकी पेज 8 पर

डोभाल ने संवेदनशील इलाकों का किया दौरा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल ने शुक्रवार को श्रीनगर के संवदेनशील इलाकों का दौरा किया और स्थानीय लोगों एवं सुरक्षा कर्मियों से बातचीत की। डोभाल मंगलवार बाकी पेज 8 पर

विशेष पन्ना राजकाज पेज 7 पर

जम्मू में धारा 144 हटी, कुछ इलाकों में कर्फ्यू जारी

येचुरी, डी राजा को वापस भेजा गया

कश्मीर से 20 और को आगरा भेजा

खबरें पेज 8 पर

नौसेना हाई अलर्ट पर - पेज 5 पर

कश्मीर पर नीति में कोई बदलाव नहीं : अमेरिका

वाशिंगटन, 9 अगस्त (भाषा)।

अमेरिका ने शुक्रवार को कहा कि कश्मीर पर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है और उसने भारत तथा पाकिस्तान से शांति एवं संयम बरतने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मोर्गन ओर्टागस से संवाददाताओं ने यह पूछा कि क्या अमेरिका की कश्मीर पर नीति में कोई बदलाव आया है।

अमेरिका की नीति यह रही है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है और दोनों देशों को ही इस मुद्दे पर बातचीत की गति और गुंजाइश को लेकर फैसला करना है।

ओर्टागस ने एक और सवाल के जवाब में कहा, 'अगर नीति में कोई बदलाव हुआ तो निश्चित तौर पर मैं यहां घोषणा करूंगी लेकिन ऐसा नहीं है।' उन्होंने कहा कि अमेरिका कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता का समर्थन करता है।

> "अगर नीति में कोई बदलाव हुआ तो निश्चित तौर पर मैं यहां घोषणा करूंगी लेकिन ऐसा नहीं है।
> - मोर्गन ओर्टागस, अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता"

विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा, 'हमने सभी पक्षों से शांति एवं संयम बरतने का आह्वान किया है। हम मुख्यतः शांति एवं स्थिरता चाहते हैं बाकी पेज 8 पर

भारत से सांस्कृतिक आदान-प्रदान खत्म करेगा पाकिस्तान

इस्लामाबाद, 9 अगस्त (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे में बदलाव के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ हर तरह के सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बंद करने का फैसला किया है। इसमें मनोरंजन उद्योग के बीच हर तरह के संयुक्त उपक्रम शामिल हैं।

डॉन अखबार की खबर के अनुसार पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को 'भारत को ना कहें' के राष्ट्रीय नारे का आगाज किया। पाक प्रधानमंत्री की विशेष सहायक फिरदौस आशिक एवान ने कहा, 'हर तरह की भारतीय सामग्री को रोक दिया गया है और पेमरा (पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी) को भारतीय डीटीएच उपकरणों की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ निगरानी बरतने का निर्देश दिया गया है।'

पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 'भारत को ना कहें' नारे का आगाज किया है।

पाकिस्तान ने भारत के कदम को एकपक्षीय और अवैध बताया है। एवान ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक संगठन की स्थापना का फैसला किया था। पाकिस्तान को तमाम मोर्चों से हिंदुत्व की विचारधारा बाकी पेज 8 पर

अयोध्या विवाद में जारी रहेगी रोजाना सुनवाई : अदालत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में दायर अपीलों पर रोजाना सुनवाई करने के निर्णय पर मुसलिम पक्षकारों की आपत्ति दरकिनार करते हुए शुक्रवार को स्पष्ट किया कि राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील इस मामले की दैनिक आधार पर सुनवाई जारी रहेगी। शीर्ष अदालत ने इस प्रकरण में एक मूल पक्षकार एम सिद्दीक और अखिल भारतीय सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव धवन की आपत्ति दरकिनार कर दी। राजीव धवन ने शुक्रवार सुबह इस पर आपत्ति उठाते हुए कहा था कि हफ्ते में पांच दिन कार्यवाही में हिस्सा लेना उनके लिए संभव नहीं होगा।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मामले में पांचवें दिन की सुनवाई के अंत में कहा- हम पहले दिए गए आदेश के अनुरूप रोजाना सुनवाई करेंगे। हालांकि, पीठ ने धवन को यह आश्वासन दिया कि यदि उन्हें इस मामले में तैयारी के लिए समय चाहिए तो हफ्ते के मध्य में विराम देने पर विचार किया जाएगा। इसके बाद पीठ ने कहा कि इन अपीलों पर अब मंगलवार को सुनवाई होगी। सोमवार को ईद के अवसर पर अदालत में अवकाश है।

संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। इससे पहले शुक्रवार सुबह राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सभी पांच कार्य दिवसों को सुनवाई करने के शीर्ष अदालत के निर्णय पर धवन ने आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा था कि यदि इस तरह की 'जल्दबाजी' की गई तो वे इसमें सहयोग नहीं कर सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने एक मूल पक्षकार एम सिद्दीक और सुन्नी वक्फ बोर्ड की आपत्ति खारिज की।

वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने आपत्ति उठाते हुए कहा था कि हफ्ते में पांच दिन कार्यवाही में हिस्सा लेना उनके लिए संभव नहीं होगा।

शीर्ष अदालत ने नियमित सुनवाई की परंपरा से हटकर अयोध्या विवाद में शुक्रवार को भी सुनवाई करने का निर्णय किया था। शुक्रवार और सोमवार के दिन नए मामलों और लंबित मामलों में दाखिल होने वाले आवेदनों आदि पर विचार के लिए होते हैं।

'राम लला विराजमान' की ओर से वरिष्ठ वकील के परासरन जैसे ही आगे बहस शुरू करने के लिए बाकी पेज 8 पर

कांग्रेस के कालिता व टीआरएस के विवेकानंद भाजपा में

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अगस्त ।

राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा देने वाले भुवनेश्वर कालिता शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। साथ ही टीआरएस से हाल में इस्तीफा देने वाले पूर्व सांसद जी विवेकानंद भी भाजपा में शामिल हो गए।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और भाजपा महासचिव भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में कालिता भाजपा में शामिल हुए। वह अनुच्छेद 370 को लेकर पार्टी के रुख से सहमत नहीं थे और उन्होंने उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। पीयूष गोयल ने कहा कि वास्तव में भुवनेश्वर कालिता बेदाग छवि वाले राजनेता हैं जिन्होंने लंबे अर्से तक राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में योगदान दिया। कालिता का राष्ट्रीय राजनीति में लंबा अनुभव है और उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में समर्पित भाव से बेहतरीन कार्य किया है।

कालिता ने 370 पर कांग्रेस के रुख से सहमत नहीं होते हुए राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था।

कालिता ने कहा कि जब 370 की बात आई तब कांग्रेस के भीतर कोई निर्णय नहीं हुआ। नेतृत्व बाकी पेज 8 पर

सेंगर पर पांच धाराओं के तहत चलेगा मुकदमा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्नाव बलात्कार कांड मामले में नियमित आधार पर सुनवाई कर रही दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ आरोप तय कर दिए। जांच एजंसी की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों व दलीलों में से ज्यादातर बिंदुओं पर अदालत सहमत रही। आरोपी विधायक पर पांच धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा। विधायक कुलदीप सेंगर ने अपराध मानने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई का सामना करने का फैसला किया।

उन्नाव बलात्कार कांड

कुलदीप सेंगर के खिलाफ 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), 376 (बलात्कार) और पॉक्सो की धाराओं के तहत आरोप तय किए गए।

2017 में उन्नाव बाकी पेज 8 पर

प्रणय और राधिका रॉय को विदेश जाने से रोका गया

मुंबई, 9 अगस्त (भाषा)।

भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय को शुक्रवार को मुंबई हवाई अड्डे पर विदेश के लिए प्रस्थान करने से रोक दिया गया। सीबीआइ की ओर से जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) के आधार पर यह कार्रवाई की गई।

एनडीटीवी ने एक बयान में कहा कि इन दोनों को सीबीआइ द्वारा दो साल पहले शुरू किए गए भ्रष्टाचार के एक फर्जी और निराधार मामले के आधार पर रोका गया है। दिल्ली में सीबीआइ अधिकारियों ने कहा कि आइसीआइसीआइ बैंक से जुड़े कथित धोखाधड़ी से संबंधित मामले में जून में दोनों के खिलाफ सावधानी के लिए निगरानी का नोटिस (एलओसी) जारी किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि दोनों को इसी नोटिस के आधार पर देश छोड़ने से रोका गया है। एलओसी किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकने के उद्देश्य बाकी पेज 8 पर

सीबीआइ अधिकारियों ने कहा कि आइसीआइसीआइ बैंक से जुड़े कथित धोखाधड़ी से संबंधित मामले में जून में दोनों के खिलाफ सावधानी के लिए निगरानी का नोटिस (एलओसी) जारी किया गया था।

अरुण जेटली आइसीयू में, एम्स ने कहा हालत स्थिर

नई दिल्ली, 9 अगस्त (भाषा)।

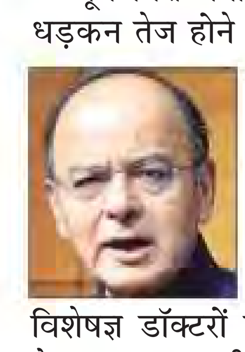

पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को दिल की धड़कन तेज होने और बेचैनी की शिकायत के बाद शुक्रवार को एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स का कहना है कि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। उनका आइसीयू में इलाज चल रहा है। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की देखभाल कर रही है। एम्स ने एक बयान में कहा कि अरुण जेटली को शुक्रवार सुबह एम्स में भर्ती कराया बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता
रविवारी
11 अगस्त, 2019

अगस्त क्रांति का बिगुल

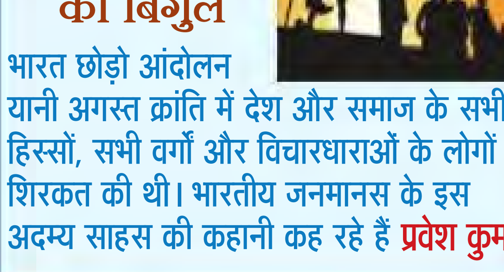

भारत छोड़ो आंदोलन यानी अगस्त क्रांति में देश और समाज के सभी हिस्सों, सभी वर्गों और विचारधाराओं के लोगों ने शिरकत की थी। भारतीय जनमानस के इस अदम्य साहस की कहानी कह रहे हैं प्रवेश कुमार।

• **कहानी**/ संजय स्वतंत्र • **प्रसंग**/ निशा नाग • **योग दर्शन**/ डॉ. वरुण वीर • **शख्सियत**/ श्रीअरविंद • **दाना-पानी**/ मानस मनोहर • **सेहत**/ रविवारी डेस्क

नफासत और कारीगरी का नायाब नमूना • सुमन बाजपेयी

• **कविता**/ फहीम अहमद • **कहानी**/ राधेश्याम भारतीय

दरअसल

पुलिस ने कहा, जब प्यार किया तो डरना क्या | सोशल मीडिया पर अभियान | अनूठे तरीके से कर रही जागरूक

प्रेमी युगलों की मदद को आगे आई राजस्थान पुलिस

जनसत्ता ब्यूरो/भाषा
जयपुर, 9 अगस्त (भाषा)।

'मुगले आजम का जमाना गया ... जब प्यार किया तो डरना क्या।' यह किसी फिल्म का डायलॉग नहीं बल्कि राजस्थान पुलिस की सलाह है जो वह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दे रही है। दरअसल यह 'ऑनर किलिंग' (झूठी शान के नाम पर हत्या) के खिलाफ हाल ही में पारित एक विधेयक के प्रति लोगों को जागरूक बनाने की उसकी पहल का हिस्सा है और लोगों ने इसे काफी पसंद किया है। प्रदेश में ऑनर किलिंग (झूठी शान के लिए हत्या) का बिल पास होते ही अब पुलिस ने भी प्यार करने वाले युवाओं को हिम्मत देने के लिए अनूठा प्रचार शुरू कर दिया है। प्यार करने वाले प्रेमी युगलों को अब पुलिस पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी।

अब पुलिस ने भी प्यार करने वाले युवाओं को हिम्मत देने के लिए अनूठा प्रचार शुरू कर दिया है। प्यार करने वाले प्रेमी युगलों को अब पुलिस पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी।

राजस्थान में पिछले सोमवार को ही विधानसभा में ऑनर किलिंग बिल-2019 पास हुआ था। देश में इस तरह का कानून लागू करने वाला राजस्थान पहला प्रदेश है।

राजस्थान में पिछले सोमवार को ही विधानसभा में ऑनर किलिंग बिल-2019 पास हुआ था। देश में इस तरह का कानून लागू करने वाला राजस्थान पहला प्रदेश है। यह कानून बनते ही राजस्थान पुलिस भी अब प्रेमी युगलों का हौसला बढ़ाने के लिए आगे आ गई है। पुलिस ने इस कानून के प्रचार के लिए फिल्म 'मुगल ए आजम' का ही सीन काम में लिया है। पुलिस ने अपने अधिकारिक ट्विटर एकाउंट पर लिखा है, 'अब मुगल ए आजम का जमाना आ गया है। प्यार करना अब कोई गुनाह नहीं है। प्यार करने वालों को अब कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा तक हो सकती है। इसके अलावा पांच लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है।' इसके नीचे दिल की इमोजी के साथ लिखा गया है, 'क्योंकि प्यार करना कोई गुनाह नहीं'। फोटो में कैप्शन के साथ लिखा गया है, 'क्योंकि प्यार किया तो डरना क्या क्योंकि अब राजस्थान सरकार का कानून है ऑनर किलिंग के खिलाफ।' पुलिस के सोशल मीडिया प्रभारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बीएल सोनी ने इस ट्वीट को अनूठा आइडिया बताया। उन्होंने कहा कि लोगों को नए कानून के प्रति जागरूक बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Umesh Singh S/o-Ram Avtar Singh R/o-W2-911/3,Naraina Village Delhi-110028,Inform that Umesh Singh And Umesh Kumar Singh both are same Person.Whose Aadhar-Card.No.467896464476 0040507169-2

I,Raj Kumar Gautam S/o Sh.Satish Chand Gautam, R/o:H.No.33, Block-C, Sector-1,Rohini, Delhi-110085,have changed my name,from Raj Kumar to Raj Kumar Gautam. 0040507244-8

I, hitherto known as Rajbeer Singh S/o Late Sh.Kehar Singh R/o.569/2, Balmiki-Basti, Maidan Garhi, D.J.B Tubewell, New Delhi-110068.have changed my name and shall hereafter be known as Buddha. 0040507244-6

I, Yogesh Kumar S/o Rajendra Kumar R/o-431, Third Floor, Kotla MubarakPur, New Delhi-110003. have changed my name to Yogesh Bansal. 0040507172-1

I, Vandana Yaduvanshi W/o Sujeet Kumar R/o RZ-2013, Near Peer Baba Mazar,Vill. Rajokari, N-Delhi-110038 have changed my minor Son's name from Nikhil to Nikhil Yadav parmanently. 0040507153-3

I, Surinder Singh Chugh S/o Sh.Kuldip Singh R/o AE-52, Tagore Garden, New Delhi-110027 have changed the name of my minor daughter from Dinas Kaur to Dinas Singh for all purposes. 0040507099-1

I, Suresh s/o Krishan LAL r/o EC-38, First Floor, Front Side, Inder Puri, Delhi-110012, have changed my name to Suresh Popli permanently. 0040507190-3

I, Sujeet Sakar Sudha S/o-Sh. Ravinder Kumar R/o-B-91, Shakti Apartment, Plot-No.5, Sector-9, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Sujeet Kumar for all purposes. 0040507112-1

I, Sonia Arora, W/o Surendra Singh R/o H.No. B-194, Ground Floor, Fateh Nagar, near Tilak Nagar, New Delhi-110018, have changed my name to Jaspreet Kaur for all future purposes. 0040507100-1

I, Sidharth Sehrawat S/o Amitabh Verma R/o-H.No.210 Vaishali-Pitampura Delhi-110034. changed my name to Sidhharrth A Sehrawat. 0040507172-3

I, Shyam S/O Bansi Lal R/O 23/45a S/F Tilak Nagar, New Delhi-18, have changed my minor daughter's name from Priyanshi To Priyanshi Shyam For All Purposes. 0040507114-1

I, Shourya Jain S/O, Sandeep Jain R/o 11, Vidya Vihar Apartments, Sector-9, Rohini, ND-85, have changed my name to Shouryadeep Jain for all purposes. 0040507119-1

I, Shoban Singh S/o Keshar Singh R/o:A-35, 3rd Floor, Street No.6, East Vinod Nagar, Delhi-110091, have changed my name to Soban Singh Rawat for all purposes. 0040507103-1

I, Shabana Khatoon D/o Islamuddin R/o 3-H, Police Colony, Model Town-II, Delhi-110009, inform that my father name is wrongly mentioned in my 10th Class, 12th Class and Graduation Marksheet and Certificate (all documents) as Mohd. Islamuddin. His correct name is Islamuddin. 0040507149-1

I, Satname Singh S/o Faqir Singh R/o.I-24,Vallabh Garden,Bikaner, Rajasthan-334001, have changed my name from Satname Singh to Satnam Singh permanently. 0040507153-1

I, Satish Kumar S/O Late Shri Dharam Pal, Resident of Flat No.631, GH-14, Paschim Vihar, New Delhi-110087, have changed my name to Satish Kumar Bhandari. 0040507108-1

I, Sanjeev Kumar Malhotra S/o Mohinder Pratap Malhotra R/o A-253, Sector-19, Noida (U.P.), have changed my name to Sanjeev Malhotra. 0040507169-1

I, Rohit Kumar S/o Rakesh Chandra Rathod, R/o IX/4935, Street No.7, Kaushikpuri, Shanti Mohalla, Gandhi Nagar, Delhi-110031, have changed my name to Rohit Kumar Rathod. 0040507133-1

I, Rekha W/o Mr.Raju R/o H.No. B 518, Gali No.4, Majlis Park, Delhi-110033 have changed my son name from Mohit Gupta to Mohit Sahu for all purposes. 0040507172-7

I, Rakhi Jaiswal W/o Amresh Kumar Jaiswal R/o H.No-496, Third Floor, Sector-15, Vasundhara, Ghaziabad, U.P-201012, have changed my name to Rakhi. 0040507109-1

I Jaishree Negi W/O Alam Singh Negi R/O C-3/277, Lodhi Colony, New Delhi-110003 have changed my name Km. Jayshri to Jaishree Negi for all future purposes 0040507098-1

I Dhanendra Kumar Goel R/o H-460, Naraina Vihar, New Delhi-110028 changed my minor daughter name from Akshita to Akshita Goel 0040507147-1

व्यक्तिगत

I, Rajwani Kaur w/o Gurvinder Singh r/o 212/A-3, West Azad Nagar, Krishna Nagar, Delhi-110051, have changed my name to Rajwant Kaur permanently. 0040507190-2

I, Priyanka Kumari W/O, Raman Bhatt R/o H.No. 59, Gali No. 2, Uttranchal Colony, Kamalpur, Burari, Delhi-84, have changed my name to Priyanka Bhatt for all purposes. 0040507117-1

I, Pravin Kumar Agarwal S/o Sh. Pramod Kumar Agarwal R/o Zion 002, The Forest Sector-92, Noida, have changed my name from Pravin Agarwal to Pravin Kumar Agarwal for all future purposes. 0040507104-1

I, Prateek S/o Vishnu Kumar R/o B-1/229, B-1 Block, Nand-Nagri, Delhi-110093 have changed my name to Prateek Chatran for all purposes. 0040507191-3

I, Pradeep Kumar, S/O, Braham Dutt, R/O H.No.171, Pole.No-91,Near Musjed,Mundka, N.Delhi-110041, That Name Of Mine Has Been Wrongly Written As Pradeep Singh In My Caste Certificate.The Actual Name Of Mine Is Pradeep Kumar. 0040507244-2

I, Pawan Kumar sharma R/o-Hous-966, New Patel Nagar, Hapur, Uttar-Pradesh-245101 have changed my son's name, from Rudar Sharma to Rudra Kumar Sharma vide-affidavit dated-09/08/2019 before, Notary-Public,Delhi. 0040507191-10

I, Parmeet Kaur Malhotra D/o Sh.Amarpal Singh Malhotra R/o B-59, 3rd Floor, Shyam Nagar, Tilak Nagar, New Delhi-110018 have changed the name of my minor son from Tejbir Singh Gujral to Asees Singh for all purposes. 0040507099-2

I, Parmeet Kaur Gujral D/o Sh. Amarpal Singh Malhotra R/o B-59, 3rd Floor, Shyam Nagar, Tilak Nagar, New Delhi-110018 have changed my name to Parmeet Kaur Malhotra for all purposes. 0040507099-3

I, Nisha Verma W/o Surya Kumar Mishra R/o Plot No.133, S-3, Sector-2A, Vaishali, Ghaziabad-201010.have changed my name to Nisha Mishra. 0040507172-2

I, Mohd Pillu, (D.O.B. 05/10/1980) S/o Shri Nawab Husain, R/o H.No. 424/11, Wazeerbagh, Saadatganj, Lucknow U.P. Informs that I am a continuous resident at the above mentioned address by Birth and I am a citizen of India by birth. So. that the above mentioned detail are true and correct and nothing material has been concealed. 0060068665-2

I, Mohammad Kaif S/O Adbul Wahid Qureshi Address 313/44 B-22, Inder Lok Delhi 110035., Changed My Name To Kaif Qureshi 0040507191-7

I, Manmeet Kaur W/o Parveen Tomer R/o-1883/139,Shanti Nagar,Tri Nagar,Delhi-110035, have changed my name from Manmeet Kaur to Preeti Tomer for all future purposes. 0040507153-2

I, Vinay Goel S/o Ram Gopal Goyal R/o- 139 Tarun Enclave Pitampura Delhi-110034 have changed my name to Vinay Goyal. 0040507172-5

I, Lallan S/O Sobhi Paswan R/O-H.No.951, Street No.8, Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019,Have Changed My Name To Suresh Paswan, for All Purposes. 0040507191-4

I, Kusum D/o Kishan Lal Chauhan R/o C-1/6, F.F., Mianwali-Nagar, Paschim-Vihar New Delhi-87, changed my name to Kusum Chauhan. 0040507191-1

I, Kaushlya Kumari W/o Dinesh Kumar R/o Ward No.9 Mohalla Haripura Jhajjar (HR)-124103 changed my name to Kaushlya Rani. 0040507244-1

I, Kanchan w/o Suresh Popli r/o EC-38, First Floor, Front Side, Inder Puri, Delhi-110012, have changed my name to Kanchan Popli permanently. 0040507190-1

I, Kalu S/o Rakesh Kumar R/o-N-21A/A9, Moujji Wala Bagh, Azadpur Delhi-110023,have changed my name to Naveen Kushwaha for all purposes 0040507105-1

I, Haobijam Bebita Devi W/O Saurabh Rathore R/O-L-4, Shyam-Park, Nawada Uttamnagar, Dwarka, Delhi-110059. Have Changed My Name To Bebita Rathore. 0040507191-5

I, Dhruvlataben Kiranbhai Patel W/o Piyush Patel R/o-1103, Gali-Samosan, Farash-Khana, N-Delhi-110006.,have changed my name.,from Dhruvlataben Kiranbhai Patel to Dhruvlata Patel. 0040507244-3

I, Devinder Singh S/O, Jasvinder Singh R/o C-20, Third Floor, Ram Dutt Enclave, Uttam Nagar, ND-59, have changed my name to Davinder Singh Sadana for all purposes. 0040507102-1

I Anu Singla W/o Sangeet Singla R/o H.No.503, NIFM, Sector-48, Pali-Road, Faridabad have changed my name from Anu Goel to Anu Singla for all purposes. 0040507212-2

I Adbul Wahid Qureshi Address 313/44 B-22, Inder Lok Delhi 110035. Changed My Minor Daughter Name Zoha To Zoha Qureshi. 0040507191-8

I, Darshan Lal S/o Tej Singh R/o 1562, Katra Hussain Baksh, Near Khanna Cimena, Pahar Ganj, New Delhi-110055 have changed my name to Dharshan Lal Thakur. 0040507111-1

I, Chanda Devi W/o Deo Pal Singh Tomer R/o Flat-204, Tower-C4 Olive County Sector-5 Vasundhara Ghaziabad Up-201012 have Changes My Name To Chanda Tomar. 0040507212-1

I, Bhupinder Singh Oberoi S/o Late S.Surinder Singh Oberoi R/o-34/14, Old Rajinder Nagar, N.Delhi-110041,have changed my minor daughter's name Sukhaali Kaur to Sukhaali Kaur Oberoi. 0040507244-4

I, Babli Prakash W/o Sharad Prakash, R/o 25/2, Ashok Road, Shipra Suncity, Indirapuram, Ghaziabad UP-201014, have changed my name to Babli Srivastava for all purposes. 0040507113-1

I, Ashima Gupta/Ashima Jindal, D/o Rishi Prakash R/o-26/69 Shakti Nagar Delhi-110007. have changed my name to Ashima for all purposes. 0040507172-4

I, Archana Ramji Gupta D/o Late Dr Laxmi Shankar Gupta R/o 1/114 ViramKhand, GomtiNagar, Lucknow-226010 have changed my name from Archana Ramji Gupta to Archana Gupta vide Affidavit dated 08/08/2019 before Kartikay Kumar Singh,Lucknow. 0060068667-2

I, Anand Gautam R/o 90, First-Floor, KishanKunj Extn-1, Laxmi Nagar, Delhi-110092, have changed my minor daughter name from Hrishita to Hrishita Gautam. 0040507172-6

I, Adbul Wahid S/O Abdul Salam Address-313/44 B-22, Inder Lok Delhi-110035 Changed My Name To Adbul Wahid Qureshi. 0040507191-6

I, Abhishake S/O, Madan Gopal Mathur R/o C1-902, Summer Palms, Sector 86, Faridabad-121002, have changed my name to Abhishek Mathur for all purposes. 0040507116-1

I Rajeev Arora R/o H.No-886 Sector-6 Bahadurgarh Jhajjar Haryana-124507 Have Changed My Minor Son Rhytham Arora to Rhythm Arora. 0040507191-2

I Manju W/O Late Nakul Kumar, R/O-86-A Sainik-Enclave, Najafgarh, Delhi-110043,Changed The Name Of My Minor Son Janu To Tanishk Aged-12-Years. 0040507244-5

सूचना

मैं तरन्नुम फातिमा हामिद पत्नी श्री जमाल अहमद उम्र लगभग 49 वर्ष निवासिनी 118/86 ख, बर्लिंग्टन कम्पाउण्ड, कैण्ट रोड, लखनऊ-226001, उत्तर प्रदेश, अपना नाम दिनांक 08.08.2019 से तरन्नुम जमाल करती हूँ। अब से मुझे इसी नाम से जाना जायेगा।

खोया+पाया

Original Share Certificate No. 205997, 230641 for 1350 & 2025, & Certificate of 270 of face value 10/-Folio No. MSS008507, MotherSon Sumi System Ltd. In the name of Late.Mohan Gidwani R/O-F-9/4, Model-Town, Delhi-110009,has been Lost. Bhawna Gidwani:9810073491. 0040507172-10

Lost Original Saledeed of Shop No.1/2504/1 Ground Floor (40Sq.Yds) Ramnagar Motiram Road, Shahdara Delhi-32 registration No. 3862,Book No.1, Volume No.1795 on page 63 to 69 Dated-25/09/2014 favouring Sachin Sharma S/o Ram Gopal Sharma founder may inform-Shivangi Jain W/o Sandeep Jain R/o-C-7/298 Keshav Puram, Delhi-35 #9310402777 0040507191-9

Lost my Original Allotment Letter of my Plot No.C-355/C-2, Kashmiri Enclave, Sector-C-2,Tronica City, Loni, Ghaziabad. Finder may Contact Gopal Ghosh at F-6/75, Dayalpur, Delhi-94. 0040507110-1

It's notified for information, my original CBSE qualifying examination certificate & markssheet, main secondary examination year-1985, Roll no.-028398 has been actually lost. Yash Pal, 5/5A, Moti Nagar, New Delhi-15. 0040507231-1

I, Sandeep Sharma S/o Lt. Ramsarup Sharma R/o D-83, Krishna Park, Devli Khanpur, New Delhi-110062, have lost my original 10th Class Certificate/Mark sheet (Roll no.-6339427, Year-1994) and 12th Class certificate/Mark sheet (Roll no.-6644197, Year-1996), Finder may contact:9911819888. 0040507146-1

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल प्रीतपाल कौर पुत्री करतार सिंह ने अपने पुत्र श्री नवमीत को उनके बुरे आचरण के कारण अपनी सभी चल और अचल संपत्तियों से बेदखल कर दिया है। उनके साथ उन्होंने अपने सभी संबंधों को विच्छेद कर लिया है। अतः वो उनके किसी भी कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जायेगा।

निर्मल मिश्रा, वकील
नामांकन सं. डी-1824/06
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 10.08.2019

PUBLIC NOTICE

It is to be notified that my client Shri Prabhat Kumar Chopra, S/o Shri Chaman Lal Chopra R/o 41, Sahyog Apartment, Pitampura, Delhi-110034 has hereby revoked his Public Notice published in Newspapers on 24th June, 2016 and henceforth the son Sh. Vikrant Chopra has been re-admitted in the family and he is now entitled to all the family benefits of joint Hindu Family and other benefits.

(BHUPINDER MEHTANI)
ADVOCATE
Ch. No. 245, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

Be at known to public at large that my client Sh. Suresh Kumar Dabas S/o Sh. Laik Ram and Smt. Beero Devi Wife of Sh. Suresh Kumar Dabas both R/o C-7/6, Model Town-III, Delhi-110009, have disinherited and disowned their son Sh. Pawan Kumar Dabas , his wife Ms. Shweta Dabas and their daughter Baby Arishka Dabas all R/o C-7/6, Model Town-III, Delhi-110009 from all their movable and immovable properties. They have no concern whatsoever with their activities which they shall be doing in future or whatever they have done in past. Anybody dealing with them shall be doing so at their own costs and risks and my clients shall not be responsible in any manner whatsoever.

Sd/-
DEVINDER CHOWDHARY
(Advocate)
Ch. No. 518, W. Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

Public is informed that my client Shanti Gupta Wife of Late Shri Ram Murti Gupta residence of Hoouse No. 279, Street-5, Tuglaqabad Extension, New Delhi-19, has severed relationships with her Son Jitender Gupta. My client has debarred Jitender Gupta from all her moveable and immovable properties from date of publication of this notice. My client and her family members shall not be responsible for any act(s)/deed(s) of Jitender Gupta. Any person(s) dealing with them would be doing so at their costs and risks for which my client and his family would not be responsible in any way.

Vinod Khera, Advocate
R-556, Shankar Road, New Delhi-60

PUBLIC NOTICE

My client Firoza W/o Late Sh. Sharif R/o Hazipur Behata, Agraula Loni, Ghaziabad, U.P. have severed her all relation and disowned / debarred her elder son Rahil S/o Late Sh. Sharif from her all moveable - immovable properties and assets. My client shall not be responsible for any acts and deeds done by him.

Ayyub Ahmad (Advocate)
Ch. No. 457, Saket Court, New Delh-17

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Smt.Shashi Kanta Chhibber w/o Late K.K.Chhibber R/o SH-8/123, New Moti Nagar, New Delhi-110015 have disowned/debarred her son Manish Chhibber residing at above address, from her all moveable & immovable assets/properties located at anywhere and also severed all relations with him. Any person/s dealing with him shall be at his/her own risk. Parvesh Kr. Tyagi (Advocate) Seat Behind Court Room No.36, Tis Hazari Courts, Delhi.

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Smt.Shashi Kanta Chhibber w/o Late K.K.Chhibber R/o SH-8/123, New Moti Nagar, New Delhi-110015 have disowned/debarred her son Manish Chhibber residing at above address, from her all moveable & immovable assets/properties located at anywhere and also severed all relations with him. Any person/s dealing with him shall be at his/her own risk. Parvesh Kr. Tyagi (Advocate) Seat Behind Court Room No.36, Tis Hazari Courts, Delhi.

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Shri Rakesh Kumar S/o. Late Shri Fateh Singh R/o. H.No. 805, Veer Bazar Wali Gali, Village & P.O.-Kapashera, New Delhi has debarred/disowned his son Mr. Monvir S/o. Shri Rakesh Kumar R/o. Khasra No. 12/15, Behind DC Office, Kapashera, New Delhi - 110037 with immediate effect from inheriting all his moveable and immovable properties. Hence, my client has severed all his relations with Mr. Monvir and his wife Smt. Shivani and their children due to their illegal, unsocial activities, misbehavior, quarrelsome attitude out of control with my client and anybody dealing with him do so at his/her own cost and risks. My client shall not be liable or responsible for any of his acts and deeds in any manner.

ROHTAS KUMAR JAJORIA ADVOCATE
Ch. No.317, Dwarka Court Complex, Sector-10, New Delhi -110075

PUBLIC NOTICE

"Intimated to all that my client Sh. Jagdish Chander Manocha S/o Late Sh. Nand Lal Manocha, R/o 4-B, Quarter No. 187-A, Keshav Puram, Delhi-110035, have disowned and debarred his sons, namely (i) Raj Kumar Manocha, (ii) Naresh Kumar Manocha and (iii) Lenin Kumar Manocha, all Flat No. 115, Manocha Apartment (Manocha Barethu Group Housing Society), H-Block, Vikaspuri, New Delhi-110018 from his all moveable & immoveable properties and have also severed all his social relations from them due to their disobedient attitude, misconduct and torture with my client. If anybody deals with them in any respect he / she himself/herself shall be responsible for the same and my client shall not be responsible for the same in any manner whatsoever."

S.D. ANSARI (ADVOCATE)
315, Essel House, Asaf Ali Road, New Delhi

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my clients i.e **Mr. Rattan Lal Bhagi, S/o Late Dina Nath Bhagi, and Mrs. Kanta Bhagi, W/o Mr. Rattan Lal Bhagi**, both R/o Flat No. 12, Plot No. G-50, FF, East of Kailash, New Delhi - 110065, have disowned their Son Mr. Deepak Bhagi from all their properties both movable and immovable with immediate effect, due to his habits of gambling and drug addiction etc., Whosoever deals with him in monetary form or in any other nature shall do so at his/her/their/its own cost, risk and responsibility.

Rajesh Gandhi (Advocate)
D/2593/2011
E-396 C.R. Park, N. Delhi-19
09868106823
gandhirajesh09@gmail.com

आम सूचना

आमजन को सूचित किया जाता है कि मेरे ग्राहक (मुवक्किल) इलाहाबाद बैंक, 1738/128, शांति नगर, त्रिनगर, दिल्ली-110035 ने घोषणा की है, कि एक मूल हस्तांतरणीय विलेख (Original Conveyance Deed) दिनांकित 17-08-2009 जो डीडीए एमआईजी फ्लैट नं०:-38-ए, जी.एफ. ब्लॉक-ईडी, पीतमपुरा, दिल्ली सम्पत्ति के संदर्भ में दस्तावेज सं०-11711, अतिरिक्त पुस्तिका सं०-1, वोल्यू. सं०:-3455, पृष्ठ सं०:-31 से 33 तक 17-08-2009 के रूप में पंजीकृत है, श्रीमती मीना अग्रवाल, धर्मपत्नी श्री राकेश अग्रवाल, निवास:- बीडब्ल्यू-67 ए, शालीमार बाग, नई दिल्ली-110068 द्वारा मेसर्स आर.एस.मेटल उद्योग को ऋण सुविधा की प्रतिभूति के रूप में जमा की गई थी, वो गुम हो गई है। उक्त सम्पत्ति बैंक के पास 20-10-2014 से सामयिक बंधक के तहत रखी गई है। एतद्द्वारा आमजन को सूचित किया जाता है कि जिस किसी को उक्त दस्तावेज मिले तो कृपया इलाहाबाद बैंक के ऊपर दिए गए पते पर लौटाएं अथवा मोबाइल नंबर:-9810075779/7011893251 को सूचित करें।

Sanjeev Kumar Gupta (Advocate)
Ch.No.: 366, Civil Side, Tis Hazari Court, Delhi-110054

आजम के विश्वविद्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय की नजर

शत्रु संपत्ति कानून के उल्लंघन का संदेह

लखनऊ/नई दिल्ली, 9 अगस्त (भाषा)।

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। आरोप है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में वह जो विश्वविद्यालय चला रहे हैं, उसे शत्रु संपत्ति कानून का उल्लंघन कर कब्जा किया गया जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले के तहत जांच शुरू कर दी है।

शत्रु संपत्ति वह अचल संपत्ति है जिसे बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए लोगों और 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद चीन जा चुके लोग यहां छोड़ गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिकों ने करीब 9280 ऐसी संपत्तियां छोड़ी हैं जबकि चीनी नागरिकों ने 126 संपत्तियां छोड़ी हैं। इनका विनियमन शत्रु संपत्ति कानून के तहत होता है।

रामपुर से लोकसभा सांसद और अखिलेश यादव के शासन काल में राज्य के कैबिनेट मंत्री रहे खान पर केंद्रीय जांच एजंसी धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर चुकी है। जमीन हड़पने और उगाही के आरोपों में स्थानीय पुलिस द्वारा कम से कम 26 आपराधिक मामले दर्ज करने के आधार पर केंद्रीय एजंसी ने उन पर मामला दर्ज किया है।

ईडी के निशाने पर मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय है जिसे खान ने 2006 में स्थापित किया था। बताया जाता है कि विश्वविद्यालय में तीन हजार छात्रों का नामांकन है और यह 121 हेक्टेयर में फैला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अगर जमीन हड़पने और शत्रु संपत्ति कानून का उल्लंघन करने के आरोप सही पाए जाते हैं तो प्रवर्तन निदेशालय धनशोधन निवारण कानून के प्रावधानों के तहत जल्द ही विश्वविद्यालय परिसर को जब्त कर सकता है।

रामपुर जिला प्रशासन के सूत्रों ने कहा कि ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय से हमसे इस बारे में जानकारी मांगी गई है जिसमें विश्वविद्यालय का गठन करते समय पेश किए गए सभी दस्तावेज मांगे गए हैं। जिलाधिकारी जिले में 'शत्रु संपत्ति' का उपसंरक्षक होता है। इस मामले में 'शत्रु संपत्ति' रामपुर जिले के सिंगन खेरा तहसील में स्थित है और यह पाकिस्तानी नागरिक इमामुद्दीन कुरैशी का है। सूत्रों ने बताया कि ईडी ने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम (फेमा) के तहत भी इस मामले में जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय जांच एजंसी ने उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को हाल में पत्र लिखा कि विश्वविद्यालय को मंजूरी देने से जुड़े सभी दस्तावेजों और मंजूरियों की जानकारी उससे साझा की जाए ताकि पीएमएलए और फेमा के तहत आपराधिक जांच को आगे बढ़ाया जा सके। ईडी द्वारा जानकारी मांगे जाने के बाद रामपुर जिला प्रशासन ने कथित अवैध सौदे में गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज की। नायब तहसीलदार ने अपनी शिकायत में कहा कि 'शत्रु संपत्ति' को वक्फ की संपत्ति में बदलने और इसे मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को हस्तांरित करने का पूरा सौदा सरकारी कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से हुआ ताकि विश्वविद्यालय और खान को लाभ पहुंचाया जा सके। प्राथमिकी में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार खान, वक्फ बोर्ड के इमाम और रामपुर नगर निगम के तत्कालीन अधिकारी एसएम तारिक का नाम है।

मतपत्रों से मतदान कराने का सवाल ही नहीं : मुख्य निर्वाचन आयुक्त

कोलकाता, 9 अगस्त (भाषा)।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जगह मतपत्रों से मतदान कराने की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मांग को खारिज करते हुए कहा कि पुरानी प्रणाली पर लौटने का कोई सवाल नहीं उठता। अरोड़ा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मतपत्रों से मतदान फिर शुरू करने के खिलाफ कई बार फैसले दिए हैं।

सुनील अरोड़ा ने यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पहुंचने के बाद संवाददाताओं से कहा, 'हम मतपत्रों के युग में वापस नहीं जाने वाले। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि मतपत्र अतीत की बात है।'

मुखर्जी को भारत रत्न राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के लिए उचित सम्मान : मोदी

नई दिल्ली, 9 अगस्त (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से नवाजा जाना राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के लिए उचित सम्मान है। मुखर्जी को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने गुरुवार को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था।

मोदी ने ट्वीट किया, 'भारत को और अधिक विकसित बनाने की खातिर कोई कसर नहीं छोड़ने के लिए आपको धन्यवाद।... आपको भारत रत्न लेते हुए देखना सम्मान की बात है... आपने देश के लिए जो कुछ भी किया है, यह उसके लिए उचित सम्मान है।'

आरएसएस के दिवंगत नेता नानाजी देशमुख और दिवंगत गायक भूपेन हजारिका को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजारिका के गीत-संगीत सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, 'वे ऐसी सांस्कृतिक हस्ती हैं जिनकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। उनकी समृद्ध कृतियों में मानवीय स्वभाव एवं संवेदनाओं के सभी पहलू हैं। (उन्हें मरणोपरांत) भारत रत्न हमारी संस्कृति और संगीत के प्रति उनके योगदान को पहचान देना है।'

उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'भारत नानाजी देशमुखजी को श्रद्धांजलि देता है। उन्होंने भारत के गांवों में सुधार लाने एवं अपनी ग्रामीण आबादी की जिंदगी में मजबूती लाने के लिए कई प्रयास किए। वह सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, सरलता और शुचिता के प्रतीक थे। खुशी है कि उन्हें भारत रत्न (मरणोपरांत) मिला।'

PUBLIC NOTICE

PUBLIC AT LARGE IS HEREBY INFORMED THAT MY CLIENTESS SMT. KULWANTI DEVI W/O LT. SH. BALDEV RAJ ARORA, SMT. SONIA ARORA W/O SH. RAJEEV KUMAR ARORA AND MY CLIENT SH. RAJEEV KUMAR ARORA S/O LT. SH. BALDEV RAJ ARORA ALL RESIDENTS OF 1091, 2nd FLOOR, SHAKTIKHAND, INDIRAPURAM, GHAZIABAD HAVE SEVERED ALL THEIR RELATIONS WITH THEIR GRANDSON/SON NAMELY SHUBHAM ARORA AGED 23 YEARS DUE TO HIS DISRESPECTFUL, FIGHTING AND RUDE BEHAVIOUR AND HAS DISINHERITED/DISOWNED HIM FROM ALL THEIR MOVABLE/IMMOVABLE PROPERTIES/BUSINESS SITUATED AT NOIDA/GHAZIABAD ANYBODY DEALING WITH HIM SHALL BE DOING SO AT HIS/HER/ITS OWN COSTS, RISK AND CONSEQUENCES.

ATIN CHADHA (Advocate)
Ch. No.405, Bodi, Delhi High Court, New Delhi

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my clients Mr. SUNHARI LAL S/o Late BALWANT SINGH & Mrs. OMWATI W/o Mr. SUNHARI LAL both R/o H. No. L-1st/150, SHANI BAZAR Road, SANGAM VIAHAR, N.D.-62, dishonest/disinherits their son Mr. DHARAM PAL S/o SUNHARI LAL & duaghter in Law Mrs. Manju W/o Mr. Dharam Pal from their all movable and immovable properties for all purposes, they have become dishonest and disobedient. My clients shall not be responsible for any act/acts and any manner whatsoever done by them. if the anybody deals with them his/her/their will to so own their costs, consequences.

Sd/-
PRABHU DAYALL (Adv.)
CH.NO. 572, Saket Court Complex Saket, N.D.-17

सर्वजानिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा कलाइन्ट मौहम्मद जाहिद पुत्र अब्दुल शकूर निवासी मकान नं०:-एक्स-40, ब्लॉक-एक्स, न्यू रंजीत नगर, दिल्ली-110008 ने अपने पुत्र मौहम्मद जुनैद को अपने पूर्ण होशो-हवास में बिना किसी दबाव के अपनी स्वयं की निजि (चल व अचल) समस्त सम्पत्ति से एवं उसके द्वारा दुर्व्यवहार और उसकी कुसंगीती व गलत रिलेशन व डीसिजन के कारण हमेशा के लिये बेदखल कर दिया है तथा उससे मैंने व मेरे समस्त परिवार वालो ने अपने सारे संबंध खत्म कर दिये हैं। उसके द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के लेन-देन, डीसिजन, वैध एवं अवैध कार्यों तथा अन्य कोई भी कार्यों में मेरा कलाइन्ट (मौहम्मद जाहिद) तथा उनके परिवार के अन्य किसी सदस्य की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जाहिद अपने गलत कार्यों के जिये खुद जिम्मेदार होगा।

Nitin Kumar (Advocate)
Ch.No.K-151, Near Tis Hazari Metro Station, Tis Hazari Court, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

To be known to all that I Jeet Mohan Kapur R/o Flat No. 120, Pocket-2 Block-C-2-C Janakpuri, New Delhi-110058, present owner of Flat No.120 on First Floor, Block-C-2-C, Pankha Road Residential Scheme, Janakpuri, New Delhi, have applied for conversion of the said flat from leasehold to freehold vide application No.10487217E Dt. 17/05/2019 in DDA. All original documents i.e. Possession Slip, Possession Letter & NOC for water & electricity connection related to the said flat have been misplaced/lost. That the NCR lodged having L.No.1354830/2019 Dt. 07/08/2019. Any person(s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of the above said original documents, may write/contact with above named person at above add/phone No.9971364581 within 07 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right interest objections with request to this property can personally inform of write to the Dy. Director Vikas Sadan, INA, New Delhi

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

नए कांग्रेस अध्यक्ष पर कुछ दिनों में निर्णय : सूत्र

नई दिल्ली, 9 अगस्त (भाषा)।

कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्लूसी) की बैठक से एक दिन पहले राहुल गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से शुक्रवार को कहा कि अगले कुछ दिनों के भीतर नए अध्यक्ष को लेकर फैसला हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी महासचिवों, प्रदेश अध्यक्षों, विधायक दल के नेताओं, विभाग प्रमुखों और सांसदों की बैठक में राहुल ने कहा कि शनिवार को होने जा रही कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में अध्यक्ष के चयन को लेकर व्यवस्था बन जाएगी और अगले कुछ दिनों के भीतर निर्णय हो जाएगा।

बैठक में मौजूद एक नेता ने बताया, 'गांधी ने यह भी साफ किया कि वह अध्यक्ष नहीं रहते हुए भी पार्टी के नेताओं-कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें कांग्रेस जीतेगी और वापसी करेगी।' सूत्रों के मुताबिक नए अध्यक्ष के चयन के फैसले को लेकर शनिवार को सीडब्लूसी की बैठक में व्यापक विचार-विमर्श होगा और चयन के लिए कोई व्यवस्था बनाई जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक अहमद पटेल, एके एंटनी और केसी वेणुगोपाल सोनिया से मिले। पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खरगे, अशोक गहलोत, सुशील कुमार शिंदे सहित कई वरिष्ठ नेताओं के नामों की चर्चा है।

राष्ट्रपति ने यूएपीए के संशोधनों को मंजूरी दी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उस विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत संदिग्ध को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है और उसकी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) संशोधन (यूएपीए) विधेयक, 2019 में उन व्यक्तियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का प्रावधान हैं, जिन्हें आतंकवादी घोषित किया जा चुका हैं।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ने गुरुवार की रात विधेयक को अपनी मंजूरी दी। लोकसभा ने 24 जुलाई को इस संशोधन विधेयक को पारित किया था, जबकि राज्यसभा ने दो अगस्त को इसे पारित किया था। अधिकारियों ने बताया कि भारत के सबसे वांछित लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पहले ऐसे दो व्यक्ति हो सकते हैं, जिन्हें इस विधेयक के तहत आतंकवादी घोषित किया जा सकता है।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को उस कानून को मंजूरी दे दी, जिससे जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो जाएगा। यह कानून 31 अक्तूबर को अस्तित्व में आ जाएगा। संसद ने राज्य को विभाजित करने के लिए लाए गए विधेयक को इसी हफ्ते मंजूरी दी थी।

इस विधेयक के अनुसार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की पुडुचेरी की तरह विधानसभा होगी और लद्दाख चंडीगढ़ की तरह विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेश होगा। दोनों में कानून एवं व्यवस्था का जिम्मा केंद्र के पास होगा।

कारपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार को न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली, 9 अगस्त (भाषा)।

विमानन घोटाले के सिलसिले में कारपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार को दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके कारण एअर इंडिया को हानि हुई है। तलवार की पूछताछ की हिरासत अवधि शुक्रवार को समाप्त होने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उसे अदालत में पेश किया जहां से विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

जांच एजंसी ने अदालत को बताया कि आरोपी से अब पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है । इससे पहले जांच एजंसी ने तलवार को 26 जुलाई को अदालत से ही हिरासत में ले लिया था क्योंकि न्यायाधीश ने उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। तलवार को 26 जुलाई को पेशी वारंट के लिए अदालत में पेश किया गया था। वह घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में न्यायिक हिरासत में था। एजंसी के मुताबिक, तलवार ने कतर एअरवेज, एमिरेट्स और एअर अरेबिया सहित विदेशी निजी विमानन कंपनियों के पक्ष में बातचीत करने के लिए एक बिचौलिए की भूमिका अदा की थी और इसके बाद एअर इंडिया को लाभकारी मार्ग और समय से वंचित कर दिया गया।

यह डील तब हुई थी जब केंद्र में कांग्रेस की अगुआई वाली राष्ट्रीय प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार सत्ता में थी। सीबीआइ ने इससे पहले अदालत को बताया कि उसे नागरिक विमानन मंत्रालय, नेशनल एविएशन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड तथा एअर इंडिया के उन अधिकारियों का नाम पता करना है जिन्होंने विदेशी विमानन कंपनियों की मदद की थी।

यमुना के खादर क्षेत्र में जल संचयन की पहल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

दिल्ली में यमुना नदी के खादर क्षेत्र की खुदाई कर गिरते भूजल स्तर को थामा जाएगा। शुक्रवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस परियोजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआत में दिल्ली सरकार इस योजना में 30 से 100 एकड़ जमीन को चिन्हित कर वहां जल संचयन की योजना पर काम कर रही है। यह परियोजना सफल होती है तो यह देश व दुनिया के लिए रोल मॉडल बनेगा। इसके बाद दिल्ली सरकार एक से दो हजार एकड़ जमीन पर इस योजना को लागू करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा जलस्तर कई जगहों पर काफी नीचे चला गया है। इस बीच यदि इस प्रयोग से अच्छा परिणाम आता है, तो यह देश के लिए अच्छी पहल होगी। मुख्यमंत्री ने इस योजना में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार वर्षा जल संचयन को आंदोलन बनाएगी और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ेगी।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस पहल को देश में अनूठी व नई शुरुआत बताया है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में पानी एक बड़ी चुनौती है। भारत के संदर्भ में यह एक और बड़ी चुनौती है। केवल 3–4 फीसद ही पीने योग्य पानी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कई देशों में हमसे भी कम पानी उपलब्ध है और उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी को संरक्षित किया है। ऐसे देशों से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली ने वैज्ञानिक पद्धति से पानी रोकने की तकनीक तैयार की है। खेती में भी पानी का कम प्रयोग करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 110 करोड़ लीटर सीवर पानी निकलता है। पानी का शोधन कर–के पड़ोस के राज्यों को दें तो इससे खेती की जा सकती है। इस मौके पर बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन, मुख्य सचिव विजय देव समेत संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

इस पॉयलट प्रोजेक्ट में खादर क्षेत्र में केवल एक से डेढ़ मीटर का गढ्ढा खोदा जाएगा। इस जमीन में नीचे पानी नहीं जा रहा है। खुदाई के बाद रेत की परत है जिसकी मदद से पानी नीचे जाएगा। यहां 4–5 घंटे पानी रुक जाता है तो तेजी से पानी नीचे जाएगा। इससे जलस्तर को बढ़ाने में मदद हासिल होगी। इस पायलट प्रोजेक्ट में दिल्ली सरकार पानी के स्तर का आकलन किया जाएगा। इस आकलन के बाद ही आगामी वर्ष की रणनीति पर काम होगा।

जबरिया बढ़ाई कहानी

जबरिया जोड़ी

रेटिंग–★★

निर्देशक– प्रशांत सिंह

कलाकार– सिद्धार्थ मल्होत्रा, परिणीति चोपड़ा, जावेद जाफरी, अपारशक्ति खुराना, संजय मिश्रा, नीरज सूद

अब तो उतना नहीं लेकिन कुछ साल पहले जमाने में बिहार में पकड़वा शादी का चलन था। ऐसी शादी जिसमें लड़के को अगवा कर लिया जाता था और फिर उसकी शादी कर दी जाती थी। ऐसा दहेज की बढ़ती मांग की वजह से हुआ। 'जबरिया जोड़ी' इसी पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म है। यह अच्छी हंसने-हंसाने वाली फिल्म के रूप में शुरू होती है पर मध्यांतर के बाद जज्बाती होने के चक्कर में पटरी से उतर जाती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इसमें अभय सिंह यादव नाम के उस बाहुबली का किरदार निभाया है, जो विवाह योग्य लड़कों को उठाता है और उनकी जबरदस्ती शादी कराता है। इसके लिए वो कुटाई-पिटाई से लेकर जान से मारने की धमकी देता है। परिणीति चोपड़ा इसमें बबली यादव बनी है। बबली को घर से भागकर शादी करने का शौक है। लेकिन वो जिस लड़के के साथ भागने की कोशिश करती है वो ऐन वक्त पर स्टेशन नहीं पहुंचता है। उसके बाद तो बबली उसकी सरेआम पिटाई करती है। इतनी कि टीवी चैनल पर उसे लाइव दिखाया जाता है। फिर तो बबली को पटना में 'बबली बम' कहा जाने लगता है। लेकिन ऐसी लड़की से शादी कौन करे? इसलिए पिता परेशान है। हालात ऐसे बनते हैं कि बबली और अभय सिंह की मुलाकात होती है और तब बबली को याद आता है कि ये तो उसके बचपन का वो दोस्त है जो छोटी उम्र में ही उसके पिता से उसका हाथ मांगने चला आया था। प्यार की बुझी हुई लौ फिर से सुलगने लगती है। अब आगे क्या होगा? क्या बबली और अभय एक दूसरे के होंगे या अभय जबरिया जोड़ी बनाने का धंधा करता रहेगा? बबली की शादी होगी या नहीं? होगी भी तो किससे? फिल्म में बिहारी शैली की डायलॉगबाजी का जोर है। एक जगह अभय सिंह के पिता की भूमिका निभा रहे जावेद जाफरी के आगे एक लड़की का दयनीय-सा लगने वाला पिता झुका जा रहा होता है तो जाफरी का डायलाग है– 'अरे ये कौन डाउन टू अर्थ हुआ जा रहा है भाई?' इसी तरह एक पानवाला जब एक रंगबाज को पान मांगने पर छोटा सा बीड़ा देता है तो वो कहता है– 'ये पान है कि जापान है।' इस तरह के चुस्त फिकरे कई जगह फिल्म में हैं। लेकिन डायलागबाजी के इस पहलू को छोड़ दें तो फिल्म कई जगहों पर बहुत ढीली हो गई है। खासकर जब अभय सिंह बबली को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है, तो वो पूरा मामला लंबा और लचर दिखता है। इसी तरह, जिन दृश्यों में बबली अपने कुछ नादान किस्म के दोस्तों से अभय सिंह को अगवा कराती है और उसके साथ फेरे लेती है, वो भी काफी कमजोर हैं। उनमें हंसी की और भी संभावनाएं थीं। सिद्धार्थ मल्होत्रा भी पूरी तरह से बिहारी बाहुबली नहीं दिखते हैं। उनका पंजाबीपन साफ झलकता है। हां, बबली की भूमिका में परिणीति चोपड़ा बहुत हद तक विश्वसनीय लगती है। लेकिन अभिनय के मामले मे छा हुए हैं तो संजय मिश्रा, जिन्हें नींद में चलनेवाले एक किरदार के रूप में भी और दूसरे दृश्यों में भी हंसा-हंसाकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। जावेद जाफरी भी जमे हैं। फिल्म में 'पटना हिले छपरा हिले...' वाला गाना तो पुराने गाने का हल्का सा रिमेक है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया आदेश

दो सप्ताह में जवाब दाखिल करें कपिल मिश्र

नई दिल्ली, 9 अगस्त (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 'आप' के बागी नेता कपिल मिश्र से दिल्ली विधानसभा से उन्हें अयोग्य करार दिए जाने के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश में उनके खिलाफ दिए गए निष्कर्षों पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

शुक्रवार को दिए गए आदेश में न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने कहा कि अगर मिश्र स्पीकर राम निवास गोयल के 2 अगस्त के आदेश में दिए गए निष्कर्षों को चुनौती नहीं देते तो प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के उनके दावे का कोई मतलब नहीं होगा। बागी विधायक के वकीलों ने अदालत में कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों या निकाले गए निष्कर्षों को वह चुनौती नहीं देते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। अदालत ने उन्हें हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया, जिसमें वह दो अगस्त के आदेश पर जवाब देंगे। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 4 सितंबर की तारीख तय की है। मिश्र दलबदल रोधी कानून के तहत विधानसभा से अपनी अयोग्यता के खिलाफ मंगलवार को उच्च न्यायालय पहुंचे थे। करावल नगर के विधायक को 27 जनवरी से उस समय अयोग्य ठहराया गया जब उन्होंने भाजपा नेताओं द्वारा आयोजित चुनाव कार्यक्रम में मंच साझा किया था। स्पीकर ने कहा था कि चूंकि मिश्र ने लोकसभा चुनावों में भाजपा और प्रधानमंत्री के लिए प्रचार किया, इससे संकेत मिले कि उन्होंने 'अपनी मूल राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है।'

MAA OMWATI
INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY
Hassanpur (PALWAL)
AFFILIATED TO MDU, ROHTAK
APPROVED BY AICTE
STAFF REQUIRED FOR MBA
DIRECTOR / PRINCIPAL,
PROFESSOR, ASSOCIATE PROFESSOR,
ASSISTANT PROFESSOR, LIBRARIAN,
TECHNICAL ASST., OFFICE ASST. CUM ACCOUNTANT,
LAB ATTENDANT AND LIBRARY ATTENDANT
(QUALIFICATION & SALARY AS PER MDU/AICTE/UGC NORMS)
APPLY WITHIN 21 DAYS WITH
PHOTOS & ATTESTED CERTIFICATES TO BOTH
DIRECTOR, MOIMT, HASSANPUR (PALWAL)&
DCDC, MDU, ROHTAK
moimt.director@maaomwati.com

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
टोल टैक्स विभाग
एनआईटी सं. एडीसी/टीटी/एचक्यू/2019/डी–665 दिनांक : 08.08.2019
"टोल सिस्टम्स एग्जीकुटिव्स" के पद हेतु आवेदन
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ग्राह्य उम्मीदवार/आवेदक से, संविदा आधार पर 12 माह की अवधि के लिए परामर्शदाता के रूप में, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के टोल टैक्स विभाग में "टोल सिस्टम्स एग्जीकुटिव्स" के 03 पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित हैं। पद हेतु अवधि उम्मीदवार के संतोशजनक कार्यप्रदर्शन की शर्त पर आगे बढ़ाई जा सकती है।
ग्राह्यता मानदंडों तथा अन्य विवरण के लिए एसडीएमसी की वेबसाइट http://www.mcdonline.gov.in देखें।
सहायक आयुक्त (टोल टैक्स)
आर.ओ नं. 36/डीपीआई/दक्षिणी/2019–20

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
टोल टैक्स विभाग
एनआईटी नं. एडीसी/टीटी/एचक्यू/2019/डी–664 दिनांक: 08.08.2019
"अथॉरिटी इंजीनियर" के पद के लिए आवेदन
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) द्वारा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के टोल टैक्स विभाग में अनुबंध आधार पर 12 माह की अवधि के लिए सलाहकार के रूप में "अथॉरिटी इंजीनियर" के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवार/आवेदक से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पद उम्मीदवार के संतोषजनक कार्यप्रदर्शन के अधीन विस्तार योग्य है। योग्यता मापदंडों एवं अन्य विवरणों के लिए कृपया एसडीएमसी की वेबसाइट http://www.mcdonline.gov.in देखें।
आर.ओ. सं. 035/डीपीआई/दक्षिणी/2019-20 सहायक आयुक्त (टोल टैक्स)

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
सेक्टर–33, फरीदाबाद, हरियाणा–121003 (भारत)
सीआईएन: L40101HR1975GOI032564

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की विवरणी का सार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	एकल			समेकित		
		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष
		30.06.2019 (अनंकेक्षित)	30.06.2018 (अनंकेक्षित)	31.03.2019 (अंकेक्षित)	30.06.2019 (अनंकेक्षित)	30.06.2018 (अनंकेक्षित)	31.03.2019 (अंकेक्षित)
1)	प्रचालनों से कुल आय	2,421.29	2,137.92	8,161.18	2,609.95	2,319.39	8,982.87
2)	कर पूर्व निवल लाभ (असाधारण मदों से पूर्व)	1,166.84	928.63	3,744.78	1,349.14	1,105.29	4,159.41
3)	कर पूर्व निवल लाभ (असाधारण मदों के पश्चात)	1,166.84	928.63	3,744.78	1,349.14	1,105.29	4,159.41
4)	अवधि हेतु कर पश्चात निवल लाभ (असाधारण मदों के पश्चात) - कम्पनी के स्वामी - अनियंत्रित ब्याज	881.14 -	737.57 -	2,630.55 -	930.89 58.38	790.66 61.04	2,595.61 240.18
5)	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [लाभ तथा अन्य व्यापक आय सहित (कर पश्चात)] - कम्पनी के स्वामी - अनियंत्रित ब्याज	866.61 -	718.89 -	2,618.14 -	916.33 58.35	771.91 60.98	2,583.06 240.06
6)	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक)	10,045.03	10,259.32	10,045.03	10,045.03	10,259.32	10,045.03
7)	आरक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर)			19,169.70			20,752.78
8)	प्रति शेयर अर्जन (**मूल और डाइल्यूटिड**) (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक) - विनियामक स्थगन लेखा शेष में गतिशीलता से पूर्व (₹ में) - विनियामक स्थगन लेखा शेष में गतिशीलता के पश्चात् (₹ में)	0.68 0.88	0.60 0.72	1.77 2.57	0.71 0.93	0.65 0.77	1.71 2.54

नोट:
1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत शेयर बाजारों में वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। इन वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्जेज की वेबसाइट्स **www.nseindia.com** तथा **www.bseindia.com** पर और कम्पनी की वेबसाइट **www.nhpcindia.com** पर उपलब्ध है।
2. आवश्यकता के अनुसार पिछली अवधि के आंकड़े पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित/पुनःवर्गीकृत किए गए हैं।

एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
हस्ता./-
(महेश कुमार मित्तल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–02889021

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 9 अगस्त, 2019

दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और बीएसइएस ने की लोगों से अपील

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पतंगबाजी करते समय बरतें सावधानी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और बिजली वितरण कंपनी बीएसइएस ने 15 अगस्त को देखते हुए दिल्लीवासियों से अपील की है कि पतंग उड़ाते समय हाई वोल्टेज बिजली की तारों और बिजली संयंत्रों से दूरी बना कर पतंगबाजी करें। दिल्ली ट्रांसको की सीएमडी पद्मिनी सिंगला ने लोगों से अपील की है कि वे बिजली संयंत्रों से दूर खुले पार्क या फिर मैदानों में पतंगबाजी करें, ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और बिजली सेवा को बाधित नहीं होने दें। पिछले साल 15 अगस्त के मौके पर बिजली की लाइन कई बार ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली सेवा बाधित हुई थी।

वहीं, बीएसइएस के प्रवक्ता चंद्र प्रकाश कामत की ओर से उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे बच्चों को यह समझाएं कि वे कटी हुई पतंग लेने के लिए बिजली उपकरणों के पास या प्रतिबंधित इलाकों में न जाएं। प्रवक्ता का कहना है कि यदि 66/33 केवी की सिर्फ लाइन ट्रिप हो जाए, तो इससे 10 हजार से अधिक लोगों के घरों की बिजली जा सकती है। इसी प्रकार 11केवी की एक लाइन ट्रिप होती है, तो लगभग 2500 से अधिक लोगों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिसे सुचारू होने में समय लग सकता है।

अपील

- पिछले साल 15 अगस्त पर बिजली की लाइन कई बार ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली सेवा बाधित हुई थी
- धातु लगे मांझे का इस्तेमाल न करने की नसीहत

बी एच ई एल BHEL
150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

एक नये भारत के निर्माण में योगदान

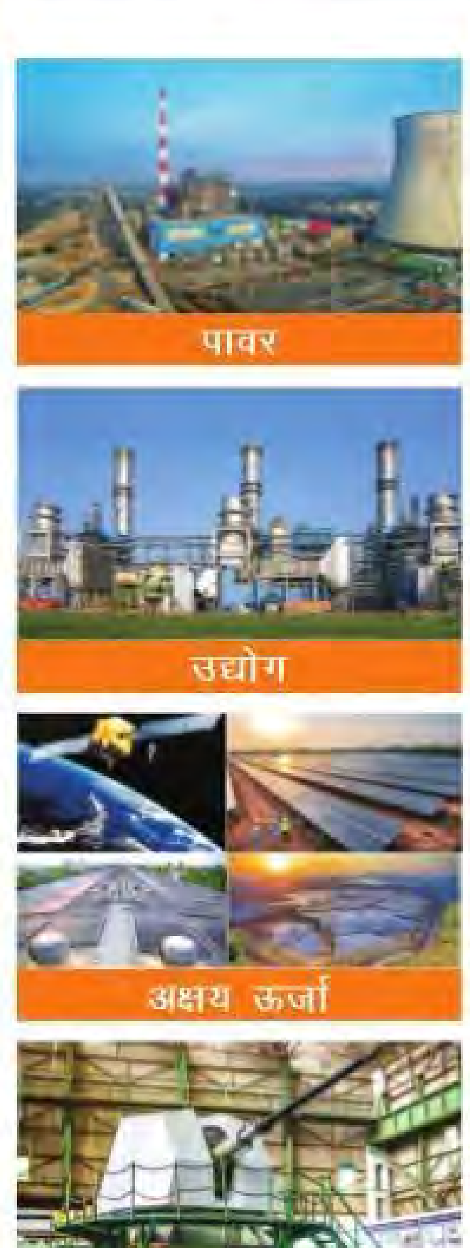

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडएलोन एवं कंसोलिडेटेड अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार (₹ करोड़ में)

Sl. No.		30.06.2019 को समाप्त 3 माह	31.03.2019 को समाप्त 12 माह	30.06.2018 को समाप्त गत वर्ष में तद्नुरूपी 3 माह	30.06.2019 को समाप्त 3 माह	31.03.2019 को समाप्त 12 माह	30.06.2018 को समाप्त गत वर्ष में तद्नुरूपी 3 माह
		स्टैंडएलोन			कंसोलिडेटेड		
		अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अनंकेक्षित
1	प्रचालनों से आय						
क	प्रचालनों से बिक्री/आय	4410.29	29349.21	5790.08	4411.09	29367.85	5796.70
ख	अन्य प्रचालन आय	121.39	999.74	145.41	121.39	999.80	145.41
	प्रचालनों के कुल राजस्व	4531.68	30348.95	5935.49	4532.48	30367.65	5942.11
2	अवधि के दौरान निवल लाभ/(हानि) (कर, आपवादिक मदों से पूर्व)	(343.97)	2057.86	225.85	(352.03)	2035.70	218.96
3	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक मदों के उपरांत)	(343.97)	2057.86	225.85	(346.65)	1850.10	110.25
4	कर पश्चात अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक मदों के उपरांत)	(216.25)	1215.39	155.58	(218.93)	1009.16	39.98
5	अवधि की समग्र आय [अवधि के पश्चात लाभ/(हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात)]	(250.90)	1096.21	154.60	(253.57)	890.01	39.01
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पुंजी (अंकित मूल्य ₹ 2 प्रति शेयर)	696.41	696.41	734.28	696.41	696.41	734.28
7	अन्य इक्विटी	-	30703.45	-	-	30175.97	-
8	प्रति शेयर मूल तथा डाइल्यूटेड अर्जन	(0.62)	3.35	0.42	(0.63)	2.78	0.11

टिप्पणियां
1. उक्त विवरण सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन, 2015 के विनियम 33 यथासंशोधित के साथ पठित सेबी परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफडी/सीएमडीआई/44/2019 दिनांक 29 मार्च, 2019 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप बीएसई एवं एनएसई स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** तथा कम्पनी की वेबसाइट **www.bhel.com** के "वित्तीय जानकारी" खण्ड पर उपलब्ध है।

कृते भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
हस्ता/–
(डा. नलिन सिंघल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 9 अगस्त, 2019

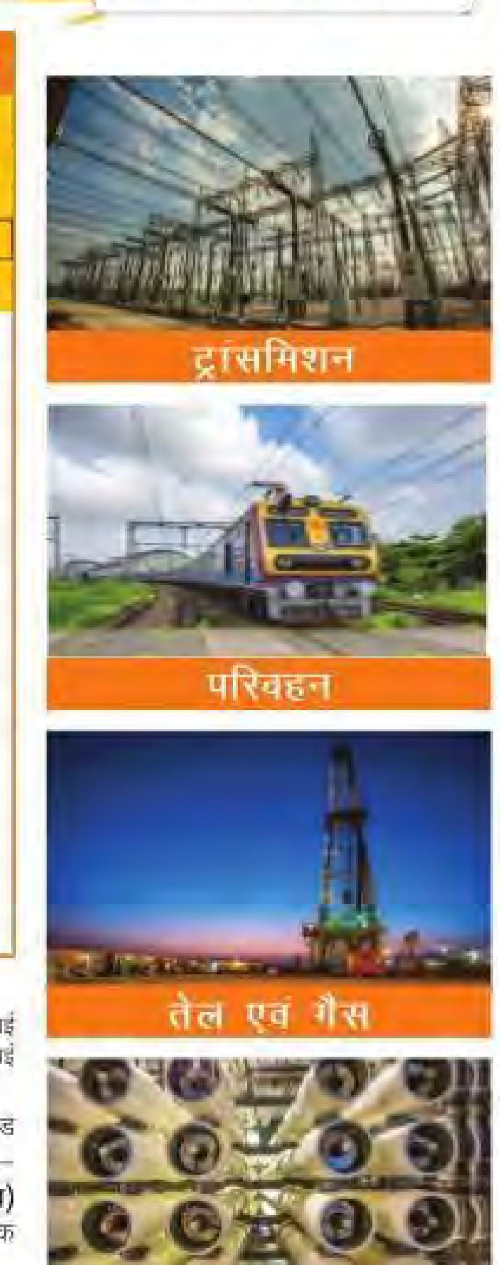

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
सीआईएन: L74899DL1964GOI004281
पंजीकृत कार्यालय: बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली–110049 फोन नं.5 011–66337000, ई–मेल: shareholderquery@bhel.in
www.bhel.com BHELOfficial BHEL_India BHEL_India bhel.india
प्रगति को गति ... जीवन को ज्योति   भारत के हर घर से जुड़ा

खबरों में शहर

'कुष्ठ रोगियों के लिए सरकार प्रतिबद्ध'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कुष्ठ रोगी परिसर (ताहिरपुर) का दौरा किया और विकास कार्यों का जायजा लिया। विभाग की ओर से दी जाने वाली सुविधाएं जैसे खानपान, पीने का पानी, चिकित्सीय जांच का निरीक्षण किया। साथ ही परिसर में चल रहे नवीनीकरण के कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने समाज कल्याण विभाग की ओर से कुष्ठ रोगियों के लिए एक नेत्र शिविर का उद्घाटन भी किया। शिविर के दौरान कुल 96 कुष्ठ रोगियों की आंखों की जांच की गई साथ ही दवा और चश्मा भी दिए गए। गौतम ने कहा कि सभी रोगियों को सुविधाएं मुहैया करने को सरकार कटिबद्ध है।

भाजपा का 'बूथ चलो अभियान' चला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

नए सदस्य बनाने के लिए अब भाजपा बूथ स्तर तक पहुंचेगी। शनिवार व रविवार को यह अभियान दिल्ली भर में होगा ताकि केंद्रीय नेतृत्व के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। इस अभियान को 'बूथ चलो अभियान' का नाम दिया गया है। प्रदेश सदस्यता अभियान के प्रमुख कुलजीत चहल ने बताया कि अभियान में पार्टी ने सांसदों, विधायकों, पार्षदों व संगठन पदाधिकारियों को जोड़ा गया है।

पर्यटन मंत्री से मिले गुर्जर प्रतिनिधि

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का प्रतिनिधिमंडल पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रह्लाद पटेल से उनके निवास पर मिला। प्रतिनिधिमंडल ने गुर्जर प्रतिहारों की मुरैना जिले में स्थित धरोहरों बटेश्वर मंदिर श्रृंखला नरेश्वर मंदिर श्रृंखला ,पडावली एवं चौसठ योगिनी मंदिर मितावली को विश्व धरोहर स्थल घोषित कराने के लिए पत्र सौंपा। इस अवसर पर महासभा के अध्यक्ष अनुराग गुर्जर ने पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रह्लाद पटेल को बताया की 2017 में प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों के बाद भी बटेश्वर मंदिर श्रृंखला के बाकी बचे हुए 120 मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। मंत्री प्रह्लाद पटेल ने प्रतिनिधिमंडल को पूर्ण आश्वासन दिया।

समारोह का आयोजन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर वसुंधरा स्थित 'मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस' में तेरहवें प्रतिभा प्रोत्साहन पुरस्कार समारोह में 51 स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र : संस्कृत संवाद शृंखला में संवाद व पुस्तक का लोकार्पण, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, पूर्वाह्न 11 बजे से।

विविध

इंडिया हैबिटाट सेंटर : संगीत , अमलतास सभागार, लोधी रोड, शाम सात बजे।

पौधरोपण अभियान में बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

हर जिले में 'गांधी उपवन', 'पंचवटी'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि शुक्रवार को प्रयागराज में 'वृक्षारोपण महाकुंभ 2019' के कार्यक्रम में।

- सौ साल से ज्यादा पुराने पेड़ों को मिलेगा विरासत पेड़ का दर्जा
- लखनऊ के जैतीखेड़ा में 22 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य के साथ अभियान शुरू

उत्तर प्रदेश के हर जनपद में 'गांधी उपवन' व 'पंचवटी वाटिका' तैयार किए जाएंगे। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की। लखनऊ के जैतीखेड़ा में 22 करोड़ पौधरोपण के अभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने बरगद का पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार 100 वर्ष से पुराने पेड़ों का अध्ययन कराएगी और इन पेड़ों को विरासत पेड़ का दर्जा देगी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वन है तो जल है और जल है तो कल यानी जीवन है। इसलिए राज्य सरकार पौधरोपण को एक आंदोलन का रूप देने को संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी वर्ष में सरकार ने 22 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक-एक जगह पौधे लगाने की जो कार्रवाई हो रही है, उसकी डिजिटल मैपिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त इस पौधरोपण अभियान को जियो टैगिंग की भी व्यवस्था से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्लाह खां आदि देश भक्तों के नाम पर वाटिका लगानी चाहिए। हर जनपद में गांधी उपवन व पंचवटी वाटिका तैयार किए जाएंगे। कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुनाव में जिस तरह सेक्टर और जोनल स्तर पर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते हैं, उसी तरह सरकार ने पूरे प्रदेश में सेक्टर, जिला स्तर पर पौधरोपण की जिम्मेदारी दी है और इसकी जवाबदेही तय की है।

दूसरी तरफ इलाहाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने आज तीन रेकार्ड बनाए हैं। इनमें पहला रेकार्ड, प्रथम एक घंटे में सुबह नौ से दस बजे के बीच में पांच करोड़ पौधा रोपण का है। दूसरा रेकार्ड प्रदेश के अंदर एक स्थान पर राज्यपाल महोदया की उपस्थिति में कासगंज में 1,01,000 पौधों का रोपण किया गया और तीसरा रेकार्ड प्रयागराज में एक निश्चित समय में 66,000 पौधों का वितरण करने का रेकार्ड शामिल है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने वन विभाग को कहा है कि 100 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित करने के आदेश दिए हैं। इनके काटने पर भी रोक लगाई है।

प्रयागराज का अक्षयवट इनमें से एक है। इसी तरह से बाराबंकी में 5000 साल पुराना कल्पवृक्ष मौजूद है। इस बीच गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड की ओर से स्वप्निल डांगरेकर ने प्रयागराज में 66,000 पौधों के वितरण का विश्व रिकार्ड बनाए जाने की औपचारिक घोषणा की।

दिल्ली वालों ने एक दिन में लगाए तीन लाख पौधे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

दिल्ली वालों ने एक ही दिन में शुक्रवार को तीन लाख पौधे लगाए। दिल्ली सरकार ने एक विशेष अभियान के तहत सभी विभागों को पौधे लगाने के निर्देश जारी किए थे। पर्यावरण मंत्री कैलाश गहलोत ने इसकी शुरुआत की। यह कार्यक्रम 1300 से अधिक जगहों पर आयोजित किया गया। गहलोत ईसापुर में पौधरोपण अभियान के दौरान बोले कि अधिक से अधिक लोग इस अभियान से जुड़ें। इसके लिए विभाग अपनी विभिन्न नर्सरी में निशुल्क पौधे उपलब्ध करा रहा है। इस पौधारोपण अभियान से 12 से अधिक स्कूल, कॉलेज, आरडब्लूए व सामाजिक संगठनों को जोड़ा गया है।

मुख्यमंत्री को धमकी देने वाला मुंबई से गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

- उत्तर प्रदेश के उन्नाव का रहने वाला आरोपी मुंबई में करता था काम
- कई नेताओं, एक राजनीतिक दल के मुख्यालय को उड़ाने की भी दी थी धमकी

दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धमकी भरा ई-मेल भेजने वाले आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मूलरूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव का रहने वाला है और वह इन दिनों मुंबई में एक फर्नीचर के शोरूम में डिलेवरी बॉय का काम कर रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान अभिषेक तिवारी (28) के रूप में हुई है।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इसकी निशानदेही पर वह मोबाइल फोन जब्त कर लिया है, जिसकी मदद से आरोपी ने धमकी भरा ई-मेल भेजा था। जुलाई में आरोपी ने लगातार कई ई-मेल सभी को भेजे थे। शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट इस आरोपी की तलाश में थी। साइबर क्राइम यूनिट के उपायुक्त ने शुक्रवार को बताया कि जुलाई में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कई नेताओं ने धमकी भरे ई-मेल मिलने की शिकायत की थी। दिल्ली में एक बड़े राजनीतिक दल के नेताओं ने भी उनके मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की शिकायत की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर क्राइम यूनिट एसीपी रमन लांबा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने आइपी एड्रेस और सर्विलांस की मदद से आरोपी के बारे में जानकारी जुटाई। जानकारी मिली कि यह ई-मेल मुंबई के नाला सोपारा से भेजी गई है। यह इलाका जनसंख्या के हिसाब से काफी घना था। पर टीम छापामारी करती रही और आरोपी को दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि वह देश के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था।

रिहर्सल की वजह से बस रूट रहेगा प्रभावित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

- दोपहर तीन बजे से लेकर रात्रि नौ बजे तक रहेंगे रूटों में बदलाव
- जानकारी के लिए डीटीसी के केंद्रीय कक्ष नंबर 011-23317600 पर संपर्क करें

फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से 13 अगस्त को परेड रूट से गुजरने वाली दिल्ली परिवहन निगम की गाड़ियों के मार्ग में बदलाव किया गया है। दिल्ली भर में एक दर्जन से अधिक जगहों पर यातायात पुलिस के निर्देश पर ये बदलाव किए गए हैं। यह बदलाव दोपहर तीन बजे से लेकर रात्रि नौ बजे तक रहेगा। बसें लोथियान रोड से कश्मीरी गेट, यमुना बाजार से जाट फौजी धर्मशाला, सुभाष मार्ग से दिल्ली गेट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, रिंग रोड निजामुद्दीन ब्रिज से उत्तरी बस अड्डा लूप, विकास मार्ग से सचिवालय, के.जी. मार्ग से फिरोजशाह रोड और अशोक रोड से हेक्सागन मार्ग तक का रूट शामिल किया गया है। इन रूट में यातायात पुलिस के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बसों का संचालन किया जाएगा। किसी भी प्रकार की परेशानी होने या जानकारी के लिए डीटीसी के केंद्रीय कक्ष फोन नंबर 011-23317600 व टोल फ्री नंबर 41400400 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

सेल चेयरमैन पर हमले के आरोपियों की तलाश जारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

अगस्त क्रांति मार्ग पर स्टील अर्थारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के चेयरमैन पर रोडरेज के बाद हमला करने वालों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम छापामारी कर रही है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया था। हालांकि चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी पर हमला करने वाले दो आरोपी मौके से फरार हो गए थे। हौज खास थाना पुलिस फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने उत्तम नगर निवासी अमरदीप और द्वारका निवासी ललित को मौके पर पकड़ा था। पुलिस ने बताया कि उनकी पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं। घटना अगस्त क्रांति रोड पर हुडको प्लेस के निकट हुई। आरोपी नशे की हालत में थे। पूछताछ के दौरान सामने आया कि चौधरी की कार को एक वाहन ने टक्कर मारी, जिसमें चार लोग सवार थे।

बीच-बचाव करने आए शख्स पर हमला, घायल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

आनंद पर्वत थाना क्षेत्र में दो पड़ोसियों की लड़ाई के दौरान बीच-बचाव कराना एक शख्स को भारी पड़ गया। लड़ रहे युवकों में से एक युवक ने बीच-बचाव करने आए शख्स के सिर में लोहे की सरिया मारकर घायल कर दिया। घायल की पहचान राम स्वरूप गुप्ता (35) के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने उसके बयान पर मामला दर्ज कर लिया। घटना के बाद से आरोपी युवक फरार चल रहा है।

जानकारी के मुताबिक राम स्वरूप गुप्ता आनंद पर्वत नई बस्ती में किराए के एक मकान में रहता है। बुधवार रात वह अपने घर पर था। देर रात करीब 12 बजे वह छत पर सोने जा रहा था। इसी बीच उसे शोर-शराबा सुनाई दिया। वह मौके पर पहुंचा तो पाया कि दो पड़ोसी किराएदार आपस में लड़ रहे हैं। राम स्वरूप ने बीच-बचाव कराने की कोशिश की। इस दौरान एक युवक ने राम स्वरूप के सिर पर लोहे की छड़ दे मारी। राम स्वरूप लहूलुहान हो गया। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। राम स्वरूप ने पुलिस को बताया कि जिस युवक ने उस पर हमला किया वह उसका नाम नहीं जानता, लेकिन वह उसे पहचान सकता है।

डूबने से युवक की मौत

नई दिल्ली। सोनिया विहार में यमुना नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान विकास (22) के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि युवक यमुना में नहाने गया था। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। विकास सोनिया विहार में परिवार के साथ रहता था। शुक्रवार शाम चार बजे दमकल विभाग को युवक के डूबने की सूचना मिली थी। (जसं)

भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर तिरंगा फहराया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमिटी की ओर से हौज काजी चौक पर शुक्रवार को 'भारत छोड़ो आंदोलन' की 77वीं वर्षगांठ पर पूर्व सांसद जय प्रकाश अग्रवाल ने तिरंगा फहराया। यह कार्यक्रम चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान द्वारा आयोजित किया गया था। इस मौके पर जय प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि तिरंगा विघटनकारी और बांटने वाली ताकतों पर कांग्रेस की विजय को दर्शाता है। ये ताकतें लोगों को धर्म के नाम पर बांटने और लोगों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए अंग्रेजों के समय में भी सक्रिय थी और वर्तमान में भी सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि ये ताकतें भाई को भाई से लड़वाती हैं और यदि किसी ने भी इन ताकतों से मुकाबला किया तो वह कांग्रेस पार्टी है। भविष्य में कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है, जो बांटने वाली ताकतों से मुकाबला कर सकती है।

RBLBANK

पंजी. कार्यालयः 1ला लेन, शाहूपुरी, कोल्हापुर- 416001
नियंत्रण कार्यालयः वन इंडिया बुल्स सेन्टर, टावर 2 बी, छठा तल, 841, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल (वेस्ट), मुम्बई-400013

नीलामी बिक्री सूचना

31.12.2017 को रु. 9,23,83,401/- (रुपए नौ करोड़ तेईस लाख तिरासी हजार चार सौ एक) तथा 1.1.2018 से अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज तथा ऋण की वसूली तक लागत, चार्जेज तथा खर्चे की वसूली के लिए मै. महान प्रोटीन्स लि. को दूध की आपूर्ति करने वाले विभिन्न मिल्क प्रोड्यूसर्स को स्वीकृति अग्रिमों के लिए आरबीएल बैंक लि. के पास गिरवी रखी गई नीचे वर्णित संपत्ति की वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अधीन सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री

विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.)	ईएमडी	निरीक्षण की तिथी एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय	नीलामी का स्थान
खसरा नं. 646, ग्राम बरहान, कासीकलान रोड, मथुरा जिला, उत्तर प्रदेश में स्थित भूमि माप 0.909 हेक्ट. (क्षेत्रफल 0.909 हेक्ट.) (मालिक-महान प्रोटीन्स लि.) कॉर्पोरेट गारन्टर का नामः मै. महान प्रोटीन्स लि. पर्सनल गारंटर का नामः राजीव गोयल	48.00 लाख	2.90 लाख	23.08.2019 प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक	30.08.2019 दोप. 3.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक	आरबीएल बैंक लि. बिल्डिंग नं.1, पहली मंजिल, ओखला फेस 3, मोदी मिल्स के सामने, नई दिल्ली 110020.

नियम एवं शर्तें
1. बोली प्रपत्र तथा बिक्री के नियम एवं शर्तें आरबीएल बैंक लि. बिल्डिंग नं.1, पहली मंजिल, ओखला फेस 3, मोदी मिल्स के सामने, नई दिल्ली 110020. में स्थित हमारी शाखा कार्यालय से रु. 100/- अप्रतिदेय के भुगतान पर किसी भी कार्य दिवस को 10 बजे पूर्वा. से 6.00 बजे अप. के बीच प्राप्त की जा सकती है।
2. बोलीदाता को नीलामी की तिथि को बोली में व्यक्तिगत रूप से भाग लेना होगा तथा आरटीएस द्वारा अथवा आरबीएल बैंक लि. के पक्ष में दिल्ली में देय किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक के पे आर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट द्वारा उपरोक्त धरोहर राशि के साथ मुहरबंद लिफाफे में बोली आरबीएल बैंक लिमिटेड, बिल्डिंग नं.1, पहली मंजिल, ओखला फेस 3, मोदी मिल्स के सामने, नई दिल्ली 110020 के पास 29.08.2019 को सायं 5.00 बजे या उससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के पास पहुंच जाना चाहिए। आरक्षित मूल्य से कम में बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। बोली के मुहरबंद लिफाफे की नीलामी के स्थान पर वर्णित समय में खोला जाएगा।
3. बोलीदाता को निरीक्षण के लिए उसके ऑरिजिनल तथा पासपोर्ट आकार के एक फोटोग्राफ के साथ केवाईसी दस्तावेजों जैसे पैन कार्ड/ निवास के प्रमाण की स्वतः सत्यापित प्रति को जमा करना होगा।
4. संपत्ति की बिक्री पूरी तरह से "जैसा है जहां है तथा जो भी यहां है आधार" पर होगी तथा इच्छुक बोलीदाता संपत्ति के विरुद्धकिसी किसी दावे, चार्जेज, करों, लेवीज, देयताओं एवं/अथवा उपचयित किसी अन्य बकायों के विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर सकते हैं। वर्तमान उपचयित देयताओं संपत्ति पर यदि कोई हो, बैंक की जानकारी में नहीं है।
5. नीलामी प्रक्रिया में बोली प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त उच्चतम बोली राशि से शुरू होगी तथा उसके बाद बोलीदाता न्यूनतम रु. 25000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) में अपनी बोली में वृद्धी कर सकते हैं।
6. सफल बोलीदाता को उनकी बोली की स्वीकृति पर तत्काल अर्थात उसी दिन या अधिकतम अगले कार्य दिवस के 5.00 बजे अप. तक 25% बोली राशि (ईएमडी सहित) का भुगतान करना होगा तथा शेष राशि का भुगतान नीलामी की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।
7. यदि सफल बोलीदाता ऊपर क्लॉज (6) में वर्णित रूप से 25% बोली राशि का भुगतान करने में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा कीगई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा बिक्री को निरस्त माना जाएगा। इसी प्रकार, यदि बोलीदाता बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर शेष 75% राशि का भुगतान करने में विफल होते हैं तो उनकी 25% बोली राशि जब्त कर ली जाएगी।
8. भुगतान की शर्तों के अनुपालन पर बिक्री पुष्टि के बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अनुसार सफल बोलीदाता के पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा तथा सफल क्रेता को सभी करों, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण प्रभारों तथा सफल बोलीदाता के नाम मेंबिक्री प्रमाणपत्र पंजीकृत कराने के लिए अनुषांगिक खर्चे का वहन करना होगा। संपूर्ण बोली राशि की प्राप्ति के बाद ही प्राधिकृत अधिकारी विषय संपत्ति का कब्जा सौंपेंगे।
9. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव/ बोली को स्वीकार या निरस्त करने अथवा नीलामी को स्थगित/ निरस्त करने तथा साथ ही बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री के नियमों एवं शर्तों को संशोधित करने का अधिकार है।
10. इच्छुक बोलीदाता टेलीफोन 0124-6105100, एक्स्टे. 614, मोबाइल- 08447733617 पर प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 15 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

ऋणधारकों/गारन्टरों को एतद्द्वारा सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों के विषय में अवगत कराया जाता है कि बिक्री आयोजित होने से पूर्व किसी भी समय वे बकाया देयता/ चार्जेज/ खर्चे का भुगतान कर प्रतिभूतियों को विमोचित कर सकते है अन्यथा संपत्ति की बिक्री/नीलामी कर दी जाएगी तथा शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज एवं लागत के साथ वसूल की जाएगी।

स्थान : मथुरा
दिनांक : 10.08.2019

प्राधिकृत अधिकारी
शिवजी प्रसाद
आरबीएल बैंक लिमिटेड

हवाईअड्डा स्थित स्टोर प्रबंधक पर छेड़छाड़ का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) हवाईअड्डे के टर्मिनल 3 पर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रबंधक पर स्टोर में काम करने वाली युवती ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर आइजीआइ एयरपोर्ट थाना पुलिस ने छेड़छाड़ की धारा में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं, दूसरी ओर स्टोर प्रबंधक ने युवती पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस स्टोर में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक, टर्मिनल-3 पर बने एक जूता बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्टोर है। इस स्टोर में काम करने वाली एक सेल्स गर्ल ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया है कि आरोपी आए दिन उस पर अश्लील टिप्पणी करता रहता है।

सनातन हिंदू वाहिनी ने दो सांसदों के खिलाफ शिकायत दर्ज की

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

सनातन हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष एवं प्राचीन सिद्धपीठ श्री कालकाजी मंदिर के महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत ने पांच अगस्त को राज्यसभा में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने संबंधी विधेयक की प्रतियों को संसद में फाड़कर हवा में उड़ाने, सदन में महिलाओं की उपस्थिति होने के बावजूद कपड़े फाड़कर विरोध जताने के मामले में दो सांसद के खिलाफ थाना संसद मार्ग में शिकायत दर्ज कराई है। वाहिनी के युवा अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्र ने शिकायत में कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को अमल में लाने वाले सांसद नजरी अहमद लवाय व मीर मोहम्मद फयाज के खिलाफ विधेयक की प्रतियां फाड़ने व सदन की गरिमा को खंडित करने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। यदि पुलिस एफआइआर दर्ज कर मामले की जल्द जांच नहीं करती तो वह संसद मार्ग पर धरना दिया जाएगा।

बाल मृत्युदर में कमी लाने की कोशिशें तेज

सौ दिन में सभी बच्चों को लगेगा रोटा वायरस का टीका

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

बाल मृत्युदर में कमी लाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई स्तर पर कोशिशें तेज कर दी हैं। इसके तहत देश के हर बच्चे को रोटा वायरस का टीका लगाने का महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाया है। साथ ही स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए हर महीने के पहले हफ्ते को स्तनपान सप्ताह के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुआई में सरकार डायरिया से होने वाली बच्चों की मौतें 2022 तक पूरी तरह रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार स्तनपान को बढ़ावा देकर बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी अग्रसर है। स्वास्थ्य मंत्री रोटा वायरस टीका कार्यक्रम का पूरे देश में विस्तार करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।

उन्होंने बताया कि बच्चों में डायरिया से होने वाली मौतों पर लगाम लगाने के लिए सौ दिनों के एजंडे के तहत बच्चों को यह टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमित टीकाकरण को मजबूती देना बच्चों के लिए बेहद जरूरी निवेश है। डायरिया बच्चों की मौत के सबसे बड़े कारणों में एक है और दो साल से कम उम्र के बच्चों में डायरिया होने के प्रमुख कारणों में रोटा वायरस अहम होता है। इसलिए इस टीके के साथ ही जिंक सप्लीमेंट, ओआरएस घोल और साफ-सफाई को बढ़ाकर सरकार इस बीमारी को उखाड़ फेंकने व बच्चों की मौत रोकने में सफल होगी।

उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश होगी कि जीवन रक्षक टीके सभी बच्चों तक जरूर पहुंचे। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा ऐसी बीमारी से नहीं मरना चाहिए जिस बीमारी को टीके से रोका जा सकता है। यूनिवर्सल टीकाकरण के विस्तार से इसे जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। 2022 तक हर महीने के पहले हफ्ते को स्तनपान जागरुकता सप्ताह के तौर पर मनाया जाएगा। जिसके तहत मंत्रालय की ओर से देश भर में जागरुकता कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि स्तनपान से जहां बाल मृत्युदर में कमी लाई जा सकती है वहीं यह माताओं में होने वाले स्तन व गर्भाशय के कैंसर को रोकने में मददगार होता है। देश में हर एक हजार में 37 बच्चे अपना पांचवां जन्मदिन तक नहीं देख पाते हैं। इसका कारण भी डायरिया है।

उत्तराखंड में बादल फटने से पांच की मौत, बिजली गिरने से कई मवेशी मरे

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 9 अगस्त।

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बीती रात से हो रही भारी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने की दो अलग-अलग घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन लोग घायल हो गए। साथ ही एक दर्जन से ज्यादा मकान जमींदोज हो गए। एक युवक भूस्खलन की चपेट में आने से मोटर साईकिल समेत अलकनंदा नदी में समा गया। युवक की तलाश जारी है। वहीं उत्तरकाशी में बिजली गिरने से दो दर्जन से ज्यादा मवेशी मौत का शिकार हो गए।

टिहरी जिले के जिलाधिकारी ने बताया कि बीती देर रात टिहरी जिले की घनसाली तहसील के गांव थार्ती में बादल फटने से एक घर मलबे की चपेट में आ गया। इसमें दो लोगों के मरने की सूचना है। बादल फटने की दूसरी घटना गढ़वाल मंडल के ही चमोली जिले के देवाल गांव में हुई है। जिसने देवाल समेत आधा दर्जन गांवों में तबाही मचा दी है।

चमोली जिले के फल्दिया गांव में बरसाती नाले में भारी मलबा आ जाने के कारण यह मलबा एक घर में जा घुसा और एक महिला अपनी बेटी के साथ मलबे में दबकर मर गई।

देश भर में बनेंगे 13 पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

देश में वन्यजीव अभयारण्य के लिए 13 स्थलों को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (इको सेंसेटिव जोन) बनाया जाएगा। शुक्रवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि नए अभयारण्य क्षेत्रों को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दी है। ये क्षेत्र तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र में विकसित किए जाएंगे। अब इन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र का वैज्ञानिक संरक्षण किया जा सकेगा और इन क्षेत्रों का पर्यावरण नुकसान को भी कम किया जा सकेगा।

मंत्रालय के मुताबिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित होने के बाद अब इन क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के दायरे में केवल हरित गतिविधियां ही संचालित की जा सकेंगी। केंद्र सरकार के नियम के तहत अभयारण्य से 10 किमी की दूरी पर ही खनन हो सकता है। वर्तमान में कई क्षेत्रों में पाया गया कि हरित क्षेत्रों के अंदर जाकर की खनन हो रहा है, ये आदेश इन क्षेत्रों को बचाने के लिए मददगार साबित होंगे। मंत्रालय का दावा है कि नए प्रावधान से किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे रोजगारों को भी बढ़ावा मिलेगा। इस समय भारत में 651 सुरक्षित क्षेत्रों में से 316 ईएसजेड अधिसूचना के तहत आ गए हैं। अब ऐसे संरक्षित इलाकों के 10 किलोमीटर के दायरे में खनन, पत्थर उत्खनन और पत्थर तोड़ने वाली इकाइयां स्थापित नहीं होंगी।

नौसेना हाई अलर्ट पर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

भारतीय नौसेना ने अपने सभी बेस और युद्धपोतों को हाई अलर्ट पर रखा है। अनुच्छेद 370 पर फैसले के बाद खुफिया एजंसियों ने सतर्कता जारी की थी कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हमला कर सकते हैं। इसके बाद से नौसेना ने सभी बेस को हाई अलर्ट पर रखा है। साथ ही समुद्र मार्गों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान से सटे समुद्री इलाके में दो युद्धपोत तैनात किए गए हैं।

रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, नौसेना के स्टेशनों को किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। सेना और भारतीय वायुसेना भी सरकार के फैसले के बाद हाई अलर्ट पर है। इस साल फरवरी में पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव की वजह से भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में विमान वाहक पोत आइएनएस विक्रमादित्य, परमाणु पनडुब्बी चक्र, 60 जहाज और करीब 80 विमानों को अभियान के लिए तैनात किया था।

सांसदों के आचरण की निगरानी के लिए आचार संहिता हो : नायडू

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को कहा कि संसद के भीतर सदस्यों के आचरण की निगरानी के लिए राजनीतिक पार्टियों को आचार संहिता बनानी चाहिए। संसद सत्र के समापन पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। राज्यसभा के सभापति नायडू ने सुझाव दिया कि पार्टियों को यह आचार संहिता अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करनी चाहिए।

उन्होंने कहा, 'मैं सुझाव देता हूं कि सांसदों के व्यवहार की निगरानी के लिए राजनीतिक पार्टियों के पास एक आचार संहिता होनी चाहिए। नायडू ने संसद के सफल सत्र पर संतोष जताया। इसमें कई अहम विधेयक पारित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस सत्र ने संसद के कामकाज के बारे में लोगों का नजरिया बदलने में मदद की है।

दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता बरकरार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आइबीसी) में संशोधनों को शुक्रवार को बरकरार रखा। ये संशोधन घर खरीदारों को वित्तीय ऋणदाता का दर्जा देते हैं। न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन की अगुवाई वाली पीठ ने विभिन्न बिल्डरों की 180 से अधिक याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि रेरा कानून को आइबीसी में संशोधन के साथ पढ़ा जाए। विवाद की स्थिति में आइबीसी मान्य होगा।

पीठ ने कहा कि केवल वास्तविक घर खरीदार ही बिल्डरों के खिलाफ कार्यवाही का अनुरोध कर सकते हैं। पीठ ने केंद्र से कहा कि वह सुधारात्मक कदम उठाते हुए शपथपत्र दायर करे।

बिल्डरों ने याचिका दायर कर कहा था कि घर खरीदारों की दिक्कतों का समाधान रेरा कानून के तहत उपलब्ध हैं। ऐसे में आइबीसी में संशोधन इसका केवल दोहराव हैं।

टूरिज्म फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
पंजी. कार्या.: चौथा तल, टॉवर-1 एनबीसीसी प्लाजा, पुष्प विहार, सैक्टर-V, साकेत, नई दिल्ली-110017
फोन: +91-11-29561180, फैक्स: +91-11-29561171
ई-मेल: ho@tfciltd.com, वेबसाइट: www.tfciltd.com, सीआईएन: L65910DL1989PLC034812

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही वर्ष के लिये अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार
(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.06.2019 अंकेक्षित	समाप्त तिमाही 30.06.2018 अंकेक्षित	समाप्त वर्ष 31.03.2019 अंकेक्षित
1.	प्रचालनों से कुल आय	6,267.55	5,779.05	23,629.62
2.	अवधि के लिये निवल लाभ (कर, अपवादात्मक मदों और/या असाधारण मदों से पूर्व)	2,958.42	2,797.09	11,363.91
3.	अवधि के लिये कर पूर्व निवल लाभ (अपवादात्मक मदों और/या असाधारण मदों के बाद)	2,958.42	2,797.09	11,363.91
4.	अवधि के लिये कर पश्चात निवल लाभ (अपवादात्मक मदों और/या असाधारण मदों के बाद)	2,293.42	2,041.09	8,625.15
5.	अवधि के लिये कुल समग्र आय [(जिसमें अवधि के लिये लाभ (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) शामिल है)]	2,278.54	2,041.09	8,614.15
6.	इक्विटी शेयर पूंजी ((अंकित कूल्य प्रत्येक ₹10/–)	8,071.67	8,071.67	8,071.67
7.	अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर आरक्षित)	-	-	65,619.54
8.	प्रति शेयर आय (अंकित मूल्य प्रत्येक ₹10/–) (वार्षिकीकृत नहीं)			
	–बेसिक (₹)	2.84	2.53	10.69
	–डाइल्यूटिड (₹)	2.84	2.53	10.69

नोट:
1. विवेकपूर्ण आरबीआई दिशानिर्देशों और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति, जो भी इंड एएस के अंतर्गत गणना अनुसार ईसीएल से अधिक हो, के अनुसार अनुमानित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का प्रावधान किया गया है।
2. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसरण में 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों मैसर्स सुरेश चन्द्रा एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली द्वारा चार्टर्ड एकाऊण्टेंट्स, नई दिल्ली और बिना शर्त राय दी है।
3. उपरोक्त सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। अलेखापरीक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com एवं www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.tfciltd.com पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते टूरिज्म फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
(अनिर्बान चक्रवर्ती)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09 अगस्त, 2019

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
(CIN : L74899DL1956GOI002674)
पंजी. कार्यालय: जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23313177, फैक्स: 011-23701123
ईमेल: co@stclimited.co.in वेबसाइट: www.stclimited.co.in

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की विवरणिका
(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	पृथक 30.06.2019 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	पृथक 30.06.2018 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	पृथक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	समेकित 30.06.2019 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	समेकित 30.06.2018 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	समेकित 31.03.2019 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	2,260.59	3,733.85	8,903.44	2,260.59	3,733.85	8,903.44
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर पूर्व, अपवाद और/या असाधारण मदें)	(12.56)	2.15	(182.68)	(13.01)	1.64	(184.57)
3	अवधि के लिए कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) (अपवाद और/या असाधारण मदों के पश्चात)	(94.34)	1.91	(897.12)	(94.79)	1.40	(899.06)
4	अवधि के लिए कर पश्चात् निवल लाभ/(हानि) (अपवाद और/या असाधारण मदों के पश्चात)	(94.34)	1.46	(881.08)	(94.79)	0.95	(883.02)
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात्) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) सहित]	(94.34)	1.46	(879.46)	(94.79)	0.95	(881.40)
6	इक्विटी शेयर पूंजी	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
7	अन्य इक्विटी, पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर	-	-	(893.24)	-	-	(5,459.22)
8	अर्जन प्रति शेयर (प्रत्येक 10/– रुपये का) (जारी और बाधित प्रचालनों के लिए) (वार्षिक नहीं)						
	(क) मूल (रुपये में)	(15.72)	0.24	(146.85)	(15.80)	0.16	(147.17)
	(ख) डायल्यूटेड (रुपये में)	(15.72)	0.24	(146.85)	(15.80)	0.16	(147.17)

टिप्पणियाँ:
1) इन वित्तीय परिणामों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित इसके तहत जारी संगत नियमों और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के तहत उल्लिखित भारतीय लेखा मानकों में निर्धारित मान्य और परिमापन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।
2) 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई और निदेशक मंडल द्वारा 09.08.2019 को आयोजित अपनी बैठक में इन्हें अनुमोदित किया गया।
3) कंपनी नवंबर, 2017 से बैंकों के ऋणों के मूलधन तथा उन पर ब्याज ₹1906.24 करोड़ का भुगतान करने में लगातार विफल रही है। उधारदाता बैंकों ने संयुक्त रूप से कंपनी के विरुद्ध डीआरटी में मामला दायर किया है। इससे आगे, एक उधारदाता बैंक ने एनसीएलटी में भी मामला दायर किया है। तथापि, कंपनी ने समाधान हेतु बैंकों से सम्पर्क किया है और संयुक्त उधारदाता फार्म बैंकों के एक प्रमुख बैंकर को 27.05.2019 को ₹1100 करोड़ का भुगतान भी किया है। प्रस्तावित समझौते के लिए एसटीसी और बैंकों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना अभी बाकी है। तथापि, बैंकों के साथ ऐसे प्रस्तावित समझौते और समाधान की बाबत जनवरी 2019 से बैंक उधारों पर कोई ब्याज रिकार्ड नहीं किया गया है। जिसका मूल्य ₹40.82 करोड़ है और आंके गये अतिरिक्त ब्याज ₹18.00 करोड़ की राशि तिमाही के दौरान वापिस ली गई है और अपवाद मद के तहत दर्शायी गयी है।
4) कुल व्यापार प्राप्य ₹1082.03 करोड़ में, विवाद/मुकदमे के अधीन और लंबे समय से बकाया रहते 'क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले' ₹960.06 करोड़ शामिल हैं। तथापि, कोई क्रेडिट क्षति नहीं की गई है, क्योंकि कंपनी महसूस करती है कि यदि परिस्थितिवश राशि की वसूली नहीं होती है तो भी कंपनी द्वारा क्रेडिटर को व्यापार प्राप्यों से न प्राप्त हुई राशि की सीमा तक भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि कुछ मामलों में न्यायालय ने क्रेडिटर्स को भुगतान करने हेतु एसटीसी को निर्देश दिया है।
5) एलएंडडीओ ने 2004–05 से पट्टा विलेख की विभिन्न शर्तों के अनुपालन न करने (एसटीसी द्वारा अपने किराएदारों से प्राप्त कुल किराए के 25% जमा न करने सहित) की बाबत अपने दिनांक 26 मार्च 2018 के पत्र संख्या एलएंडडीओ/एलएस2ए/9225/133 के तहत ₹132.83 करोड़ की मांग उठाई है। तथापि, एसटीसी ने मांग पर विवाद किया है और मामला अभी लंबित है।
6) यद्यपि प्रबंधन की राय में कंपनी का निवल मूल्य पूरी तरह समाप्त हो चुका है (यहां तक कि पुनर्मूल्यांकन रिजर्व भी), कंपनी सतत इकाई है, क्योंकि कंपनी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सीपीएसई है। कंपनी मुख्य रूप से विभिन्न देशों के राज्य व्यापार संगठनों के साथ व्यापार, निर्यात को बढ़ावा देने और समय-समय पर सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार वस्तुओं में बाजार हस्तक्षेप प्रचालनों को लेने के कारोबार में है। कंपनी के देश भर में 7 कार्यालय और 3 प्रतिनिधि कार्यालय हैं और किसी भी मात्रा की व्यापार गतिविधियों को करने हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित है। कंपनी कई व्यावसायिक अवसरों में भाग ले रही है। कंपनी पिछले कुछ वर्षों से उन सहयोगियों से भारी मात्रा में वसूलियों के कारण निधियों के अंतर्वाह और बहिर्वाह में संतुलन की कमी का सामना कर रही है, जिनके साथ कंपनी ने व्यापार लेनदेन किया था और जिन्होंने एसटीसी को समय पर भुगतान करने में चूक की थी। इससे अस्थायी वित्तीय संकट, परिचालन घाटे, निवल मूल्य में कमी हुई है। इसके साथ ही कंपनी दोषी सहयोगियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर रही है। एक प्रमुख सहयोगी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर एसटीसी को पर्याप्त भुगतान किया है। इससे कंपनी के वित्तीय संकट को कुछ हद तक कम कर दिया है। इसलिए कंपनी ने ऋणदाता बैंकों के साथ समझौता प्रस्तावित किया है। चूंकि ऋणदाता बैंकों ने एनसीएलटी / डीआरटी में कार्रवाई शुरू की है। बैंकों के साथ समझौता की बाबत एसटीसी का अभिप्रेरित इरादा दिखाने के लिए 27.05.2019 तक ₹1100 करोड़ की राशि का भुगतान प्रस्तावित समझौते की बाबत किया गया। प्रस्तावित समझौता प्रक्रियाधीन है और कंपनी को उम्मीद है कि जल्द ही ऐसा किया जा सकता है।
इसके साथ ही कंपनी ने आर्थिक स्थिति / लाभप्रदता में सुधार करने के लिए विभिन्न लागत में कमी के उपाय किए हैं, जैसे कि अलाभकारी शाखाओं को बंद करना, उन वस्तुओं में व्यापार करना जो उच्चतर व्यापार मार्जिन दे रही हों, आदि। इसके मद्देनजर ऐसा माना जाता है कि प्रस्तावित समझौते के पश्चात, आगे व्यापार गतिविधि के संचालन हेतु कंपनी के पास पर्याप्त धन उपलब्ध होगा। कंपनी ने भारत सरकार की ओर से व्यापार करने के लिए कुछ वित्त पोषित / गैर-वित्त पोषित सीमा उपलब्ध कराने के लिए जेएलएफ से भी अनुरोध किया है। ऐसा विश्वास है कि यह एसटीसी के लिए पुनरुद्धार की प्रक्रिया में पर्याप्त व्यापार मार्जिन उत्पन्न करेगा। ऐसा माना है कि एसटीसी सतत घटक के रूप में विश्वस्त रूप से आगे बढ़ने की स्थिति में होगी।
यथा मूल्यांकित कंपनी की क्षमता, कारोबार योजनाओं और भावी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कंपनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने के किसी व्यावहारिक हल हासिल करने के लिए कंपनी काफी आश्वस्त है। इस तरह के संकल्प को लंबित रहते और ऊपर दिए गए तथ्यों पर विचार करते हुए–
क. लेखे सतत घटक के रूप में तैयार किए गए हैं।
ख. कारोबार योजना के संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि एसटीसी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 ₹9000 करोड़ के कारोबार का प्रस्ताव किया है।
ग. कंपनी ने आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आगे बढ़ाना जारी रखा है, जो कि अपेक्षित व्यावसायिक अवसरों और कार्यशील पूंजी की बेहतर उपलब्धता के मद्देनजर भविष्य के मुनाफे के लिए उपलब्ध होगा।
घ. गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की हानि के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है, और
ङ. लागत में कटौती के उपाय के रूप में, कंपनी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) पेश की है, पहला चरण में वीआरएस 18.06.2018 से 17.07.2018 तक पेशेवरों को छोड़कर मुख्य प्रबंधक के स्तर तक शुरू किया गया था। पहले चरण में वीआरएस में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अधिकतम 80 कर्मचारियों को कवर करना था। कुल 101 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 06 आवेदन खारिज कर दिए गए, 07 आवेदन वापस ले लिए गए। शेष 88 में से 80 कर्मचारियों के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया और उनका बकाया भुगतान कर दिया गया। आगे दूसरा चरण भी 29.03.2019 से 29.04.2019 तक मुख्य प्रबंधक के स्तर तक पेश किया गया है और 45 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके आगे वीआरएस शुरू की गई है और 31.03.2020 तक खुली रखी गई है।
7) कंपनी ने वित्तीय विवेक और विभिन्न स्तरों पर हारे गए न्यायिक मामलों की बाबत पर्याप्त सावधानी के रूप में ₹100.15 करोड़ (72.26 जमा 27.89 करोड़) की राशि की देयता बनाई है। चूंकि एसटीसी के अनुसार संदर्भाधीन निर्णय कानून के तहत बुरा है, इसलिए इसे कानून के तहत उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दी गयी है।
8) कंपनी ने संशोधित पूर्व प्रभावी तरीके का प्रयोग करते हुए 01 अप्रैल, 2019 को उपलब्ध सभी पट्टा संविदाओं पर लागू, 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, इंड एएस 116 "पट्टे" को अपनाया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनीय को पूर्व प्रभाव से समायोजित किया है। परिवर्तन पर, नए मानकों को अपनाने के फलस्वरूप 0.85 करोड़ की राइट-टू-यूज परिसंपत्ति (आरओयू) और 0.86 करोड़ की एक पट्टा देयता को रिकार्ड किया गया है। मानकों को लागू करने के समेकित प्रभाव के परिणामस्वरूप रखे गए अर्जनों, निवल करों में से 0.01 करोड़ घटाया गया है। इस अनुपालन का प्रभाव अवधि हेतु लाभ और प्रति शेयर अर्जनों पर गौण है। लेखांकन विवेक के मामले के रूप में, 31.03.2019 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्य नहीं किया गया है।
9) लेखांकन विवेक के रूप में, 30.06.2019 को समाप्त तिमाही के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों को रिकार्ड नहीं किया गया है।
10) पिछली अवधि के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, मौजूदा अवधि के साथ तुलनीय बनाने के लिए पुनः व्यवस्थित/पुनर्गठित किया गया है।
11) उपर्युक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता बाध्यता और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दर्ज किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत फार्मेट का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण फार्मेट स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों (wwww.nseindia.com, www.bseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.stclimited.co.in) पर उपलब्ध है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09.08.2019

(राजीव चोपड़ा)
निदेशक, (विपणन), सीएमडी के अतिरिक्त प्रभार सहित
डीआईएन – 06466326

निदेशक मंडल के आदेश से
(उमा नागरथ)
महाप्रबंधक–वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

सार्वजनिक सूचना

सभी वाणिज्यिक वाहन मालिकों/ट्रांसपोर्टरों को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण प्रदूषण (संरक्षा एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) ने निर्देश दिये हैं कि 15 अगस्त, 2019 की मध्य रात्रि से वाणिज्यिक वाहनों को आरएफआईडी टैग और ई-वालेट के माध्यम से भुगतान के बिना 13 प्रवेश मार्गों से दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह आरएफआईडी के उपयोग से कैशलेस सिस्टम द्वारा पर्यावरण प्रदूषण शुल्क के भुगतान के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप है। एसडीएमसी इन निर्देशों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है और उसने निम्नलिखित टोल प्लाजा पर वाहनों के प्री-रजिस्ट्रेशन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रावधान किये हैं:

1.	शाहदरा मेन टोल प्लाजा	4.	गाजीपुर ओल्ड	9.	कापसहेड़ा
2.	शाहदरा फ्लाईओवर	5.	डीएनडी फ्लाईओवर	10.	रजोकरी
3.	गाजीपुर मेन	6.	कालिन्दीकुंज	11.	आया नगर
		7.	बदरपुर मेन	12.	टिकरी मेन
		8.	बदरपुर सराई	13.	केजीटी (कुंडली)

उपरोक्त 13 स्थानों के अतिरिक्त परमनेंट प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) निम्नलिखित स्थानों पर भी उपलब्ध हैं: 1. टिकरी मेन, बहादुरगढ़ बाईपास, नजदीक न्यू बस स्टैंड, हरियाणा 2. इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प, नजदीक बिस्वा मिल, जीटी करनाल रोड, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा 3. जीटी रोड, आनन्द इंडस्ट्रियल एस्टेट, मोहन नगर, आईटीएस कॉलेज के सामने, गाजियाबाद, यूपी 4. सेक्टर-1, हेरीटेज विलेज रिजॉर्ट, मानेसर पुलिस स्टेशन, एनएच-8, मानेसर, हरियाणा, 5. एनएच-24 ब्रिज, यूपी गेट, गाजियाबाद, यूपी 6. एनएचएआई एवं एमसीडी टोल टैक्स प्लाजा बदरपुर हरियाणा बार्डर नजदीक भारत पेट्रोल पम्प, आगरा रोड, बदरपुर, दिल्ली।

मालिकों को प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज के साथ अपना वाहन ले जाना होगा: 1. मालिक का मोबाइल नम्बर जिस पर ओटीपी भेजा जाएगा 2. प्री-पंजीकरण के लिए वाहन के आरसी की प्रति के साथ सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज 3. सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज के साथ वाहन बीमा की प्रति 4. वाहन मालिक/ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति।

कृपया नोट करें कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को प्री-रजिस्ट्रेशन या दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

रिचार्ज : मोबाइल के माध्यम से आरएफआईडी टैग रिचार्ज करने के लिए ग्राहक अपने मोबाइल नम्बर को दर्ज कराकर अपने मोबाइल प्ले स्टोर से "एमसीडी टोल" एप डाउनलोड कर सकते हैं।

एसी (टोल टैक्स)

नोट :
वाहनों का बड़ा बेड़ा रखने वाले ट्रांसपोर्टर हमारे उपरोक्त वर्णित टोल प्लाजा पर हमारे टोल ऑपरेटर मैसर्स एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लि. के प्रतिनिधियों से उनके मोबाइल नम्बर डीएनडी–7903176120, रजोकरी–9354320562 एवं केजीटी (कुंडली)–9205262947 पर सम्पर्क कर सकते हैं। वह प्री-रजिस्टर्ड टैग प्राप्त करने के लिए वांछित स्थान पर मोबाइल वैन/पीओएस भेजने की व्यवस्था करेंगे।

इस विषय में किसी कठिनाई होने पर ट्रांसपोर्टर/वाहन मालिक श्री गणेश विश्वास फड़के से उनके मोबाइल न. 8879333612 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

RO No. 34/DPI/S/2019-20

फार्म जी
अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण
{दिवाला तथा दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए (1) के अंतर्गत}

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	राठी सुपर स्टील लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	22 अप्रैल, 1991
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत हैं	कम्पनी रजिस्ट्रार-दिल्ली, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74899DL1991PLC044043
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः फ्लैट नं. 207, वर्धमान मयूर मार्केट, सीएससी मयूर विहार, फेज-III, कोंडली, घरोली, दिल्ली-110096 कॉर्पोरेट कार्यालयः ए-6/35, प्रथम तल, जीटीरोड के दक्षिण भाग में, इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद (उ.प्र.)-201009
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	12 जून, 2019
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	10 अगस्त, 2019
8.	संहिता की धारा 25(2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध हैः	विवरण उपलब्ध हैः http://rathisupersteel.resurgentrp.com/ पर अथवा cirp.rathisupersteel@gmail.com पर ईमेल भेजकर भी प्राप्त की जा सकती है।
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता का मानक उपलब्ध है।	विवरण उपलब्ध हैः http://rathisupersteel.resurgentrp.com/ पर अथवा cirp.rathisupersteel@gmail.com पर ईमेल भेजकर भी प्राप्त की जा सकती है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	30 अगस्त, 2019
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	05 सितम्बर, 2019
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	09 सितम्बर, 2019
13.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	16 सितम्बर, 2019
14.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि	09 सितम्बर, 2019
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	क्रम सं. 8 के अनुसार योग्य संभावित प्रस्ताव आवेदक तथा नान-डिस्क्लोजर समझौता/अंडरटैकिंग करने के बाद अनुरोध प्रस्तुत कर इलेक्ट्रानिक पद्धति में ईमेल द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।
16.	प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	11 अक्टूबर, 2019
17.	प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका	मुहरबंद लिफाफे में डाक द्वारा अथवा हाथों-हाथ जमा कर जिसके बाद ई-मेल से संपुष्टि की जायेगी।
18.	स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि	25 अक्टूबर, 2019
19.	प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	हरीश चन्दर अरोड़ा IBBI/IPA-003/IP-N00077/2017-18/10700
20.	बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल	हरीश चन्दर अरोड़ा ए-189, कालकाजी, नई दिल्ली-110019, ई-मेलः harisharora2012@gmail.com
21.	प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल	हरीश चन्दर अरोड़ा रीसर्जेन्ट इंडिया लि. यूनीटेक बिजनेस जोन, 903-906, 09 वाँ तल, द क्लोज साउथ, सेक्टर-50, गुरुग्राम, हरियाणा-122018 ई-मेलः cirp.rathisupersteel@gmail.com
22.	विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं	cirp.rathisupersteel@gmail.com पर ई-मेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
23.	फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	10 अगस्त, 2019

हस्ता./–
हरीश
चन्दर अरोड़ा
रिजॉल्यूशन प्रॉफेशनल
राठी सुपर स्टील लि.
IBBI/IPA-003/IP-N00077/2017-18/10700
तिथिः 9 अगस्त, 2019

उम्मीदें और चुनौतियां

जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 से लगभग मुक्त कर दिए जाने के बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में भविष्य का जो खाका पेश किया और विकास के लिए जिन कार्य योजनाओं का जिक्र किया, वे इस बात की ओर इशारा करती हैं कि जम्मू-कश्मीर का भविष्य अब उज्ज्वल है। प्रधानमंत्री के संबोधन में इस बात का भरोसा साफ झलकता है कि कश्मीरियों के साथ भेदभाव के दिन अब लद चुके हैं और उन्हें अब उन सारे कष्टों और पीड़ा से मुक्ति मिलेगी जो दशकों से अनुच्छेद 370 के कारण उन्हें झेलने पड़े हैं। जाहिर है, केंद्र सरकार का सारा जोर अब कश्मीर घाटी में हालात सामान्य बनाने और उसके विकास पर होगा। इसके लिए सबसे जरूरी है स्थानीय लोगों के दिल को जीतना। और कश्मीरियों का दिल तभी जीता जा सकेगा जब सरकार की नीतियों के प्रति उनमें भरोसा पैदा होगा, वे राज्य में विकास होता देखेंगे, नौजवानों को रोजगार और बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलने लगेगा। अगर केंद्र सरकार कश्मीरियों के लिए इन कसौटियों पर खरी उतरती है तो निश्चित रूप से लोगों का दिल जीत पाना कोई मुश्किल काम नहीं है।

इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करना एक कठिन और जोखिमभरा फैसला था। आज कश्मीर जिस हालत में पहुंच चुका है, उसका सबसे बड़ा कारण ही अनुच्छेद 370 रही जिसकी आड़ में स्थानीय राजनीतिक दल भोली-भाली जनता को छलते रहे और अपने नीहित स्वार्थ पूरे करते रहे। अनुच्छेद 370 की वजह से घाटी में अलगाववादी नेताओं की बड़ी जमात पनपती चली गई और पिछले कुछ सालों में पत्थरबाजों की फौज खड़ी करने में अलगाववादी तत्त्वों का बड़ा हाथ रहा। सब जानते हैं कि अलगाववादी नेता पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं और उससे उन्हें हर तरह की मदद मिलती है। इस समस्या से निपट पाने में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा बड़ी बाधा बना हुआ था। ऐसे में केंद्र सरकार राज्य में विकास का कोई भी काम कैसे शुरू कर सकती थी? कैसे वहां उद्योग लगाए जाते? हैरानी यह भी है कि देशभर में बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के बच्चे इससे वंचित थे। केंद्र सरकार राज्य के लोगों के लिए जितना भी पैसा देती, उसका बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता और लोगों को उसका कोई फायदा नहीं मिला। अनुच्छेद 370 की वजह से ही राज्य कुछ दलों और लोगों की जागीर बन गया था।

जम्मू-कश्मीर अब पुराने दौर से निकल चुका है। जो नया दौर है वह उज्ज्वल भविष्य की उम्मीदों के साथ बड़ी चुनौतियां भी लिए हुए है। चुनौतियां केंद्र सरकार के लिए ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री ने जो एलान किए हैं उनमें विकास और रोजगार पर जोर है, ताकि नौजवानों को भटकने से बचाया जा सके। इसके लिए राज्य में निवेश हो और उद्योग लगें, ताकि युवाओं को काम-धंधा मिले। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की बात कही है। साथ ही फिल्म उद्योग से भी उन्होंने कहा है कि वह कश्मीर को भी केंद्र बनाए जिससे वहां रोजगार के मौके बनें। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को भी अब देश के अन्य राज्यों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। जम्मू-कश्मीर को पटरी पर लाने के लिए सरकार को हर मोर्चे पर जूझना होगा। आतंकवादियों और अलगाववादियों की कमर तोड़नी होगी, राज्य को तेजी से विकास के रास्ते पर ले जाना होगा और सबसे जरूरी यह कि बल प्रयोग की नीति को छोड़ कर आमजन के दिल को जीतना होगा। प्रधानमंत्री ने इसका विश्वास दिलाया है।

सड़क पर हिंसा

सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाने से हुए हादसों से इतर मामूली बात पर हिंसा के रूप में एक समस्या दिनोंदिन गंभीर होती जा रही है, जिसमें आए दिन किसी के साथ मारपीट या फिर हत्या तक कर देने के मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार रात देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) के अध्यक्ष के साथ जिस तरह की घटना हुई, उससे साफ है कि सड़क पर वाहन चलाते हुए कोई व्यक्ति नाहक ही जानलेवा हिंसा का शिकार हो सकता है। दक्षिणी दिल्ली के हौज खास इलाके से जब वे गुजर रहे थे, तब अचानक ही एक कार उनकी कार के आगे खड़ी हो गई, उसमें से चार लोग निकले और बिना किसी बात के उन्हें डंडों और लोहे की छड़ से पीटने लगे। गनीमत बस यही रही कि इलाके में गश्त कर रहे दो पुलिसकर्मियों की नजर उन पर पड़ गई और उन्होंने उन्हें बचाया। लेकिन कल्पना की जा सकती है कि अगर किन्हीं वजहों से गश्त कर रहे पुलिसकर्मी वहां नहीं पहुंचते तो सेल अध्यक्ष के साथ क्या हो सकता था!

हालांकि यह कोई पहली घटना नहीं थी जिसमें बिना किसी बात के सड़क पर मारपीट की गई हो। हो सकता है कि यह कोई सुनियोजित आपराधिक घटना भी हो। यह जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन ऐसी खबरें अक्सर आती रहती हैं जिनमें बहुत छोटी चूक से वाहन अगर किसी अन्य गाड़ी में छू जाए या वाजिब कारणों से भी रास्ता बाधित हो जाए तो लोग थोड़ा धीरज नहीं रखते और एक दूसरे के साथ बेहद तल्ख भाषा में बहस करने लगते हैं। इसी दौरान कई बार दोनों या फिर एक पक्ष हिंसक हो जाता है और किसी की जान भी चली जाती है। सवाल है कि सड़क पर जिस तरह की गलतियां अनदेखी करने लायक होती हैं या फिर थोड़ी बातचीत से उससे उपजी समस्या को दूर किया जा सकता है, उस पर आपसी बहस का स्तर इस हद तक कैसे चला जाता है जिसमें किसी की जान भी चली जाती है! ऐसा लगता है कि लोगों के भीतर धीरज और सहिष्णुता का पैमाना इतना कम हो गया है कि वे मामूली बात पर भी गाली-गलौज या हिंसा पर उतर जाते हैं। बिना बात के गुस्सा होने के बाद उन्हें इसका भी होश नहीं रहता कि इसकी जद में आकर हिंसा करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

हालांकि फिलहाल सड़क पर हिंसा के मामलों में जितनी और जिस प्रकृति की सजा है, उसकी वजह से खुद पर लगाम खोने वाले लोग शायद निश्चिंत रहते हैं। इसके अलावा, शहरी जीवन को रफ्तार के साथ जीने वाले लोग इसमें किसी तरह का खलल नहीं चाहते और सड़क पर मामूली बाधा से उनका धीरज छूट जाता है। यह एक तरह से खुद को श्रेष्ठ मानने की कुंठा से भी जुड़ा होता है जो थोड़ा-सा मौका पाते ही बेलगाम होकर फूट जाता है। नतीजतन, कई बार किसी को बुरी तरह हिंसा का शिकार होना पड़ता है तो किसी की जान भी चली जाती है। इसी के मद्देनजर हाल के दिनों में यह मांग तेजी से उठी है कि वाहन चलाते हुए अपने बर्ताव पर लगाम खोने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाएं, ताकि सड़क पर हिंसा की मानसिकता वाले लोगों को ठोस सबक मिल सके। सड़क पर सुविधाजनक और सहज तरीके से वाहन चलाना किसी का अधिकार हो सकता है, लेकिन अगर इसमें यातायात नियमों के साथ-साथ जरूरी सलीका नहीं है तो इससे हिंसा करने वाले के सभ्य होने पर भी सवालिया निशान लग सकते हैं!

कल्पमेधा

अगर तुम्हारा स्वभाव ही है तो चिंता करके कष्टों का आह्वान करो, लेकिन उसे पड़ोसियों को उधार मत दो।

– रुडयार्ड किपलिंग

गरिमा बढ़ी और विश्वास भी

प्रभात झा

अब हर पार्टी के सांसदों-नेताओं को दोनों सदनों में सावधान रहना पड़ेगा। सत्तर साल देश की जनतांत्रिक राजनीति में युगांतकारी परिवर्तन हुए हैं। उसका ताजा उदाहरण 2019 का आम चुनाव रहा है। इस लोकसभा चुनाव में जनता स्वयं आगे आकर चुनाव लड़ी। जनता समझती है कि देश कहां सुरक्षित है, किसके हाथ में सुरक्षित है, किसे चुनना चाहिए।

पिछले दो दशकों से संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सत्रों की अवधि चर्चा का विषय बनी रही है। एक चलन-सा बन गया था कि सत्र ही कम दिनों का बुलाया जाए जिससे हो-हल्ला न हो और हो भी तो कम समय में विधायिका या संसदीय कार्य तत्काल पूरा कर लिया जाए। आम नागरिकों में भी इस बात की चर्चा चल पड़ी थी कि लोकतंत्र के इन मंदिरों में लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा, जब यहां पक्ष-विपक्ष दोनों के बीच देश और राज्यों के प्रमुख विषयों पर खुले मन से राष्ट्र या राज्य हित में चर्चा हो।

पिछले यानी सत्रहवीं लोकसभा के गठन के बाद लोकसभा और राज्यसभा में जो कार्य हुए, वे देश के नागरिकों में विश्वास ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की भावना को मजबूत करते हैं। वर्षों से लंबित बिलों का पारित होना यह दर्शाता है कि देश का मन-मस्तिष्क बदल रहा है। लोगों ने अब अपने अलावा देश के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि सत्रहवीं लोकसभा और राज्यसभा के सैंतीस दिनों की कुल बैठकों में बत्तीस विधेयक लोकसभा और सैंतीस बिल राज्यसभा में पारित हुए। 17 जून 2019 से 6 अगस्त 2019 तक चली लोकसभा में शून्यकाल के दौरान पहली बार एक हजार से अधिक मुद्दे उठाए गए। सन 1952 के बाद यह पहला मौका है जब सैंतीस बैठकों के बावजूद एक दिन भी कार्यवाही बाधित नहीं रही। और 1952 के बाद भी पहली बार ऐसा हुआ है जब सदन का व्यवधान शून्य रहा और इसमें सदन के सदस्यों की अहम भूमिका रही। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तेरह घंटे से अधिक चर्चा हुई और एक सौ तिरासी तारांकित प्रश्न पूछे गए। सबसे अच्छी बात तो यह रही कि ज्यादा से ज्यादा नए सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया। इस सत्र में शून्यकाल में दो सौ पैंसठ नए सदस्यों में से दो सौ उनतीस सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिला। छियालीस नई महिला सांसदों में बयालीस को शून्यकाल के दौरान बोलने का अवसर मिला। लोकसभा में लगभग एक सौ सैंतीस प्रतिशत काम हुआ, जबकि राज्यसभा में एक सौ तीन प्रतिशत। राज्यसभा की सत्ताईस बैठकों में बत्तीस विधेयक पारित हुए। पिछले सत्रह साल में उच्च सदन में यह सबसे सफल सत्र रहा।

देश आश्चर्यचकित था जब राज्यसभा में तीन-तलाक बिल पारित हुआ। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। लोकसभा में तो भाजपा और एनडीए की संख्या दो-तिहाई से अधिक है। वहां पर विधेयकों का पास होना लगभग तय ही होता है। पर राज्यसभा जहां भाजपा या एनडीए के पास अभी बहुमत नहीं है, से भी तीन तलाक बिल के पास हो जाने से सभी हैरत में रह गए। कांग्रेसी सदस्य मान कर चल रहे थे कि लोक सभा में इनकी संख्या बल है पर राज्यसभा में तो विधेयक पास नहीं होने देंगे। लेकिन प्रधामंत्री और गृहमंत्री की कुशल रणनीति से जब राज्यसभा में भी विपक्ष चौरासी और सत्ता पक्ष सौ मतों से तीन तलाक विधेयक को मंजूरी मिल गई तो सभी को लगा कि अब राज्यसभा में कांग्रेस और विपक्ष में कोई एकता नहीं है। तीन तलाक पर अच्छी बहस हुई। चर्चा के दौरान कुछ दलों ने बहिष्कार किया पर अधिकतर दलों ने मतदान किया।

राज्यसभा में कांग्रेस सहित विपक्ष की पोल तब खुली जब सूचना के अधिकार का बिल आया। इस बिल पर कांग्रेस ने विरोध जताया। उनका साथ कुछ विपक्षी दलों ने भी दिया। पर जब मत विभाजन हुआ तो राजग को एक सौ सत्रह और कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों को पचहत्तर मत मिले। इसके बाद राज्यसभा में भाजपा के हौसले बुलंद हो गए। भाजपा को यह विश्वास हो गया कि यदि अब कोई भी कठिन से कठिन विधेयक यदि देश हित में लाया जाएगा तो भाजपा मत विभाजन में जीत सकती है। यही कारण था कि जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया गया। संकल्प सबसे पहले राज्यसभा में लाने का निर्णय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने लिया। देश में किसी ने नहीं सोचा था कि धारा 370 और 35ए को समाप्त करने वाला विधेयक लाया जाएगा। राज्यसभा में पांच अगस्त को जैसे ही गृहमंत्री ने जम्मू कश्मीर में दस फीसद आरक्षण और जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत किया, सता पक्ष की बांछे खिल गई और विपक्ष में सन्नाटा छा गया था। सदन हतप्रभ था। कांग्रेसी और टीएमसी सहित डीएमके और सपा ने विरोध के स्वर उठाए। राज्यसभा में सभी सदस्यों के द्वारा उठाए गए एक-एक सवाल का जवाब गृहमंत्री ने दिया। इसी बीच प्रधानमंत्री भी सदन में आ गए। विपक्षियों ने मत विभाजन मांगा। मत विभाजन में कांग्रेस सहित विपक्षियों को मात्र इकसठ और भाजपा को एक सौ पच्चीस मत मिले।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार से संबंधित चार विधेयक- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक-2019, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक-2019, भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक-2019 और दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक-2019 दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिए गए। विशेष रूप से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 चिकित्सा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी सुधार है जो चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा व्यवसाय और चिकित्सा संस्थानों से संबंधित सभी पहलुओं के विकास और विनियमन के लिए एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन तथा आयोग को सलाह देने और सिफारिश करने के लिए एक चिकित्सा सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान करता है।

देश में सामाजिक और लैंगिक न्याय प्रणाली को और मजबूती प्रदान करने के लिए भी कुछ विधेयकों को इस सत्र में पारित किया गया। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक-2019 पोर्नोग्राफी में बच्चे के चित्रण को अपराध घोषित करने के अलावा बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों के लिए ज्यादा कठोर सजा का प्रावधान करता है जो बीस साल तक या कुछ मामलों में शेष जीवन के लिए कारावास तक बढ़ाई जा सकती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा पहलुओं और मानवाधिकारों के बीच संतुलन कायम करने के लिए इस सत्र के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक-2019, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक-2019 और मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक-2019 पारित किए गए। इसके साथ ही वेतन अधिनियम 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और सामान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को आपस में मिला कर वेतन संहिता विधेयक, 2019 को कानून का रूप दिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक-2019 पहले के कानून को रद्द करके और उपभोक्ता अधिकारों के प्रोत्साहन, संरक्षण और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करके उपभोक्ता संरक्षण तंत्र में आमूल-चूल परिवर्तन लाने का प्रावधान करता है। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक-2019 का उद्देश्य सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को सुलझाना, नागरिकों को सहूलियत देना, सार्वजनिक परिवहन, स्वचालन एवं कंप्यूटरीकरण को सुदृढ़ करना, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि बढ़ाना है।

पिछले पांच-छह वर्षों के दौरान राज्यसभा और लोकसभा चैनल को लेकर जनता की रुचि बढ़ी है। इन दोनों चैनलों के माध्यम से देश के नेताओं, सांसदों का आकलन शुरू हुआ है। इसीलिए अब हर पार्टी के सांसदों-नेताओं को दोनों सदनों में सावधान रहना पड़ेगा। सत्तर साल देश की जनतांत्रिक राजनीति में युगांतकारी परिवर्तन हुए हैं। उसका ताजा उदाहरण 2019 का आम चुनाव रहा है। इस लोकसभा चुनाव में जनता स्वयं आगे आकर चुनाव लड़ी। जनता समझती है कि देश कहां सुरक्षित है, किसके हाथ में सुरक्षित है, किसे चुनना चाहिए। जनतंत्र की परीक्षा में जनता अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुई। अब देश के जनप्रतिनिधियों को भी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होते रहना चाहिए। अब देश में जहां दोनों सदनों पर पुनः देश का अटूट विश्वास जागेगा, वहीं राज्य विधानसभाओं को कामचलाऊ सत्रों के बजाय उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिक दिनों का सत्र चलाना ही होगा। लोकतंत्र संवाद और बहस से मजबूत होता है न कि इससे भागने से।

(लेखक भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं)

दुनिया मेरे आगे

निज भाषा

शोभा जैन

गांधीजी ने कुछ स्वप्न देखे थे, जिनमें से एक था- ऐसे स्वराज की स्थापना हो, जो भाषा, जाति और धर्म की संकीर्ण भावना से परे आदर्श समाज के निर्माण का हो। लेकिन आज की जो हालत हम अपने चारों ओर देखते हैं, उससे यही लगता है कि हम इस स्वप्न को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। इन दिनों आक्रामक भाषा चलन में है। इसे चलन कहा जाए या सभ्यता का ह्रास- सोचती हूं कि आखिर क्या कहा जाए इसे? समय और युगीन संदर्भों में बदलाव के साथ लोकतंत्र में भी भाषा के जायके बदल रहे हैं।

माना जाता है कि मनुष्य भाषा में जीता है। हम जिस समय में जी रहे हैं, वह विश्व बाजारवाद का दौर है। हम आधुनिकता के अंत और उत्तर आधुनिकता की ओर अग्रसर एक ऐसे काल में हैं, जिसमें समय मनुष्य का न होकर मशीन का है... उपकरण का है और नई-नई अवधारणाओं का है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने अपने देश में लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था को स्वीकार किया, जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि देश की कानून और व्यवस्था का संचालन करें।

जो सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, उसमें जनता की भाषा की प्रधानता होना भी स्वाभाविक है। मगर हम इसके ठीक उलट स्थिति में जी रहे हैं। अंग्रेजी ने जिस प्रकार हमारी अपनी भाषाओं का विकास अवरुद्ध किया है, इससे स्वभाषा से लोगों की दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। बाजार की सुविधा के लिए गढ़े जाने वाले शब्द जन्म ले रहे हैं। हम टेलीविजन पर उपभोक्ता सामग्री के विज्ञापनों में इस विरूपीकरण को देख सकते हैं, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी की खिचड़ी से निर्मित अशुद्ध भाषा से संपन्न परिवारों की जीवन-शैली और मूल्यों को प्रदर्शित किया जाता है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि अंग्रेजी बहुत ही समृद्ध भाषा है और आजकल संसार के कई समृद्ध देशों में राजभाषा के रूप में भी स्वीकृत है। मगर है यह विदेशी भाषा ही और हमें इस सत्य को स्वीकारने में कोई शर्म नहीं कि वर्चस्व की इसकी तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी इसमें समूची जनता का एक नगण्य अंश ही कुशलता प्राप्त कर सका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही देश में भाषाओं की प्रगति में काफी तेजी आई है, लेकिन स्वभाषा का प्रयोग अपनी सुविधानुसार तोड़-मरोड़ कर किया जा रहा है। माल बेचने और गांव-कस्बों में नए बाजार बनाने के लिए हिंदी का जिस सुविधा के साथ प्रयोग हो रहा है, वह एक तदर्थ और व्यावहारिक उद्देश्य के लिए है। किसी व्यापार आदर्श, राष्ट्र निर्माण या मूलगामी परिवर्तन के लिए नहीं। कारोबार में भी किसी उच्च प्रशासनिक बैठक की बातचीत हिंदी में नहीं होती। विज्ञापन एजेंसियों में सारे विज्ञापन पहले अंग्रेजी में बनते हैं और बाद में जैसे-तैसे उनका कामचलाऊ हिंदी में अनुवाद कर दिया जाता है। अनुवाद के बाद किसी वाक्यांश का भाव बेहद सतही या कई बार हास्यास्पद हो जाता है। भाषा की यह दुर्दशा केवल बाजार में नहीं, राजनीति में भी है। जबकि लोकतंत्र में शपथ की भाषा अनुशासन है।

हमें नहीं भूलना चाहिए कि भाषा की समृद्धि उत्तम साहित्य से होती है और उसकी समृद्धि से उसके बोलने वालों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है। अपनी समृद्ध संस्कृति को उजागर करने के लिए देशी भाषाओं को सगर्व प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। सत्ता पक्ष की राजनीति करने वालों को सोचना होगा कि लोकतंत्र की मर्यादा और भाषा की रक्षा कैसे की जाए। समाज और संस्कृति से भाषा की हालत का गहरा संबंध है।

हम किसी भाषा को किस दृष्टि से देखते हैं और उसका कैसा उपयोग करना चाहते हैं, यह बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि हमारी सांस्कृतिक सोच क्या है, समाज के बारे में हमारी दृष्टि और भूमिका क्या है। विदेशी भाषा में शिक्षा पाने से हमारा स्वतंत्र चिंतन कुंठित हो गया है। यह बात प्रत्यक्ष रूप से भले न स्वीकार की जाए, मगर सत्य यही है। आशा यही की जाती है कि हमारी लोकभाषाएं आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में विकसित हो सके। हमारा उत्तम साहित्य इस इसी दिशा में विकसित हो, क्योंकि स्वराज की सार्थकता स्वभाषा की उन्नति से ही संभव है। इसके लिए लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा बनी रहे, यह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण विषय है, जितना चुनाव में वोट डालना।

साहित्य में जो भाषा मनुष्य को संस्कारित करती है, वह राजनीति में भी अपना असर बनाए रखे। यह भी समाज के साथ कुशल राजनीतिकों के दायित्व का हिस्सा होना चाहिए। गांधीजी का जो आत्मनिर्भर बनाने का स्वप्न है, वह केवल स्वभाषा से ही संभव है, क्योंकि जिस प्रकार जड़ कटा वृक्ष पुष्प और फल नहीं दे सकता और शीघ्र ही अपनी हरियाली खोकर सूख जाता है, उसी प्रकर अपनी भाषा से कटा देश भी कमजोर हो जाता है। हमारी जड़ें हमारी भाषा हैं। इसके बिना देश की समृद्धि संभव नहीं। हमारे लिए भाषा से प्रेम की भी जरूरी अहमियत होनी चाहिए।

खतरे में अर्थव्यवस्था

देश की वित्तीय स्थिति नाजुक है। सरकार और निजी क्षेत्र दोनों पर इसका असर साफ नजर आ रहा है। अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से कारपोरेट जगत बेहाल हुआ जा रहा है। इस मंदी का असर कर संग्रहण पर भी पड़ रहा है। सरकार के राजस्व संग्रह लक्ष्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। वित्त वर्ष 2016-17 में अप्रत्यक्ष कर संग्रह में बढ़ोतरी की दर बीस फीसद थी जो 2017-18 में घट कर 5.8 फीसद रह गई। इसका असर देश की आर्थिक वृद्धि पर पड़ रहा है। जीएसटी आर्थिक सुधारों के लिहाज से एक अच्छा कदम था, लेकिन जीएसटी के तहत अनुमानित कर संग्रह नहीं हो पा रहा है। जीएसटी संग्रहण में स्टाफ की कमी, राज्यों से सहयोग नहीं मिलना और केंद्र व राज्यों में तालमेल की कमी जैसे कारणों से अप्रत्यक्ष कर की वसूली बहुत कम हो रही है। इसका राजकोषीय संतुलन पर असर पड़ रहा है। सरकार राजकोषीय संतुलन साधने के लिए एक ओर विदेशी उधारी बढ़ा रही है और दूसरी ओर देश की जनता की बचत को उपयोग में ला रही है। इसके अलावा, निर्यात बढ़ाने लिए भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। सरकार ने इस साल के बजट में आयात शुल्क को बढ़ाया है। सिर्फ आयात को कम करके सरकार भुगतान संतुलन को सुधारना चाहती है।

● दीपक गिरकर, इंदौर

रफ्तार की उम्मीद

हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में नया जोश भरने के लिए इस साल लगातार चौथी बार नीतिगत दरों में कटौती की। मौद्रिक नीति समिति का यह कदम स्वागत योग्य है क्योंकि इस कटौती के परिणामस्वरूप सस्ता ऋण उपलब्ध होगा, तरलता बढ़ेगी, बाजार में मांग बढ़ेगी और अंततः उत्पादन भी बढ़ेगा। उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक के इस कदम से अर्थव्यवस्था के हालात सुधरेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निवेश के बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी।

● कपिल एम. वड़ियार, पाली, राजस्थान

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

बौखलाया पाक

जब से भारत ने जम्मू-कमीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया है, तभी से पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका जोर-शोर से विरोध कर रहा है। लेकिन भारत के खिलाफ अभियान में उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमदर्द होने का दावा करने वाले चीन ने भी इस मसले पर इतना जोर नहीं दिया जितनी पाकिस्तान को उमीद थी। अमेरिका ने सिर्फ इतना ही कहा कि हम घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं। रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने तो पूरी तरह पाकिस्तान की अनदेखी की। हां, इस्लामिक देशों के संगठन ओआइसी ने भारत के रुख का विरोध जरूर किया है, पर ये भी ज्यादा अहमियत नहीं रखता, क्योंकि एक और ओआइसी के कुछ सदस्य संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश निजी स्तर पर भारत के पक्ष में हैं। कुल मिला कर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ गया है। इसी बौखलाहट में उसने भारत से राजनयिक और आर्थिक संबंध तोड़ने जैसे कदम उठाए हैं। उसने ये फैसले अतार्किक और आवेश में आकर उठाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इतिहास गवाह है कि जब-जब भारत र पाकिस्तान के बीच ऐसे तनाव भरे मौके आए हैं, तो उसके नतीजे अच्छे नहीं निकले हैं। इसीलिए भारत को अब चौकन्ना रहने की जरूरत है।

● सचिन अडगांवकर, अकोला, महाराष्ट्र

जुर्माना और अनुशासन

नए वाहन कानून में जुर्माना कई गुना बढ़ा दिया है। इससे सरकार की आय तो बढ़ेगी ही, साथ ही लोगों में भय भी पैदा होगा और सड़क पर अनुशासन कायम करने में मदद मिलेगी। सबसे बड़ी जरूरत नए मोटर वाहन कानून के बारे में लोगों को जागरूक बनाने की है और इसके लिए निरंतर विज्ञापन होते रहने चाहिए, ताकि जनता भी सचेत रहे और गलतियां न करें। मगर दुख की बात है कि नए मोटर वाहन कानून में काले शीशों वाली कारों और वाहनों को छोड़ दिया है जो जुर्म के चलते-फिरते अड्डे साबित हो रहे हैं। वाहनों के साथ सड़कों पर अतिक्रमण और इनकी जानलेवा हालत पर संबंधित अधिकारियों, ठेकेदारों और अतिक्रमणकर्ताओं पर भी जुर्माना जरूरी है क्योंकि भारी रोड टैक्स के बाद भी इनकी हालत में कोई सुधार नहीं होता। इस वाहन कानून पर सरकार को जनता और यातायात पुलिस से खुल कर राय लेनी चाहिए थी। देश में कानून तो बहुत हैं मगर उनके ठीक से पालन करवाने वाले बहुत ही कम हैं। इसके लिए सरकार को और अधिक नियुक्तियां करनी होंगी जिससे आय और अनुशासन के साथ रोजगार भी बढ़ सकता है।

● महेंद्र मान, अलीपुर

कैसे आएगी हरियाली

विश्व पर्यावरण दिवस पर सोशल मीडिया जैसे वॉट्सएप और फेसबुक पर बहुत सारे पेड़ लगाए गए, यानी की बहुत मित्रों के पास से पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं वाले संदेश आए। बहुत सारे मित्रों ने पेड़ लगाते हुए फोटो फेसबुक पर पोस्ट किए और हजारों लाइक और कमेंट बटोरे। लेकिन पर्यावरण दिवस के अगले दिन न किसी ने पेड़ लगाते फोटो पोस्ट किया और न ही कहीं से शुभकामनाएं आईं। जाहिर है, अगले दिन ही सब पेड़ों को, पर्यावरण को भूल गए। इस हकीकत को नहीं भूलना चाहिए कि मीडिया और सोशल मीडिया में पेड़ लगाते हुए फोटो खींच कर डालने और छपवाने से धरती पर हरियाली नही आने वाली। इसके लिए वाकई जुटने की जरूरत है।

● सौरभ कुमार ठाकुर, मुजफ्फरपुर

राजकाज

नया अंदाज

अब नौकरशाही की अहमियत बढ़ी है। प्रधानमंत्री हों या सूबों के मुख्यमंत्री अपने सहयोगी मंत्रियों और सांसदों-विधायकों पर उतना भरोसा नहीं करते जितना नौकरशाहों पर। आखिर हर योजना को धरातल पर तो नौकरशाही ही उतारती है। नौकरशाही की राय के विपरीत फैसले लेने वाले कितने मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की अदालतों व जेलों में दुर्गति सबके सामने है। मंत्री भी मनमानी किए बिना मानते कहां हैं। यूपी में ही लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्री गोपाल नंदी द्वारा किए गए अफसरों के थोक तबादलों को नियम विरुद्ध मान निरस्त कर दिया। प्रधानमंत्री ने तो 2014 में ही तमाम आला अफसरों से बातचीत में खुली छूट दे दी थी कि अफसर निडर होकर जनहित में काम करें। प्रधानमंत्री तो अकसर मंत्रियों के बजाए केंद्र सरकार के सचिवों के साथ वार्ता करके ही योजनाओं पर अमल की समीक्षा करते हैं। केंद्र में ही नहीं राज्यों में भी उनका यही तरीका है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह भी प्रधानमंत्री के ऐसे ही पसंदीदा अफसर माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ में विकास कार्यों का जायजा लेने आए तो मुख्यमंत्री के बजाए मुख्य सचिव को अपने साथ बिठाया। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए अकसर फीड बैक लेते हैं प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार में तैनाती के वक्त उनका कामकाज देख प्रभावित हुए थे सो सूबे में भाजपा की सरकार बनी तो नौकरशाही का मुखिया उन्हीं को बनवा दिया।

बेबाक बोल

दिल्ली के जंतर मंतर पर क्यूबा क्रांति और रूसी क्रांति पर प्रदर्शन करनेवाले ने पटाखे फोड़ रहे और जश्न मना रहे से पूछा कि कश्मीर के भारत का अभिन्न अंग बन जाने से तुम्हें वहां प्लॉट मिलेगा क्या? उस व्यक्ति का जवाब था कि फिलस्तीन के झंडे को लेकर तुम क्यों प्रदर्शन करते हो वहां से तुम्हारा प्लॉट छिन गया था क्या। यह कोई सोशल मीडिया की नोकझोंक नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों की सच्चाई है कि एक अस्मिता दूसरे को वर्जना के तौर पर देखती है। कश्मीर पर आए फैसले ने जिस तरह से कन्याकुमारी तक के लोगों को एक सूत्र में बांधा वह बताता है कि प्रतीकों और अधिकारों का अपना महत्त्व है। लाल किले की राष्ट्रीय अस्मिता लाल चौक तक पहुंचा कर कश्मीर को लोकतंत्र के पथ पर आगे बढ़ाया गया है। कभी शेख अब्दुल्ला की लोकतांत्रिक सरकार को कुचल कर जिस पूरे क्षेत्र को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया गया था, आज वहां से अलगाववादियों और आतंकवादियों के खारिज होने का वक्त आ गया है। अनुच्छेद 370 को राजनीतिक गलतियों के कूड़ेदान में फेंके जाने के ऐतिहासिक फैसले पर बेबाक बोल।

संकल्प सिद्धि

मुकेश भारद्वाज

‘न मारा न खून किया, बीसों का सिर काट दिया, बोलो क्या’

इस देसी पहेली को सुनते ही लोग जवाब में कहते हैं- नाखून। पांच अगस्त 2019 का दिन भारतीय इतिहास में मील का पत्थर बन गया। न कहीं गोली चली न कहीं विस्फोट हुआ और अनुच्छेद 370 को इतिहास बना दिया गया। यह काम वहीं से हुआ जहां से होना चाहिए था, और वह है संसद। जनता के प्रतिनिधियों ने मिलकर पूरे देश को जश्न के माहौल में डुबो दिया। किसी के लिए होली थी, किसी के लिए दिवाली, किसी के लिए गुरुपर्व तो किसी के लिए ईद। भारतीय बच्चे अपनी-अपनी भाषाओं में पढ़ते आए हैं कि कश्मीर देश का मुकुट है। भारत का नक्शा तमिल बच्चों के पाठ्यक्रम में भी है तो महाराष्ट्र के बच्चों के भी। भारतीय संसद से रचे इतिहास के बाद इस मुकुट को हर वह आम नागरिक अपने सिर पर महसूस कर रहा था जो कश्मीर से हजारों मील दूर था।

अगर नेता देश की जनता के दिलों पर हुकूमत कर लेता है तो वह मजबूत से मजबूत फैसला कर सकता है। जब पंजाब आतंकवाद की आग में झुलस रहा था तो ऐसा ही मजबूत फैसला इंदिरा गांधी ने किया था। अगर केंद्र और पंजाब सरकार ने मिल कर आतंकवाद को खत्म करने की न ठानी होती तो आज पंजाब की तस्वीर न बदली होती। खैर, पंजाब और कश्मीर के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हालात की तुलना नहीं हो सकती, यहां तुलना हो रही है तो बस राजनीतिक इच्छाशक्ति की।

स्तंभ की शुरुआत एक देसी पहेली से इसलिए कि कश्मीर के मसले का हल देश की आम जनता के पास ही था। अगर आप महानगरों की अकादमिक और इंटरनेट की दुनिया से बाहर निकल कर खेत-खलिहान, कारखानों और मंदिर-मस्जिद की गलियों से गुजरेंगे तो पता चलेगा, कश्मीरियत और जम्हूरियत क्या है। एक आम नागरिक देश के लिए जुड़ाव कैसे महसूस करता है। उसके लिए जम्मू कश्मीर सिर्फ डल झील, शिकारा या वैष्णो देवी का मंदिर और अमरनाथ यात्रा ही नहीं है। एक आम आदमी को उद्वेलित करने के लिए किसी दीवार पर अगर लिख डाला जाता है कि ‘दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे’ तो इसका मतलब है। अगर आप इस नारे को नहीं समझ सकते हैं तो आप देश राग नहीं समझ सकते हैं। अलगाववादियों की हुकूमत, ‘इंडिया’ को चुनौती और संयुक्त राष्ट्र में इंतिफादा (फिलस्तीनी शहीद) घोषित किया जा रहा भारतीय सैनिकों का हत्यारा आतंकवादी बुरहान वानी। इन हालात से हर वो शख्स आहत होता था जो इस देश की मिट्टी को नागरिक की भावना के साथ प्यार करता है। रोजी-रोटी के साथ उसे गर्व से जीने का संबल भी चाहिए। इस भाव के अभाव पर जिस राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन ने बरसों से अपनी जमीन तैयार की, जनता ने उन्हें वह जमीन दी जिस पर मजबूती से खड़े होकर वे ऐसा मजबूत फैसला कर सके।

सैकड़ों बार फसल के नुकसान पहुंचने के बाद भी एक किसान का खेत में काम करते रहना हमें रूमानी अनुभव देता है। कारखाने में कामगार काम कर रहा है तो उसके पास सिर्फ यह भाव न हो कि वह पेट पाल रहा है बल्कि यह गर्व हो कि वह देश का चक्का चला रहा है। दूर-दराज के गांवों में काम कर रहे एक छोटे पत्रकार को भी अपने काम पर गर्व हो कि वह देश का चौथा खंभा है। लोकतंत्र के लिए वह ‘छोटा सा’ पत्रकार भी उतना ही अहम है जितना देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट। किसान से लेकर कामगार और पत्रकार में हमें यह ईमानदारी और गर्व का भाव देखना है तो एक नागरिक के तौर पर राष्ट्रीय प्रतीकों पर गर्व के भाव को नकारा कैसे जा सकता है। एक नागरिक के लिए प्रतीकों का बहुत महत्त्व है। ये प्रतीक तो नागरिकशास्त्र की बुनियाद हैं, तिरंगे का तीन रंग और अशोक चक्र हो या भारतीय राष्ट्रगान। एक व्यक्ति सिर्फ खेत का हल और कारखाने की मशीन या कंप्यूटर की स्क्रीन नहीं हो सकता है। उसके अंदर धड़कते एक नागरिक के दिल को यह कह कर आहत नहीं किया जा सकता कि तुम्हें सिर्फ रोजगार और सड़क की ही बात करनी है। वह काम की भी बात करेगा और कश्मीर की भी। वह निर्भया और उन्नाव के लिए एकजुट होगा और आतंकवादियों व अलगाववादियों के खिलाफ भी साझा सोच रखेगा।

तस्वीर : अरुण चोपड़ा

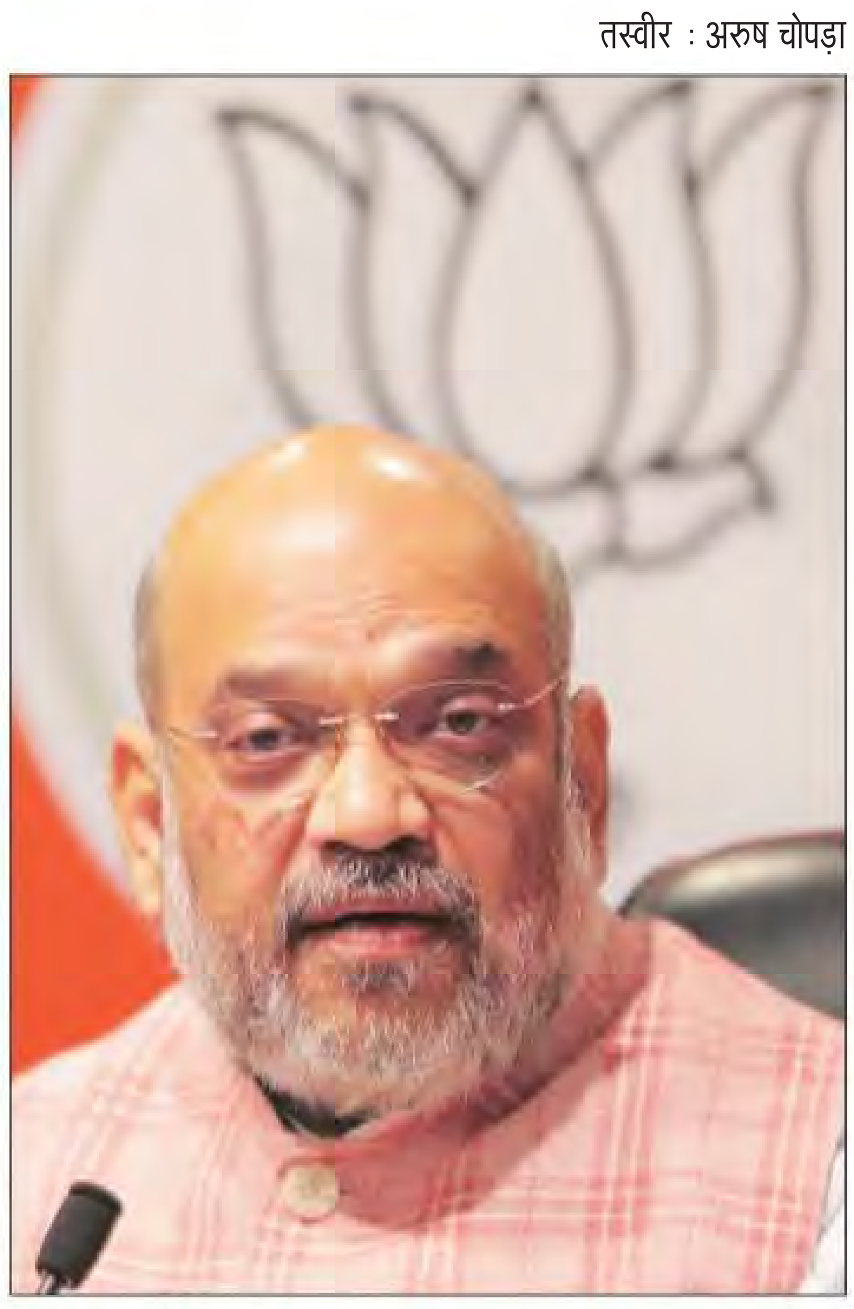

फौरी तीन तलाक और अनुच्छेद 370 के खिलाफ वोट देने वाली जनता को महसूस हुआ कि चुनावी घोषणापत्र और लाल किले से किया वादा लाल चौक पर जाकर पूरा होता है। मोदी सरकार ने तीन तलाक के तुरंत बाद जिस तरह से अनुच्छेद 370 को राजनीतिक गलतियों के कूड़ेदान में डाल कर स्वच्छता अभियान चलाया वह अभूतपूर्व है। अगर लाल किला राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है तो फिर इसकी परिधि से लाल चौक क्यों बाहर हो। फिलस्तीन और क्यूबा से लेकर वेनेजुएला तक के मामलों पर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले कश्मीर के जरिए जनता को मिले नए अधिकारों का मजाक उड़ाते हुए एक आम नागरिक से पूछते हैं कि कश्मीर का अभिन्न अंग बन जाने से तुम क्यों खुश हो, तुम्हें वहां प्लॉट मिलेगा क्या, तो उस आम नागरिक का पलटवार होता है कि जैसे फिलस्तीन की समस्या से तुम दुखी हो तो तुम्हारा कोई प्लॉट छिन गया क्या। पिछले ही हफ्ते तीन तलाक पर हमने लिखा था, यातना और वर्जना को किसी तुला पर तुलनात्मक तौला नहीं जा सकता तो उस वक्त हमें इसका जरा भी इल्म नहीं था कि एक हफ्ते से कम समय के अंदर देश का राजनीतिक नेतृत्व इतनी बड़ी इच्छाशक्ति दिखाएगा। आज फिर वही निवेदन, नागरिकों को तुला पर मत तौलिए कि इसमें तुम्हार क्या और उसका क्या?

अंग्रेजों से आजादी के बाद भारत का ऐसा संवेदनशील भूगोल जो एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान से घिरा था, उसके साथ दिल्ली की सरकारों ने ऐसी अवसरवादी राजनीति की जिससे कश्मीर लोकतंत्र से दूर होता गया। कश्मीर और हैदराबाद के हालात एकदम अलग थे जिसे बिलकुल भी नहीं समझा गया। कश्मीर के राजा के साथ यही करार था कि भारत में इसका विलय जनता ही तय करेगी। लेकिन केंद्र सरकार ने कश्मीर को लोकतंत्र की राह पर ले जा रही शेख अब्दुल्ला सरकार का अलोकतांत्रिक तरीके से दमन किया। राजशाही के खिलाफ और किसान आंदोलन चला रहे शेख अब्दुल्ला को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अभी तक अनुच्छेद-370 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग दिल्ली दरबार से ही किया गया। एक राष्ट्र, एक संविधान की आम भावना को बढ़ाने के बजाए अलगाववादियों का तुष्टीकरण होने दिया। जो कश्मीर, इतिहास लेखन से लेकर विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक आंदोलनों के तारीखी कदम उठा चुका था वहां हर मुद्दे को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया गया, जिसका एक नतीजा था वहां से बड़े समुदाय का पलायन। पांच अगस्त के बाद कश्मीर उस संकल्प सिद्धि की ओर बढ़ने को है जिसका सपना शेख अब्दुल्ला और अन्य प्रगतिशीलों ने देखा था।

कश्मीर महज कुछ जिलों में सिमटा भूगोल नहीं बल्कि पूरे भारत में फैला सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आख्यान है। अनुच्छेद 370 को प्रतीक बनाना चाहिए था भारत की बहुलता और विविधता को दिखाने का। लेकिन उसका इस्तेमाल देश को बांटने के लिए और जनता के बीच दूरियां बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। इसके खात्मे के बाद आज कश्मीरियत, जम्हूरियत और इंसानियत एक साथ है। यह मजबूत फैसला भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करे इसकी कोशिश हम सब करें। ‘किसका कश्मीर’ के उठते नारों पर जितेंद्र सिंह ने संसद में जो कहा उसे एक बार दोहराना चाहिए, ‘कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है इसलिए देश के 130 करोड़ लोग कश्मीर के भागीदार हैं। उन 130 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि भारत की संसद के सदस्य हैं। भारत की संसद है कश्मीर की भागीदार’। भारत के 130 करोड़ लोगों को एक सकारात्मक अध्याय मुबारक।

राजपाट

गफलत में अखिलेश

समाजवादी पार्टी संभल नहीं पा रही है। उत्तर प्रदेश में ही चुनौती बार-बार मिल रही है पार्टी को भाजपा से। पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में झटका मिला। फिर 2017 के विधानसभा चुनाव ने तो सपा का बंटाधार ही कर दिया। जबकि कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था पार्टी ने यह चुनाव। इस तालमेल से सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव रूठ भी गए थे। लेकिन भाजपा की आंधी में यह प्रयोग भी नाकाम रहा। फिर बारी आई 2019 के लोकसभा चुनाव की। तीन उपचुनावों की कामयाबी से सपा और बसपा को समझ आ चुका था कि भाजपा का मुकाबला सपा-बसपा मिलकर ही कर सकते हैं। अखिलेश अपना घर भी नहीं संभाल पा रहे थे। चाचा शिवपाल यादव के कंधे पर अपनी बंदूक चलाई भाजपा ने। पिछड़ों में भी सेंध लगा चुकी भाजपा ने एअर स्ट्राइक और पुलवामा की घटनाओं के दम पर सपा-बसपा के गठबंधन को भी ध्वस्त कर दिया। सपा फिर 2014 की तरह पांच सीट पर सिमट गई। फायदा अगर हुआ तो बसपा को। शून्य से दस का आंकड़ा तो छू ही लिया। दलित मुसलमान गठजोड़ उसके अनुकूल रहा। फिर भी भाजपा और उसकी सरकारों के दबाव में मायावती ने हार का ठीकरा अखिलेश के सिर फोड़ अपनी राह जुदा करने में देर नहीं लगाई। यह अखिलेश के लिए और भी बड़ा झटका निकला। वैसे भी फिरोजाबाद, बदायूं और कन्नौज के अपने किले भी सपा नहीं बचा पाई थी। हार के सदमे से अखिलेश अभी उबर नहीं पाए हैं। एक तरह से भाजपा के सामने घुटने टेक दिए हैं उन्होंने। तभी तो भाजपा ने सपा के विधायकों-सांसदों को भी भगवा रंग में रंग देने की मुहिम चला रखी है। पहले विधान परिषद के उसके कई सदस्यों से इस्तीफे दिला उन खाली सीटों पर अपने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को चुनवाया। फिर इस्तीफा देने वाले सभी दल बदलुओं को पूरी मियाद यानी छह साल के लिए परिषद में भेजकर वादा पूरा कर दिया। अब राज्यसभा में भी वही मुहिम चालू है। शुरुआत चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर के इस्तीफे से हुई। फिर सुरेंद्र नागर भागे। अब संजय सेठ भी चलते बने। जबकि वे एक तरफ तो पार्टी के कोषाध्यक्ष थे और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के बेहद भरोसेमंद। उन्हें एमएलसी नामित कराने के लिए कौन सी कवायद नहीं की थी अखिलेश ने अपने मुख्यमंत्री काल में। पर राज्यपाल राम नाईक ने वीटो लगाया था। सो नाराज अखिलेश ने उन्हें अवसर मिलते ही राज्यसभा भेजा था। अखिलेश पछता रहे होंगे कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। पाठकों को बता दें कि राज्यसभा हो या विधान परिषद, उप चुनाव में जीत सूबे की सत्ताधारी पार्टी की ही होती है। यानी खाली हुई तीनों सीटों पर उप चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार जीतकर राज्यसभा आएंगे। वे नीरज शेखर, सुरेंद्र नागर और संजय सेठ भी हो सकते हैं।

मलाई की दरकार

जैसे टोटे में लड़ाई होने का अंदेशा रहता है वैसे ही सरकार कमजोर हो और छोटे दलों या निर्दलियों के सहारे चल रही हो तो उनकी ब्लैकमेलिंग से बच नहीं पाती। कर्नाटक में कुमार स्वामी की सरकार गिराने के बाद भाजपा के निशाने पर मध्यप्रदेश और राजस्थान की कांग्रेस सरकारें हैं। राजस्थान में माहौल देख गहलोत सरकार का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों ने भी दबाव बढ़ा दिया है। मलाई खाने को बसपा के विधायक भी मचल रहे हैं। निर्दलीय 13 हैं और बसपा के छह। सरकार के छह महीने चैन से बीत चुके हैं। सो अब समर्थक विधायक भी सत्ता सुख की चाह पाल बैठे हैं। ज्यादातर निर्दलियों की पृष्ठभूमि कांग्रेसी है। सो सबको मंत्री पद की हसरत है। बसपा के विधायक तो मंत्री बनने के लिए पार्टी भी बदलने को तैयार बताए जा रहे हैं। एक तरफ निर्दलियों और बसपा के विधायकों को मनाना तो दूसरी तरफ अपनों को संतुष्ट रखना, गहलोत के सामने चुनौती दोहरी है। कांग्रेस में दर्जन भर विधायक तो पूर्व में मंत्री रह चुकने के आधार पर सम्मान मांग रहे हैं। गहलोत और सचिन पायलट की गुटबाजी ने भी किया है उनका नुकसान। निर्दलियों की दलील भी अनुचित नहीं। अगर रालोद के सुभाष गर्ग को मंत्री पद दिया है तो उनमें ही क्या कमी है। अपनी तरफ से गहलोत इन निर्दलीय विधायकों के रुतबे की पूरी परवाह करते हैं। मसलन तबादलों में उनकी पूछ है। उनकी सिफारिशों पर फाइलें भी मंजूर हो जाती हैं। इससे कांग्रेस के कुछ विधायकों को ईर्ष्या होना स्वाभाविक है। पर अपनी पाटी वाले तो सब्र रख ही सकते हैं। आलाकमान ताकतवर होता तो शायद वे कान भी न हिलाते। अब तो वे एक ही राग अलाप रहे हैं कि मंत्री पद सीमित हैं तो क्या, सरकार के पास दूसरे मलाईदार पदों की कोई कमी थोड़े ही है।

छवि की फिक्र

लड़ाकू और जुझारू छवि तो ममता बनर्जी की शुरू से रही है। बगावती तेवर न होते तो उन्हें अग्नि कन्या नाम न मिलता। यह बात अलग है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव जीतने की चिंता ने ममता को मिजाज बदलने पर मजबूर कर दिया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सेवा ली है तो सलाह को मानना मजबूरी हो गई। प्रशांत अब ममता की छवि बदलने के जतन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में लगे झटके से ममता को समझ आ चुकी है कि वे अपराजेय नहीं हैं। तृणमूल कांग्रेस की 22 सीटों की तुलना में भाजपा की 18 को कम नहीं आंका जा सकता। दो से एक झटके में अठारह। प्रशांत किशोर यानि पीके की सलाह है कि भाजपा से मुकाबले के लिए उसी की तरह मजबूत और आदर्शवादी तो बनना ही होगा, कारपोरेट ढांचा भी अपनाना पड़ेगा। पीके की पहली सलाह आई है कि विपक्षी दलों की आलोचना करते वक्त तृणमूल कांग्रेस के लोग सोच समझकर और संभलकर बोलें। हर मामले में नाहक टीका टिप्पणी का मर्ज न पालें। विपक्षी दल के किसी भी आयोजन में पंगा न डालें। लोगों को यकीन दिलाएं कि वे लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। लोकसभा चुनाव में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की रैलियों और रथ यात्राओं में व्यवधान से नुकसान ही हुआ था सत्तारूढ़ पाटी का। भाजपा नेताओं ने तृणमूल नेता के अलोकतांत्रिक व्यवहार को बड़ा मुद्दा बना दिया था। पार्टी के किसी नेता की सलाह पर तो ममता बनर्जी ने कभी ध्यान दिया नहीं, शायद रणनीतिकार पीके की सलाह को मान खुद को बदल लें तो बेशक मिल जाएगा उसका फायदा।

(प्रस्तुति : अनिल बंसल)

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं। हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

आपके पत्र

मुसलिम औरतों को ताकत देगा

‘सदियों की सजा’ एक बेहतरीन बेबाक बोल है। मैं आपके तर्कों तथा न्याय बुद्धि एवं औरत को सदियों की गुलामी से मुक्त करने के जोश की तारीफ करूंगा कि आपने तीन तलाक को कानूनी अपराध बनाने वाले बिल का समर्थन किया। यह कैसा मुसलिम समाज है जो औरत को हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखना चाहता है? आपका बेबाक बोल मुसलिम औरतों को ताकत देगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हलाला जैसी अमानवीय और जंगली परंपरा का भी ऐसी ही ताकत से विरोध करेंगे।

- **कमल किशोर गोयनका**, दिल्ली

हर धर्म की कुप्रथाओं का हो खात्मा

फौरी तीन तलाक की कुप्रथा एक झटके में खत्म हो गई, वर्तमान सरकार को इसके लिए कोटिश: धन्यवाद। लगभग सभी धर्मों में कुछ निहित स्वार्थी तत्त्वों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए पाखंड, ढकोसले, अंधविश्वास आदि जानबूझकर धार्मिक पुस्तकों में लिखकर भरे हुए हैं। चूंकि ज्यादातर धार्मिक गुरु पुरुष ही हुए हैं इसलिए धर्म में हर जगह अपने स्वार्थ और सत्ता को पहले स्थान पर रखा। इस्लाम धर्म में भी तीन तलाक का सिद्धांत अपनी यौनिक स्वच्छंदता को लक्षित करके ही युगों-युगों से मुसलिम महिलाओं पर जबर्दस्ती लादा गया था। तीन तलाक के बाद हलाला की अमानवीय कुप्रथा भी पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर एक और अत्याचार का नमूना थी, वह भी तीन तलाक के साथ खुद खत्म हो गई। मुसलिम समाज की इस कुप्रथा का अंत होना ही चाहिए था। आज हिंदू धर्म में भी स्त्रियों और दलितों पर हजारों वर्षों से धर्म के नाम पर अंधविश्वास के नाम पर बहुत सी कुप्रथाएं हैं जो हजारों बुराइयों और अंधविश्वासों के रूप में जबर्दस्ती लाद रखी गई हैं। उन सबका भी खात्मा कर समाज को प्रगति के पथ पर बढ़ाया जाए।

- **निर्मल कुमार शर्मा**, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

राहत की आस

इस बात में कोई शक नहीं है कि शौचालय के निर्माण का अभियान चलाना हो या फिर तीन तलाक बिल, मोदी सरकार नारी सशक्तीकरण की सोच रखती है। अफसोस इतना ही है कि जो अधिकार मुसलिम महिलाओं को पहले मिल जाना चाहिए था उसके लिए सरकार को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। विश्वास है कि यह कानून महिलाओं को न्याय दिलाने वाली एक बड़ी सामाजिक क्रांति का आधार बनेगा।

- **भूपेंद्र सिंह रंगा**, पानीपत, हरियाणा

तीन तलाक बिल से मिलेगा इंसाफ?..

मुसलिम समाज की महिलाओं की शादीशुदा जिंदगी में तीन तलाक की रूढ़िवादी परंपरा के रोड़े को दूर करने के लिए तलाक को कानून के दायरे में लाने के लिए बिल को पास करना सराहनीय माना जा सकता है। लेकिन क्या तीन तलाक बिल के पास हो जाने से मुसलिम समाज की महिलाओं को इंसाफ मिलेगा? शायद नहीं। मुसलिम समाज की रूढ़ीवादी परंपरा है तीन तलाक। जिस परंपरा से किसी का शोषण होता हो, उसे रूढ़ीवादी कहने में कोई हर्ज नहीं, को कानून के दायरे में लाने का सरकार का फैसला तो सही है, लेकिन कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपक्ष को जो यह तर्क दिया था कि तीन तलाक देने वाले शौहर को सजा की सूरत में सरकार उसके बीवी-बच्चों की आर्थिक मदद का इंतजाम करे, गलत है। माना की सभी ऊंगलियां बराबर नहीं होतीं, लेकिन विपक्ष की जो मांग है, उससे बेकसूर शौहर भी अपनी बीवी के शोषण का शिकार हो जाएंगे, जैसा कि दहेज विरोधी कानून में हुआ। आज भारत में ही दहेज कुप्रथा पर पाबंदी रोकने के लिए कानून बने हैं, लेकिन फिर भी यह कुप्रथा अभी तक जड़ से उखड़ नहीं पाई है। दहेज विरोधी कानून का दुरुपयोग भी खूब होता है, इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है। इंसानियत के दुश्मन हर कानून का तोड़ निकाल लेते हैं। सिर्फ तीन तलाक के लिए कानून बनाने से ही बेवजह के तलाक देने के मामले नहीं रुकने वाले, बल्कि इसके लिए लोगों को अपने अंदर इंसानियत और नैतिकता की भावना भरनी होगी। आधुनिक मूल्यों को अपनाकर ही सामंती कुरीतियों से छुटकारा पाया जा सकता है।

- **राजेश कुमार चौहान**, जलंधर

एक देश, एक राशन कार्ड योजना पर काम शुरू

राशन कार्डों में अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी की शुरुआत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

देश में अगले साल एक जून तक एक देश, एक राशन कार्ड योजना लागू करने के प्रयास के तहत केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राशनकार्ड की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी की शुरुआत की। इसका आरंभ तेलंगाना-आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र-गुजरात के बीच अंतर-राज्यीय राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी के साथ हुआ है। इसका मतलब यह है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रहने वाले लाभार्थी किसी भी एक राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) यानी राशन की दुकानों से अपने कोटे का अनाज खरीद सकते हैं। ऐसा ही महाराष्ट्र और गुजरात में हो सकेगा।

अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी की शुरुआत करते हुए खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है। हमने राशन कार्ड की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी को शुरू किया है और दो राज्यों को जोड़ा बनाया है। उन्होंने कहा कि इन चार राज्यों में राशन कार्ड की राज्य के अंदर और अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी दोनों को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। इस बीच, सात राज्य -हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान और त्रिपुरा -वर्तमान में राशन कार्ड की अंतर-पोर्टेबिलिटी का परीक्षण कर रहे हैं, जिसका अर्थ हुआ कि लाभार्थी राज्य के भीतर स्थित किसी भी पीडीएस से अपना राशन का कोटा उठा सकते हैं। विवरण पेश करते हुए खाद्य सचिव रविकांत ने कहा कि धीरे-धीरे राशन कार्ड की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी को जनवरी 2020 तक इन राज्यों में भी लागू किया जाएगा।

कांत ने कहा कि जनवरी 2020 तक, इन 11 राज्यों को एक ग्रिड के रूप में बनाया जाएगा जहां राशन कार्ड को पोर्टेबल बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि लाभार्थी इन 11 राज्यों में से किसी एक से अपना राशन खरीद सकते हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार एक जून, 2020 तक देश भर में 'एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड' को चालू करने का लक्ष्य बना रही है। यह पूछे जाने पर कि स्टॉक का प्रबंधन कैसे किया जाएगा, पासवान ने कहा कि कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के गोदामों में पर्याप्त भंडार है और उन्हें तीन महीने पहले से ही राशन स्टॉक करने को कहा गया है। एफसीआइ के गोदामों को ऑनलाइन कर दिया गया है और राज्यों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने डिपो को जल्द से जल्द ऑनलाइन करें ताकि खाद्यान्नों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके।

मंत्री ने खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों को यह परीक्षण करने के लिए बीच बीच में यात्रा करने का निर्देश दिया कि अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी ठीक से काम कर रही है। मौजूदा समय में, सरकार देश में 5,00,000 राशन की दुकानों के माध्यम से 81 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह 5 किलो सबसिडी वाले खाद्यान्न की आपूर्ति करती है, जिसकी राजकोष पर लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए सालाना का बोझ आता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अनुसार, राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न की आपूर्ति चावल के लिए 3 रुपए प्रति किलोग्राम, गेहूं के लिए 2 रुपए किलो और पीडीएस के माध्यम से मोटे अनाज के लिए एक रुपए किलो की दर से आपूर्ति की जाती है।

भाजपा ने चार राज्यों में चुनाव प्रभारी नियुक्त किए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर भाजपा ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर और नरेंद्र तोमर व पार्टी के महासचिव भूपेंद्र यादव को क्रमशः दिल्ली, हरियाणा व महाराष्ट्र का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। भाजपा की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता व उपाध्यक्ष ओपी माथुर को झारखंड का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में इस साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं, जबकि दिल्ली में 2020 की शुरुआत में चुनाव होंगे। चारों राज्यों में अपनी चुनावी नैया को पार लगाने के लिए पार्टी ने अपने अनुभवी राजनीतिक प्रबंधकों पर भरोसा जताया है। इनमें तीन राज्यों में भाजपा की सरकार है। भाजपा ने नित्यानंद राय और हरदीप सिंह पुरी को दिल्ली में जावडेकर की मदद के लिए नियुक्त किया है, जहां भाजपा पिछले विधानसभा चुनाव में 70 में से सिर्फ तीन सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी।

कश्मीर से 20 और 'उपद्रवियों' को आगरा भेजा गया

श्रीनगर, 9 अगस्त (भाषा)।

जम्मू कश्मीर के अधिकारियों ने 20 संभावित उपद्रवियों के पहले दल को हवाई मार्ग से श्रीनगर से आगरा भेजा है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि अलगाववादी गतिविधियों में शामिल रहने वाले इन लोगों को भारतीय वायु सेना के विशेष विमान में कश्मीर घाटी से ले जाया गया। इन सभी पर कश्मीर घाटी में अलगाववादी समूहों के सक्रिय सदस्य होने का आरोप है। उन्हें आगरा के केंद्रीय कारावास में रखा गया है।

अधिकारियों ने कश्मीर हाई कोर्ट बार संघ के अध्यक्ष मियां कय्यूम समेत 25 लोगों को गुरुवार को एहतियातन कदम के तौर पर हवाई मार्ग से भेजा था। कय्यूम के अलावा कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी मुबीन शाह भी इस समूह में शामिल हैं। कय्यूम जानेमाने वकील हैं और ऐसे कई मामलों में पक्ष रखते रहे हैं जिनमें पुलिस ने अलगाववादी नेताओं पर मामले दर्ज किए।

कश्मीर पर नीति में कोई बदलाव नहीं : अमेरिका

पेज 1 का बाकी

और हम जाहिर तौर पर कश्मीर तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे संवाद का समर्थन करते हैं।' ओर्टागस ने कहा कि अमेरिका दोनों दक्षिण एशियाई देशों के साथ निकटता से काम कर रहा है। उन्होंने कहा, 'अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री (इमरान) खान यहां आए थे लेकिन सिर्फ कश्मीर की वजह से नहीं। यह निश्चित तौर पर महत्त्वपूर्ण मुद्दा है और हम इस पर करीबी नजर रख रहे हैं। हमने कई मुद्दों पर भारत के साथ निकटता से काम किया और हमने पाकिस्तान के साथ भी निकटता से काम किया।'

अरुण जेटली आइसीयू में, एम्स ने कहा हालत स्थिर

पेज 1 का बाकी

गया। फिलहाल वे आइसीयू में हैं जहां विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। जेटली (66) को सुबह करीब 10 बजे कार्डियो-न्यूरो सेंटर में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जेटली का हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे हैं। सूत्रों ने बताया कि उन्हें आइसीयू में निगरानी में रखा गया है। एंडोक्रायनोलॉजिस्ट, हृदयरोग और गुर्दा रोग विशेषज्ञों की टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रही है।

प्रेमी युगलों की मदद को आगे आई राजस्थान पुलिस

पेज 1 का बाकी

बनाने के लिए यह ट्वीट बनाया गया जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है। पुलिस की सोशल मीडिया टीम पहले भी इस तरह के कई अनूठे ट्वीट कर चुकी है।

प्रदेश में ऑनर किलिंग कानून के बन जाने के बाद युवा तबके को अब उनकी मर्जी से शादी और संबंध बनाए रखने में कोई सामाजिक नुकसान नहीं पहुंचे इसका पूरा ध्यान रखा गया है। इसके प्रावधानों के तहत यदि दो वयस्क सहमति से अंतरजातीय विवाह करें और परिजन किसी एक या दोनों की हत्या कर दें तो यह ऑनर किलिंग की श्रेणी में माना जाएगा। प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में खास कर ग्रामीण इलाकों में प्यार करने वाले युगलों को उनके परिजनों ने ही इसलिए मार दिया था कि उन्होंने अलग जातियों में प्रेम संबंध बना लिए थे। इसके साथ ही कई जगह जातियों और समाजों की पंचायतों ने भी प्रेमी युगलों को दंडित करने का काम किया था। इसके चलते प्रेमी युगलों की आत्महत्याएं करने की घटनाएं भी सामने आई थी। ऐसे कदमों को रोकने के लिए ही सरकार ने ऑनर किलिंग बिल पास कर अब कानून बनाने का काम किया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया था कि राजस्थान आज देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ऑनर किलिंग को संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध बनाने का बिल पारित किया है।

पीओके भी हमारा : भारत

पेज 1 का बाकी

ही, पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ से भी इस मामले में दखल की अपील की है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस ने शुक्रवार को भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुए शिमला समझौते को याद दिलाते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, जिसमें कश्मीर में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार किया गया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि कश्मीर को लेकर किए गए फैसले पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं और पाकिस्तान डर का माहौल फैलाना चाहता है। पाकिस्तान इसलिए परेशान है कि अगर जम्मू और कश्मीर का विकास हुआ तो वह वहां के लोगों को गुमराह नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हालात को बेहद चिंताजनक, युद्ध जैसी स्थिति के रूप में पेश करना चाहता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ऐसा नहीं मानता। पाकिस्तान को नई वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। पाकिस्तान की ओर से राजनयिक संबंधों में कटौती करने सहित अन्य कदमों के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि हम इसकी निंदा कर चुके हैं। इस प्रकार के एकतरफा फैसले के बारे में उनको फिर से विचार करने के लिए कह चुके हैं।

पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में दखल न देने की नसीहत देते हुए रवीश कुमार ने कहा, 'भारत के संप्रभु मामले में पाकिस्तान बेवजह के विषय जोड़ रहा है। हमने कई विदेशी सरकारों और संस्थानों को इस संबंध में बताया है और अपनी स्थिति से अवगत कराया है। हमने बताया है कि कश्मीर में हमने क्या किया है और यह हमारा आंतरिक मामला है। हमने सभी देशों और संगठनों को इस बारे में जानकारी दी है। पाकिस्तान को हकीकत को स्वीकार करना चाहिए और अन्य देशों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए।'

कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में जाने की धमकी पर रवीश कुमार ने कहा कि हमारे आंतरिक मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने का उसे अधिकार ही नहीं है। पीओके भी हमारा हिस्सा है। जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में जाता है तो क्या भारत वहां पीओके और वहां के लोगों पर अत्याचार का मुद्दा उठाएगा? इस पर रवीश कुमार ने कहा कि इस बारे में रणनीतिक बातचीत सार्वजनिक तौर पर नहीं की जाती। उन्होंने यह जरूर कहा कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास हमारे आंतरिक मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने का कोई अधिकार है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अनुच्छेद 370 पर सरकार द्वारा लिए गए फैसले को जम्मू और कश्मीर के हित में बताया। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ राजनयिक संबंधों को घटाने, व्यापार और समझौता एक्सप्रेस बंद करने को एकतरफा फैसला करार दिया और उससे इस पर पुनर्विचार की अपील की। उन्होंने कहा कि हम उनसे इसकी सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं। अनुच्छेद 370 पर भारत सरकार के फैसले पर इस्लामी देशों की प्रतिक्रिया को लेकर उन्होंने कहा कि इस्लामी देशों के साथ हमारा संबंध बढ़ा है। खुद प्रधानमंत्री ने इसके लिए पहल की, कई देशों का दौरा किया।

कांग्रेस के कालिता व टीआरएस के विवेकानंद भाजपा में

पेज 1 का बाकी

से कोई निर्देश नहीं मिल रहा था। ऐसी हालत में जब देश को मजबूती और एकजुटता के साथ आगे ले जाने की बात थी जब हर पार्टी का योगदान जरूरी था। कालिता ने कहा कि ऐसे में मैंने इसका विरोध किया। संसद में इसका विरोध नहीं कर पा रहा था इसलिये सदन से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मजबूत कदम उठा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि असम सहित पूर्वोत्तर का तेजी से विकास जारी रहेगा (वहीं, तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) से हाल ही में इस्तीफा देने वाले पूर्व सांसद जी विवेकानंद शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। वहीं विवेकानंद भाजपा महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने बाद में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा से मुलाकात की।

विवेकानंद एकीकृत आंध्रप्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता जी वेंकटस्वामी के पुत्र हैं और टीआरएस सरकार के सलाहकार रहे हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के बाद विवेकानंद ने प्रदेश सरकार के सलाहकार और टीआरएस से इस्तीफा दे दिया था। भाजपा में शामिल होने के बाद विवेकानंद ने कहा कि वह भाजपा में शामिल हो रहे हैं क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक पार्टी है और टीआरएस की तरह से पारिवारिक संचालित पार्टी नहीं है।

सेंगर पर पांच धाराओं के तहत चलेगा मुकदमा

पेज 1 का बाकी

में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ प्रथम दृष्टया दोषी माना। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), 376 (बलात्कार) और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए गए। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ भी नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोप तय किए। पीड़िता इस समय दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती है। उसकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। एम्स के ट्रॉमा सेन्टर में भर्ती पीड़िता की हालत बहुत नाजुक है और उसे जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने सुनवाई कर रही अदालत को बताया कि कि आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में पुलिस ने ढुलमुल रवैया अपनाया है। जांच एजंसी ने 11 जुलाई 2018 को अपने आरोपपत्र में कहा कि वे उन्नाव जिले के जिला प्रशासन और अस्पतालों के अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं। आरोपपत्र में कहा गया कि जांच के दौरान, घटनाओं से जुड़ी कई शिकायतों पर स्थानीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का ढुलमुल रवैया दिखता है। इस मामले में सीबीआइ ने कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है।

सुनवाई कर रही अदालत के समक्ष हालांकि सेंगर और सिंह ने उन पर लगाए गए आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया जा रहा है और उन्होंने मामले की सुनवाई किए जाने की मांग की। सीबीआइ ने गुरुवार को अदालत को बताया था कि सेंगर और उसके भाई ने लड़की के पिता पर हमला किया और राज्य पुलिस के तीन अधिकारियों और पांच अन्य के साथ मिलकर शस्त्र कानून के एक मामले में उसे फंसाया।

भारत से सांस्कृतिक आदान-प्रदान खत्म करेगा पाकिस्तान

पेज 1 का बाकी

के खिलाफ जंग लड़नी होगी। पाकिस्तान सरकार ने देश के सिनेमाघरों में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी है। एवान ने ट्वीट किया, 'पाकिस्तान के किसी सिनेमाघर में कोई भारतीय फिल्म नहीं दिखाई जाएगी। पाकिस्तान में हर तरह की भारतीय सामग्री वाले नाटक और फिल्मों पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा।

जम्मू में धारा 144 हटी, कुछ इलाकों में कर्फ्यू जारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के चार दिनों के बाद शुक्रवार को शासन-प्रशासन ने लोगों को थोड़ी राहत मुहैया कराई। जम्मू नगरपालिका सीमाओं तक सभी इलाकों से धारा 144 हटा ली गई है। शनिवार से जिले में स्कूल-कॉलेज खुलने लगेंगे। प्रशासन ने कहा कि कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में अभी भी धारा 144 के तहत कड़ी सुरक्षा लागू है, लेकिन कुछ स्थानों पर इसमें ढील दी गई है।

इससे पहले, प्रशासन ने राज्य में सुबह 11 से शाम पांच बजे तक बाजार खोलने के निर्देश भी दिए। शुक्रवार की नमाज के लिए लोगों को राहत दी गई है। उन्हें स्थानीय मस्जिदों में जाने की छूट दी गई। ईद के लिए जरूरी समान मुहैया कराया जाएगा। सभी जिलों में टीमों की तैनाती की गई है। लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो इसका खयाल रखा जाएगा।

दाभोलकर हत्या की जांच में विदेशी एजंसी की मदद लेगी सीबीआइ

मुंबई, 9 अगस्त (भाषा)।

दाभोलकर हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआइ ने शुक्रवार को बंबई हाई कोर्ट को बताया कि हत्या में इस्तेमाल हथियार का पता लगाने के लिए वह विदेशी एजंसी की मदद ले रही है।

सीबीआइ के वकील और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने न्यायमूर्ति एस.सी. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी.एस.पटेल की पीठ को बताया कि एजंसी के विशेषज्ञ रविवार को भारत पहुंचेंगे। जांच पूरी करने में 30 दिन का समय लगेगा। सिंह ने बताया कि आशंका है हत्यारों ने हत्या के बाद हथियार ठाणे की खाड़ी में फेंक दिया। पीठ दाभोलकर और दिवंगत वामपंथी नेता गोविंद पानसारे के परिजनों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें दोनों मामलों की जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग की गई थी।

पानसारे हत्याकांड की जांच कर रही महाराष्ट्र सरकार की विशेष जांच टीम (एसआइटी) ने अदालत को बताया कि उसके अधिकारी कोल्हापुर में हो रही तेज बारिश और बाढ़ के कारण अदालत नहीं पहुंच पाए। इसके मद्देनजर अदालत ने सुनवाई 16 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। तर्कवादी नरेन्द्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में हत्या कर दी गई थी। पानसारे को 16 फरवरी 2015 को कोल्हापुर में गोली मारी गई थी, जिसके कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो गई थी।

प्रणय और राधिका रॉय को विदेश जाने से रोका गया

पेज 1 का बाकी

से जारी किया जाता है। एजंसियां इसके आधार पर किसी को बाहर जाने से रोक सकती हैं पर इसके तहत उसे हिरासत में नहीं लिया जा सकता।

अधिकारियों ने कहा कि यह एलओसी सिर्फ दोनों को देश छोड़ने से रोकने के लिए है, हिरासत में लेने के लिए नहीं। कंपनी ने बयान में यह नहीं बताया है कि दोनों कहां जा रहे थे। हालांकि, उसने कहा कि दोनों विदेश यात्रा से 16 अगस्त को लौटने वाले थे। कंपनी ने कहा, 'मीडिया कंपनी मालिकों पर छापे और आज की यह कार्रवाई मीडियावालों के लिए चेतावनी है कि वे हां में हां मिलाएं नहीं तो कार्रवाई झेलें। यह पूरी तरह से मूल अधिकारों का उल्लंघन है।' बयान में एनडीटीवी ने अपने इन दोनों संस्थापकों को 'पत्रकार' कहा है।

अयोध्या विवाद में जारी रहेगी रोजाना सुनवाई : अदालत

पेज 1 का बाकी

खड़े हुए, एक मुसलिम पक्षकार की ओर से धवन ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए कहा- यदि हफ्ते के सभी दिन इसकी सुनवाई की जाएगी तो अदालत की मदद करना संभव नहीं होगा। यह पहली अपील है और इस तरह से सुनवाई में जल्दबाजी नहीं की जा सकती और इस तरह से मुझे यातना हो रही है।

धवन का कहना था कि शीर्ष अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद पहली अपील पर सुनवाई कर रही है और इसलिए इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि पहली अपील में दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन करना होगा। अनेक दस्तावेज उर्दू और संस्कृत में हैं जिनका अनुवाद करना होगा। उन्होंने कहा कि संभवतः न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश ने हाई कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा होगा।

धवन ने कहा कि अगर अदालत ने सभी पांच दिन इस मामले की सुनवाई करने का निर्णय लिया है तो वे इस मामले से अलग हो सकते हैं। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा- हमने आपके कथन का संज्ञान लिया है। हम शीघ्र ही आपको बताएंगे। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को पारासरन से सवाल किया था कि जब देवता स्वयं इस मामले में पक्षकार हैं तो फिर 'जन्मस्थान' इस मामले में वादकार के रूप में कानूनी व्यक्ति के तौर पर कैसे दावा कर सकता है।

संविधान पीठ इलाहाबाद हाई कोर्ट के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर सुनवाई कर रही है।

रेलवे ई-टिकटों पर फिर से वसूलेगा सेवा शुल्क

नई दिल्ली, 9 अगस्त (भाषा)।

आइआरसीटीसी के माध्यम से खरीदे गए ई-टिकट अब और महंगे हो जाएंगे क्योंकि भारतीय रेलवे ने फिर से सेवा शुल्क शुरू करने का फैसला किया है जिसे करीब तीन साल पहले डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिहाज से वापस ले लिया गया था। रेलवे बोर्ड ने आइआरसीटीसी को ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों से सेवा शुल्क वसूलने की प्रणाली बहाल करने की मंजूरी दे दी है।

बोर्ड ने तीन अगस्त को एक पत्र में कहा कि आइआरसीटीसी ने ई-टिकटों की बुकिंग पर सेवा शुल्क बहाल करने के लिए विस्तृत पक्ष रखा था और सक्षम प्राधिकार ने मामले की जांच की है। बोर्ड ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने माना है कि सेवा शुल्क में कटौती की योजना अस्थायी थी और रेल मंत्रालय ई-टिकट पर शुल्क वसूली शुरू कर सकता है। पत्र के मुताबिक, वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई सलाह के मद्देनजर सक्षम प्राधिकार ने फैसला किया है कि आइआरसीटीसी सुविधा शुल्क/सेवा शुल्क लागू करने या बहाल करने पर और उसकी दर पर उचित फैसला ले सकता है।

प्रधानमंत्री 17 से दो दिवसीय भूटान दौरे पर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 से 18 अगस्त तक भूटान के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे वहां शीर्ष नेतृत्व के साथ पनबिजली क्षेत्र सहित द्विपक्षीय संबंधों एवं आपसी हितों से जुड़े विविध विषयों पर व्यापक चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री के भूटान दौरे से पहले विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर 11 अगस्त को चीन की तीन दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। वे अपने चीनी समकक्ष एवं अन्य के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करेंगे।

भारत और चीन के बीच 'बफर स्टेट' के रूप में स्थित भूटान की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी 17 अगस्त को पहुंचेंगे और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और उनके पिता एवं चौथे नरेश रहे जिग्मे सिग्मे वांगचुक से भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने भूटानी समकक्ष डॉ. लोटे शेरिंग के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश सचिव विजय गोखले के मुताबिक, इस यात्रा के दौरान मांगधेचू पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा। गोखले ने कहा कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों का मुख्य बिंदु भारत की ओर से विकास सहयोग है। भारत ने दिसंबर में पांच हजार करोड़ रुपए की विकास सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी और इसका पहला हिस्सा जारी किया गया है। प्रधानमंत्री का रॉयल यूनिवर्सिटी आफ भूटान को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है।

पाक ने थार एक्सप्रेस पर भी लगाया ब्रेक

पेज 1 का बाकी

गया है। राजस्थान के जोधपुर से थार एक्सप्रेस पाकिस्तान जाती है। एक दिन पहले पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस रोक दी थी। पाकिस्तान की ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड ने समझौता एक्सप्रेस को वाघा के आगे ले आने से मना कर दिया था। भारतीय रेलवे के अधिकारियों ने विदेश मंत्रालय के दखल के बाद अपने कर्मचारी और ट्रेन इंजन भेज समझौता एक्सप्रेस अटारी तक ले आने का इंतजाम किया। यह ट्रेन शुक्रवार को चार घंटे लेट समझौता पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची।

पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद अहमद ने शुक्रवार को कहा कि जोधपुर-कराची के बीच चलने वाली थार एक्सप्रेस की सेवाएं बंद की जाएंगी। इससे पहले गुरुवार को अहमद ने समझौता एक्सप्रेस को पूरी तरह से बंद करने का एलान किया था। पाकिस्तान की ओर से समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस को बंद करने की घोषणा पर भारत के विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि इन दोनों ट्रेनों को बंद करने का पाकिस्तान का फैसला एकतरफा है। पाकिस्तान ने हमसे कोई सलाह लिए बिना यह फैसला किया है। रवीश ने पाकिस्तान से इन फैसलों पर फिर से विचार करने का कहा।

इस बीच, गुरुवार को पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा वाघा सीमा पर छोड़ दी गई समझौता एक्सप्रेस ट्रेन निर्धारित समय से साढ़े चार घंटे की देरी से, शुक्रवार को सुबह आठ बजकर पांच मिनट पर 117 यात्रियों के साथ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची।

डोभाल ने संवेदनशील इलाकों का किया दौरा

पेज 1 का बाकी

से जम्मू-कश्मीर में बने हुए हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अपने सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ईदगाह इलाके में गए और विभिन्न स्थानों पर रुक कर लोगों से बातचीत की। डोभाल ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से भी मुलाकात कर सुरक्षा हालात पर चर्चा की।

श्रीनगर में उन्होंने पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) से बातचीत की और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर शानदार काम करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। एनएसए ने जम्मू-कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेने के बाद लागू प्रतिबंधों के चलते आम जनता को कोई परेशानी न हो। डोभाल ने बुधवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां का दौरा किया था और स्थानीय लोगों से बातचीत की थी। उन्होंने पुलिस और अर्धसैनिक बलों से भी संवाद किया था। एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने लोगों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा, लोगों तक पहुंचने और उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के महत्त्व पर जोर दिया।

येचुरी, डी राजा को श्रीनगर से वापस भेजा गया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी और भाकपा के महासचिव डी राजा को शुक्रवार को जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति नहीं दी गई और कुछ देर हिरासत में रखे जाने के बाद उन्हें श्रीनगर हवाई अड्डे से वापस भेज दिया गया। वाम नेता श्रीनगर में माकपा के नेता मोहम्मद तारिगामी और पार्टी के अन्य सहयोगियों से मुलाकात करने गए थे।

सीताराम येचुरी ने बताया, 'उन्होंने हमें एक कानूनी आदेश दिखाया, जिसमें श्रीनगर में किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं देने की बात कही गई थी। इसमें कहा गया था कि सुरक्षा कारणों से पुलिस संरक्षण में भी शहर में जाने की अनुमति नहीं है।' इसके बाद उन्हें वापस दिल्ली भेज दिया गया।

देश भर के स्कूलों में 'समग्र शिक्षा-जल सुरक्षा' अभियान की शुरुआत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को देश के सभी स्कूलों के बच्चों में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए 'समग्र शिक्षा-जल सुरक्षा' अभियान की शुरुआत की और छात्रों से प्रतिदिन एक लीटर पानी बचाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। दिल्ली कैंट स्थित केंद्रीय विद्यालय में इस अभियान की शुरुआत करते हुए निशंक ने छात्रों से कहा कि देश के कई इलाकों में पानी की कमी व आसन्न संकट को देखते हुए सभी छात्र यह संकल्प लें कि वे प्रतिदिन एक लीटर पानी बचाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर पर्यावरण व जल संरक्षण का महत्व बता चुके हैं और निकट भविष्य में कई क्षेत्रों में पानी का संकट होने के विषय को भी उन्होंने उठाया है। पानी के आसन्न संकट को देखते हुए हम सभी को सजग रहने की जरूरत है।

निशंक ने कहा कि इस श्रृंखला में हम 'समग्र शिक्षा-जल सुरक्षा' अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में 278 जिले पानी के संकट से जूझ रहे हैं।

देश के 6584 ब्लॉक में से 1034 ब्लॉकों में पानी की कमी है। ऐसे में हमें काफी सचेत रहना है। मंत्री ने कहा कि देश में 911 विश्वविद्यालय और 40 हजार डिग्री कालेज हैं। इसके साथ ही 15 लाख स्कूल हैं जिनमें 11.8 लाख सरकारी स्कूल हैं।

आतंक के वित्तपोषण में पूर्व विधायक गिरफ्तार

नई दिल्ली, 9 अगस्त (भाषा)।

राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व निर्दलीय विधायक शेख अब्दुल राशिद उर्फ राशिद इंजीनियर को कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने से संबंधित एक मामले में शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर कश्मीर में लंगेट विधानसभा सीट से विधायक रह चुके राशिद मुख्यधारा के पहले राजनेता हैं जिन्हें एनआइए ने मामले में गिरफ्तार किया है।

राशिद से इससे पहले 2017 में पूछताछ की गई थी और इस हफ्ते की शुरुआत में उन्हें फिर से तलब किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि वे सवालों के संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए और इसलिए हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करने की जरूरत थी।

पुलिस को आशंका, दम घुटने से हुई शमनाद बशीर की मौत

बंगलुरु, 9 अगस्त (भाषा)।

कर्नाटक में एक दिन पहले अपनी कार में मृत पाए गए कानूनी विशेषज्ञ शमनाद बशीर के मामले में पुलिस ने किसी तरह की साजिश से इनकार किया है। पुलिस को आशंका है कि बशीर की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। बशीर गुरुवार को चिकमंगलूर के बाहरी इलाके में सड़क से कुछ दूरी पर कार में मृत मिले थे। बीते तीन-चार दिनों से वह कथित रूप से लापता थे।

चिकमंगलूर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) हरीश पांडे ने बताया, 'उन्होंने कार खड़ी कर उसे अंदर से बंद कर लिया था, जिससे संभवतः या तो दम घुटने या जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण उनकी मौत हुई होगी। निश्चित रूप से उन्होंने कार में लगा अपना हीटर ऑन किया होगा क्योंकि कुछ देर बाद कार में शॉर्ट सर्किट हुआ था।' पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

बशीर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं। वह वंचित बच्चों तक विधि शिक्षा की पहुंच बनाने वाले एनजीओ 'इनक्रीज्ड डाइवेसिटी बाई इनक्रीजिंग एक्सेस टू लीगल एजुकेशन' के संस्थापक थे। वह बौद्धिक संपदा कानून में विशेषज्ञता रखते थे।

अगले दो हफ्ते में फिर से मिग 21 उड़ाएंगे अभिनंदन

नई दिल्ली, 9 अगस्त (भाषा)।

विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अगले दो सप्ताह में मिग 21 उड़ाने के लिए तैयार हैं। एक मेडिकल बोर्ड ने फाइटर कॉकपिट में उनकी वापसी का रास्ता साफ कर दिया है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। विंग कमांडर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान एक बड़ा चेहरा बने थे। भारत और पाकिस्तान की वायु सेना के बीच हवाई संघर्ष के दौरान 27 फरवरी को दुर्घटनाग्रस्त हुए मिग 21 से बाहर निकलने में अभिनंदन घायल हो गए थे।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आइएएफ बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ एअरोस्पेस मेडिसिन ने वर्धमान को दोबारा उड़ान भरने की मंजूरी दे दी। इस मंजूरी से पहले उनकी चिकित्सीय जांच हुई और वे उसे पास कर गए। उन्होंने बताया कि विंग कमांडर अगले दो सप्ताह में उड़ान भरना शुरू कर सकते हैं। वर्धमान का मिग-21 बाइसन 27 फरवरी को पाकिस्तान के साथ हवाई संघर्ष के बाद पाकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

भू.पू. सैनिक कन्ट्रीब्यूटरी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस)

ईसीएचएस निम्न विवरणों के अनुसार खानपुर, वायु सेना स्टेशन, तुगलकाबाद, नई दिल्ली में ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक के लिए अनुबंध आधार पर निम्न स्टाफ की भर्ती करने तथा एक आरक्षित पैनल का निर्माण करने के लिए इच्छुक है:

क्रम सं.	नियुक्ति	मूल योग्यता	रिक्ति	कार्य अनुभव	वांछनीय योग्यता	आयु सीमा	भू.पू. सैनिकों के लिए आरक्षण	अनुबंधात्मक शुल्क (प्रति माह)	साक्षात्कार का स्थान, तिथि एवं समय
01.	ओआईसी पॉलीक्लीनिक	स्नातक	01	किसी स्वास्थ्य संस्थान अथवा प्रबंधकीय पदों में न्यूनतम 5 वर्षों का कार्य अनुभव	अतिरिक्त प्रबंधकीय योग्यता 10 वर्षों से अधिक का अनुभव, कम्प्यूटर की योग्यता, यदि कोई हो	63 वर्ष से कम	100%	रु. 75,000/-	ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक खानपुर में 3 सित. 19 को 1000 बजे में
02.	डेन्टल अधिकारी	बीडीएस	01	डेन्टिस्ट के रूप में न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव	बीडीएस/ पीजी में मेरिट, अन्य अतिरिक्त योग्यता अनुभव 05 वर्ष से अधिक, यदि कोई हो।	63 वर्ष से कम	60%	रु. 75,000/-	
03.	लैब सहायक	1) मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी (डीएमएलटी)/ क्लास-1 लैबोरेटरी टेक कोर्स (सशस्त्र बल) में डिप्लोमा	01	लैबोरेटरी में लैब सहायक के रूप में न्यूनतम पांच वर्षों का कार्य अनुभव	10 वर्षों से अधिक का अनुभव	63 वर्ष से कम	70%	रु. 28,100/-	
04.	फार्मासिस्ट	1) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से बी फार्मा	01	न्यूनतम पांच वर्षों का कार्य अनुभव	स्पेशिलिटी फार्मेसी में कोई भी डिप्लोमा कोर्स	63 वर्ष से कम	70%	रु. 28,100/-	
05.	डेन्टल हाइजेनिस्ट	डेन्टल हाईजेनिस्ट क्लास-1/ डीएच/ डीओआरए कोर्स (सशस्त्र बल) में डिप्लोमा	01	डेन्टल लैबोरेटरी/ क्लीनिक में न्यूनतम पांच वर्षों का कार्य अनुभव	प्राथमिक उपचार में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव	63 वर्ष से कम	70%	रु. 28,100/-	
06.	महिला एटैन्डैन्ट	साक्षर	01	सिविल/ सेना स्वास्थ्य संस्थान में न्यूनतम पांच वर्षों का कार्य अनुभव	प्राथमिक उपचार में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव	63 वर्ष से कम	70%	रु. 16,800/-	

टिप्पणी: उपरोक्त पदों के लिए आवेदन क्रम सं. 06 में वर्णित सामान्य निर्देश के पते पर 02 सितम्बर, 2019 के पूर्व जमा की जा सकती है।

सामान्य निर्देश:

1. अनुबंधात्मक पारिश्रमिकः प्रत्येक के समक्ष दर्शाई गई उपरोक्त रिक्तियों के अनुसार अनुबंधात्मक शुल्क। अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य किसी भत्ते/ वित्तीय लाभों अथवा रियायतों के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
2. अनुबंधात्मक नियम एवं शर्तेः अनुबंधात्मक नियुक्ति दो वर्षों की अवधि के लिए होगी जिसमें दूसरे वर्ष का विस्तार प्रथम् वर्ष में संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर दिया जायेगा। रोजगार के लिए विस्तृत नियम एवं शर्तें ईसीएचएस सेल स्टेशन मुख्यालय में उपलब्ध होंगे। 30 दिनों की सूचना देने के बाद किसी भी पक्ष द्वारा अनुबंध अवधि की समाप्ति से पूर्व कर्मचारी की सेवा समाप्त की जा सकती है। यदि परिस्थिति ऐसी हो, 30 दिनों की सूचना की जगह एक माह की अनुबंधात्मक पारिश्रमिक का भुगतान कर कर्मचारी की अनुबंध को समाप्त करने के लिए ईसीएचएस स्वतंत्र होगा। यह चयन पूरी तरह से अनुबंध पर होगा तथा उम्मीदवारों को इससे उनके नियमितिकरण तथा स्थाई समावेशन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
3. कार्यावधिः कर्मचारियों की कार्यावधि सोमवार से शनिवार 48 घंटे प्रति सप्ताह (8×6) होगा।
4. अवकाशः कर्मचारी रविवार तथा राजपत्रित अवकाश दिवसों के अतिरिक्त माह की पूर्णता के बाद प्रति माह 2.5 दिन के अवकाश के लिए अधिकृत होंगे जो 6 माह के अंत में संचित होने पर लैप्स हो जायेगा।
5. आवेदक उसकी जीरॉक्स प्रतियों के साथ आवेदन प्रपत्र, मूल डिग्री प्रमाणपत्र एवं अनुभव के प्रमाणपत्र के साथ ऊपर दर्शाई गई स्थान, तिथि एवं समय पर रिपोर्ट करें। आवेदन प्रपत्र ईसीएचएस की वेबसाईट www.echs.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। साक्षात्कार का परिणाम सक्षम प्राधिकारी द्वारा मैन गार्ड रूम के सूचना बोर्ड पर 4 अक्टू, 19 को 1100 बजे में उपलब्ध कराया जायेगा जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगा तथा चयनित उम्मीदवारों को पंजीकृत डाक से इसकी सूचना दी जायेगी।
6. सभी आवेदनों को सी एडीएम ओ, एयर फोर्स स्टेशन, तुगलकाबाद, एमबी रोड, नई दिल्ली-110080 के पते पर भेजा जायेगा तथा साथ ही उसे हाथों-हाथ इस स्टेशन के मैन गार्ड के ड्रॉप बॉक्स में भी जमा किया जा सकता है।

हस्ता./- (के.आर. रंजन)
विंग कमां.
ओआईसी ईसीएचएस सेल खानपुर
एएफएस तुगलकाबाद, नई दिल्ली-80

ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)

ई-नीलामी सूचना

आरआरएल क्लस्टर ऑफिस : सी-18 बी, दीनदयालपुरम, बरेली 243122 फोन: 0581-2310672 E-mail : rrl_7608@obc.co.in

चल व अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

ईएमडी एवं दस्तावेजों के जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय 29.08.2019 को अप. 4.00 बजे तक

प्रतिभूति ब्याज (सरफेसी) अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण एवं प्रवर्तन के तहत बैंक को रहन अचल संपत्तियों की बिक्री। आम जनता को सामान्यतः और ऋणकर्ता और जमानतदार को विशेष तौर पर सूचित किया जाता है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स के प्राधिकृत अधिकारी ने बैंक की बकाया राशि की वसूली "जैसे है जहां है एवं जैसे है जो है" के आधार पर दिनांक 31.08.2019 को बेचने सहित हमारी शाखा के साथ निम्नलिखित ऋण खातों में प्रभूति ब्याज (सरफेसी) अधिनियम 2002 वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण एवं प्रवर्तन की धारा के तहत जारी सूचना की अनुवर्ती में निम्न संपत्तियों/आस्तियों का कब्जा ले लिया है। बकाया राशि, ऋणकर्ता व गारंटर का नाम, रिजर्व राशि, अर्नेस्ट मनी आदि निम्नवत हैं।

अचल संपत्ति का विवरण

ऋणकर्ता/गारंटर	बन्धक सम्पत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस तिथि / कब्जा धारण तिथि बकाया धनराशि	EMD प्रेषण खाता विवरण	आरक्षित राशि EMD वृद्धि राशि बोली	ई-नीलामी की तिथि व समय
मै. वुड्स एन ब्रिक्स श्री आकाश अरोरिया व श्री गुरदयाल सिंह देशवाल (पार्टनर), बी.आर. काम्प्लेक्स, दादरी रोड बरोला, सेक्टर 49, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर।	औद्योगिक भूमि व भवन जोकि श्री गुरदयाल सिंह देशवाल के नाम है। क्षेत्रफल 3706 वर्ग गज स्थित औद्योगिक क्षेत्र सं. 579 छपरौला जिला गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.) उ. -कृषि भूमि, द. -शेष सम्पत्ति, पू. -रोड 40 फिट चौड़ी, प. -सम्पत्ति अन्य।	13.02.2017 / 29.07.2017 रु. 7,77,79,804/- + ब्याज 01.02.2017 से लागत व अन्य खर्चों सहित	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स खाता सं. 07121181000054 आईएफएससी कोड सं. ORBC0100712 इज्जत नगर, बरेली	रु. 3,22,83,000/- EMD रु. 32,28,300/- बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/-	31.08.2019 अप. 1.00 बजे से 2.00 बजे के मध्य साथ में 5 मिनट का असीमित विस्तार

नियम व शर्तें:- 1. नीलामी/बोली दिनांक 31.08.2019 को वेब पोर्टल **https://www.bankeauctionwizard.com** के जरिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली दी जायेगी। के द्वारा दोपहर 1.00 बजे से 2.00 बजे के मध्य भारतीय समयानुसार 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ की जायेगी। 2. इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को चाहिए कि वे एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा ईएमडी धनराशि विक्रय सूचना में दी गई तिथि पर या उससे पहले जमा कर दें और **https://www.bankeauctionwizard.com** पर अपना नाम रजिस्टर कर निःशुल्क अपनी यूजर आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर लें। वे बोलीदाता जो लॉगइन आईडी व पासवर्ड सृजन, डेटा नवीनीकरण, बोली प्रस्तुति में सहायता, ई-बोली प्रक्रिया में प्रशिक्षण आदि चाहते हैं तो नीलामी बोली प्रपत्र और विस्तृत नियम व शर्तें जो बोली प्रपत्र के साथ संलग्न हैं के लिए एन्टेरस सिस्टम्स लि. से ऊपर दिये गये नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं। वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के पश्चात इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को चाहिए कि निम्नलिखित संबंधित दस्तावेज (1. एनईएफटी चालान की प्रति, 2. पैनकार्ड की प्रति व 3. पते की छायाप्रति) वेबसाइट पर टेन्डर जमा जमा करने की अंतिम तिथि जैसी कि समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन में दी गयी है के पहले अपलोड कर दें। 3. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने अपनी ईएमडी जमा कर दी है और लॉगइन आई व पासवर्ड सृजन, डेटा नवीनीकरण, बोली प्रस्तुति में सहायता हेतु मै. एन्टेरस सिस्टम्स लि., हैल्पलाइन नं. +91-9453308405 पर श्रीमती रेखा यादव ई-मेल **rekha.y@antaressystems.com** पर सम्पर्क कर सकते हैं और संपत्ति से संबंधित पूछताछ व विस्तृत नियम व शर्तों एवं निरीक्षण के लिए अधिकृत अधिकारी श्री मुकेश चतुर्वेदी, मुख्य प्रबंधक के मोबाइल नं. 8077397469 एवं ई-मेल आईडी : rrl_7608@obc.co.in पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं। 4. बोली निर्धारित प्रपत्र पर संबंधित विवरण के साथ केवल ऑनलाइन जमा की जायेगी। 5. ऑनलाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि 29.08.2019 को सायं 4.00 बजे तक जमा की जायेगी। 6. बिड प्रपत्र की एक छायाप्रति संलग्नकों के साथ जिसमें यूटीआर संख्या अंकित हो ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स, सर्किल ऑफिस, बरेली के अधिकृत अधिकारी को सौंपी जायेगी तथा उपरोक्त की सॉफ्ट कापी ई-मेल rrl_7608@obc.co.in पर प्रेषित की जायेगी। अन्य किसी स्पष्टीकरण हेतु इच्छुक बोलीदाता श्री मुकेश चतुर्वेदी, मुख्य प्रबंधक आरआरएल क्लस्टर बरेली के मोबाइल नं. 8077397469 पर संपर्क कर सकते हैं। 7. जमा की गई बोली राशि रिजर्व राशि से अधिक होनी चाहिए और बोलीदाता को अपनी बोली को उपरिवर्णित तालिका के अनुसार रुपयों के गुणांक में बढ़ाना चाहिए। कृपया ध्यान रखें कि पहली बोली राशि जो सिस्टम के द्वारा आयेगी वह रिजर्व राशि के समकक्ष या उससे 1 इन्क्रीमेंट या अधिक इन्क्रीमेंट के गुणांक में हो सकती है। बोली के दौरान संबंधित बोली से बोली गई बोली का एक रेट 1 इन्क्रीमेंट या अधिक होना चाहिए। 8. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (अर्नेस्ट मनी सहित) बोली की समाप्ति के बाद तुरंत जमा करना होगा। शेष 75% बोली राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन या उससे पहले या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा या उनके एकमात्र स्वविवेक पर लिखित सहमत अनुसार ऐसी विस्तारित अवधि तक देय योग्य है। यदि उक्त निर्धारित अनुसार राशियां जमा नहीं की जाती हैं तो पहले से जमा की गई राशियां जब्त कर ली जायेंगी और सम्पत्ति को पुनः बेचा जाएगा और डिफॉल्टिंग क्रेता के पास उसके संबंध में कोई दावा नहीं होगा। देय योग्य अन्य सांविधिक व अन्य बकाए तथा सम्पत्तियों पर बकाए, इच्छुक क्रेता द्वारा वहन किए जायेंगे। सम्पूर्ण बिक्री राशि के भुगतान आदेशों के अधीन हैं तथा उसके अलावा बैंक किसी ब्याज/ईएमडी के अतिरेक के काबिल नहीं होगा यदि ई-नीलामी सम्पन्न होने के बाद प्राप्त किसी न्यायालय आदेश की वजह से बिक्री के पुष्टिकरण/बिक्री प्रमाणपत्र के निर्गमन में कोई देर होती है। 9. असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि बोली समाप्ति प्रक्रिया के पश्चात वापस कर दी जायेगी। बोलीदाताओं को ईएमडी राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। 10. बिक्री सिक्योर्ड क्रेडिटर की स्वीकृति के अधीन है और उसका पजेशन सीएमएम/डीएम या अन्य समकक्ष न्यायालय के आदेश के अधीन है। 11. सम्पत्ति/या जहां है जैसी है या जो है जैसी है के आधार पर अधिकृत अधिकारी की जानकारी के अनुसार उन पर कोई भार नहीं है इच्छुक बोलीदाता को चाहिये कि बिड जमा करने से पूर्व सम्पत्ति के संबंध में किसी अन्य अथॉरिटी बैंक के अलावा का कोई भार नहीं है जानकारी लेकर संतुष्ट हो लें। सम्पत्ति के संबंध में कोई अन्य दावा मान्य नहीं होगा। 12. किसी भी बिड को स्वीकृत या अस्वीकृत, विलंबित या रद्द करने तथा नियम व शर्तों में बिना किसी पूर्व सूचना के बदलाव का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है। 13. क्रेता को संपत्ति से संबंधित विक्रय पत्र के पंजीकरण शुल्क, अन्य वैधानिक सरकारी शुल्क वर्तमान व भविष्य के अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना होगा। विक्रय प्रमाणपत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम जारी होगा। 14. क्रय मूल्य 50 लाख से अधिक होने पर आयकर के नियमानुसार 1% बोली राशि टीडीएस के रूप में देय होगी। सफल क्रेता को बोली राशि का 1% आयकर विभाग, भारत सरकार को जमा करना होगा एवं उसका प्रमाण बैंक को देना होगा। 15. इच्छुक क्रेता संपत्ति के निरीक्षण के लिए श्री मुकेश चतुर्वेदी, मुख्य प्रबंधक, ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स, आरआरएल क्लस्टर बरेली से किसी भी कार्य दिवस में 11:00 से 3:00 बजे के मध्य सम्पर्क कर सकते हैं। 16. सम्पत्ति का विक्रय सरफेसी एक्ट/नियम 2002 एवं उपरोक्त शर्तों के आधीन होगा। 17. विक्रय की विस्तृत नियम व शर्तों की जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट **www.obcindia.co.in.** देखें।

दिनांक : 10.08.2019
स्थान : बरेली

प्राधिकृत अधिकारी
ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स

भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

शिपिंग हाउस, 245 मैडम कामा रोड, मुंबई - 400021.
वेबसाइट: www.shipindia.com; Twitter: @shippingcorp; सीआईएन: L63030MH1950GOI008033

दिनांक 30.06.2019 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

(रकम रुपये लाख में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	स्टैंडअलोन 30.06.2019 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	स्टैंडअलोन 31.03.2019 को समाप्त पिछला वर्ष (लेखापरीक्षित)	स्टैंडअलोन 30.06.2018 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	समेकित 30.06.2019 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	समेकित 31.03.2019 को समाप्त पिछला वर्ष (लेखापरीक्षित)	समेकित 30.06.2018 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	93,299	392,586	89,224	93,299	392,586	89,224
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(2,236)	(7,485)	(18,998)	(2,236)	(7,484)	(18,998)
3	कर से पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(2,236)	(7,485)	(18,998)	(2,236)	(7,484)	(18,998)
4	अवधि के लिए कर पश्चात् निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(3,936)	(12,199)	(20,598)	(2,890)	(6,266)	(19,039)
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए (कर पश्चात्) लाभ/(हानि) तथा (कर पश्चात्) अन्य व्यापक आय सहित]	(3,795)	(11,635)	(20,554)	(3,132)	(5,203)	(16,995)
6	इक्विटी शेयर पूंजी	46,580	46,580	46,580	46,580	46,580	46,580
7	प्रारक्षण (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षण छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है	-	651,541	-	-	671,742	-
8	अर्जन प्रति शेयर (प्रत्येक रु.10 के) (जारी रखे गए तथा बंद किये गए परिचालनों के लिए) (रु.)						
	बेसिक :	(0.84)	(2.62)	(4.42)	(0.62)	(1.35)	(4.09)
	डायल्युटेड :	(0.84)	(2.62)	(4.42)	(0.62)	(1.35)	(4.09)

अ) उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा 9 अगस्त, 2019 को आयोजित संबंधित बैठकों में ऑडिट समिति द्वारा की गई तथा और निदेशक मंडल द्वारा उन्हें अनुमोदित किया गया।

ब) ऊपर वर्णितपाठ, सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ फाइल किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों पर (**www.bseindia.com** और **www.nseindia.com**) तथा कंपनी की वेबसाइट **www.shipindia.com** पर उपलब्ध है।

कृते भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड

स्थान : मुंबई
तारीख : 09.08.2019

कप्तान अनूप कुमार शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN - 03531392

कार्गो मंजिल तक पहुँचाए. जीवन को राह दिखाए.

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES NOR IS IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

CSB Bank

CSB BANK LIMITED

(Formerly, known as The Catholic Syrian Bank Limited)

Our Bank was incorporated on November 26, 1920 under the Indian Companies Act, 1913 as 'The Catholic Syrian Bank Limited'. A fresh certificate of incorporation under the Companies Act, 1956 was issued by the Registrar of Companies, Kerala at Ernakulum (**"RoC"**) on April 14, 1987. The Shareholders of our Bank approved the change of the name of our Bank from 'The Catholic Syrian Bank Limited' to 'CSB Bank Limited' through a postal ballot resolution dated May 4, 2019. RBI through its letter bearing reference number DBR.PSBD.No.8231/16.01.060/2018-19 dated April 1, 2019 conveyed its 'no objection' in terms of Section 49B of the Banking Regulation Act to the change of name of our Bank from 'The Catholic Syrian Bank Limited' to 'CSB Bank Limited'. Subsequently, a fresh certificate of incorporation under the Companies Act, 2013 was issued by the RoC on June 10, 2019 and a fresh license bearing no. MUM-147 dated June 28, 2019 was issued by the RBI under our new name to carry on the banking business in India, in lieu of our previous license dated June 19, 1969. The substitution of the new name in the second schedule to the RBI Act is currently pending final notification in the official gazette. For details of changes in the registered office of our Bank, see *"History and Certain Corporate Matters"* beginning on page 188 of the Draft Red Herring Prospectus dated August 09, 2019 (**"DRHP"**)

Registered and Corporate Office: 'CSB Bhavan', Post Box No. 502, St. Mary's College Road, Thrissur 680 020, Kerala, India
Contact Person: Mr. Sijo Varghese, Company Secretary and Compliance Officer; **Telephone no.:** +91 487 2333 020, +91 487 2338 764;
Facsimile: +91 487 2333 170 **E-mail:** investors@csb.co.in; **Website:** www.csb.co.in; **Corporate Identification Number:** U65191KL1920PLC000175

OUR PROMOTER: FIH MAURITIUS INVESTMENTS LTD

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF CSB BANK LIMITED ("OUR BANK" OR "THE BANK" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF UP TO ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION (THE "OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF [•] EQUITY SHARES BY OUR BANK AGGREGATING UP TO ₹ 300 MILLION ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 19,778,298 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [•] MILLION BY THE SELLING SHAREHOLDERS, ("OFFER FOR SALE"). THE OFFER WILL CONSTITUTE [•] % OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR BANK.

THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR BANK IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS AND THE PRICE BAND WILL BE DECIDED BY OUR BANK IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [•], ALL EDITIONS OF [•] AND [•] EDITION OF [•] (WHICH ARE ENGLISH, HINDI AND MALAYALAM NEWSPAPERS, RESPECTIVELY, MALAYALAM BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF KERALA, WHERE THE REGISTERED OFFICE OF OUR BANK IS LOCATED), EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Bank may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a press release, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries.

This Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (**"SCRR"**) read with Regulation 31 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (the **"SEBI ICDR Regulations"**). This Offer is being made through the Book Building Process in accordance with Regulation 6(2) of the SEBI ICDR Regulations wherein atleast 75% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers (**"QIBs"**) (the **"QIB Portion"**), provided that our Bank, in consultation with the BRLMs may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis. One-third of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. 5% of the QIB Portion (excluding the Anchor Investor Portion) shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. If at least 75% of the Offer cannot be Allotted to QIBs, the entire application money shall be refunded forthwith. Further, not more than 15% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not more than 10% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All Bidders, other than Anchor Investors, are mandatorily required to participate in the Offer through the Application Supported by Blocked Amount (**"ASBA"**) process by providing details of their respective bank accounts and UPI ID in case of RIIs, as applicable, which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks (**"SCSBs"**), as the case may be. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion through the ASBA Process. For details, see *"Offer Procedure"* beginning on page 572 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Bank is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Offer and has filed the DRHP with the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**) on August 09, 2019. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of Stock Exchanges i.e. NSE and BSE at www.nseindia.com, www.bseindia.com, and the websites of the BRLMs i.e. Axis Capital Limited and IIFL Securities Limited at www.axiscapital.co.in and www.iiflcap.com, respectively. Our Bank invites the public to give their comments on the DRHP, with respect to disclosures made in the DRHP. The members of the public are requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Bank and the BRLMs at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by our Bank and/or the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLMs at their respective addresses mentioned herein below in relation to the Offer on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Bank and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" beginning on page 23 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after a Red Herring Prospectus has been filed with RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus. The Equity Shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on the Stock Exchanges.

Disclaimer clause of the RBI: A license authorising the Bank to carry on banking business has been obtained from the Reserve Bank of India in terms of section 22 of the Banking Regulation Act, 1949. It must be distinctly understood, however, that in issuing the license the Reserve Bank of India does not undertake any responsibility for the financial soundness of the Bank.

For details of the share capital and capital structure of the Bank, please see the section titled *"Capital Structure"* on page 69 of the DRHP. For details of the main objects of the Bank as contained in the Memorandum of Association, please see the section titled *"History and Certain Corporate Matters"* on page 188 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS		REGISTRAR TO THE OFFER
AXIS CAPITAL	IIFL SECURITIES	LINK Intime
Axis Capital Limited 1st floor, Axis House, C-2 Wadia International Centre Pandurang Budhkar Marg, Mumbai 400 025 **Telephone no.:** +91 22 4325 2183 **E-mail:** csb.ipo@axiscap.in **Investor Grievance e-mail:** complaints@axiscap.in **Website:** www.axiscapital.co.in **Contact Person:** Ms. Simran Gadh **SEBI Registration No.:** INM000012029	**IIFL Securities Limited***** 10th Floor, IIFL Centre, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai – 400 013 **Telephone no.:** +91 22 4646 4600 **E-mail:** csb.ipo@iiflcap.com **Investor Grievance e-mail:** ig.ib@iiflcap.com **Website:** www.iiflcap.com **Contact Person:** Mr. Pinak Bhattacharyya / Mr. Ujjaval Kumar **SEBI Registration No.:** INM000010940	**Link Intime India Private Limited** C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083 **Telephone no.:** +91 22 4918 6200 **E-mail:** csb.ipo@linkintime.co.in **Investor Grievance e-mail:** csb.ipo@linkintime.co.in **Website:** www.linkintime.co.in **Contact Person:** Mr. Shanti Gopalkrishnan **SEBI Registration No.:** INR000004058

***IIFL Securities Limited is involved as a merchant banker only in marketing of the Offer.
All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **CSB Bank Limited**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Thrissur
Date: August 09, 2019

CSB BANK LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI on August 09, 2019. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and is available on the websites of the BRLMs at www.axiscapital.co.in and www.iiflcap.com. Bidders should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see the section titled *"Risk Factors"* on page 23 of the DRHP. Potential Bidders should not rely on the DRHP for making any investment decision.

Adfactors 204 R

CORRIGENDUM

In the Extract of Audited Standalone Financial Result for the Quarter and Year Ended March 31, 2019 of **JDS FINANCE COMPANY LIMITED** published on 01.06.2019 in this newspaper where **financial figures heading** should be read as below:

(Rs. In Lacs except EPS)

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2018	31-03-2019

INSTEAD OF

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	31-03-2019	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2018

All other particulars and details remain unchanged.
Inconvenience caused is regretted

मर्यादा कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज एंड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

CIN: U65993DL1982PLC013738, ईमेल आईडी: macel1982@gmail.com
पंजी. कार्यालय: 106 (1ला तल) मधुबन टावर, ए-1, वी.एस. ब्लॉक, शकरपुर क्रॉसिंग, दिल्ली-110092
फोन नं.: 011-49901667, वेबसाईट: **www.maryadainvestment.in**

सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों तथा उसके सर्क्युलर सं. CIR/CFD/FAC/62/2016 तिथि 5 जुलाई, 2016 के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सर्क्युलर के साथ पठित सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29, विनियमन 33 तथा विनियमन 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक जो सोमवार, 12 अगस्त, 2019 को आयोजित होने के लिये निर्धारित की गई थी, अपरिहार्य कारणों से अब गुरुवार, 12 सितम्बर, 2019 को पुनर्निधारित की गई है जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 30 जून, 2019 को समाप्त 1ली तिमाही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों पर विचार किये जाएंगे।

पुनः सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने अनंकेक्षित तिमाही तथा तिथि तक वर्ष के वित्तीय परिणामों को जमा करने का चयन किया है जो कम्पनी के सांविधिक ऑडिटरों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन होगी तथा उसके साथ सीमित समीक्षा रिपोर्ट संलग्न की जायेगी। लेकिन, वार्षिक वित्तीय परिणाम अंकेक्षित होंगे तथा ऑडिट रिपोर्ट के साथ संलग्न किये जाएंगे।

पुनः जैसा कि पूर्व में हमारी पत्र तिथि 1 जुलाई, 2019 के माध्यम से सूचित किया गया था, कम्पनी द्वारा निर्मित इन्सायडरों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी तथा रिपोर्ट के लिये आचार संहिता के साथ पठित सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के अनुपालन में कम्पनी का ट्रेडिंग विण्डो सभी विनिर्दिष्ट कर्मचारियों (तथा उनके नजदीकी संबंधियों) के लिये 1 जुलाई, 2019 से कम्पनी के वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घंटे बाद अर्थात् 14 सितम्बर, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

विस्तृत विवरणों के लिए निवेशक कम्पनी की वेबसाईट **www.maryadainvestment.in** तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट **www.msei.in** देखें।

मर्यादा कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज एंड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
कुलदीप शर्मा
निदेशक
DIN: 06746475
पता: के-103, दिल्ली राजधानी अपार्टमेन्ट्स, प्लॉट नं. 80, पटपड़गंज, आई.पी. एक्स्टेंशन, शकरपुर बरामद, पूर्व नई दिल्ली-110092

तिथि: 8.8.2019
स्थान: नई दिल्ली

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

सूचना

केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
ऑडियोकोड्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय डी-16, 2रा तल प्रशांत विहार, नई दिल्ली-110085, भारत में है, के मामले में — आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कम्पनी रजिस्ट्रार, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली तथा हरियाणा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए डी-16, 2रा तल प्रशांत विहार, नई दिल्ली-110085 में 3 जून, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में शेयरधारकों द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज II परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार शक्ति क्षेत्रीय निदेशक में समाहित, के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पते: "बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003" में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
डी-16, 2रा तल प्रशांत विहार, नई दिल्ली-110085

कृते एवं के लिये
ऑडियोकोड्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
हिलोल चटर्जी
(निदेशक)
DIN: 07581543

तिथि: 10.8.2019
स्थान: दिल्ली
पता: टी-12/9ए, द ऑजोन पार्क अपार्टमेन्ट्स, साई धाम मंदिर के निकट, सेक्टर-86, भोपानी, 143, फरीदाबाद-121002, हरियाणा, भारत, सिंधी सोसायटी, मुम्बई-400071

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

(भारत सरकार का उपक्रम)
कृष्णा पार्क
ई-मेल: vb6013@vijayabank.co.in
फो.: 011-25592687 / 25547565

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्तियों के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अध्यादेश अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 01.06.2019 जारी कर ऋणधारक मै. गुप्ता पैकेजिंग एंड क. (प्रॉप. श्री मोहित) पुत्र श्री कृष्ण, निवासी मकान सं. 1928/147, कन्हैया नगर, गणेशपुरा, त्रिनगर, नई दिल्ली-110035 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 29.05.2019 को रु. 10044293/- (रुपये एक करोड़ चौआलिस हजार दो सौ तिड़ानवे मात्र) के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों पर ब्याज, लागत, चार्जेज तथा खर्चे वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 7 अगस्त, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम अध्यादेश की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टर/मार्टगैजर तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 10044293/- (रुपये एक करोड़ चौआलिस हजार दो सौ तिड़ानवे मात्र) के साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों पर ब्याज, लागत, चार्जेज तथा खर्चे की राशि के लिये बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ज अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सपंत्ति का विवरण

आवासीय सम्पत्ति सं. 1928/147, पुराना नं. 212 (खसरा नं. 620/552, ग्राम-चौकरी, मुबारकाबाद में), गणेशपुरा-ए, त्रिनगर, दिल्ली-110035, क्षेत्रफल माप 1349 वर्ग फीट के ऊपरी भूतल की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।
चौहद्दी: उत्तर: रोड — **दक्षिण: रोड**
पूर्व: सम्पत्ति सं. 1919/147 — **पश्चिम: अन्य की सम्पत्ति**

तिथि : 07-08-2019
स्थान : नई दिल्ली
मुख्य प्रबंधक / प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा

केईआई इंडस्ट्रीज लि.

KEI
पंजी. कार्यालय: डी-90, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I, नई दिल्ली-110020
CIN: L74899DL1992PLC051527
टेली: +91-11-26818840/8642, फैक्स: +91-11-26817225
ईमेल: cs@kei-ind.com, वेबसाईट: www.kei-ind.com

निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में कम्पनी की अप्रदत्त/दावा रहित लाभांश एवं इक्विटी शेयरों के अनिवार्य अंतरण के लिये सूचना

प्रिय शेयरधारक (कों),

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाईट पर उपलब्ध कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (5) तथा (6), निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 (इस समय में लागू उसके किसी भी सांविधिक संशोधन (नों), पुनरीक्षण (णों) सहित) (यहाँ के बाद "आईईपीएफ नियमावली वर्णित") में अन्य बातों के अलावा ऐसे शेयरों के साथ दावा-रहित लाभांश का केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित करने का प्रावधान है जिसके संदर्भ में सात वर्षों की अवधि से लाभांश अप्रदत्त रहा है।

वर्ष 2010-11 के अप्रदत्त/दावा-रहित लाभांश तथा ऐसे शेयरों जिस पर लगातार सात वर्षों अर्थात् 2010-11 से लाभांश का दावा नहीं किया गया है, को पहले ही निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष में जमा/अंतरित कर दिया गया है। जिन शेयरधारकों ने वित्त वर्ष 2011-12 से लगातार सात वर्षों की अवधि से अपने लाभांश का दावा नहीं किये हों अथवा ऐसे शेयरों जिस पर लगातार सात वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2011-12 से लाभांश का दावा नहीं किया गया है, को आईईपीएफ नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार आईईपीएफ में अंतरित किया जाना है।

लाभांश पर सचिवालयी मानक (एसएस-3) के साथ पठित आईईपीएफ नियमावली के अनुपालन में कम्पनी ने संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दिया है तथा साथ ही विवरणों जैसे ऐसे शेयरधारकों जिनके लाभांश तथा शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित किया जाना है, के नाम तथा फोलियो नं./डीपीआईडी-सीएलआईडी को निवेशक संबंध खंड के अंतर्गत अपनी वेबसाईट http://www.kei-ind.com पर अपलोड कर दिया है तथा कम्पनी ऐसे सभी शेयरों जिनके मामले में वित्त वर्ष 2011-12 से शुरू होने वाले पिछले लगातार सात वर्षों की अवधि से लाभांश दावा-रहित रहा है को आईईपीएफ में अंतरण की प्रक्रिया शुरू करेगी तथा वित्त वर्ष 2011-12 के अप्रदत्त/दावा-रहित लाभांश को आईईपीएफ में अंतरित करेगी।

हम पुनः स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसे अंतरित शेयरों के संदर्भ में भविष्य के कोई भी लाभांश/लाभों को भी आईईपीएफ में क्रेडिट किया जायेगा।

आईईपीएफ में शेयरों तथा लाभांश अंतरित कर दिये जाने के बाद उसके शेयरों तथा लाभांशों का दावा कर सकते हैं। एतद्द्वारा आपको यह भी सूचित किया जाता है कि आईईपीएफ में शेयरों तथा लाभांश के अंतरण के बाद कम्पनी/आरटीए के विरूद्ध कोई दावा नहीं की जा सकेगी। (आईईपीएफ नियमावली तथा रिफंड का दावा करने के लिये ई-फॉर्म आईईपीएफ-5) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाईट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

उपरोक्त के आलोक में एक बार फिर से आप से अनुरोध है कि इस सूचना की प्राप्ति पर 20 सितम्बर, 2019 को या उससे पूर्व मै. एमएएस सर्विसेस लिमिटेड, (कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्ट जिसका पंजीकृत कार्यालय टी-34, 2रा तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020 में है, के पास अथवा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय डी-90, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020 में पैन कार्ड, मूल निरस्त चेक, पते के प्रमाण, डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट द्वारा जारी क्लाइन्ट मास्टर सर्टिफिकेट तथा मूल अनएन्कैश्ड लाभांश वारंट (यदि कोई हो) अथवा सादे कागज पर विधिवत भरे गए इन्डेमिनिटी बांड (हमारी आरटीए की वेबसाईट www.masserve.com) पर उपलब्ध) की स्वतः सत्यापित प्रति के साथ लिखित आवेदन जमा कर अपने अप्रदत्त/ अनएन्कैश्ड लाभांश, यदि कोई हो, का तत्काल दावा प्रस्तुत करें, अन्यथा कम्पनी आगे कोई सूचना दिये बिना इन शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित करेगी तथा उसके बाद मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे तथा अविचारणीय माने जायेंगे।

यदि आप डीमैट पद्धति में शेयरधारित करते हैं तो वह आईईपीएफ में निर्दिष्ट प्रक्रिया में आईईपीएफ की डीमैट खाता में अंतरित की जायेगी।

यदि इस विषय पर आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमारे रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्स से सम्पर्क करें जिसका विवरण इस प्रकार है:
मै. एमएएस सर्विसेस लिमिटेड
टी-34, 2रा तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली- 110020,
टेली.:011-26387281-83, फैक्स: 011-26387384
ई-मेल: info@masserve.com

केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
किशोर कुणाल
जीएम (कॉर्पोरेट) तथा कंपनी सचिव

तिथि: 9.8.2019
स्थान: नई दिल्ली

फॉर्म संख्या - आइ एन सी - 26
सार्वजनिक सूचना
कम्पनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के तहत केंद्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के उपधारा (4) तथा कंपनियों (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खण्ड (ए)
तथा
विविशत सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
(CIN : U93000UP2010PTC042596)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : एफ59, पहला तल, अरोड़ा शॉपर्स पार्क, शक्ति खंड - II, इंदिरापुरम गाजियाबाद- यूपी 201012
...याचिकाकर्ता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत सामान्य जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी ने 25 जुलाई 2019 को आयोजित अतिरिक्त सामान्य आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "उत्तर प्रदेश राज्य" से "कर्नाटक राज्य" में अपना पंजीकृत कार्यालय बदलने तथा कम्पनी के एसोसिएशन के ज्ञापन को परिवर्तन की पुष्टि के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव रखती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह इस नोटिस के प्रकाशन के दिनांक के पंद्रह दिनों के भीतर अपने विरोध का कारण और हित की प्रकृति जो शपथ-पत्र द्वारा सहयोगित हो वह MCA-21 पोर्टल www.mca.gov.in पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरें या रजिस्टर्ड डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरीय क्षेत्र बी-2, विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली - 110003 को साथ में एक प्रति याचिकाकर्ता कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय जो ऊपर विवरणित है पर भेजें।

विविशत सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : एफ59, पहला तल, अरोड़ा शॉपर्स पार्क, शक्ति खंड - II, इंदिरापुरम गाजियाबाद-यूपी 201012
के लिए और उनकी ओर से
विविशत सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
नीरज रंजन
निदेशक
डिन 01601374
पता : जी-302, पूर्वा फेयरमोंट, 24 मेन रोड, सेक्टर-2, [illegible] लेआउट बेंगलोर 560102, कर्नाटक, इंडिया

दिनांक : 09.08.2019
स्थान : गाजियाबाद

UFLEX
'A part of your daily life'

यूफ्लैक्स लिमिटेड

CIN : L74899DL1988PLC032166
रजिस्टर्ड ऑफिस : 305, तीसरी मंजिल, भनोट कॉर्नर, पामेरा एन्क्लेव, पिंक मार्केट, नई दिल्ली-110048, फोन : +91-11-26440917, 26440925, फैक्स : +91-11-26216922
वेबसाईट : www.uflexltd.com
ईमेल : secretarial@uflexltd.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यूफ्लैक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 13 अगस्त 2019 को नोएडा में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों को अनुमोदित एवं अभिलेखित किया जायेगा।

यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.uflexltd.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

यूफ्लैक्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
अजय कृष्ण
वरि. वी.पी. (लीगल) एवं कंपनी सचिव
ACS No.3296
पता : सी-001, कृष्णा अपरा [illegible], ई-8, सेक्टर-61, नोएडा-201301

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 09.08.2019

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष
कम्पनी मामलों का मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (क) के मामले में
और
तोशिबा वॉटर सोल्यूशन्स एण्ड सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : डी-19, कालकाजी, नई दिल्ली - 110019 स्थित है, के मामले में
...याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 19 जुलाई 2019 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में पारित संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक आपत्ति प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल्स (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा :
डी-19, कालकाजी, नई दिल्ली - 110019
आवेदक की ओर से और उसकी लिए
कृते तोशिबा वॉटर सोल्यूशन्स एण्ड सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
अनिल कुमार मोहन
निदेशक
डीआईएन : 05234379

तिथि : 08 अगस्त 2019
स्थान : गुरुग्राम

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
दिल्ली सरकार
कार्यालय अधिशासी अभियंता सिविल-7
राणा प्रताप बाग, दिल्ली-110007
निविदा आमंत्रण सूचना

अधिशासी अभियंता, सी-7 डीयूएसआईबी, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-110007 द्वारा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के लिए प्रतिशत दर बोली (ऑनलाइन) दो लिफाफा प्रणाली में निम्नलिखित कार्यों के लिए आमंत्रित की जाती है।

एनआईटी नं.: 42/ ईईसी-7/ डीयूएसआईबी/ 2019-20
कार्य का नाम: निर्मित सुविधाएं प्रदान करना
उप शीर्षक: मुकेम पुरा, मलका गंज में सामुदायिक हॉल का उन्नयन। (पीआईडी नं. 12002)
अनुमानित लागत: रु. 30,48,588.00
धरोहर राशि: रु. 61,000.00
निविदा मूल्य: रु. 500.00
समय अवधि: 90 दिन
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय: 19.08.2019 को अप. 15.00 बजे तक
खोलने की तिथि: 19.08.2019 को 15.30 बजे के बाद

निविदा प्रपत्र एवं विवरण वेबसाइट **http://govtprocurement.delhi.gov.in** से प्राप्त किए जा सकते हैं।

हस्ता./-
राजेन्द्र बंसल
कार्यपालक अभियन्ता/सी-7
DIP/Shabdarth/0506/19-20 डीयूएसआईबी

सुप्रीम कर्मशियल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : Y-4-A-C, लोहा मंडी, नारायणा, नई दिल्ली- 110028, दूरभाष : No. 9350150766
ई-मेल आईडी : supremecommercial@gmail.com
CIN : L51909DL1983PLC016724

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय कथन परिणाम
(रू० हजारों में)

विवरण	समाप्त तिमाही 30/06/2019 (अनअंकेक्षित)	समाप्त वार्षिक 31/03/2019 (अंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 30/06/2018 (अनअंकेक्षित)
कुल आय	8314..53	36627.28	8191.98
अवधि के लिए नेट लाभ (हानि) (कर से पहले असाधारण एवं/अथवा असाधारण मदों)	343.81	1363.02	348.99
अवधि के लिए नेट लाभ (हानि) कर से पहले (असाधारण एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	343.81	1363.02	348.99
अवधि के लिए नेट लाभ (हानि) कर के बाद (असाधारण एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	343.81	987.05	348.99
अवधि के लिए कुल व्यापक आय/हानि (अवधि के लिए लाभ/(हानि) शामिल (कर पश्चात्) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्)	343.81	987.05	348.99
इक्वीटी शेयर कैपीटल	5357.49	5357.49	5357.49
आरक्षण (पुनर्मूल्यांकन भंडार को छोड़कर)	14958.92	14958.92	14383.40
प्रति शेयर आय (रू० 10/ के प्रत्येक) संचालन जारी रखने एवं बंद करने के लिए			
बेसिक:	0.64	1.84	0.65
डायल्यूटेड:	0.64	1.84	0.65

नोट्सः
1. उपरोक्त परिणामों को लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई थी एवं उसके पश्चात् निदेशक मंडल की 09.08.2019 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदन किया गया। 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के परिणामों का कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उपरोक्त लेखा परीक्षण किया गया।
2. सेबी (सूची ओब्लीगेसन एण्ड प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अर्न्तगत उपरोक्त तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का विस्तारित प्रारूप उद्धरण स्टॉक एक्सचेंन्जों में दाखिल किया गया। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्ज की वेवसाइट (www.msei.in) एवं कम्पनी की वेवसाइट (www.supremecommercial.co.in) पर उपलब्ध है।

कृते सुप्रीम कर्मशियल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड
हस्ता०/-
((सीता राम गुप्ता)
निदेशक
DIN: 00053970)

स्थान: दिल्ली
तिथि: 09.08.2019

Karur Vysya Bank

KVB — Smart way to bank
मंडल कार्यालय, नं. 6, 3रा तल, निकट मेट्रो पिलर नं. 80, पूसा रोड, करोलबाग, नई दिल्ली- 110005
फोन: 011-28758374/ 2875375/ 76/ 77,
ई-मेल: **delhido@kvbmail.com, viswanadhama@kvbmail.com**

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर द करुर वैस्य बैंक लि. के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका द करुर वैस्य बैंक, प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया है, की क) मै. वन्दना इन्टरनेशनल, पर प्रॉप: श्री विजय मनचंदा, 2635, शॉप नं. 202, II रा तल, बैंक स्ट्रीट, करोल बाग, दिल्ली-110005; ख) श्रीमती मीनू मनचंदा, पत्नी श्री विजय मनचंदा, निवासी: ए-34, ब्लॉक-ए, सुभद्रा कॉलोनी, दिल्ली-110035; ग) जगन नाथ बग्गा, पुत्र स्व. श्री नंद लाल, निवासी: ई-38, सेक्टर-40, नोएडा से करुर वैस्य बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये रु. 2,36,72,561.70 (रुपये दो करोड़ छत्तीस लाख बहत्तर हजार पांच सौ इकसठ एवं पैसे सत्तर मात्र) की वसूली के लिये 4.9.2019 को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" तथा "जो कुछ भी वहाँ है" आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 71,00,000.00 (रुपये इकहत्तर लाख मात्र) तथा धरोहर राशि रु. 7,10,000.00 (रुपये सात लाख दस हजार मात्र)।

अचल सम्पत्ति का विवरण

व्यावसायिक दुकान सं.-202, 203, तथा 204, दूसरा तल, एमसीडी नं.-XVI/2613, 2635 तथा 2636, प्लॉट नं.-10, ब्लॉक-एम, गली नं. 4, बैंक स्ट्रीट, बेडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी:
उत्तर: बैंक स्ट्रीट — दक्षिण: प्लॉट नं. 251/2,
पूर्व: 251/2 तथा 252 — पश्चिम: सम्पत्ति सं. 250

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया हमारे बैंक/ प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात www.kvb.co.in/ Property Under Auction में दी गई लिंक तथा साथ ही सेवा प्रदाता, मै. श्रीराम ऑटोमाल इंडिया लि. की वेब पोर्टल https://eauctions.samil.in देखें।

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 (1) के साथ पठित 8 (6) के अंतर्गत 15 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

एतद्द्वारा ऋणधारक/ गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज तथा सहायक खर्चे के साथ उक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/ बिक्री की जायेगी तथा शेष देयता, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों के साथ वसूल की जायेगी।

तिथि: 9.8.2019
स्थान: दिल्ली
मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
द करूर वैस्य बैंक लिमिटेड

एलोफिक इंडस्ट्रीज लि.

CIN: L74999HR1973PLC070262
पंजी. कार्यालय: 14/4, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरि. 121003
ईमेल: **enquiry@elofic.com**

आईईपीएफ (निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष) में एलोइक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऐसे शेयरों का अंतरण जिस पर लगातार 7 वर्षों से लाभांश अप्रदत्त/दावा-रहित है
(निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण में शेयरों के अंतरण के लिये)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 तथा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, आडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016, यथा-संशोधित ("नियमावली") के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है।

नियमावली में अन्य बातों के अलावे ऐसे सभी शेयरों को निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण में अंतरण का प्रावधान है जिसके लिये सात लगातार वर्षों से शेयरधारक को लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है अथवा उनके द्वारा उसका दावा नहीं किया गया है। कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों को व्यक्तिगत सूचना भेज उनके नवीनतम् उपलब्ध पते पर भेज दी है जिनकी शेयरों को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित किया जाना है। कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों एवं आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित किये जाने के लिये नियत शेयरों के सम्पूर्ण विवरणों को अपनी वेबसाईट www.elofic.com पर अपलोड कर दिया है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि शेयरों के विवरणों की वेबसाईट (www.elofic.com) पर जांच कर लें।

1. यदि शेयर भौतिक पद्धत्ति में धारित है तो आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में शेयरों के अंतरण के लिये मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) की जगह नये शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) जारी करः कृपया ध्यान रहे कि उनके नाम में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) स्वतः निरस्त हो जाएंगे तथा अविचारणीय माने जाएंगे।
2. धीमेट पद्धत्ति में धारित शेयर के लिये उस नियमावली में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नियत तिथि तक कार्पोरेट कार्रवाई द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण में प्रत्यक्ष रूप से शेयरों के अंतरण द्वारा।

आईईपीएफ में शेयरों के एक बार अंतरित हो जाने के बाद सभी वोटिंग अधिकार समाप्त हो जाएंगे तथा संबंधित शेयरधारक भविष्य में अपने शेयरों पर उपचयित होने वाले सभी लाभों जैसे लाभांश, बोनस शेयर्स आदि से वंचित हो जाएंगे क्योंकि ये सभी आईईपीएफ में अंतरित हो जाएंगे। शेयरधारक ध्यान रखें कि नियमावली द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण कर ऐसी शेयरों पर उपचयित होने वाले सभी लाभों, यदि कोई हो, सहित आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित दावा-रहित लाभांश तथा शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस प्राप्त किया जा सकता है।

आपके हित में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपने लाभांश का दावा करें तथा आईईपीएफ में शेयरों के अंतरण से बचें।

संबंधित शेयरधारकों जिनकी शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित किया जाना है, यह ध्यान रखें कि यदि वे 4 अक्टूबर, 2019 तक अपने लाभांश का दावा नहीं करते हैं तो कम्पनी शेयरों के अंतरण की प्रक्रिया शुरू कर देगी।

इस विषय पर किसी भी पूछताछ के लिये शेयरधारकों से अनुरोध है कि कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट मै. अलंकित एसाइन्मेन्ट लिमिटेड, पताः अलंकित हाउस, 4ई/2, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055 से सम्पर्क करें।

एलोफिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
कँवल दीप सहनी
पूर्ण कालिक निदेशक

स्थान: फरीदाबाद
तिथि: 9.8.2019

ऐक्सिस बैंक — देय सूचना

रिटेल एसेट्स सेंटर : प्रथम तल, जी-4/5, बी, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226010
कारपोरेट आफिस : तृतीय तल, ब्लाक-बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधाकर मार्ग, वर्ली मुम्बई-400 025
रजिस्टर्ड आफिस : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डेन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380 006

चूंकि यहा नीचे वर्णित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/जमानतकर्ताओं/बंधककर्ताओं ने एक्सिस बैंक लि0 से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी तथापि हम स्पष्ट करते हैं कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद भी उधारकर्ता/जमानतकर्ता/बंधककर्ता नियत तिथियों के अनुसार मूलधन तथा ब्याज का प्रतिभुगतान करने में विभिन्न प्रकार की चूकें कर चुके हैं। अतएव उनके खातों को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत एक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकृत अधिकारी के अनुक्रमानुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गमित निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुपालनानुसार यहा नीचे वर्णित संबंधित तिथियों पर अनर्जक परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है, जिसके अनुपालन के लिए उन्हें सरफैसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 की धारा 13(12) के अन्तर्गत यहा नीचे वर्णित संबंधित तिथियों पर मांग सूचनाएं निर्गमित की गई थी, जिनमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं/जमानतकर्ताओं/बंधककर्ताओं को सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर सूचनाओं में वर्णित राशि पर संविदात्मक दर पर भावी ब्याज तथा भुगतानकर तिथि तक आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रभारों इत्यादि के साथ सूचनाओं में वर्णित राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऋणी/ सह-ऋणी/ जमानतकर्ता(ओं) का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	कुल बकाया धनराशि
श्री शिवम श्रीवास्तव (कानूनी प्रतिनिधि) पुत्र श्री ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव निवासी 91/2 विजय पार्क विस्तार, देहरादून, उत्तराखण्ड-248001 **एवं** म0 नं0-69, युसुफगंज-2, पुलिस स्टेशन-कोतवाली, निकट पन्ने स्कूल फतेहपुर पिन-212601 **श्री शक्ति श्रीवास्तव (सह-ऋणी)** पुत्र श्री ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव म0 नं0-69 युसुफगंज-2, पुलिस स्टेशन-कोतवाली, निकट पन्ने स्कूल, फतेहपुर पिन-212601	स्थित म0नं0-69 युसुफगंज-2, पुलिस स्टेशन-कोतवाली, निकट पन्ने स्कूल फतेहपुर पिन-212601 **क्षेत्रफल-117 वर्ग मी0** **चौहद्दी: पूर्व** : खड़ंजा **पश्चिम** : रास्ता 10 फुट **उत्तर** : ओम प्रकाश का मकान **दक्षिण** : जगदीश का मकान	रु.20,60,927.24 दिनांक 01.05.2019 तक ब्याज 02.05.2019 तक + अन्य खर्चे; **एनपीए दिनांक : 01.05.2019**; **देय सूचना की तिथि 18.07.2019**; **ऋण धनराशि : रु. 19,00,000.00**

उपर्युक्त परिस्थितियों के अन्तर्गत एतद्द्वारा उपरोक्त उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं तथा/अथवा उनके जमानतकर्ताओं(जहाँ कहीं लागू हो) को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भावी ब्याज तथा यथालागू प्रभारों के साथ उपयुक्तानुसार बकाया देयराशियों का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है। ऐसा करने में विफल होने पर इस सूचना की तिथि के 60 दिनों के समापन के उपरांत प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरूद्ध आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें सरफैसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 की धारा 13(4) तथा उसके अन्तर्गत यथा लागू नियमावली के अधीन उधारकर्ताओं और बंधककर्ताओं की प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का कब्जा लिया जाना भी सम्मलित होगा।

ऋणी/सह-ऋणी/बन्धकर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफैसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

कृपया नोट करें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अन्तर्गत कोई भी उधारकर्ता बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस सूचना में सदर्भित अपनी किसी भी प्रतिभूत परिसम्पत्ति को विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।

दिनांक : 10.08.2019, स्थान : लखनऊ — (प्रा0 अधिकारी), एक्सिस बैंक लि0

KUMAR FOOD INDUSTRIES LIMITED

Registered office: 71/1, Siraspur, Delhi-110042
E-mail ID: cs@kumarfood.com Web: www.kumarfood.com CIN: L15310DL1991PLC043456

UN-AUDITED QUATERLY FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 30.06.2019
(Amount in ₹ in Lakh)

S. No.	Particulars	Quarter Ending June 30, 2019 Un-Audited	Quarter Ending June 30, 2018 Un-Audited	Quarter ended March 31, 2019 Audited	Year ended March 31, 2019 Audited	Year ended March 31, 2018 Audited
1.	Total Income from Operations	8,087.50	6,797.35	6,298.47	27,977.12	10,522.92
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items#)	7.21	29.94	57.88	25.02	28.63
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	7.21	29.94	57.88	25.02	28.63
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or Extraordinary items#)	7.21	29.94	39.99	133.52	28.61
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7.21	29.94	39.99	135.77	29.44
6.	Equity Share Capital	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				868.33	714.12
8.	Earnings Per Share (equity share of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -					
	1. Basic:	0.24	1.00	1.33	4.45	0.95
	2. Diluted:	0.24	1.00	1.33	4.45	0.95

Note:
a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity. (URL of the filings)
b) The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.
c) # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules /AS Rules, whichever is applicable.

For and on behalf of
Kumar Food Industries Limited
Sd/-
Dharminder Joshi
Director

Date : 09.08.2019
Place: Delhi

बीडीआर बिल्डकॉन लिमिटेड

CIN-L70100DL2010PLC200749
पंजी. कार्यालय: 31, जंगपुरा रोड, भोगल, नई दिल्ली- 110014
कॉर्पोरेट कार्यालय का पता: 21, मेन रिंग रोड, तीसरा तल, फ्रॉन्ट पोर्शन लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-110024, टेली.: 011-26477771,
वेबसाईट: **www.bdrbuildcon.com**, ई-मेल: **info@bdrbuildcon.com**

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

क्रम सं.	विवरण	30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही	31 मार्च, 2019 को समाप्त पूर्व तिमाही	पूर्व वर्ष 30 जून, 2018 में समाप्त तत्स्थानीय 3 महीने
1.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	निल	निल	निल
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	1242160	4262896	999515
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ हानि (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	1242160	4262896	999515
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	1242160	4228530	980149
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	1242160	4228530	980149
6.	इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10/- प्रति)	66450000	66450000	66450000
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	20291032	20291032	16062502
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का एफवाई) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)			
	मूल	0.19	0.64	0.15
	तरल	0.19	0.64	0.15

टिप्पणी:
1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल की गई 30.6.2019 को समाप्त तिमाही के वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। उक्त वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट https://www.nseindia.com/emerge_itp/ तथा सूचीबद्ध कंपनी www.bdrbuildcon.com पर उपलब्ध है।
2. 30.6.2019 को समाप्त तिमाही के उपरोक्त अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा ऑडिट की गई तथा 9 अगस्त, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर उसे अभिलेख में लिए गए।

बीडीआर बिल्डकॉन लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
राजेश गुप्ता
प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 9.8.2019

आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड

RACL Geartech — RAUNAQ GEARS
पंजी. कार्यालय: 15वाँ तल, ईरोस कॉर्पोरेट टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, भारत
टेलीफोन: 011-66155129, फैक्स नं.: 0120-4588513
ई-मेल: **E-mail: info@raclgeartech.com**, वेबसाईट: **www.raclgeartech.com**,
CIN: L34300DL1983PLC016136

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित समेकित तथा स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का सार

(ईपीएस को छोड़कर रुपए लाखों में)

	समेकित				स्टैंडएलॉन			
	समाप्त तिमाही 30.06.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.03.2019 (अंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 30.06.2018 (अनंकेक्षित)	समाप्त पूर्व वर्ष 31.3.2019 (अंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 30.06.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.3.2019 (अंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 30.06.2018 (अनंकेक्षित)	समाप्त पूर्व वर्ष 31.3.2019 (अंकेक्षित)
परिचालनों से कुल आय	5289.14	5463.04	3837.98	19096.43	5289.14	5463.04	3837.98	19096.43
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण एवं/ अथवा विशिष्ट मदों से पूर्व)	470.52	715.53	201.04	1734.13	473.75	715.53	201.04	1734.13
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण एवं/ विशिष्ट अथवा मदों के बाद)	470.52	715.53	201.04	1734.13	473.75	715.53	201.04	1734.13
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण एवं/ अथवा विशिष्ट मदों के बाद)	314.52	179.54	161.04	977.24	317.75	179.64	161.04	977.24
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/ (हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	314.52	145.63	161.04	943.23	317.75	145.63	161.04	943.23
इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10/-प्रति)	1028.16	1028.16	993.16	1028.16	1028.16	1028.16	993.16	1028.16
आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाई गई है	-	-	-	5618.59	-	-	-	5618.59
आय प्रति शेयर (सम मूल्य रु. 10/- प्रति का) (अनवरत तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) मूल एवं तरल	3.06	1.44	1.62	9.34	3.09	1.44	1.62	9.34

टिप्पणी:
1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 तथा सेबी सर्क्युलर **CIR/ CFD/ FAC/ 62/ 2016** तिथि 5 जुलाई, 2016 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड में दाखिल की गई 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन तथा समेकित तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाईट अर्थात **www.raclgeartech.com** तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात **www.bseindia.com** पर उपलब्ध है।
2. 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के विस्तृत अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों तथा इस सारांश जिसकी ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा तथा सिफारिश की गई, को 9 अगस्त, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिये गये तथा 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के उक्त वित्तीय परिणामों की कम्पनी के सांविधिक ऑडिटरों द्वारा "सीमित समीक्षा" की गई थी।

निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से
आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड
हस्ता./-
गुरशरण सिंह
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान: नोएडा
तिथि: 9 अगस्त, 2019

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के लिए पंजीकरण शुरू

नई दिल्ली, 9 अगस्त (भाषा)।

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाइ) के लिए पंजीकरण का काम शुक्रवार को शुरू कर दिया। सरकार ने आम बजट में इस योजना का एलान किया था। इस योजना में शमिल किसानों को 60 साल की आयु पूरी करने होने पर 3,000 रुपए की मासिक की पेंशन मिलेगी। किसान की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी को 1,500 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने योजना का शुभारंभ करते हुए कहा- आज, पीएम-केएमवाई पंजीकरण प्रक्रिया देश भर में शुरू हो गई है। शुक्रवार दोपहर तक 418 किसानों ने पंजीकरण कराया है और मैं अधिक से अधिक किसानों से इस योजना में शामिल होने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि यह योजना जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सहित पूरे देश में लागू की जाएगी।

तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मिलने के बाद इस योजना की औपचारिक शुरुआत की जाएगी। तोमर ने कहा- कड़ी मेहनत करने के बावजूद, किसान को पर्याप्त कमाई नहीं होती है। इसलिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। हमने बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं और पीएम-केएमवाई इस दिशा में एक और प्रयास है। मंत्री ने आगे कहा कि सरकार पांच वर्षों में किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ लगातार संपर्क में है और सभी प्रमुख योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है।

मंत्री ने कहा कि मोदी 2.0 सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मंत्रालय को पहले 100 दिनों में प्रमुख कार्यक्रमों को लागू करने के लिए कहा है। पीएम-केएमवाई पंजीकरण प्रक्रिया का शुभारंभ उस दिशा में उठाया गया कदम है।

उन्होंने कहा कि जिस किसान के पास दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि होगी वे इस योजना के पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों के लिए यह एक स्वैच्छिक और योगदान आधारित पेंशन योजना है। इस योजना को छोटे किसानों के लिए बनाया गया है और इसलिए इसमें जमीन की सीमा है। पीएम-केएमवाई का शुरुआती नामांकन का काम 'साझा सेवा केंद्र' (सीएससी) के माध्यम से किया जा रहा है।

औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर गिरकर दो फीसद पर

नई दिल्ली, 9 अगस्त (भाषा)।

खनन और विनिर्माण क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के कारण जून महीने में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर गिरकर दो फीसद पर आ गई। यह पिछले चार महीने का निचला स्तर है। आधिकारिक आंकड़ों में शुक्रवार को इसकी जानकारी दी गई।

पिछले साल जून में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) सात फीसद की दर से बढ़ा था। इससे पहले आइआइपी की वृद्धि का निचला स्तर फरवरी में 0.20 फीसद रहा था। आइआइपी मार्च में 2.7, अप्रैल में 4.30 और मई में 4.60 फीसद की दर से बढ़ा था।

सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इस वित्त वर्ष की जून तिमाही में आइआइपी वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 5.10 फीसद की तुलना में गिरकर 3.60 फीसद पर आ गई। जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले साल के इसी माह के 6.90 फीसद की तुलना में गिरकर 1.20 फीसद पर आ गई। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में इस बार जून में 6.5 फीसद का संकुचन देखा गया। पिछले साल जून में इसमें 9.70 फीसद की तेजी रही थी।

बिजली उत्पादन की वृद्धि दर भी 8.50 फीसद से घटकर 8.20 फीसद पर आ गई। खनन क्षेत्र की वृद्धि दर 6.50 फीसद से कम होकर 1.60 फीसद पर आ गई।

सकारात्मक उम्मीदों के दम पर सूचकांक की तेजी जारी

मुंबई, 9 अगस्त (भाषा)।

केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक वृद्धि की प्रोत्साहन के लिए कदम उठाने और कर से जुड़ी चिंताओं को दूर करने की उम्मीद में घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को तेजी रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सूचकांक 254.55 अंक यानी 0.68 फीसद की तेजी के साथ 37,581.91 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई का निफ्टी भी 77.20 अंक यानी 0.70 फीसद सुधर कर 11,109.65 अंक पर रहा। सप्ताह के दौरान सूचकांक में 463.69 अंक यानी 1.24 फीसद और निफ्टी में 112.30 अंक यानी 1.02 फीसद की तेजी रही।

कारोबारियों ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) के बीच शुक्रवार को निवेशकों की धारणा सुधारने को लेकर हुई बैठक ने भी बाजार की मदद की। सीतारमण ने गुरुवार को उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसके बाद सरकार की तरफ से आर्थिक वृद्धि दर में सुधार के कदम उठाने का अनुमान है। इससे बाजार को समर्थन मिला।

सूचकांक की कंपनियों में मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, वेदांता, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक महिंद्रा बैंक और आइसीआइसीआइ बैंक के शेयर 3.36 फीसद तक मजबूत हुए। येस बैंक का शेयर सर्वाधिक 7.91 फीसद गिरा। इसके अलावा टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, आइटीसी और सन फार्मा के शेयर 2.50 फीसद तक गिरे।

पंजाब नैशनल बैंक
...भरोसे का प्रतीक !
शाखाः छपरौला, जिला गौतमबुद्ध नगर।

(अचल सम्पत्ति का कब्जा नोटिस) (अचल सम्पत्तिय हेतु धारा 8(1) के अन्तर्गत)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम-3 के साथ सहपठित धारा-13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी पंजाब नैशनल बैंक ने निम्नलिखित बकायेदार ऋणी एवं गारन्टर के उत्तराधिकारी को नोटिस में वर्णित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतु मांग नोटिस जारी की थी। ऋणी एवं गारन्टर के उत्तराधिकारी के द्वारा इस राशि की अदायगी में विफल रहने पर एतद्द्वारा आम जनता को एवं ऋणी एवं गारन्टर उत्तराधिकारी को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति का उपरोक्त अधिनियम की धारा-13 (4) एवं नियमों के उपनियम-8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा आधिपत्य उनके सम्मुख अंकित तिथि को कर लिया गया है। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के संबन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है। एतद्द्वारा ऋणी/गारन्टर के उत्तराधिकारी को विशेषतः और जनसाधारण को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि चूंकि निम्न सम्पत्तियों का अधिग्रहण कर लिया गया है, अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई भी सौदा/व्यवहार बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी सौदा/व्यवहार पंजाब नैशनल बैंक को देय राशि व तत्सम्बन्धित ब्याज हेतु जैसा कि नीचे खाते के सम्मुख उल्लेखित किया गया है, के अध्याधीन होगा।

ऋणी/गारन्टर/बंधककर्ता का ध्यान, एक्ट के सेक्शन-13 के सब सेक्शन (8) की ओर आकर्षित किया जाता हैं, कि वे उपलब्ध समय में बैंक के देयों को चुकता कर सिक्योर्ड सम्पत्ति को वापिस छुड़ा ले।

खातेदारों एवं गारन्टरों का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस	कब्जा नोटिस	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि
मै0 आदित्य सुपर मार्ट प्रा0 लि0, श्री अजय शर्मा पुत्र श्री संत लाल शर्मा एवं श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी श्री अजय शर्मा एवं **गारण्टरः**- श्री बाबू राम वरून पुत्र श्री नारायन लाल एवं श्रीमती आशा देवी शर्मा पत्नी श्री संत लाल शर्मा।	प्लॉट नं0 2275, ब्लॉक-सी, सुशांत लोक फेस-1, गुड़गाँव।	11.07.2017	08.08.2019	2,79,45,781.41 + ब्याज दि. 29.03.2017 से एवं अन्य खर्चे

दिनांकः- 10.08.2019 प्राधिकृत अधिकारी

कोटक ने कहा, जम्मू-कश्मीर में निवेश गतिविधियों का समर्थन करेगा सीआइआइ

नई दिल्ली, 9 अगस्त (भाषा)।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) ने कहा है कि वह जम्मू-कश्मीर में निवेश गतिविधियों में सहयोग करेगा। केंद्र सरकार ने हाल में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान हटा दिए हैं। साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो संघ शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया है।

सीआइआइ के मनोनीत अध्यक्ष और कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय कोटक ने शुक्रवार को उद्योग मंडल के अन्य सदस्यों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कोटक ने संवाददाताओं से कहा- हम जम्मू-कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश चाहते हैं। हमने सरकार और वित्त मंत्री को भरोसा दिलाया है कि सीआइआइ जम्मू-कश्मीर में निवेश की पहल का समर्थन करेगा। सीतारमण और सीआइआइ के सदस्यों के बीच यहां करीब एक घंटे तक चली बैठक में अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई।

कोटक ने कहा कि सीआइआइ के सदस्यों ने वित्त मंत्री के समक्ष अपने विचार रखे। वित्त मंत्री ने धैर्य से हमारी बात सुनी। कोटक ने कहा कि हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़े। बैठक के दौरान सीतारमण ने सीआइआइ के सदस्यों से कहा कि वह उनके सुझावों पर विचार करेंगी।

भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार की सोच में समानता, निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत से कहा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के विषय में भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार की सोच में समानता है और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने शुक्रवार को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते से वे कर उत्पीड़न से जुड़े मुद्दों को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में उद्योगपतियों से मिलेंगी और तुरंत मौके पर शिकायतों का निवारण करेंगी।

सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था में कुछ सुस्ती के बावजूद भारत सबसे तेजी से उभरती हई अर्थव्यवस्था बनी हुई है। सरकार और आरबीआइ आपस में तालमेल बैठाकर काम कर रहे हैं। यह व्यवस्था निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी। सरकार और रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जरूरी प्रयास कर रहे हैं और इस संबंध में एक ही रास्ते पर हैं। उन्होंने कहा कि आरबीआइ और सरकार के संबंधों में सौहार्द्र है।

उन्होंने कहा कि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उद्योग क्षेत्र के लिए कोई कठिनाई हो। गौरतलब है कि इस समय वाहन और बुनियादी क्षेत्र की वृद्धि अर्थव्यवस्था में नरमी की ओर इशारा कर रही है। इसके अलावा एनबीएफसी को संकट का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकार वित्तीय क्षेत्र की चिंताओं पर गौर कर रही है और उन्हें दूर करेगी। वित्त मंत्री ने संकेत दिया कि इस समस्या को सुलझाने के लिए आगामी हफ्तों में कदम उठाए जाएंगे। सीतारमण ने उद्योग जगत को भरोसा दिया है कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की शर्तों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर दंड के प्रावधानों पर सरकार फिर से विचार करेगी।

मानसून की स्थिति पहले से बेहतर : तोमर

नई दिल्ली, 9 अगस्त (भाषा)।

दक्षिण पश्चिम मानसून में काफी हद तक बारिश की कमी की भरपाई हो गयी है और देश भर में गर्मियों (खरीफ) में बोई जाने वाली फसलों की बुवाई का काम अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को यह बात कही। भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) ने कुल मिलाकर मानसून के सामान्य रहने का अनुमान जताया है। हालांकि आठ अगस्त तक बारिश सामान्य स्तर से पांच फीसद कम थी।

तोमर ने कहा- मानसून आने में थोड़ी देरी हुई और कुछ चिंता पैदा हुई। अब बारिश की स्थिति में सुधार हुआ है। बारिश की कमी की काफी भरपाई हो गई है। उन्होंने कहा- हमें उम्मीद है कि कुल मिलाकर बरसात की स्थिति बेहतर हो जाएगी और खरीफ फसलों के तहत बुवाई रकबे में कमी को पूरा कर लिया जाएगा।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
क्षेत्रीय कार्यालयः
भवन संख्या 80, प्रथम तल, बीएसएनएल कार्यालय के पास, तेजगढ़ी चौराहा, मेरठ -250005
फोन नं0 0121-2761701, 2761701, 2762124

सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत मेगा ई-नीलामी दिनांक 16.09.2018
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (नं. 54/2002) के अन्तर्गत बैंक को प्रभारित अचल सम्पत्तियों की बिक्री। जबकि इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा SARFAESI अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किया गया तथा उसके बाद निम्नांकित तथा उसके बाद निम्नांकित प्रभारित/बन्धक सम्पत्ति को उक्त अधिनियम के तहत सम्पत्ति का कब्जा ले लिया गया था और यहा नीचे दर्शायी गयी सम्पत्ति की बिक्री हेतु "जहाँ है जैसा है" बिना किसी दायित्व के जैसा है जो है के आधार पर" उक्त अधिनियम की धारा 13(4) में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री करने का निर्णय लिया गया है। सम्पत्ति की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से वेब पोर्टल (https://iob.auctiontiger.net) द्वारा करायी जायेगी।

क्रम सं.	शाखा का नाम	ऋणी का नाम	बकाया राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	(E.M.D.) राशि	संपर्क के लिए शाखा का विवरण
1.	पुलिस लाईन	सोनी एन्टरप्राइजेज	रू0 1,38,40,602 08.08.2019 को	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल औद्योगिक प्लाट सं0 जी-485, यू.पी.एस.आइ.डी.सी फेज-2, एम जी, रोड, मसूरी जिला- गाजियाबाद क्षेत्रफल-450.00 वर्ग मीटर (श्री अब्दुल वाहिद के पक्ष में एक लीज डीड)	रू0 23.82 लाख	रू0 239000 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - पुलिस लाइन शाखा पुलिस लाइन, सिविल लाइन, कचहरी, मेरठ 25255 श्री गौरव मित्तल मो0न0 7693979393
2.	पुलिस लाईन	इंफोजन टैक्नोलोजिस्ट	रू0 12,38,980 08.08.2019 को	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आवासीय फ्लैट असर न बी-136/6 दूसरी मंजिल है (निर्मित फ्लैट असर बी-136 का भाग), तक्षशिला कॉलोनी, मेरठ, क्षेत्रफल 111.47 वर्ग मीटर।	रू0 23.75 लाख	रू0 238000 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - पुलिस लाइन शाखा पुलिस लाइन, सिविल लाइन, कचहरी, मेरठ 25255 श्री गौरव मित्तल मो0न0 7693979393
3.	पुलिस लाईन	वर्ल्ड स्पोर्ट्स इंटरनेशनल	रू0 93,76,207 08.08.2019 को	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल रिहायशी प्लॉट, प्लॉट नंबर -54 का भाग, खसरा नंबर -37 गांव- दतावली गेशुपुर, परगना तहसील और जिला- मेरठ के क्षेत्रफल -102.55 वर्गमीटर।	रू0 16.15 लाख	रू0 161500 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - पुलिस लाइन शाखा पुलिस लाइन, सिविल लाइन, कचहरी, मेरठ 25255 श्री गौरव मित्तल मो0न0 7693979393
4.	हापुड़	ए एस ट्रेडिंग	रू0 26,29,801 31.07.2019 को	लॉट 1: आवासीय सह वाणिज्यिक, डबल स्टोरिड, क्षेत्रफल 124.54 वर्ग गज (104.16 वर्ग मीटर), असर म्युनिसिपल नं-डब्ल्यू -31/1146, मोहल्ला वैशाली, निर्मित प्लॉट नंबर -2, खसरा नंबर-245 का भाग, ग्राम हापुड़, अब म्युनिसिपल की सीमा के भीतर हापुड़ स्थित स्वर्ग आश्रम रोड, हापुड़ श्री राज कुमार शर्मा और श्री सचिन कुमार शर्मा के सयुक्त नाम पर। लॉट 2: पूर्व की ओर एक दुकान, एकल स्टोरिड, असर निजी नंबर 3, नगर पालिका नंबर 280/1, क्षेत्रफल 9.93 वर्ग गज (8.30 वर्ग मीटर), स्थित स्वर्ग आश्रम रोड (मक्का बाग) हापुड़, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी और श्री सचिन कुमार शर्मा के सयुक्त नाम पर।	लॉट 1: रू0 80.35 लाख लॉट 2: रू0 14.50 लाख	लॉट 1: रू0 8.04 लाख (बोली गुणांक रु. 50000) लॉट 2: रू0 1.45 लाख (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक एनकएस विजा गाडी गंज गढ़ रोड हापुड़ फ़ोन 0122-2333545, ईमेलः iob3311@iob.in श्री मयंक पांडे मोब न. 8707611082
5.	डी एन कॉलिज	बालूत गैलरी	रू0 30,35,494 31.07.2019 को	एक मकान प्लॉट नं. ए-91, 11 और 12 खसरा नं 2 और 3 हुमायूँ नगर हापुड़ रोड पर श्रीमती जीकरीनिशा और श्री जान मौहम्मद के नाम पर।	रू0 110.35 लाख	रू0 11.03 लाख (बोली गुणांक रु. 100000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - डी एन कॉलेज ब्रांच देव नागरी कॉलेज कैंपस, रेलवे रोड, घंटा घर, मेरठ -250004 श्री सतिंदर सिंह मोब नं. 9646623623
6.	डी एन कॉलिज	जे के मेडिकल स्टोर	रू0 16,43,185 31.07.2019 को	मकान न 176, पुराना नं. 80 और 77 सुभाष पुरी कांकरखेड़ा मेरठ श्रीमती चंचल राज के नाम पर।	रू0 20.42 लाख	रू0 205000 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - डी एन कॉलेज ब्रांच देव नागरी कॉलेज कैंपस, रेलवे रोड, घंटा घर, मेरठ -250004 श्री सतिंदर सिंह मोब नं. 9646623623
7.	डी एन कॉलिज	सूर्या एंटरप्राइजेज	रू0 23,80,666.30 31.07.2019 को	एक मकान एमपीएल नं. 355 (नया), 439 (पुराना) दक्षिण इस्लामबाद मेरठ श्रीमती शमा परवीन पत्नी मौहम्मद यूसुफ अंसारी के नाम पर।	रू0 17.57 लाख	रू0 176000 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - डी एन कॉलेज ब्रांच देव नागरी कॉलेज कैंपस, रेलवे रोड, घंटा घर, मेरठ -250004 श्री सतिंदर सिंह मोब नं. 9646623623
8.	डी एन कॉलिज	जय पार्वती ट्रेडिंग कंपनी	रू0 41,01,722.00 29.10.2015 को	खसरा नंबर 282 एम आइ का भाग, नेहर सिंह पहलवान के मकान के पास, ग्राम सिवाया जमालुल्लापुर, दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ श्री वीर सेन और धीर सिंह के नाम पर।	रू0 24.7 लाख	रू0 247000 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - डी एन कॉलेज ब्रांच देव नागरी कॉलेज कैंपस, रेलवे रोड, घंटा घर, मेरठ -250004 श्री सतिंदर सिंह मोब नं. 9646623623
9.	डी एन कॉलिज	सुधांशुजी रत्न एवं रुद्राक्ष	रू0 44,44,252.00 17.07.2019 को	एक संपत्ति पुर्वा अहीरन ईस्ट पेट्रोल पंप के पास मेरठ श्रीमती मंजू के नाम पर।	रू0 19.47 लाख	रू0 195000 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - डी एन कॉलेज ब्रांच देव नागरी कॉलेज कैंपस, रेलवे रोड, घंटा घर, मेरठ -250004 श्री सतिंदर सिंह मोब नं. 9646623623
10.	अलीगढ़	ममता रानी और राजवीर सिंह	रू0 15,96,820.00 07.08.2019 को	एक आवासीय संपत्ति के सभी भाग और पार्सल फ्लैट नंबर ए-141,क्षेत्रफल 88.20 वर्ग मी0, स्थित सिल्वर स्ट्रीट, 'सांगवान सिटी', गाँव- असदपुर कायम, परगना और तहसील कोइल, अलीगढ़ यूपी -202001 सीमायेंः- उत्तर- बिल्ड अप यूनिट नंबर ए-140, दक्षिण- बिल्ड अप यूनिट नंबर ए-142, पूर्व- 9.0" मीटर चौडी रोड, पश्चिम- पार्क	रू0 26.20 लाख	रू0 262000 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक, अलीगढ़ शाखा 13/6, जी.टी. रोड, नोवेल्टी टॉकीज के पास, पी. बी. 28, अलीगढ़ -202001 श्री मनीष सोनी मो. नं. 8287040850
11.	खुर्जा	सरस्वती डेक्कोरेटर्स	रू0 21,34,850.00 07.08.2019 को	म.न. 943 मौहल्ला सराय नसरुल्ला खान पुलिस क्वार्टर के पीछे तहसील खुर्जा बुलंदशहर -203131 पूर्वः दुर्गा प्रसाद का मकान पश्चिमः महिपाल का मकान उत्तर- कार्यशाला बत्रा दक्षिणः गली 6 चौड़ी साइट की कुल संख्या 78.00 वर्ग मीटर है।	रू0 11.27 लाख	रू0 113000 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक खुर्जा पुरानी तहसील रोड खुर्जा जिला बुलंदशहर 203131 श्री राहुल वत्स मोब न. 9997613333
12.	एस एम ई सहारनपुर	सैनी ट्रेडर्स	रू0 20,68,046.50 31.07.2019 को	साम्यिक बंधक प्लॉट नंबर -39 का भाग, खसरा नं. 1004 न्यू माधो नगर, वाके दर मिलकाना बाईरोन परगना जिला सहारनपुर, स्वामित्व श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री बाबू राम।	रू0 117.57 लाख	रू0 1175700 (बोली गुणांक रु. 100000)	इंडियन ओवरसीज बैंक स्माइ ब्रांच, दिल्ली रोड सहारनपुर -247001 यू पी इंडिया सुश्री अंकिता जौहरी फोन- 0132-2760217
13.	एस एम ई सहारनपुर	मैसर्स शजर वुड आर्टस	रू0 5,78,930.64 31.07.2019 को	साम्यिक बंधकसपत्ति का पूर्वी प्लॉट का भाग नंबर 34 दर आबदी हयात कॉलोनी खसरा नंबर 1752, 1752, 1754, 1756, 1757, 1758, 1759, 1764, 1770 और 1772 खट्टा खेडी क्षेत्रफल 100.00 स्वामित्व श्री मेहरबान पुत्र मौहम्मद इस्लाम (फर्म का प्रोपराइटर)	रू0 16.63 लाख	रू0 167000 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक स्माइ ब्रांच, दिल्ली रोड सहारनपुर -247001 यू पी इंडिया सुश्री अंकिता जौहरी फोन- 0132-2760217
14.	एस एम ई सहारनपुर	अनामता टेक्सटाईल्स	रू0 3,64,829.64 31.07.2019 को	साम्यिक बंधक प्लॉट का क्षेत्रफल 177.95 वर्ग गज खसरा नं. 71-ए/2, ग्राम चकौती, जनता रोड सहारनपुर स्वामित्व श्री जावेद अली पुत्र श्री अनीस अहमद और श्रीमती इमराना पत्नी श्री नसीर अहमद	रू0 21.88 लाख	रू0 218800 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक स्माइ ब्रांच, दिल्ली रोड सहारनपुर -247001 यू पी इंडिया सुश्री अंकिता जौहरी फोन- 0132-2760217
15.	सहारनपुर	मीनल एन्टरप्राइजेज	रू0 1,85,85,072.00 31.07.2019 को	लॉट 1 साम्यिक बंधक संपत्ति का दुकान न-36, एमपीएल नं- 8/807-बी/36 वाके मोह. राय वाला, प्रकाश मार्केट, सहारनपुर स्वामित्व श्री सुधीर सिंह पुत्र श्री सुख पाल सिंह (फर्म का प्रोपराइटर) क्षेत्रफल 8.49 वर्ग गज है। रु. 85.00 लाख रुपये वीआर दिनांकितः 02.01.2018 द्वारा मैसर्स स्तुति कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम (ईआर. प्रयास सिंघल) (संपत्ति नंबर -1) लॉट 2:-साम्यिक बंधक सपत्ति का मकान नं. 2/2171 का 1/2 पश्चिमी भाग, मोह. हकीकत नगर, सहारनपुर स्वामित्व श्री सुधीर सिंह पुत्र श्री सुख पाल सिंह और श्री अनिल सिंह पुत्र श्री सुखपाल सिंह क्षेत्रफल 97.50 वर्ग गज। रु. 52.00 लाख रुपये वीआर दिनांकितः 16.02.2018 द्वारा मैसर्स स्तुति कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम (ईआर. प्रयास सिंघल) (संपत्ति नंबर -2) लॉट 3:- साम्यिक बंधक एक डबल मंजिला आवासीय मकान का निर्मित प्लॉट स्थित मोह. हिम्मतनगर, सहारनपुर असर नगर पालिका नं 3/1379/87 स्वामिनी श्रीमती माया देवी पत्नी श्री प्रभु दयाल क्षेत्रफल 240.00 वर्गमीटर । रु. 45.00 लाख रुपये वीआर दिनांकितः 02.01.2018 द्वारा मैसर्स स्तुति कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम (ईआर. प्रयास सिंघल) (संपत्ति नंबर -3)	लॉट 1:रू0 18.16 लाख लॉट 2: रू0 45.39 लाख लॉट 3: रू0 43.59 लाख	लॉट 1:रू0 182000 लॉट 2: रू0 454000 लॉट 3: रू0 436000 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक, सहारनपुर शाखा क्लॉक टॉवर भगत सिंह मार्ग सहारनपुर 247001 श्री लोकिन सिंह 86050437492
16.	नजीबाबाद	सुल्तान टिम्बर्स	रू0 20,97,145.00 31.07.2019 को	लॉट 1 :- वाणिज्यिक संपत्ति क्षेत्रफल 36.48 वर्गमीटर पुरानी तहसील रोड, मौहल्ला मुनीरगंज, पीर जी मस्जिद के पास, नजीबाबाद, बिजनौर स्वामिनी श्रीमती फरीदा बेगम पत्नी स्वर्गीय सुल्तान अहमद । लॉट 2 - वाणिज्यिक सपत्ति क्षेत्रफल 71.50 वर्गगज पुरानी तहसील रोड, मौहल्ला मुनीरगंज, पीर जी मस्जिद के पास, नजीबाबाद, बिजनौर संयुक्त स्वामित्व श्री फुरकान अहमद, श्री फैजान अहमद और श्री इरफान अहमद सभी पुत्र स्वर्गीय सुल्तान अहमद।	लॉट 1 दुकान 1 रु0 9,94,650/- दुकान 3 रु0 9,12,950/- लॉट 2 दुकान 4 रु0 12,32,150/- दुकान 5 रु0 10,19,350/- दुकान 6 रु0 9,54,750/-	रुपये 99,465/- रुपये 91,295/- रुपये 1,23,215/- रुपये 1,01,935/- रुपये 95,475/- रुपये 5,11,385/- (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक, नजीबाबाद शाखा एन.एच.-74, मुरादाबाद रोड, ऑल इंडिया रेडियो के सामने, नजीबाबाद, बिजनौर - 246763 फोनः 01341-230015 ईमेलरू iob3686@iob.in मोहित सहगल 9997829421

नियम व शर्ते :- ई-नीलामी की तिथिः 16.09.2019 समयः प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे बिक्री के पांच मिनट के ऑटो विस्तार के साथ। सभी संपत्तियां बैंक के सांकेतिक कब्जे में हैं।
1. ई-नीलामी "जहां है जैसा है" बिना किसी दायित्व के जैसा है जो है के आधार पर" की जा रही है।
2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार किसी भी सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। स्थानीय स्वशासन की बकाया राशि (सम्पत्ति टैक्स, पानी, सीवेज, विद्युत बिल आदि):- बोली लगाने वाले द्वारा वहन किया जायेगा हालांकि प्रत्याशित बोलीदाता को अपनी बोली जमा करवाने से पूर्व ऋणभारों, नीलामी की जाने वाली सम्पत्तियों तथा इस सम्पत्ति के संबंध में दावे/ अधिकार/ बकाया के संबंध व स्वयं स्वतंत्र जांच करवा लें। बोली जमा करवाने से पूर्व सम्पत्ति व विनिर्देशन के बारे में स्वयं को सतुष्ट करने तथा निरीक्षण करने की जिम्मेवारी बोलीदारों की होगी। सम्पत्ति का निरीक्षण दिनांक 12.09.2019 व 13.09.2019 को प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे के बीच (बैंक से पूर्व नियुक्ति के साथ) कर सकते हैं।
3. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ई.एम.डी. जमा की है, लोगिन आई.डी., पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोड करने, बिड जमा करने तथा ई-ऑक्शन पर पर ऑनलाईन बिडिंग हेतु इच्छुक बोलीदाता, सर्विस प्रदाता **M/s E-Procurement Technologies (Auction Tiger)** सम्पर्क व्यक्तिः राम शर्मा, **E-mailId:up@auctiontigher.net/support@auctiontiger.net** फोन नं0: **0800023297, Support Desk No: 07961200594/98/68/ 87/38.**

नीलामी की विस्तृत विवरण नियम व शर्तो के लिये हमारी वेबसाईट **www.iob.auctiontigher.net** पर देखें

इसे **U/r 8(6) of Security Interest (Enforcement) Rules,** 2002 के अन्तर्गत तिथि को की जा रही उक्त ई-ऑक्शन बिक्री के संबंध में निम्नलिखित कथित ऋण के अन्तर्गत ऋणियों/गारंटरों को 30 दिन का वैधानिक बिक्री सूचना

दिनांकः- 09.08.2019 स्थान - मेरठ प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा, आयुष्मान-विकी कौशल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता

नई दिल्ली, 9 अगस्त (भाषा)।

शुक्रवार को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और विकी कौशल को क्रमशः फिल्म अंधाधुन और उरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। वहीं गुजराती फिल्म 'हेलारो' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है।

आदित्य धर को उनकी पहली फिल्म 'उरीः द सर्जिकल स्ट्राइक' के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है जबकि 'अंधाधुन' को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अनुदित पटकथा के लिए चुना गया है। तेलुगु फिल्म 'महानटी' में गुजरे जमाने की सुपरस्टार सावित्री का किरदार निभाने वाली कीर्ति सुरेश ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। हिंदी फिल्म 'बधाई हो' को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए चुना गया है। इसी फिल्म के लिए सुरेखा सीकरी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया।

अक्षय कुमार अभिनीत 'पैडमैन' को सामाजिक मुद्दे पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' के गाने 'घूमर' के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार मिला। इसी फिल्म के लिए भंसाली को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार मिला। इसी के गाने 'बिंटे दिल' के लिए अरिजीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक (पुरुष) का पुरस्कार मिला।

गायक-गीतकार स्वानंद किरकिरे को मराठी फिल्म 'चुंबक'' के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। राहुल रवैल की अध्यक्षता वाले निर्णायक मंडल ने इन पुरस्कारों की घोषणा की।

कार्यालय वसूली अधिकारी-II
ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली – 110 001

आर. सी. सं. 211/2018 और 188/2018 बिक्री उद्घोषणा नोटिस दिनांकित : 24.07.2019

बिक्री की उद्घोषणा आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत को बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 की ऋण वसूली के साथ पढ़ा जाये।

कॉर्पोरेशन बैंक बनाम मैसर्स डॉयमण्ड ज्वैल्स एवं अन्य
कॉर्पोरेशन बैंक बनाम मैसर्स आनंदम ज्वैलर्स एवं अन्य

सीडी नं. 1 मैसर्स डॉयमंड ज्वेल्स कॉर्पोरेशन इसके पार्टनर्स के माध्यम से 2745/23, तृतीय तल, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली–05 और: बैंक स्ट्रीट, करोल बाग, नई दिल्ली–05 और: 2728/23, भूतल, बीडनपुरा, करोलबाग, नई दिल्ली–05
सीडी नं. 2. श्री मनोज सोनी पुत्र स्व. कृष्ण कुमार, 52/62, रामजस रोड, नई दिल्ली, और: 5909, ब्लॉक नं. 3, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली – 05 और: ए–29, फ्लोरेंस विला सुशांत लोक–3, गुड़गांव, हरियाणा
सीडी नं. 3. सुश्री सुमन सोनी पत्नी श्री मनोज सोनी, 52/62, रामजस रोड, नई दिल्ली, और: 5909, ब्लॉक नं. 3, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली – 05 और: ए–29, फ्लोरेंस विला सुशांत लोक–3, गुड़गांव, हरियाणा, और: 2439/10, बीडनपुरा, करोलबाग, दिल्ली–05
सीडी नं. 4. मैसर्स आनंदम ऑर्नामेंट्स प्रा. लि., इसके निदेशकों के माध्यम से 2728/23, बीडनपुरा, करोलबाग, नई दिल्ली – 05 और: 5784, गली नं. 2, भूतल, ब्लॉक नं. 5, देव नगर, करोलबाग, नई दिल्ली – 110005
सीडी नं. 5. मैसर्स जीसस डेवलपर्स प्रा. लि., निदेशकों के माध्यम से, 2728/23, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005. और: 5784, गली नं. 2, भूतल, ब्लॉक नं. 5, देव नगर, करोलबाग, नई दिल्ली – 110005

यह सूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली, के आदेशानुसार ओ ए नं. 405/2016/डीआरटी–III, दिनांकित 11.05.2018 में आपके द्वारा देय राशि रु. 15,77,67,296/- (रु. पंद्रह करोड़ सतहत्तर लाख सड़सठ हजार दो सौ छियान्वे मात्र) **साथ में ब्याज एवं लागत प्रमाण–पत्र के अनुसार भुगतान करने का आदेश दिया है।**

और जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रमाणपत्र की संतुष्टी हेतु निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

और जैसा कि रु. 15,77,67,296/- (रु. पंद्रह करोड़ सतहत्तर लाख सड़सठ हजार दो सौ छियान्वे मात्र) साथ में आकस्मिक खर्चे और **ओ ए की फाईलिंग की तिथि अर्थात 11.05.2016 से 12 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज** इत्यादि सहित **पूर्ण चुकौती की तिथि तक संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से** कर्जदार द्वारा देय होगा।

आर सी नं. 188/2018
सीडी नं. 1 मैसर्स आनंदम ज्वैलर्स इसके पार्टनर्स द्वारा 2439/10, अजमल खान रोड, बीडनपुरा, करोलबाग, नई दिल्ली–05, और : 2465, 4वां मंजिल, गली नं. 9–10, बीडनपुरा, करोलबाग, नया दिल्ली
सीडी नं. 2. श्री मनोज सोनी, पुत्र स्व. श्री कृष्ण कुमार, 52/62, रामजस रोड, नई दिल्ली और: 5909, ब्लॉक नं. 3, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली – 05
सीडी नं. 3. श्री विकास वर्मा, पुत्र विजय वर्मा, 5909, ब्लॉक नं. 3, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली – 05 और: एम.आर.एस स्कूल, कारखाने वाली गली, बेगू रोड, सिरसा, हरियाणा – 122055
सीडी नं. 4. मैसर्स जीसस बिल्डवेल प्रा. लि. इसके निदेशकों द्वारा 2728/23, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005. और: 3374, गली नं.2, क्रिस्टन कॉलोनी करोल बाग, नई दिल्ली – 05
सीडी नं. 5. मैसर्स जीसस डेवलपर्स प्रा. लि. इसके निदेशकों द्वारा 2728/23, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005. और: 5784, गली नं. 2, क्रिशचन कॉलोनी, करोल बाग, नई दिल्ली–110005

यह सूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली, के आदेशानुसार ओ ए नं. 404/2016/डीआरटी–III, दिनांकित 11.05.2018 में आपके द्वारा देय राशि रु. 12,39,52,712/- (रु. बारह करोड़ उनतालीस लाख बावन हजार सात सौ बारह मात्र) **साथ में ब्याज एवं लागत प्रमाण–पत्र के अनुसार भुगतान करने का आदेश दिया है।**

और जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रमाणपत्र की संतुष्टी हेतु निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

और जैसा कि रु. 12,39,52,712/- (रु. बारह करोड़ उनतालीस लाख बावन हजार सात सौ बारह मात्र) साथ में आकस्मिक खर्चे और **ओ ए की फाईलिंग की तिथि अर्थात 11.05.2016 से 12 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज** इत्यादि सहित **पूर्ण चुकौती की तिथि तक संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से** कर्जदार द्वारा देय होगा।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कोई स्थगन के किसी आदेश के अभाव में उक्त सम्पत्ति को **सार्वजनिक नीलामी द्वारा 11.09.2019** को अपॅ. 03.00 बजे से अपॅ. 04.00 बजे के बीच (स्वतः विस्तार खण्ड के साथ यदि बंद होने से पहले अंतिम 5 मिनट में बोली अपेक्षित होती है) ई–नीलामी तथा बोली प्रक्रिया होगी **"ऑन लाईन ईलैक्ट्रॉनिक बिडींग" द्वारा** जो वेबसाईट : **मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि., उद्योग विहार, फेज–2, गल्फ पैट्रो कैम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, गुड़गाँव, प्रथम तल, हरियाणा–122015, फोन : +91-124-4302020/21/22/23/24 मो. +91 9813887931, ई–मेल : support@bankeauctions.com** के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची जाएगी।

संपत्ति से संबंधित किसी भी जानकारी और संपत्ति का निरीक्षण हेतु **सी एच बैंक के सहायक महा प्रबंधक श्री जी रविन्दंन, मो. 8383082656,** और वसूली सहायक हेतु श्री पवन कुमार से संपर्क किया जा सकता है।

उपरोक्त नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री उपरोक्तानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावे को जैसा अभी तक निर्धारित किया गया है, वे प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

सम्पत्ति बिक्री के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट लॉट पर की जाएगी, यदि सम्पत्ति के भाग की बिक्री की राशि सम्पूर्ण देय राशि के संतुष्टि लायक होगी तो शेष के संबंध में बिक्री को तुरन्त रोक दी जायेगी। बिक्री तब भी रोक दी जायेगी यदि इससे पहले किसी लॉट की बोली छुट जाती है, कथित प्रमाणपत्र में अंकित बकाया, ब्याज लागत (जिसमें बिक्री की लागत शामिल है) बिक्री संचालित करने वाले अधिकारी को देय दी जाती है/प्रस्तुत की जाती है या इस आशय का प्रमाण दिया जाता है कि ब्याज या लागत के साथ ऐसे प्रमाणपत्र की राशि का भुगतान अधोहस्ताक्षरी को कर दिया गया है।

बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोली, अधिग्रहण अथवा प्रयास नही करेगा। आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरूप ही बिक्री की जाएगी।

बिक्री उद्घोषणा की अनुसूची में उल्लेखित विवरण को अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है, परन्तु अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटि, गलत बयान बाजी अथवा उद्घोषणा में चूक होने पर जिम्मेदारी नहीं होगी।

सम्पत्ति धरोहर राशि से कम पर नही बेची जाएगी।

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (ईएमडी)
1.	प्रा. दुकान नं. 5, 6 और 7, भूतल, 2728, वार्ड नं. XVI, कुल क्षेत्रफल 167 वर्ग गज, गली नं. 23–24, प्लॉट नं. 25, ब्लाक–पी, बीडनपुरा, करोलबाग, नई दिल्ली में स्थित, मालिकाना हक जीसस डेवलपर्स प्रा. लि.	आरक्षित मूल्य : 1,79,00,000/- (रु. एक करोड़ उनासी लाख मात्र) धरोहर राशि (ईएमडी) : 17,90,000/- (रु. सत्रह लाख नब्बे हजार मात्र)
2.	प्रा. दुकान नं. 8, 9 और 10, भूतल, 2728, वार्ड नं. XVI, कुल क्षेत्रफल 167 वर्ग गज, गली नं. 23–24, प्लॉट नं. 25, ब्लाक–पी, बीडनपुरा, करोलबाग, नई दिल्ली में स्थित, मालिकाना हक जीसस डेवलपर्स प्रा. लि.	आरक्षित मूल्य : 1,30,00,000/- (रु. एक करोड़ तीस लाख मात्र) धरोहर राशि (ईएमडी) : 13,00,000/- (रु. तेरह लाख मात्र)
3.	प्रा. दुकान नं. 8, 9 और 10, द्वितीय तल, 2728, वार्ड नं. XVI, कुल क्षेत्रफल 167 वर्ग गज, गली नं. 23–24, प्लॉट नं. 25, ब्लाक–पी, बीडनपुरा, करोलबाग, नई दिल्ली में स्थित, मालिकाना हक जीसस डेवलपर्स प्रा. लि.	आरक्षित मूल्य : 39,00,000/- (रु. उनतालीस लाख मात्र) धरोहर राशि (ईएमडी) : 3,90,000/- (रु. तीन लाख नब्बे हजार मात्र)
4.	प्रा. दुकान नं. 2, 3 और 4, भूतल, 2728, वार्ड नं. XVI, कुल क्षेत्रफल 167 वर्ग गज, गली नं. 23–24, प्लॉट नं. 25, ब्लाक–पी, बीडनपुरा, करोलबाग, नई दिल्ली में स्थित, मालिकाना हक जीसस डेवलपर्स प्रा. लि.	आरक्षित मूल्य : 1,30,00,000/- (रु. एक करोड़ तीस लाख मात्र) धरोहर राशि (ईएमडी) : 13,00,000/- (रु. तेरह लाख मात्र)

2 बोली, **कम से कम रु. 1,00,000/– (रु. एक लाख मात्र) बढ़ाई जा सकेगी।** बोली अथवा बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में लॉट की नीलामी दोबारा की जाएगी। यदि उपलब्ध कोई भी बोलीदाता अपनी बोली नहीं बढ़ाता है, तब सर्वप्रथम प्राप्त ईएमडी अधोहस्ताक्षरी द्वारा आगे विचार हेतु रोक कर रखी जा सकती है।

3. किसी लॉट के उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा। उच्चतम बोली को स्वीकार/अस्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी का विवेकाधिकार होगा, यदि पेश की गई ऑफर उसको स्वीकार किए जाने हेतु स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है।

4 इच्छुक बोलीदाताओं को धरोहर राशि **पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो कि "Recovery Officer-II, DRT-III, Delhi के पक्ष में दिल्ली** में देयगम्य हो को **वसूली अधिकारी – II, डीआरटी–III, दिल्ली को दिनांक 09.09.2019 तक देनी होगी।** धरोहर राशि इसके पश्चात नीलामी के लिए स्वीकार नही की जायेगी।

5. पैन कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण तथा पहचान प्रमाण, ई–मेल आई डी, मोबाईल नम्बर और इस आशय की उद्घोषणा कि वे स्वयं की ओर से या अपने स्वामी की ओर से बोली लगा रहे है, जमा करनी होगी। स्वामी की ओर से बोली लगाने वाले मामलो में बोली लगाने वाले को अपना प्राधिकार पत्र जमा करना होगा वरना बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की कम्पनी प्रति या कम्पनी के अटार्नी/प्रतिनिधित्व को पुष्ट करने वाले अन्य कोई आलेख्य तथा ऐसी जमा रशिद/काउन्टर फाईल कथित तिथि तक ई–मेल या अन्यथा द्वारा कथित सेवा प्रदाता या सी एच बैंक तक पहुच जानी चाहिए और इसकी हार्ड कॉपी (स्थूलप्रति) वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–III, दिल्ली के कार्यालय में जमा कराना होगा।

6 असफल बोलीदाता/ओं को अपने ईएमडी के रिफंड के लिए आरसी की सुनवाई की अनुसूची तिथि पर या उससे पहले डीआरटी–III की रजिस्ट्री में पहचान प्रमाण के साथ एक आवेदन दायर करने के लिए निर्देशित किया जाता है जिसे तदनुसार आर.सी. अनुसूची / सुनवाई की तारीख के बाद वापस किया जाएगा

7. सफल बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली का 25 प्रतिशत राशि, इएमडी समायोजन के बाद, अगले बैंक कार्य दिवस को अर्थात अप. 03.00 बजे तक ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी।

8. क्रेता को अंतिम बोली की **75 प्रतिशत राशि सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15 वें दिन को अथवा पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन रविवार या अवकाश है, तब 15वें दिन** के बाद पहले बैंक कार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त **क्रेता को रू. 1,000/– तक बिक्री मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर तथा रू. 1,000/– से अधिक पर बिक्री मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर पाउण्डेज फीस रजिस्ट्रार, डीआरटी–III, दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–III, दिल्ली के पास जमा करना होगा।**

9 उपरोक्त समयावधि में भुगतान ना करने पर, उक्त सम्पत्ति की पुनः बिक्री नई उद्घोषणा जारी करके की जाएगी। उस स्थिति में चूककर्ता क्रेता के द्वारा जमा राशि को अधोहस्ताक्षरकर्ता यदि उचित समझता है तो विक्रय के खर्चे समायोजित किये जाने के पश्चात सरकारी खाते में जब्त कर ली जायेगी एवं उस स्थिति में चूककर्ता क्रेता के उक्त सम्पत्ति के सम्बंध में या राशि के किसी भाग के सम्बंध में प्राप्त समस्त अधिकार जब्त हो जायेंगे।

10. सम्पत्ति की बिक्री **"जैसा है जहां है तथा जो है जैसा है आधार"** पर की जा रही है।

11 अधोहस्ताक्षरी के पास, किसी भी या सभी बोलियों को, अनुपयुक्त पाए जाने पर, स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी प्रास्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

क्र. सं	अन्य सह मालिकों के नाम के सहित, बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण, जहाँ सम्बन्धित सम्पत्ति डिफाल्टर या जो किसी अन्य व्यक्ति के सह–स्वामित्व में है।	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जोकि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।
1.	प्रा. दुकान नं. 5, 6 और 7, भूतल, 2728, वार्ड नं. XVI, कुल क्षेत्रफल 167 वर्ग गज, गली नं. 23–24, प्लॉट नं. 25, ब्लाक–पी, बीडनपुरा, करोलबाग, नई दिल्ली में स्थित, मालिकाना हक जीसस डेवलपर्स प्रा. लि.	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2.	प्रा. दुकान नं. 8, 9 और 10, भूतल, 2728, वार्ड नं. XVI, कुल क्षेत्रफल 167 वर्ग गज, गली नं. 23–24, प्लॉट नं. 25, ब्लाक–पी, बीडनपुरा, करोलबाग, नई दिल्ली में स्थित, मालिकाना हक जीसस डेवलपर्स प्रा. लि.	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3.	प्रा. दुकान नं. 8, 9 और 10, द्वितीय तल, 2728, वार्ड नं. XVI, कुल क्षेत्रफल 167 वर्ग गज, गली नं. 23–24, प्लॉट नं. 25, ब्लाक–पी, बीडनपुरा, करोलबाग, नई दिल्ली में स्थित, मालिकाना हक जीसस डेवलपर्स प्रा. लि.	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4.	प्रा. दुकान नं. 2, 3 और 4, भूतल, 2728, वार्ड नं. XVI, कुल क्षेत्रफल 167 वर्ग गज, गली नं. 23–24, प्लॉट नं. 25, ब्लाक–पी, बीडनपुरा, करोलबाग, नई दिल्ली में स्थित, मालिकाना हक जीसस डेवलपर्स प्रा. लि.	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

हस्ता/– (विकास जेटली)
मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ आज दिनांक 24 जुलाई, 2019 को दिया गया। वसूली अधिकारी–II, ऋणवसूली अधिकरण–III, दिल्ली

बाढ़ और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त

केरल में अब तक 22 की मौत, मध्य प्रदेश में 1000 लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए

तिरुवनंतपुरम, 9 अगस्त (भाषा)।

केरल के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही बारिश ने अब तक 22 लोगों की जान ले ली है। वहीं 22,000 से अधिक लोगों को राहत केंद्रों में शरण लेनी पड़ी है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने सेना और वायुसेना से मदद मांगी है। राज्य के 14 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और सभी शैक्षणिक संस्थान भी शनिवार तक बंद रहेंगे।

केरल में पिछले वर्ष भारी बारिश के कारण काफी तबाही मची थी। इस वर्ष भी यहां प्रकृति का कहर जारी है। भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने से कुछ इलाकों में रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं जबकि वायनाड, मलप्पुरम, कन्नूर, इडुक्की और मध्य केरल में उफनती नदियों के कारण बाढ़ आ गई है। कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पानी भर जाने के कारण रविवार तक हवाई सेवा बंद कर दी गई थी।

मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने हालात की समीक्षा के लिए शुक्रवार सुबह एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि पिछले तीन दिनों में भारी बारिश के कारण 22 लोगों की मौत हुई है। विजयन ने बताया कि 24 स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। उन्होंने कहा, 'वायनाड में गुरुवार को सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था। वायनाड के मेप्पाडी में दो पर्वतीय क्षेत्रों के बीच का इलाका पूरी तरह बह गया।' मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय वायु सेना से सहायता मांगी है।

राजस्व मंत्री ई. चंद्रशेखरन ने संवाददाताओं से कहा कि भोपाल और तमिलनाडु के वेलिंगटन से रक्षाकर्मी बचाव कार्य में सहयोग करने के लिए राज्य में पहुंच रहे हैं। बचाव अभियान में मदद करने के लिए एनडीआरएफ कर्मियों की 13 टीम और करीब 180 सैन्य अधिकारी पहले ही राज्य में पहुंच गए हैं। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान ने कहा कि अगर सीआईएएल हवाई अड्डा लंबे समय तक बंद रहता है तो छोटे व्यावसायिक वाहनों की उड़ान के लिए वह अपना हवाई अड्डा खोलने के लिए तैयार है।

केरल में एरनाकुलम जिले में शुक्रवार से सुरक्षित स्थानों पर जाते बाढ़ प्रभावित लोग

नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर, 1000 लोग सुरक्षित स्थानों पर

इंदौर, 9 अगस्त (भाषा)।

जोरदार मॉनसूनी बारिश के बीच मध्यप्रदेश के बड़वानी और धार में नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर है। प्रशासन ने दोनों जिलों में सरदार सरोवर बांध डूब क्षेत्र के निचले इलाकों को खाली कराया है। प्रशासन ने पिछले 24 घंटे में करीब 1000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। बड़वानी के जिलाधिकारी अमित तोमर ने बताया, 'हमने पिछले 24 घंटों में राजघाट, छोटा बड़दा और डूब क्षेत्र के अन्य स्थानों से करीब 300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इसके साथ ही 28 दुकानें, दो आश्रम, एक मंदिर और 25 मकान खाली कराए गए हैं।'

तोमर ने बताया, 'गुजरात में सरदार सरोवर बांध के दरवाजे खोले जाने के बाद बड़वानी जिले में नर्मदा के बैकवॉटर के स्तर में गिरावट आई है। लेकिन प्रशासन अलर्ट पर है और डूब क्षेत्र में रह रहे लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर जाने को कहा जा रहा है।' नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) ने बताया कि बड़वानी के राजघाट में शुक्रवार दोपहर दो बजे के अनुसार, नर्मदा नदी खतरे के निशान से करीब सात मीटर ऊपर बह रही है।

बाढ़ प्रभावित इलाके में हेलिकॉप्टर से आपूर्ति

मुंबई, 9 अगस्त (भाषा)।

महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री गिराने के लिए एक हेलिकॉप्टर तैनात किया जाएगा। इसका प्रयोग फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए भी किया जा सकता है। सांगली जिला कलेक्टर अभिजीत चौधरी ने शुक्रवार को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बचाव कार्य जारी है।

जिला कलेक्टर ने कहा कि हमें एक हेलिकॉप्टर मिला है और अब प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री गिराने का कार्य आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'हेलिकॉप्टर का प्रयोग बाढ़ पीड़ित इलाकों से लोगों को बाहर निकालने के लिए भी किया जा सकता है।'

अधिकारियों ने बताया कि पश्चिमी महाराष्ट्र के पांच जिले सांगली, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर और सतारा में गुरुवार तक दो लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सांगली और कोल्हापुर जिले बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। सांगली में नौसेना के 12 बचाव दलों को तैनात किया जा रहा है।

एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि सांगली और निकटवर्ती कोल्हापुर से विमान के जरिए लोगों को निकालने की प्रक्रिया खराब मौसम के कारण बाधित हो गई। इसके बाद राज्य परिवहन वाहनों के जरिए गुरुवार रात बचाव दल सांगली के लिए रवाना हुए। प्रवक्ता ने कहा, 'कोल्हापुर में पहले की मौजूद टीमों के अलावा नौसेना के इन 12 दलों को शुक्रवार सांगली में तैनात किया जाएगा।'

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की पैरोल याचिका खारिज

चंडीगढ़, 9 अगस्त (भाषा)।

रोहतक जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की पैरोल याचिका शुक्रवार को खारिज हो गई। राम रहीम अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के मामले में जेल में बंद है। डेरा प्रमुख ने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए आवेदन किया था।

सुनारिया जेल अधीक्षक सुनील सांगवान ने सिरसा उपायुक्त की एक रिपोर्ट के आधार पर आवेदन को अमान्य करार दिया। सिरसा के सिविल सर्जन गोविंद गुप्ता ने डेरा प्रमुख की 83 वर्षीय मां नसीब कौर की जांच की थी। सिरसा जिला प्रशासन ने डेरा प्रमुख की मां की चिकित्सा रिपोर्ट गुरुवार को सुनील सांगवान को भेजी थी। मामले में जब सांगवान से संपर्क किया गया तो उन्होंने टिप्पणी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह इसके लिए अधिकृत नहीं हैं।

रोहतक संभाग के आयुक्त पंकज यादव ने कहा कि जेल अधीक्षक को पैरोल याचिका के लिए कोई वाजिब वजह नहीं मिली। डेरा प्रमुख की पत्नी हरजीत कौर ने पांच अगस्त को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कौर ने हवाला दिया था कि राम रहीम की मां को बीमार मां और उनका हृदय संबंधी बीमारी का इलाज होना है। वह अपने बेटे को देखना चाहती हैं। अदालत ने जेल अधिकारियों को पांच दिन के भीतर इस पर फैसला लेने को कहा था। जून में राम रहीम ने सिरसा में खेती के लिए 42 दिन के पैरोल की मांग की थी लेकिन बाद में उन्होंने अपना आवेदन वापस ले लिया था।

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के समक्ष
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमों 1993 के नियम 12 व 13 के साथ, पठित बैंक एवम् वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 के अनुसार देय ऋण की वसूली की धारा 19(4) के तहत सूचना।

ओ.ए. नं.507/2017/डीआरटी-3 के मामले में
यूको बैंक .... **आवेदक**
बनाम
गौतम मेहरा एवं अन्य .... **प्रतिवादी**

सेवा में, **(डी-3) मैसर्स शुभकामना बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड**
इसके प्राधिकृत अधिकारी/निदेशक के माध्यम से
इसका पंजीकृत कार्यालय: 197-ई, पॉकेट-4, मयूर विहार, फेज-1, दिल्ली-110091.
इसके अलावा: प्रधान कार्यालय: ए-80, सेक्टर-2, नोएडा-201301

चूंकि ऊपर नामित आवेदक ने आपके खिलाफ एक मामला शुरू किया है और चूंकि, इस न्यायाधिकरण की संतुष्टि हेतु यह दर्शाया गया है कि आपको सामान्य ढंग से सूचना देना संभव नहीं है। अतः इस विज्ञापन के जरिये आपको निर्देश देते हुए यह सूचना दी जाती है कि **आप 28.08.2019 को पूर्वा:10:30 बजे** इस न्यायाधिकरण में उपस्थित हों।

इस बात पर ध्यान दें कि ऊपर निर्धारित दिन पर इस न्यायाधिकरण के समक्ष आपके उपस्थित न होने की स्थिति में, इस मामले की सुनवाई व निर्णय आपकी अनुपस्थिति में कर दिया जाएगा।

16 जुलाई 2019 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मोहर के तहत दिया गया।

न्यायालय की मुहर

अधिकरण के आदेशानुसार,
सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, नई दिल्ली

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI
शाहदरा शाखा
जी.टी. रोड. शाहदरा. दिल्ली-110032

कब्जा सूचना
अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का नं. 3) बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार मैसर्स राहिमी इंटरप्राईजेज, पार्टनर्स 1. श्री शाहीद राहिमी मलिक, 2. सुश्री रेखा रानी को मांग सूचना दिनांकित 06.06.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 41,55,598/11 (रुपये इकतालीस लाख पच्चपन हजार पाँच सौ अट्ठान्वे और पैसे ग्यारह मात्र) दिनांक 31.05.2019 तक भविष्य का ब्याज, आकस्मिक एवं अन्य प्रभार इत्यादि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार/गारंटर (राम किशन दुआ) राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 09.08.2019 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, शाहदरा शाखा, दिल्ली के प्रभार वास्ते रु. 41,55,598/11 (रुपये इकतालीस लाख पच्चपन हजार पाँच सौ अट्ठान्वे और पैसे ग्यारह मात्र) दिनांक 31.05.2019 तक ब्याज, आकस्मिक एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

(1) चावल, आटा, एडिबल ऑयल, एग्रो प्रोडक्ट्स के स्टॉक्स और बुक डेट्स आदि का हाइपोथेकशन
(2) साम्यिक बंधक सम्पत्ति जोकि फ्लैट नं. 04 (भूतल) प्लॉट नं. 24, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन–I, गाँव – पसौंदा परगाना– लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, यह सम्पत्ति श्री शाहीद राहिमी मलिक के नाम पर है। सरफासी एक्ट,, 2002 के प्रावधानों के तहत

दिनांक : 09-08-2019, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

रतुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले से संबंधित धनशोधन एक मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध के अनुरूप पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया। ईडी ने अदालत से कहा था कि पुरी सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनका पता नहीं लग पा रहा है। अपने आवेदन में, जांच एजंसी ने कहा कि पुरी को मंगलवार को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया गया था लेकिन वे पेश नहीं हुए। बता दें कि अदालत ने इस मामले में मंगलवार को पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी।

चिदंबरम व कार्ति की 23 अगस्त तक नहीं होगी गिरफ्तारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

अदालत ने सीबीआइ और ईडी की ओर से दायर एयरसेल-मैक्सिस मामलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से पहले दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 23 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने गिरफ्तारी से जमानत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि अदालत दलीलों के लिए उपलब्ध नहीं है। जमानत की अवधि शुक्रवार को खत्म होने वाली थी। इससे पहले के तारीख पर सुनवाई होती, पी चिदंबरम और कार्ति ने अदालत से कहा था कि उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं है। दोनों केंद्रीय जांच एजंसियों ने उनकी दलीलों का विरोध किया। ये मामले एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से जुड़े हैं।

पद्म पुरस्कारों के लिए सरकार को मिले 16 हजार से अधिक नामांकन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

अगले वर्ष दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के लिए सरकार को 16 हजार से अधिक नामांकन प्राप्त हुए हैं। सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। नामांकन या सिफारिशें दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है।पहले से ही पोर्टल पर 16,176 पंजीकरण किए जा चुके हैं और इनमें से 12,884 नामांकन/सिफारिशें पूरी हो चुकी हैं। सरकार केवल पद्म पुरस्कार पोर्टल के ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से नामांकन स्वीकार करती है।

सभी क्षेत्रों और विषयों में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले लोगों को इन पुरस्कारों से नवाजा जाता है। केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले लोगों और उत्कृष्ट संस्थानों से अनुरोध किया गया है कि वे लोगों की पहचान करने के लिए ठोस प्रयास करें जिनकी उत्कृष्टता व उपलब्धियों को मान्यता दी जानी चाहिए और उनके पक्ष में उपयुक्त नामांकन करना चाहिए।

अनुच्छेद 370 खत्म होने से वाल्मीकि समुदाय को न्याय की उम्मीद

जम्मू, 9 अगस्त (भाषा)।

अनुच्छेद 370 में बदलाव से वाल्मीकि समुदाय के तीन हजार से अधिक लोगों को अपना दिन बदलने और सम्मान की नजर से देखे जाने की उम्मीद है। वाल्मीकि समुदाय के पूर्वजों को 1957 में जम्मू-कश्मीर सरकार पंजाब से लेकर आई थी। समुदाय को लंबे समय से कई अधिकारों से वंचित रखा गया है।

अनुच्छेद 370 हटने का जश्न मना रहे समुदाय के युवा एकलव्य ने कहा, 'इससे 62 साल से चले आ रहे अन्याय का अंत हो जाना चाहिए।' एकलव्य ने कहा कि उनके वंशज उस समय मुख्यमंत्री रहे बख्शी गुलाम मोहम्मद के निमंत्रण पर 1957 में पंजाब के गुरदासपुर से सफाई कार्यों के लिए यहां आए थे एकलव्य अफसोस जताते हुए कहते हैं, 'हमें कभी राज्य का विषय नहीं माना गया। कभी राज्य सरकार की नौकरी और अन्य अधिकार प्राप्त करने का हक नहीं दिया गया।'

एकलव्य ने कहा, 'अब राज्य के पास कोई विशेष दर्जा नहीं है। लिहाजा राज्य के विषय की अवधारणा अपने आप ही खत्म हो गई। इससे सभी भारतीयों और जम्मू-कश्मीर के सभी स्थायी निवासियों को एक जैसा सम्मान मिलना चाहिये।'

एकलव्य जम्मू शहर के क्रिश्चन कालोनी, बख्शी नगर, डोगरा हॉल, रेशम घर, वाल्मीकि कालोनी और गांधी नगर इलाके में रहने वाले अपने समुदाय के 3,000 से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जम्मू में जमीन होने और जिंदगी वहीं गुजारने के बावजूद वे मतदान, उच्च शिक्षा, राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्ति और नौकरियों में आरक्षण के अधिकार से महरूम हैं।

आगरा भेजे जाने वालों में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी शामिल

श्रीनगर, 9 अगस्त (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां कैय्यूम उन 25 अलगाववादियों में से एक हैं जिन्हें कश्मीर घाटी से एहतियाती रूप से आगरा जेल में स्थानांतरित किया गया है। यह कदम अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म करने के बाद उठाया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी कैय्यूम और मुबिन शाह उन कैदियों के समूह में शामिल थे जिन्हें श्रीनगर से बृहस्पतिवार को हवाई मार्ग से आगरा ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि इस समूह में मुख्य रूप से संभावित पत्थरबाज हैं। इसके अलावा इसमें कश्मीर में सक्रिय अलगाववादी समूह के सदस्य हैं।

कैय्यूम यहां के एक विख्यात वकील हैं और अलगाववादी नेताओं से जुड़े कई मामलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन लोगों को भारतीय वायु सेना के एक विशेष विमान से उत्तर प्रदेश के आगरा केंद्रीय कारागार में ले जाया गया है। जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म करने के बाद सरकार ने राज्य में कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं।

राज्यसभा का हुआ सत्रावसान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के दो दिन बाद शुक्रवार को उच्च सदन का सत्रावसान कर दिया। राज्यसभा सचिवालय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।

राज्यसभा के 249वें सत्र का आरंभ 20 जून को हुआ था। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 26 जुलाई को राज्यसभा का सत्र स्थगित होना था। हालांकि उच्च सदन में लंबित विधायी कामकाज को देखते हुए सत्र की अवधि सात अगस्त तक बढ़ाई गई थी।

नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड

सीआईएन: L92111DL1988PLC033099
पंजीकृत कार्यालय: 402, अर्चना, बी-ब्लॉक रोड, अर्चना, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048
फोन: (+91-11) 4157 7777 2644 6666 फैक्स: (+91-11) 4986 2990,
ई-मेल: corporate@ndtv.com; वेबसाइट: www.ndtv.com

31वीं वार्षिक साधारण बैठक, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के लिए बुक क्लोजर की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 31वीं वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएम") सोमवार, दिनांक 2 सितम्बर, 2019 को दोपहर 3.00 बजे एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, धौला कुआँ, नई दिल्ली- 110010 में दिनांक 30 जुलाई, 2019 की एजीएम सूचना में वर्णित अनुसार साधारण एवं विशेष व्यवसायों को निष्पादित करने के लिए आयोजित की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, इलेक्ट्रानिक वोटिंग विवरण सहित, उन सदस्यों के लिए जिन्हों ने अपनी ईमेल-आईडी पंजीकृत नहीं की है जो इसकी भौतिक प्रति चाहते हैं, भौतिक मोड के माध्यम से और अन्यों को इलैक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजी गई है। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने 09 अगस्त, 2019 तक स्वीकृत मोड द्वारा एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण पूर्ण कर लिया है।

कृपया ध्यान दें कि सदस्यों द्वारा डाउनलोड किए जाने के लिए ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.ndtv.com और कार्वी फीनटेक प्राइवेट लिमिटेड (रजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट) ("कार्वी") की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध हैं और इसकी भौतिक प्रतियां जांच के लिए एजीएम की तिथि से पहले सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 01.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे के बीच कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्यालय घंटों के दौरान उपलब्ध हैं।

सेबी (सूचियन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) संशोधन नियमावली 2015 के नियम 20 के अनुपालन में यह कम्पनी, कार्वी द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई-वोटिंग सेवा (एजीएम के अन्यत्र के स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर मतदान करने की सुविधा) के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से एजीएम की सूचना में विणत सभी प्रस्तावों पर 31वीं एजीएम में मतदान करने के लिए अपने सदस्यों को सहर्ष उसकी सुविधा उपलब्ध करा रही है।

रिमोट ई-वोटिंग गुरुवार, 29 अगस्त, 2019 (सुबह 9.00 बजे आईएसटी) से रविवार, 1 सितंबर, 2019 (शाम 5.00 बजे आईएसटी) (दोनों दिन शामिल) तक खुली रहेगी। 1 सितंबर, 2019 को शाम 5.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके बाद वोटिंग के लिए उक्त सुविधा कार्वी द्वारा बंद कर दी जाएगी। कृपया वोट देने से पहले 31वीं एजीएम की सूचना के नोट 17 के अंतर्गत मुद्रित निर्देश पढ़ें। इसके अतिरिक्त, रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके के लिए, सदस्य https://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध 'शेयरधारकों के लिए त्वरित पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूज)' और शेयरधारकों के लिए 'ई-वोटिंग प्रयोग पुस्तिका' का संदर्भ ले सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है। सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के वोटिंग अधिकार कंपनी की 31वीं एजीएम में/के लिए वोटिंग के उद्देश्य के लिए कट-ऑफ तिथि सोमवार, 26 अगस्त, 2019 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में गणना की जाएगी।

एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनने और कट-ऑफ-तिथि अर्थात् सोमवार, 26 अगस्त, 2019 को शेयर रखने वाला कोई व्यक्ति नीचे वर्णित अनुसार तरीके में यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है :

यदि सदस्य पहले से ही कार्वी ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के साथ पंजीकृत हैं तो वह रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट करने के लिए मौजूदा यूजर आईडी व पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि सदस्य वोटिंग के लिए केवल एक ही तरीके का प्रयोग कर सकते हैं अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग या पोल द्वारा वोटिंग। यदि सदस्य दोनों तरीकों से अपने वोट डालते हैं, रिमोट ई-वोटिंग द्वारा की गई वोटिंग को माना जाएगा और भौतिक पोलिंग द्वारा डाले गए वोटों को अवैध माना जाएगा।

एजीएम की सूचना में वर्णित प्रस्तावों पर पोल द्वारा वोटिंग के लिए सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों ने ई-वोटिंग द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से अपने वोट नहीं डाले हैं, केवल वही पोल द्वारा एजीएम में अपने वोट डाल सकते हैं।

कट-ऑफ-तिथि को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य ही एजीएम स्थल में पोल द्वारा अथवा रिमोट ई-वोटिंग के दौरान इलैक्ट्रानिक रूप से अपने वोट दे सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट डालने के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी सदस्य एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें एजीएम में दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

इलेक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा वोटिंग के संबंध में किसी पूछताछ और/या शिकायत के मामले में, सदस्य कंपनी सचिव और/या श्री रमेश देसाई, मैनेजर, कार्वी फीनटेक प्राइवेट लिमिटेड यूनिट: नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032 या evoting@karvy.com या फोन नं 040-67162222 पर संपर्क कर सकते हैं या कार्वी टोल फ्री नंबर 1800-3454-001 पर कॉल कर सकते हैं।

एतद् द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के 42 विनियम तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के साथ पठित, उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तिकाएँ बुधवार, 21 अगस्त 2019 से सोमवार, 26 अगस्त 2019 (दोनों दिवस सहित) तक कम्पनी की आगामी एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगी।

नोट्स :

1. वार्षिक साधारण बैठक ("बैठक") में उपस्थित होने और वोट करने के अधिकारी सदस्य स्वयं के बजाय पोल में उपस्थित और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने के अधिकारी हैं और नियुक्त प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है।
2. प्रभावी किए जाने के लिए विधिवत भरे, स्टाम्प और हस्ताक्षरित प्रॉक्सी फॉर्म बैठक के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए।

इस संबंध में सूचना कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.ndtv.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड
शिव राम सिंह
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
एम न. F8457

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 9 अगस्त, 2019

SALORA INTERNATIONAL LIMITED

CINL74899DL1968PLC004962
Regd. office : D-13/4,Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020.
Visit us at www.salora.com

EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE,2019

(Rs. In lacs)

Particulars	Quarter Ended			Year Ended
	30.06.2019	31.03.2019	30.06.2018	31.03.2019
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Total Income from Operations	4,191.78	5,441.86	3,615.00	17,601.82
Net profit / (loss) for the period (before exceptional items and tax)	(165.52)	(18.77)	2.32	(325.11)
Net profit / (loss) for the period (after exceptional items and before tax)	(165.52)	(18.77)	2.32	(325.11)
Net profit / (loss) for the period after tax	(26.04)	(300.37)	16.87	(487.85)
Total comprehensive income for the period (comprising profit / (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	(27.76)	(307.67)	17.01	(494.74)
Paid-up Equity Share Capital	880.73	880.73	880.73	880.73
Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year	-	-	-	5,963.65
Earning per Share (of Rs. 10/- each) (not annualised)				
Basic	(0.30)	(3.41)	0.19	(5.54)
Diluted	(0.30)	(3.41)	0.19	(5.54)

Notes:

1. Above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved thereafter by the Board of Directors in the meeting held on 9th August 2019 & these results have been reviewed by the Statuatory Auditors of the company.
2. The above is an extract of the detailed format of quarterly unaudited financial results filed with the Stock Exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 . The full format of the quarterly unaudited financial results are available on the website of BSE www.bseindia.com and company's website www.salora.com .
3. The company does not have exceptional and extraordinary items.

For Salora International Ltd.
Sd/-
Gopal Sitaram Jiwarajka
Chairman & Managing Director

Place : New Delhi
Date : 9th August, 2019

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

ओ.बी.सी
(भारत सरकार का उपक्रम)
मण्डल कार्यालय – सी–18बी, दीन दयाल पुरम, बरेली–243122
फोन : 0581-2310672, ई–मेल: co.bar@obc.co.in

ई–नीलामी सूचना

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु ई–नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना,
ईएमडी (धरोहर राशि) तथा दस्तावेजों की प्रस्तुति की अंतिम तिथि व समयः 29.08.2019 को सांय 4.00 बजे तक

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस,

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा, प्रतिभूत लेनदार ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 31.08.2019 को बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार एवं गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि प्रस्ताव में सुधार हेतु राशि	मांग सूचना की तारीख कब्जा सूचना की तारीख बकाया राशि (प्रतिभूत ऋण)	ई एम डी प्रेषण खाते का विवरण	ई–नीलामी की तारीख/समय
1	**मैसर्स डायमंड इंडस्ट्रीज** पार्टनर्स–(अफजल अहमद, अब्दुल वाहिद, अंजुम, आसिफ, यूसुफ, रईस, चंद्र सेन, महेंद्र पाल, हरि प्रसाद, श्रीमती विनिता चौधरी) **गारंटर:** शकील, और इंद्रजीत सिंह गाँव–गरगैया (फॉयर स्टेशन कॉलोनी के पीछे, पीलीभीत रोड) परगना और तहसील नवाबगंज जिला–बरेली	साम्यिक बंधक व्यवसायिक सम्पत्ति गाटा नं. 185 और 183 का भाग, गाँव गरगैया (फायर स्टेशन कॉलोनी के पीछे, पीलीभीत रोड) परगना और तहसील नवाबगंज जिला बरेली में स्थित, यह सम्पत्ति संयुक्त रूप से श्री हरि प्रसाद, चंद्र सेन, महेंद्र पाल और अन्य के नाम पर है। क्षेत्रफल 5920 वर्ग मीटर, चौहद्दी : पूरब में – इरशाद यासीन और अन्य का खेत, पश्चिम में – हर प्रसाद की भूमि, फायर स्टेशन और उसके बाद 18' चौड़ा रास्ता पीलीभीत रोड, उत्तर में – खेत राम की भूमि, दक्षिण – फकीर बक्श का खेत	₹ 1,53,58,500/- ₹ 15,35,850/- ₹ 10,000/-	05-04-2018 14-06-2018 ₹ 1,18,30,877.25 और दिनांक 01.04.2018 से होने वाले ब्याज साथ में लागत एवं अन्य प्रभार	Oriental Bank of Commerce Account No. 07121181000054 IFSC Code No ORBC0100083 BAREILLY-IZZAT NAGAR	31-08-2019 11.00 AM to 12.00 Noon (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
2	**मैसर्स लालता प्रसाद वस्त्रा भंडार** मोह. भट्टा पहलवान नवाबगंज, बरेली श्री लालता प्रसाद पुत्र श्री गोपाल राम (प्रोप.)	साम्यिक बंधक रिहायशी एरिया मोह. आदर्श नगर, तह. नवाबगंज, जिला बरेली में स्थित, यह सम्पत्ति श्री लालता प्रसाद पुत्र श्री गोपाल राम के नाम पर है। क्षेत्रफल 49.90 वर्ग मी., चौहद्दी : पूरब में – रोड, पश्चिम में – श्री हरप्रसाद का मकान, उत्तर में – श्री मेघनाथ का मकान, दक्षिण में – श्रीमती जगदेई का मकान	₹ 5,23,000/- ₹ 52,300/- ₹ 10,000/-	17-07-2017 11-09-2018 ₹ 4,38,639.00 और दिनांक 01.07.2017 से होने वाले ब्याज साथ में लागत एवं अन्य प्रभार	Oriental Bank of Commerce Account No. 07121181000054 IFSC Code No ORBC0100083 BAREILLY-IZZAT NAGAR	31-08-2019 11.00 AM to 12.00 Noon (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
3	**श्रीमती शबाना बेगम** पत्नी श्री मोहम्मद सलीम सैफी, 144, पोस्ट पीएसी मोहनपुर, सरकारी अस्पताल के पास, नकटिया, बरेली	व्यवसायिक / रिहायशी कॉलोनी, खाता नं. 321, खसरा नं. 183, मौके गाँव मोहनपुर, नकटिया मोहनपुर रोड, तह. और जिला बरेली में स्थित, क्षेत्रफल 316.05 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्रीमती शबाना बेगम के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में – राकेश का खेत, पश्चिम में – मोहनपुर रोड, उत्तर में – शाहिद सैफी का 1/2 हिस्सा, दक्षिण में – रास्ता	₹ 30,06,000/- ₹ 3,06,000/- ₹ 10,000/-	06-07-2013 09-09-2013 ₹ 13,32,856.00 और दिनांक 01.07.2013 से होने वाले ब्याज साथ में लागत एवं अन्य प्रभार	Oriental Bank of Commerce Account No. 07121181000054 IFSC Code No ORBC0100083 BAREILLY-IZZAT NAGAR	31-08-2019 11.00 AM to 12.00 Noon (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
4	**दिनेश सिंह राघव पुत्र महेन्द्र सिंह राघव (कर्जदार)**	साम्यिक बंधक रिहायशी भूमि एवं भवन का कुल क्षेत्रफल 91 वर्ग मी. जोकि मोहल्ला बहादुरा वार्ड नं. 19, द्रोपदी रतन के पास, इंटर कॉलेज के पास, मुरादाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति श्री दिनेश सिंह राघव पुत्र महेन्द्र सिंह राघव के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में – महेश चन्द्र मौर्य का प्लॉट, पश्चिम में – रवि शंकर शर्मा का प्लॉट, उत्तर में – 8फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण में – किशन राज का मकान और विनोद का प्लॉट	₹ 22,50,000/- ₹ 2,25,000/- ₹ 10,000/-	13-07-2017 18-04-2018 ₹ 10,21,046.00 और दिनांक 01.08.2017 से होने वाले ब्याज साथ में लागत एवं अन्य प्रभार	Oriental Bank of Commerce Account No. 07121181000054 IFSC Code No ORBC0100083 BAREILLY-IZZAT NAGAR	31-08-2019 11.00 AM to 12.00 Noon (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
5	**मैसर्स तिवारी ऑटोमोबाइल्स्**	साम्यिक बंधक व्यवसायिक सम्पत्ति जोकि सीता रोड, पथरा क्रॉसिंग तिराहा गणेश मन्दिर के आगे, चंदौसी में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 194.46 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्रीमती ममता तिवारी पत्नी श्री मुकेश तिवारी के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में – राजेन्द्र पाल और आशा की सम्पत्ति इत्यादि पश्चिम में – मुकेश तिवारी की सम्पत्ति एवं अन्य, उत्तर में – चंदौसी – बदायूं रोड, दक्षिण में – गणेश मंडी से पथरा क्रॉसिंग रोड	₹ 63,00,000/- ₹ 6,30,000/- ₹ 10,000/-	06-03-2017 09-05-2017 ₹ 59,54,391.00 और दिनांक 01.04.2017 से होने वाले ब्याज साथ में लागत एवं अन्य प्रभार	Oriental Bank of Commerce Account No. 07121181000054 IFSC Code No ORBC0100083 BAREILLY-IZZAT NAGAR	31-08-2019 11.00 AM to 12.00 Noon (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
6	**चंदू लाल गुप्ता (कर्जदार)**	1. साम्यिक बंधक रिहायशी सम्पत्ति जोकि मोहल्ला हुसैनपुरा (सहार खास दक्षिणी साइड चुंगी में) शाहजहांपुर, कुल 163.76 वर्ग मी., यह सम्पत्ति राम जानकी गुप्ता पत्नी चंदू लाल गुप्ता के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में – अराजी बाई महफूजुल भाई, पश्चिम में – 6'0" चौड़ा रास्ता निकास, उत्तर में – खरंजा, दक्षिण में – प्रमोद मिश्रा की अराजी	₹ 48,87,000/- ₹ 4,88,700/- ₹ 10,000/-	01-01-2018 19-04-2018 ₹ 67,36,297.21 और दिनांक 01.02.2018 से होने वाले ब्याज साथ में लागत एवं अन्य प्रभार	Oriental Bank of Commerce Account No. 07121181000054 IFSC Code No ORBC0100083 BAREILLY-IZZAT NAGAR	31-08-2019 11.00 AM to 12.00 Noon (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
		2. मकान बिल्डिंग सम्पत्ति जोकि गाँव मुड़िया, परगना अटवा पिपरिया, तहसील मोहमदी, जिला लखिमपुर खीरी में स्थित, चौहद्दी : पूरब में – गोला मोहमादी रोड, पश्चिम में – बादशाह का खेत, उत्तर में – अर्जुन सिंह का खेत, दक्षिण में – बादशाह का खेत	₹ 21,60,000/- ₹ 2,16,000/- ₹ 10,000/-			
7	**मैसर्स दुर्गा राईस मिल (कर्जदार)**	1. व्यवसायिक प्लॉट जोकि गाटा नं. 150, गाँव कल्याणपुर दरमाई तहसील पोवायान, जिला शाहजहांपुर में स्थित, क्षेत्रफल 570 वर्ग मी., यह सम्पत्ति विनय कुमार सिंह पुत्र कृपाल सिंह के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में – सुभाष चंद्र गगवार की खेतीहर भूमि, दक्षिण में – विक्रेता की कृषि भूमि/वर्तमान में मैसर्स दुर्गा राइस मिल, पूरब में – लिंक रोड/ वर्तमान में गाँव–कल्याणपुर धर्मई हेतु चित्रित सड़क, पश्चिम में – कुलवंत राई की खेतीहर भूमि	₹ 5,67,000/- ₹ 56,700/- ₹ 10,000/-	12-07-2018 24-10-2018 ₹ 1,20,03,574.40 और दिनांक 01.06.2018 से होने वाले ब्याज साथ में लागत एवं अन्य प्रभार	Oriental Bank of Commerce Account No. 07121181000054 IFSC Code No ORBC0100083 BAREILLY-IZZAT NAGAR	31-08-2019 11.00 AM to 12.00 Noon (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
		2. सम्पत्ति गाटा नं. 150, गाँव कल्याणपुर दरमाई तहसील पोवायान, जिला शाहजहांपुर में स्थित इस सम्पत्ति दो भाग है:- (क) क्षेत्रफल 2280 वर्ग मी., गाँव कल्याणपुर दरमाई, पी/टी तहसील पोवायान, जिला शाहजहांपुर में स्थित, यह सम्पत्ति अजय कुमार पुत्र कृपाल सिंह और श्री राहुल कुमार पुत्र श्री राजीव कुमार के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में – कुलवंत शर्मा की खेतीहर भूमि/वर्तमान में विनय कुमार सिंह की भूमि, दक्षिण में – नथ्थू सिंह की खेतीहर भूमि / वर्तमान में राजीव कुमार, अरुण कुमार एवं अन्य की दुकान, पूरब में – खरंजा/वर्तमान में चित्रित रोड से गाँव कल्याणपुर दरमेई पश्चिम में – कुलवंत शर्मा की खेतीहर की भूमि (ख) क्षेत्रफल 1134.00 वर्ग मी., गाँव कल्याणपुर दरमई, पी/टी–पोवायान, जिला – शाहजहांपुर में स्थित, यह सम्पत्ति श्री विनय कुमार सिंह पुत्र कृपाल सिंह और श्री अरुण कुमार पुत्र राम भरोसे के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में – कुलवंत शर्मा की खेतीहर भूमि/वर्तमान में विनय कुमार सिंह की भूमि, दक्षिण में – नथ्थू सिंह की खेतीहर भूमि / वर्तमान में राजीव कुमार, अरुण कुमार एवं अन्य की दुकान, पूरब में – खरंजा/वर्तमान में चित्रित रोड से गाँव कल्याणपुर दरमेई, पश्चिम में – कुलवंत शर्मा की खेतीहर की भूमि	₹ 87,84,000/- ₹ 8,78,400/- ₹ 10,000/-			
		3. गैर खेतीहर भूमि जोकि गाटा नं 95, गाँव कुलुम झुनझरपुर, परगना और तहसील पोवायान, जिला शाहजहांपुर में स्थित, क्षेत्रफल 160.00 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री राजीव कुमार पुत्र श्री राम भरोसे और श्री अरुण कुमार पुत्र श्री राम भरोसे के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में – राम भरोसे का प्लॉट/वर्तमान में मैसर्स दुर्गा राइस मिल, दक्षिण में – रस्ता और निकस/वर्तमान में विलेज रोड से गाँव नरेंद्रपुर, पूरब में – विक्रेता की भूमि, पश्चिम में – कृपाल सिंह का प्लॉट / मैसर्स सूरज रेडीमेड और जनरल स्टोर की दुकानें और मकान	₹ 22,95,000/- ₹ 2,29,500/- ₹ 10,000/-			

नियम एवं शर्तें

1. नीलामी बिक्री प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तारों के साथ 31.080.2019 को पूर्वा. 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे (भा.मा.सा.) तक वेबसाइट https://www.bankeauctionwizard.com के माध्यम से "ऑनलाइन नीलामी" बोली होगी।
2. इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को इस संबंध में समाचारपत्र में प्रकाशित बिक्री सूचना में अंकित की गयी अंतिम तिथि को या उससे पहले एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमाण्ड ड्रॉफ्ट द्वारा ईएमडी की राशि जमा करनी है तथा https://www.bankeauctionwizard.com में अपना नाम पंजीकृत करना है तथा उक्त नम्बर पर हमारे सेवा प्रदाता मैसर्स ऐन्टेयर्स सिस्टम्स लि. से निःशुल्क यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना तथा ई–नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करना है। वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराने के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को समाचार पत्र में जारी विज्ञापन में अंकितानुसार निविदा की प्रस्तुति की अंतिम तिथि से पहले वेबसाइट पर संबंधित दस्तावेजों (1. एनईएफटी/आरटीजीएस चालान की प्रति, 2. पैन कार्ड की प्रति, 3. पते के प्रमाण की प्रति) की अपलोडेड प्रतियां प्राप्त करनी हैं।
3. इच्छुक बोलीदाता जो ईएमडी जमा कर चुके हैं तथा लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड सृजन में सहायता, अपलोडिंग डेटा, बोली प्रस्तुत, ई–बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि प्राप्त करना चाहते हैं, मैसर्स ऐन्टेयर्स सिस्टम्स लि., हेल्पलाइन नं. +91–9453308405, श्रीमती रेखा यादव ई–मेल आईडी: rekha.y@antaressystems.com से सम्पर्क कर सकते हैं और सम्पत्ति संबंधी पूछताछ, विस्तृत नियम व शर्तों तथा सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु, इच्छुक बोलीदाता कार्यशील समय के अंदर प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश चर्तुवेदी (मुख्य प्रबंधक), मो. 8077397469 या श्री परमजीत सिंह, मुख्य प्रबंधक, मोबाइल नं. 8191900221 ई–मेल आईडी: rrl_7608@obc.co.in or co.bar@obc.co.in से सम्पर्क करें।
4. बोलियों को संबंधित विवरणों के साथ निर्धारित प्रारूप में केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।
5. ऑनलाइन बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 29.08.2019 को अप. 4.00 बजे तक है।
6. ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए अनुसंलग्नक के साथ बोली की एक प्रति (यूटीआर नम्बर भी अंकित हो) को प्राधिकृत अधिकारी, ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, मंडल कार्यालय, डी.डी. पुरम, बरेली को सौंपना होगा। उसकी सॉफ्ट प्रतियों को ई–मेल द्वारा: rrl_7608@obc.co.in or co.bar@obc.co.in को। आगामी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक बोलीदाता श्री मुकेश चर्तुवेदी (मुख्य प्रबंधक) आरआर एण्ड एल क्लस्टर बरेली, मो. 8077397469 या श्री परमजीत सिंह, मुख्य प्रबंधक, मण्डल कार्यालय बरेली, मोबाइल नं. 8191900221 से सम्पर्क करें।
7. बोली मूल्य को आरक्षित मूल्य से अधिक प्रस्तुत किया जाना है और बोलीदाता उक्त सारणी में अंकितानुसार रुपयों के गुणज में अपने आगामी प्रस्तावों में सुधार करेंगे। कृपया ध्यान दें कि पहली बोली मूल्य जो ऑनलाइन अग्रेषित नीलामी के दौरान क्रम आता है, आरक्षित मूल्य के बराबर या एक बढ़ोत्तरी द्वारा आरक्षित मूल्य से उच्चतर या बढ़ोत्तरी के गुणजों द्वारा आरक्षित मूल्य से अधिक हो सकती है। नीलामी के दौरान, एच 1 दर को आउटबिड करने वाली आगामी बोली, वृद्धि लागत के गुणजों में या एक वृद्धि लागत द्वारा एच 1 दर से अधिक करनी होगी।
8. सफल बोलीदाता को ई–नीलामी बिक्री कार्यवाहियों की समाप्ति पर तुरन्त, (पहले से देय धरोहर राशि शामिल करते हुए) बोली राशि के 25 प्रतिशत का भुगतान करना होगा तथा अधिकतम अगले कार्यदिवस तक प्रतिभूत लेनदार से पुष्टि प्राप्त करनी होगी। बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत का भुगतान उनको सम्प्रेषित बिक्री की पुष्टि/स्वीकृति के 15 दिनों के अंदर करना होगा अन्यथा बैंक सफल बोलीदाता द्वारा जमा/पहले से देय राशि जब्त कर लेगा। सम्पत्ति को पुनः बेचा जाएगा और डिफॉल्टिंग क्रेता का कोई भी दावा नही होगा।
9. नीलामी बिक्री कार्यवाइयों के समाप्त होने पर असफल बोलीदाता की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। इच्छुक बोलीदाता की ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं है।
10. बिक्री प्रतिभूत लेनदार द्वारा पुष्टि के अधीन है और भौतिक कब्जे की सुपुर्दगी, सीएमएम/डीएम या किसी अन्य सक्षम न्यायालय के आदेश के अधीन होगी।
11. सम्पत्तियों को "जैसा है जहां है" और जो भी है वही है" आधार पर बेचा रहा है और प्राधिकृत अधिकारी के उचित ज्ञान व जानकारी के अनुसार, सम्पत्ति/यों पर कोई भार नहीं है और इच्छुक बोलीदाता बैंक प्रभारों के अलावा किसी भी प्राधिकरण से सम्पत्ति के संबंध में विवेकशील जांच–पड़ताल कर लें और अपनी बोली जमा करने से पहले सम्पत्ति के स्वत्वाधिकार, सीमा, गुणता तथा प्रमात्रा के बारे में स्वयं संतुष्ट हो लें। बिक्री हेतु रखी गई सम्पत्ति, किसी अन्य मामले पर सम्पत्ति पर किसी प्रभार भार के संबंध में किसी भी प्रकृति का कोई दावा, ऑनलाइन बोली की प्रस्तुति के बाद विचारणीय नहीं होगा।
12. अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए तथा कोई पूर्व सूचना दिए बगैर, किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित/टालने/रद्द करने/बिक्री की किसी नियम व शर्त को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार तथा स्वविवेक है।
13. क्रेता बिक्री प्रमाणपत्र पंजीकरण प्रभार, सरकार को देययोग्य सभी सांविधिक बकायों सहित स्टैम्प ड्यूटी प्रभारों और सम्पत्ति से जुड़े दोनों मौजूदा व भावी दरों तथा खर्चों को वहन करेगा। बिक्री प्रमाणपत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम में जारी किया जाएगा।
14. आयकर नियमों के अनुसार, नीलामी मूल्य का 1 प्रतिशत टीडीएस नीलामी क्रेता द्वारा देययोग्य है यदि क्रय मूल्य रु. 50.00 लाख से अधिक होता है। सफल क्रेता को आयकर विभाग, भारत सरकार के पास बोली मूल्य की 1 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी तथा बैंक के पास उसका प्रमाण जमा करना होगा।
15. सम्पत्ति का निरीक्षण करने के लिए इच्छुक क्रेता, किसी भी कार्यदिवस में पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक श्री मुकेश चर्तुवेदी (मुख्य प्रबंधक) ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, आरआर एण्ड एल क्लस्टर बरेली या श्री परमजीत सिंह, मुख्य प्रबंधक, मण्डल कार्यालय बरेली, से सम्पर्क कर सकते हैं।
16. बिक्री सरफेसी अधिनियम/नियमों 2002 में निर्धारित शर्तों तथा उक्त अंकित शर्तों के अधीन है।
17. बिक्री की विस्तृत नियम एवं शर्तो हेतु, कृपया प्रतिभूत लेनदार हमारी वेबसाईट अर्थात : www.obcindia.co.in में प्रदान किया गया लिंक देखें।

दिनांक 10.08.2019, स्थान : बरेली, यू.पी
हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

अमेरिका में विमान दुर्घटनाग्रस्त, तीन लोगों की मौत

न्यूयार्क, 9 अगस्त (एएफपी)।

फिलाडेल्फिया के नजदीक एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण गुरुवार को तीन लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी पुलिस ने बताया कि यह विमान एक रिहायशी इलाके में एक घर के पिछले हिस्से में दुर्घटनाग्रस्त हुआ।

स्थानीय पुलिस के मुताबिक, फिलाडेल्फिया से करीब 20 मील दूर पेन्सिल्वेनिया के अपर मॉरलैंड में सुबह करीब छह बजे एक इंजन वाला विमान नीचे गिर गया। मकान में रहने वाले एक व्यक्ति ने सूचित किया कि उनके घर के पिछले हिस्से में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अपर मॉरलैंड पुलिस ने बताया कि पुलिस विभाग को पता चला कि विमान में तीन यात्री सवार थे और हादसे में सभी मारे गए थे।

वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे छोटा स्टेंट विकसित किया

जिनेवा, 9 अगस्त (भाषा)।

वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे छोटा स्टेंट विकसित किया है, जो अभी मौजूद किसी भी स्टेंट से 40 गुना छोटा है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख स्थित फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने बताया कि स्टेंट का इस्तेमाल हृदय की बंद पड़ी धमनियों के इलाज में किया जाता है, लेकिन भ्रूण की मूत्र नली हृदय धमनियों के मुकाबले बहुत संकरी होती हैं। प्रत्येक एक हजार में एक बच्चे को मूत्रनली में सिकुड़न की शिकायत होती है, कई बार यह परेशानी गर्भस्थ शिशु में देखी गई है।

ऐसे में मूत्राशय में मूत्र के खतरनाक स्तर पर पहुंचने से रोकने के लिए शिशु रोग सर्जन सर्जरी कर मूत्रनली के प्रभावित हिस्से को काट कर अलग निकाल देते हैं और बाकी हिस्सों को फिर से जोड़ देते हैं।

जर्नल एडवांस्ड मैटेरियल्स टेक्नोलॉजिस में प्रकाशित शोध के मुताबिक गर्भस्थ शिशु की धमनी या नली में आई सिकुड़न को दूर करने के लिए स्टेंट लगाने से गुर्दे को कम नुकसान पहुंचेगा। ज्यूरिख स्थित आर्गुआ कैंटोनल हॉस्पिटल एप्रोच्ड द मल्टी स्केल रोबोटिक लैब के गैस्टन डी बर्नाडिज ने कहा कि पारंपरिक रूप से इतने छोटे आकार का स्टेंट बनाना संभव नहीं था।

मेक्सिको में 19 शव पुल से लटके और सड़क के किनारे मिले

मेक्सिको सिटी, 9 अगस्त (एपी)।

मेक्सिको पुलिस ने एक पुल से लटक रहे नौ शव और सड़क के किनारे क्षत विक्षत अवस्था में सात शव बरामद किए। सड़क से थोड़ी दूर पर तीन और शव मिले। कुल मिला कर 19 शव पुलिस ने गुरुवार को बरामद किए। पुल से लटकते शव के पास एक बैनर भी मिला है जिसमें ड्रग माफिया ने प्रतिद्वंद्वियों को धमकी दी है।

पश्चिमी राज्य मिचोआकान के अभियोजक ने लोगों के मारे जाने की जानकारी दी है। इसे मादक पदार्थ का धंधा करने वाले गिरोहों द्वारा हिंसा की वापसी माना जा रहा है, जो मेक्सिको में 2006–2012के बीच अपने चरम पर थे। उस दौर में प्रशासन और प्रतिद्वंद्वी गिरोहों को संदेश देने के लिए लोगों की हत्या कर शवों को सड़क के किनारे फेंक दिया जाता था।

मिचोआकान के अटॉर्नी जनरल एड्रियन लोपेज सोलिज ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पुल से बरामद दो शव अर्धनग्न अवस्था में थे और उनके गले में फंदा था। एक क्षतविक्षत शव महिला का है। पीड़ित उरुपान शहर के हैं जिन्हें गोली मारी गई है। कुछ शवों के हाथ बंधे हुए हैं। शव के पास से बरामद बैनर स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह कुख्यात गैंग जलिस्को की ओर इशारा करता है। बैनर में लिखा है 'देशभक्त बनिए, वियाग्रा को खत्म कीजिए।'

ATLANTIC COMMERCIAL COMPANY LIMITED

Regd. Office: 606, 6th Floor, Vikrant Tower, 4 Rajendra Place, New Delhi - 110008
CIN: L51909DL1985PLC020372, Ph: 011-41539140, Fax: 011-25765214
E-mail ID: limitedatlantic@gmail.com, Website: www.atlantic-commercial.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2019

(Rs. in Lakh, except per share detail)

Sl.	Particulars	Quarter ended			Year ended
		30.06.2019	31.03.2019*	30.06.2018	31.03.2019
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	-	4.50	-	4.50
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.47)	3.67	(1.24)	1.19
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.47)	3.67	(1.24)	1.19
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.47)	3.67	(1.24)	1.19
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1.47)	3.26	(1.24)	0.78
6	Equity Share Capital	73.50	73.50	73.50	73.50
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous period				46.08
8	Earnings per share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic (in Rs.): 2. Diluted (in Rs.):	(0.20) (0.20)	0.45 0.45	(0.17) (0.17)	0.11 0.11

Note: The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results of the Company for the first quarter ended 30th June, 2019 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed Unaudited Financial Results of the Company for the first quarter ended 30th June, 2019 are available on the websites of the Stock Exchange (www.msei.in) and on the company's website (www.atlantic-commercial.com).

For Atlantic Commercial Company Limited
Sd/-
Narendra Kishore Gaur
Chairman
DIN - 00168265

Place: New Delhi
Date: 09.08.2019

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

कार्यालय अधिशासी अभियंता (एम-I) नरेला
क्षेत्रीय कार्यालय, नरेला, दिल्ली-110040

सं. ई0(एम-I)/उ.दि.न.नि./2019-20/डी-569 दिनांक: 07.08.2019

शुद्धिपत्र

दिनांक 31.07.2019 को ई–टैंडरिंग पोर्टल पर नि.आ.सू.सं. ई0/एम–I/नरेला/टीसी/2019–20/6 में मद सं. 2 प्रचलित की गयी थी। ऑनलाइन पोर्टल में कार्य का नाम गलती से नरेला जोन में वार्ड सं. 5, बंकनर, नरेला में सेक्टर ए–5 पॉकेट 1 और पॉकेट 13 में गलियों का सुधार व विकास के स्थान पर वार्ड सं. 1एन नरेला जोन में सेक्टर ए–5 पॉकेट 1 और पॉकेट 13 नरेला में गलियों का सुधार व विकास प्रचलित हो गया था। अब सही कार्य का नाम संलग्न है।

अधिशासी अभियंता (एम-I)
नरेला जोन

आर.ओ. सं. 54/डीपीआई/उत्तरी/2019-20

उर्दू अकादमी, दिल्ली

(दिल्ली सरकार)

निविदा सूचना पुस्तकों की छपाई

उर्दू अकादमी, दिल्ली को उर्दू भाषा में पुस्तकों की छपाई के लिए अनुभवी प्रिंटरों से प्रिंटिंग के लिए e-tender (online tender) तकनीकी बिड और फाईनेन्शियल बिड) आमंत्रित है।

N.I.T. अपलोड कर दिया गया है। निविदा के नियम व शर्तें निविदा फार्म के साथ 31 अगस्त 2019 को 3.00 बजे तक e-procurement की वेबसाइट http://govtprocurement.delhi.gov.in या उर्दू अकादमी, दिल्ली की वेबसाइट www.urduacademydelhi.com से डाउनलोड की जा सकती है। तकनीकी निविदा और डिकलेरेशन फार्म बयाना की राशी रू 10000/- (डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी e-procurement की वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ साथ इस की असल अकादमी में भी जमा करानी होगी। तकनीकी निविदा 3 सितम्बर 2019 को सायं चार बजे निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जाएगी टेंडर आईडी नम्बर 2019_URDAC_178062_1

सभी निविदाकर्ताओं को एन आई सी के एप्लिकेशन सर्विस प्रोवाईडर से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।

नोटः उन प्रिंटर/फर्मों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें उर्दू पुस्तकों की छपाई का पर्याप्त अनुभव होगा और जिनकी प्रेस में उर्दू जानने वाले कर्मचारी भी होंगे।

सचिव, उर्दू अकादमी, दिल्ली
सी.पी.ओ. बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006
फोन नं. 23865436, 23863858

DIP/Shabdarth/0512/19-20

नेशनल इंटेलिजेंस की उपनिदेशक ने इस्तीफा दिया : ट्रंप

वाशिंगटन, 9 अगस्त (एएफपी)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि नेशनल इंटेलिजेंस की उपनिदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देश की शीर्ष खुफिया एजंसी में हो रहे बदलाव का यह नया अध्याय है। सू गॉर्डन नेशनल इंटेलिजेंस की उपनिदेशक बनने से पहले 25 साल तक सीआइए में थीं और सेवामुक्त हो रहे निदेशक डैन कोट्स के बाद कार्यकारी निदेशक की दौड़ में शामिल थीं। ट्रंप ने ट्वीट किया, 'सू गॉर्डन लंबे और उल्लेखनीय करियर के साथ बहुत ही पेशेवर थीं। पिछले दो साल में मुझे उन्हें जानने का मौका मिला और उनके प्रति सम्मान बढ़ा। सू ने घोषणा की है कि वह 15 अगस्त को अपना पद छोड़ देंगी यह इत्तेफाक है कि उसी समय डैन कोट्स भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं।' इसके कुछ मिनट बाद ट्रंप ने ट्वीट किया कि अमेरिकी नौसेना के सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल और राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केंद्र (एनसीटीसी) के मौजूदा निदेशक जोसफ मागुरे गॉर्डन का स्थान लेंगे।

WISEC GLOBAL LTD

NH-II, 2ND Floor, C-Block Community Center, Naraina Vihar, New Delhi-110028

NOTICE

Pursuant to the provision of Clause 49 (I) (C) of the Listing Agreement, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 14th August, 2019, to inter-alia, consider, approve and take on record the un-audited financial results of the Company for the quarter ended on 30 June, 2019.

For Wisec Global Limited
Komal Kalra
Company Secretary

Date: 08/08/2019
Place: New Delhi

TEMPLE LEASING AND FINANCE LIMITED

Regd. Office: 116A, 1st Floor, Somdutt Chamber – I, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066
CIN: L67120DL1984PLC018875,
E-mail: temple3884@gmail.com

NOTICE

In compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, NOTICE is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 14th day of August, 2019 at the Registered Office of the Company inter alia, to consider and approve Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2019.

For Temple Leasing and Finance Limited
Sd/-
Place : New Delhi (Gyanesh Kumar Mishra)
Dated : 08.08.19 Company Secretary

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

बागवानी विभाग (मुख्य कार्यालय)
ई ब्लॉक, तीसरा तल, डा. एस.पी.एम. सिविक सेन्टर
जे.एल. नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110002

एनआईटी की प्रैस सूचना

एनआईटी सं. डीडीएच/एचक्यू/एसडीएमसी/2019-20/डी/589/एनआईटी सं. 02 दिनांक 09.08.2019 द्वारा जारी निविदा सं. 315707, 315708, 315709, 315710, 315711, 315712, 315713, 315714, 315715, 315716, 315717 एवं 315718 के अनुसार बागवानी विभाग के विभिन्न कार्यों के लिए अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सक्षम योग्य ठेकेदारों/फर्मों/कम्पनियों से एकल चरण द्वि-बोली प्रणाली के अन्तर्गत ऑनलाइन खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। **निविदा मूल्यः** रु. 1000/- प्रत्येक निविदा के लिए। **अनुमानित मूल्य** रु. 2.00 लाख से रु. 25.00 लाख के मध्य है। **डाउनलोड करने, बोली तैयार करने एवं हैश जमा करने की तिथि** 10.08.2019 से 21.08.2019 को अप. 3.00 बजे तक है। **ऑनलाइन बोली के रि-एन्क्रिप्शन की तिथि** 21.08.2019 को 1701 बजे से 22.08.2019 को 1500 बजे तक। **तकनीकी बोलियों के खुलने की तिथि** 22.08.2019 को अप. 3.30 बजे। विस्तृत नियम एवं शर्तों के साथ बोली दस्तावेज, (यदि ई-निविदा के लिए पहले पंजीकरण न किया हो) स्वयं को पंजीकृत करने के पश्चात् वेबसाइट **http://mcdetenders.com** से डाउनलोड किए जा सकते हैं अथवा दक्षिणी दि.न.नि. की वेबसाइट **www.mcdonline.gov.in / South Delhi Municipal Corporation / Tenders/e-tendering** देखें। ऑनलाइन निविदा में सहायता के लिए हैल्पडेस्क सं. 011-23227413 एवं 011-23227414 हैं अथवा **mcd-ithelpdesk@mcd.gov.in** को मेल करें। उपरोक्त निविदाओं के सभी विवरण तथा इन निविदाओं के सम्बन्ध में संशोधन, स्पष्टीकरण, शुद्धि-पत्र, परिशिष्ट, समय विस्तार आदि, यदि कोई होगा, तो केवल दक्षिणी दि.न.नि. वेबसाइट **http://mcdetenders.com, www.mcdonline.gov.in / South Delhi Municipal Corporation / Tenders /e-tendering** पर ही अपलोड किया जाएगा तथा अलग से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। निविदादाताओं को इन निविदाओं के संबंध में स्वयं को अपडेट रखने के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखनी चाहिए।

उपनिदेशक (हॉर्ट.) एचक्यू
011-23225334

आरओ सं.: 37/डीपीआई/दक्षिण/19-20

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

HeroFin Corp.

CIN:U74899DL1991PLC046774
पंजी. कार्यालयः 34, कम्युनिटी सेन्टर, बसंत लोक, बसंत विहार, नई दिल्ली-110057
टेलीः 011-49487150, फैक्सः 011-49487150, ई-मेलः litigation@herofincorp.com,
वेबसाईटः www.herofincorp.com

पूर्वाग्रह-रहित ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के अनुसार हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड (एचएफसीएल) के पास गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति की ई-नीलामी बिक्री

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड बनाम मै. गंधार रॉक टेक एवं अन्य शीर्षक मामले में जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित आदेश तिथि 22.2.2019 के अनुपालन में एचएफसीएल के प्राधिकृत अधिकारी ने यहां नीचे वर्णित सभी शुल्कों के साथ एचएफसीएल के बकाये की वसूली के लिये ''जैसा है जहां है आधार'' एवं ''जो भी वहां है आधार'' एवं ''जैसा है जो है आधार'' एवं ''उपचार रहित आधार'' पर पूरी तरह से उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खाता में सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी सूचना, तिथि 15.11.2018 के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। तथा जैसा कि बकाये के भुगतान में विफलता के बाद प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी नीचे वर्णित सम्पत्ति की बिक्री द्वारा एचएफसीएल के बकाये की वसूली करने का प्रस्ताव करते हैं। जैसा कि प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री ऋणधारक से एचएफसीएल के बकाये प्रतिभूत ऋण की वूसली के लिये सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जायेगी। आम जनता को व्यक्तिगत अथवा विधिवत अधिकृत एजेन्टों के माध्यम से बोली करने के लिये आमंत्रित किया जाता है।

ऋणधारक का नाम एवं पताः
1. मै. गंधार रॉक टेक जिसका कार्यालयः 11, शास्त्री मार्केट, चौराहा, बालाजी टेम्पल के निकट, छावनी रोड, बिआवर, अजमेर, राजस्थान-305901 में है
2. श्री रेणु कुमार जैन
3. श्री रतन लाल जैन
4. श्रीमती शिमला देवी जैन
5. श्रीमती सुन्दर वाई जैन
6. श्री अमित कुमार जैन
7. श्री नीरज जैन
8. श्री संजय जैन

सभी निवासीः
गेट नं. 5, विनोद नगर, बिआवर, अजमेर, राजस्थान-305901

ऋण अनुबंध तिथिः 21.10.2015

मांग सूचना की तिथिः 15.11.2018 | **वास्तविक कब्जा की तिथिः** 23.7.2019

ऋणधारकों पर बकाया राशिः 15.11.2018 को रु. 4,08,58,157.27/- (रुपए चार करोड़ आठ लाख अन्ठावन हजार एक सौ सत्तावन तथा पैसे सत्ताईस मात्र)

गिरवी सम्पत्ति

ऋणधारक/गारन्टर/मार्टगैजर का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. में)	धरोहर राशि भुगतान
1. श्री रतन लाल जैन निवासीः गेट नं. 5, विनोद नगर, बिआवर, अजमेर, राजस्थान-305901	ख.नं. 2148, उदयपुर रोड, चुंगी चौक बाईपास के निकट, बिआवर, अजमेर, राजस्थान-305901	2,75,00,000/-	27,50,000/-

ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 13.9.2019 को 10 बजे पूर्वा. से 2 बजे अप. तक।

निविदा/ई-नीलामी के नियम एवं शर्तेः
1. ई-नीलामी बिक्री प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 13.9.2019 को 10 बजे पूर्वा. से 2 बजे अप. (आईएसटी) तक वेबसाईट ''https://www.bankauctions.in'' के माध्यम से ''ऑन लाइन ई-नीलामी/बिक्री'' होगी।
2. इच्छुक बोलीदाता के पास वैध ई-मेल पता होना चाहिये।
3. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये वेबसाईटः **https://www.bankauctions.in** देखें।
4. संभावित बोलीदाताओं को **https://www.bankauctions.in** पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा यूजर आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त करना होगा।
5. संभावित बोलीदाता हेल्पलाइन नं.: 040-23836405, +91-8142000809/8142000066/67 पर सम्पर्क कर अथवा info@bankauctions.com/vikas@bankauctions.in पर ई-मेल भेजकर हमारे सेवा प्रदाता मै. 4 क्लोजर से ई-नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
6. संबंधित विवरणों के साथ बोलियां निर्धारित प्रारूप में केवल ऑन लाइन जमा की जायेगी।
7. ऑन लाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि 12.9.2019 के 6.00 बजे अप. तक है।
8. ई-नीलामी में भाग लेने के लिये इच्छुक बोलीदाताओं को नीचे वर्णित खाता में आरटीजीएस/एनईएफटी निधि अंतरण द्वारा ईएमडी जमा करना होगाः

बैंक का नाम	एचडीएफसी बैंक लि.
खाता धारक का नाम	हीरो फिनकॉर्प लि.
बैंक का पता	209-214, कैलाश बिल्डिंग 26, केजी मार्ग, नई दिल्ली
खाता सं.	00030310016156
आईएफएससी कोड	HDFC0000003

9. सफल बोलीदाता के मामले में ईएमडी समायोजित की जायेगी। असफल बोलीदाता को ईएमडी एचएफसीएल द्वारा वापस लौटा दी जायेगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दी जायेगी। बोली के लिए न्यूनतम वृद्धि राशि रु. 50,000/- (रुपए पचास हजार मात्र) है।
10. एचएफसीएल को उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी या सभी बोलियों/प्रस्तावों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा ई-नीलामी बिक्री को स्थगित/निलंबित/रद्द करने का अधिकार प्राप्त है।
11. उपरोक्त सम्पत्ति को वर्णित आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा।
12. यदि एचएफसीएल द्वारा बोली/प्रस्ताव स्वीकार की जाती है, बोली में उच्चतम मूल्य का प्रस्ताव करने वाले सफल बोलीदाता को एचएफसीएल के पास अगले कार्य दिवस तक बिक्री मूल्य के 25% बोली राशि (ईएमडी सहित) का भुगतान करना होगा जिसमें विफल होने पर ईएमडी जब्त कर ली जायेगी तथा तत्काल सम्पत्ति की बिक्री कर दी जायेगी।
13. सफल बोलीदाता को बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन या उससे पूर्व हीरो फिन कॉर्प लिमिटेड के पक्ष में देय, नई दिल्ली में भुगतान होने योग्य चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 75% बोली राशि का भुगतान करना होगा।
14. निर्धारित अवधि अर्थात् बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर शेष 75% बोली राशि का भुगतान नहीं करने पर जमा राशि (25% बोली राशि सहित) जब्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी तथा क्रेता उस सम्पत्ति अथवा राशि के किसी भाग जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी, के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे।
15. एचएफसीएल द्वारा बिक्री की पुष्टि पर तथा यदि नियमों एवं शर्तों का पालन किया गया हो, बिक्री करने वाले प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के परिशिष्ट V में दी गई प्रपत्र में क्रेता के पक्ष में अचल सम्पत्ति का बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
16. सम्पत्ति की बिक्री ''जैसा है जहां है आधार'' एवं ''जो भी वहां है आधार'' एवं ''जैसा है जो भी है आधार'' एवं उपचार-रहित आधार पर की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति के संदर्भ में टाइटल, पहचान, विस्तार, व्यास, सर्वे नम्बर, डोर नम्बर, चौहद्दी अथवा अधिभारों के विषय में संतुष्ट होने के लिये राजस्व/एसआरओ के अभिलेखों की जांच कर लें। एचएफसीएल उपरोक्त सम्पत्ति पर लम्बित किसी भी प्रकार की देयताओं के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
17. इच्छुक पार्टी/बोलीदाता 11.9.2019 को या उससे पूर्व कार्यावधि के दौरान नीलामी पर रखी गई सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं जिसके लिये वे अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क कर सकते हैं।
18. सफल बोलीदाता को एकाकी रूप से लागू होने वाले कॉन्वीयन्स, पंजीकरण शुल्कों, स्टाम्प शुल्क, करों, सांविधिक देयताओं के लिये देय सभी चार्जेज का वहन करना होगा।
19. यह ई-नीलामी बिक्री एचएफसीएल द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
20. यह बिक्री/नीलामी सरफेसी अधिनियम, 2002 (उसके अंतर्गत निर्मित नियमों) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी।
21. नीलामी की गई सम्पत्ति के संदर्भ में किसी चार्ज, लिएन, अधिभारों, सम्पत्ति कर तथा सरकार या किसी व्यक्ति के किसी अन्य बकाये के लिये एचएफसीएल उत्तरदायी नहीं होगा।
22. यदि वे अपनी सम्पूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान नहीं करते हैं तो उपरोक्त तिथि को ई-नीलामी बिक्री के आयोजन के विषय में उपरोक्त ऋण के ऋणधारक के लिये यह प्रकाशन 30 दिनों की बिक्री सूचना है। ऋणधारक ई-नीलामी की तिथि को या उससे पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान करने के लिये सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 30 दिनों की बिक्री सूचना दी जाती है जिसमें विफल होने पर अचल सम्पत्ति की बिक्री कर दी जायेगी तथा शेष, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों के साथ वसूल की जायेगी। यदि ई-नीलामी बिक्री की तिथि से पूर्व ऋणधारक एचएफसीएल की संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान कर देते हैं तो ई-नीलामी बिक्री रोक दी जायेगी।
23. एतद्द्वारा ऋणधारक को सूचित किया जाता है कि बिक्री के नियमों एवं शर्तों के अनुसार यहां ऊपर निर्दिष्ट गिरवी सम्पत्ति की खरीद के लिये वे इच्छुक क्रेताओं/खरीदारों को सामने ला सकते हैं।
24. अचल सम्पत्ति की बिक्री उच्चतम बोलीदाता को की जायेगी। लेकिन, प्राधिकृत अधिकारी को यदि वे आवश्यक समझें, इंटर-से बोली की अनुमति देने का सम्प्रभु अधिकार है।
25. ऊपर वर्णित ऋण की राशि, ऋण फोर्क्लोजर राशि नहीं है। उक्त ऋण के लिये लम्बित ईएमआई सहित अन्य सभी चार्जो की ऋण समापन के समय में गणना की जायेगी।

दिनेश शर्मा
मो.: 9988744220
प्राधिकृत अधिकारी
हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

तिथिः 10.8.2019
स्थानः अजमेर

ईस्ट बिल्डटेक लिमिटेड

CIN: L74999DL1984PLC018610
पंजी. कार्यालयः डी-3/2, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020
फोनः 011-47105100, ई-मेलः Secretarial@ebl.co.in, वेबसाईटः www.ebl.co.in

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(रुपए लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही के लिए	पूर्व वर्ष की तत्स्थानीय तिमाही	समाप्त पूर्व तिमाही	समाप्त वर्ष
		30.6.2019	30.6.2018	31.3.2019	31.3.2019
		अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	3.00	9.03	3.01	20.21
2	असाधारण मद एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि)	(5.91)	0.70	(6.13)	(11.56)
3	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(4.37)	0.81	(1.82)	(8.55)
4	कुल व्यापक आय	(4.33)	0.79	(1.61)	(8.40)
5	इक्विटी शेयर पूंजी	190.76	190.76	190.76	190.76
6	आय प्रति शेयर (ईपीएस) (असाधारण मदों के बाद) (रु. 10/- प्रति का) (वार्षिकीकृत नहीं)				
	क) मूल	(0.23)	0.04	(0.10)	(0.46)
	ख) तरल	(0.23)	0.04	(0.10)	(0.46)

टिप्पणीः-
1. अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के उपरोक्त विवरणों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 9 अगस्त, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिए गए।
2. कम्पनी ने 01 अप्रैल, 2017 से उसके अंतर्गत जारी संबंधित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 33 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) अपनाई है एवं तदनुसार इन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों को इंड एएस 34 ''अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग'' तथा भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों में निर्दिष्ट पहचान तथा मापन के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।
3. सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत यथा वांछित सीमित समीक्षा सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा पूरी कर ली गई है।
4. जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व तिमाही के आंकड़े पुनर्वर्गीकृत तथा पुनर्व्यवस्थित किये गये हैं।
5. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है।

ईस्ट बिल्डटेक लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
मधुसूदन चोखानी
प्रबंध निदेशक
DIN: 00307234

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 09.8.2019

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (दक्षिण) IV
ओ.एच.टी. ओ.आई.ए. फेज-II, गोविन्दपुरी के सामने, नई दिल्ली-20
ई-मेलः eesouthiv498@gmail.com/टेली. 011-26388976

प्रैस एनआईटी सं. 43 एस-IV (2019-20)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु. में)	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1	ईई(दक्षिण) IV के अंतर्गत ओखला कंस्टीच्युएन्सी, एसी-54 में डीडीए फ्लैट, एन-ब्लॉक, सरिता विहार में पुराने क्षतिग्रस्त तथा गाद भरे सीवर लाइनों का विस्थापन।	3443351/-	2019_DJB_178037_1 9.8.2019	28.8.2019 2.00 बजे अप. तक।
1	ईई(दक्षिण) IV के अंतर्गत ओखला कंस्टीच्युएन्सी, एसी-54 में अग्रवाल स्वीट, बारात घर के निकट, चौहान मोहल्ला, मदनपुर खादर गाँव में विद्यमान पुराने क्षतिग्रस्त गाद भरे सीवर लाइन के विस्थापन द्वारा सीवरेज प्रणाली का सुधार।	31,67,259/-	2019_DJB_178037_2 9.8.2019	28.8.2019 2.00 बजे अप. तक।

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/202

हस्ता./-
कार्यपालक अभियंता (दक्षिण) IV

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED

CIN - L35911HR1965PLC004485
Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135001, Haryana
Phone & Fax: 01732-251810/11/14 email: praveen@jaispring.com

STATEMENT OF UN-AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2019

(Rs. in Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended			Year Ended
		Unaudited 30.06.2019	Audited 31.03.2019	Unaudited 30.06.2018	Audited 31.03.2019
1	Total Income from operations	42,051.37	54,283.50	56,218.58	213,481.23
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional items)	2,989.37	5,356.58	6,129.44	21,549.78
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	2,989.37	5,356.58	6,129.44	21,549.78
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	2,040.51	3,336.67	4,001.06	13,745.13
5	Total Comprehensive Income for the period[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,040.51	3,190.36	4,001.06	13,607.86
6	Equity Share Capital	3,983.19	3,983.19	3,983.13	3,983.19
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)		46,971.75		46,971.75
8	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (not annualised) (In Rs.)				
	Basic:	0.51	0.84	1.01	3.45
	Diluted:	0.51	0.84	1.01	3.45

Notes:
1. The above consolidated financial results of Jamna Auto Industries Limited ('the parent Company') and its subsidiaries (together referred as "the Group") for the quarter ended June 30, 2019 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on August 09, 2019.
2. The Group has adopted Ind AS 116 "Lease" effective from April 01, 2019 and applied the standard to its leases using the modified retrospective approach. On transition, the adoption of new standard resulted in recognition of Right-of-use assets of Rs. 3,545.03 lakhs and an equal amount of lease liability. The effect of this adoption is not material on profit and earning per share for the quarter.
3. Information of standalone audited financial results in terms of the Listing Regulations is as under:

(Rs. in Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended			Year Ended
		Unaudited 30.06.2019	Audited 31.03.2019	Unaudited 30.06.2018	Audited 31.03.2019
1	Revenue from operations	41,553.81	47,287.96	54,869.11	204,553.11
2	Profit before tax	3,051.68	4,601.60	5,797.47	20,332.32
3	Total Comprehensive income for the period	2,075.56	3,050.67	4,099.50	13,839.80

4. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchanges websites viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and website of the Company at www.jaispring.com.

For Jamna Auto Industries Ltd
P. S Jauhar
Managing Director & CEO
DIN 00744518

Date : August 09, 2019
Place : New Delhi

Bank of India

Relationship beyond banking

बैंक ऑफ इंडिया- झण्डेवालान एक्स्टेंशन शाखा, 3ई/4, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली- 110055
फोनः 28833134, फैक्सः 23513789
ईमेलः jhandewalan.newdelhi@bankofindia.co.in

[देखें नियम 8 (1)] - कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया, झण्डेवालान एक्स्टेंशन शाखा, 3ई/4, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 23.8.2018 जारी कर ऋणधारक मै. ग्रेस इन्टरनेशनल, 12 बी, लोकल शॉपिंग सेन्टर, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र फेज-II, नई दिल्ली-110028 (प्रॉप्राईटर) श्री विक्रम कुमार जैन को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 23.8.2018 को रु. 10,67,66,840.28 (रुपये दस करोड़ सड़सठ लाख छियासठ हजार आठ सौ चालिस तथा पैसे अट्ठाईस मात्र) के साथ उस पर आगे का ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज आदि (अद्यतन बकायाः रु. 99969608.35 (रुपये नौ करोड़ निन्यानवे लाख उन्हत्तर हजार छ सौ आठ तथा पैसे पैंतीस मात्र) के साथ 24.8.2018 से आगे के ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 7 अगस्त, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 23.8.2018 को रु. 10,67,66,840.28 (रुपये दस करोड़ सड़सठ लाख छियासठ हजार आठ सौ चालिस तथा पैसे अट्ठाईस मात्र) के साथ उस पर आगे का ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज आदि (अद्यतन बकायाः रु. 99969608.35 (रुपये नौ करोड़ निन्यानवे लाख उन्हत्तर हजार छ सौ आठ तथा पैसे पैंतीस मात्र) के साथ 24.8.2018 से आगे के ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज आदि के लिये बैंक ऑफ बड़ौदा, झण्डेवालान एक्स्टेंशन शाखा, 3ई/4, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, दिल्ली-110055 के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति 1 का विवरण

श्री विक्रम कुमार जैन, पुत्र स्व. श्री राजकुमार जैन के नाम में आवासीय सम्पत्ति मकान सं. 2, रोड नं. जी-11, क्षेत्रफल माप 167.23 वर्ग मी., टाइप क्यू, डीएलएफ सिटी (पूर्व में डीएलएफ कुतुब एन्क्लेव विदित), ग्राम चकरपुर, तहसील एवं जिला गुड़गाँव, हरियाणा के इक्विटैबल मार्टगैज का सभी भाग तथा हिस्सा।
चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. जी-11/1, दक्षिणः प्लॉट नं. जी-11/3
पूर्वः प्लॉट नं. जी-13/2, पश्चिमः रोड

अचल सम्पत्ति 2 का विवरण

विक्रम जैन, पुत्र स्व. श्री राजकुमार जैन तथा श्रीमती शिवानी जैन, पत्नी श्री विक्रम जैन के नाम में बेभर्ली पार्क-II, फेज-II, डीएलएफ सिटी (पूर्व में डीएलएफ कुतुब एन्क्लेव कॉम्प्लैक्स विदित) फेज-II, तहसील एवं जिला गुड़गाँव में स्थित बहुमंजिला बिल्डिंग ब्लॉक नं. XII में पार्किंग स्पेस नं. 2059 के साथ आवासीय सम्पत्ति अपार्टमेन्ट नं. 1205-ए टाइप जो 5वाँ तल पर है जिसका सुपर एरिया लगभग 232.9 वर्ग मी. (2509 वर्ग फीट लगभग) है, के इक्विटैबल मार्टगैज का सभी भाग तथा हिस्सा।
चौहद्दीः उत्तरः 1305-बी, दक्षिणः लिफ्ट/लॉबी/1205-बी,
पूर्वः खुला, पश्चिमः खुला

अचल सम्पत्ति 3 का विवरण

3. श्री विक्रम के जैन, पुत्र स्व. श्री आर. के जैन के नाम में डीएलएफ कुतुब एन्क्लेव कॉम्प्लैक्स, फेज-1, तहसील तथा जिला गुड़गाँव, हरियाणा में स्थित व्यावसायिक दुकान की सम्पत्ति नं. एमएस 0247, 2रे तल पर, कवर्ड एरिया 199.20 वर्ग मी. (2144 वर्ग फीट) जो मेगा मॉल में है, के इक्विटैबल मार्टगैज का सभी भाग तथा हिस्सा।
चौहद्दीः उत्तरः एमएस 246/टैरेस, दक्षिणः दुकान,
पूर्वः खुला, पश्चिमः कॉरीडोर/एमएस 246

(धर्मेश विज), प्राधिकृत अधिकारी,
बैंक ऑफ इंडिया

तिथिः 7.8.2019, स्थानः नई दिल्ली

कोयंबटूर में लगातार बारिश से शुक्रवार को रिहाइशी इलाके में भरा पानी।

मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के कर्ज माफ होंगे

छिंदवाड़ा, 9 अगस्त (भाषा)।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के साहूकारों से लिए गए सभी कर्ज माफ करने की घोषणा की है। कमलनाथ ने अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर आयोजित एक समारोह में इसकी घोषणा की।

उन्होंने कहा, 'प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों द्वारा साहूकारों से लिए गए सभी कर्ज माफ हो जाएंगे। इसके लिए सरकार ने सभी औपचारिक व्यवस्थाएं कर ली हैं। प्रदेश के सभी 89 अनुसूचित क्षेत्रों में यह कर्ज 15 अगस्त तक माफ होना शुरू हो जाएंगे।' उन्होंने कहा कि किसी आदिवासी ने कर्ज लेने के लिए अपने जेवर, जमीन गिरवी रखी है तो वह भी उन्हें वापिस होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में कोई साहूकार अनुसूचित क्षेत्र में साहूकारी करेगा तो उसे लाइसेंस लेकर नियमानुसार काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि बगैर लाइसेंस के किसी ने अनुसूचित क्षेत्रों में साहूकारी की तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और उनसे लिया गया कर्ज आदिवासी नहीं चुकाएंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के 89 अनुसूचित क्षेत्र विकासखंडों के आदिवासियों को साहूकारों से मुक्त कराने के लिए सरकार उन्हें रुपे, डेबिट कार्ड देगी। इसके जरिए वे जरूरत पड़ने पर दस हजार रुपए तक एटीएम से निकाल सकेंगे। उन्होंने बताया कि हर हाट बाजार में एटीएम खोले जायेंगे। कमलनाथ ने वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाए जाने की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदिवासी वर्ग की मांग पर अनुसूचित जनजाति विभाग का नाम बदलकर आदिवासी विकास विभाग किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के जिन भी आदिवासियों के वनाधिकार के प्रकरण खारिज हुए हैं, उनका पुनरीक्षण किया जायेगा और पात्र होने पर उन्हें वनाधिकार पट्टा दिया जाएगा।

अकोला में बाढ़ में फंसे 27 श्रमिकों को बचाया गया

अकोला, 9 अगस्त (भाषा)।

महाराष्ट्र के अकोला जिले की चंद्रिका नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से फंसे 27 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि वन विभाग ने श्रमिकों को गुरुवार सुबह देवरी गांव में पौधे रोपने के लिए भेजा था और वे बाढ़ की वजह से वहां फंस गए। इन सभी को देर शाम तक सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

वन विभाग के अधिकारी एएन बावने ने बताया, 'वन विभाग द्वारा पौधा लगाने के लिए काम में लगाए गए सभी श्रमिक मध्य प्रदेश के खंडवा के थे। जब उन्होंने गुरुवार सुबह पौधे लगाने का काम शुरू किया तो वहां बाढ़ का निशान तक नहीं था।' उन्होंने बताया, 'हालांकि भारी बारिश के बाद चंद्रिका नदी का जलस्तर बढ़ गया। अचानक यहां बढ़े जलस्तर से बाढ़ जैसी स्थिति हो गई।'

श्रमिकों द्वारा मदद की गुहार लगाए जाने के बाद गांव वालों ने वन विभाग को और जिला प्रशासन के अधिकारियों को यह जानकारी दी।

सारदा चिटफंड घोटाला : डेरेक ओ ब्रायन से सीबीआइ ने की पूछताछ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अगस्त।

सारदा चिटफंड घोटाला मामले में शुक्रवार को सीबीआइ ने तृणमूल सांसद डेरेक ओ ब्रायन से पूछताछ की। जांच एजंसी से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। सीबीआइ अधिकारियों के मुताबिक, तृणमूल के मुखपत्र 'जागो बांग्ला' से संबंधित बैंक खातों में कुछ वित्तीय लेनदेन को लेकर ओ ब्रायन से कोलकाता में करीब दो घंटे पूछताछ की गई। ओ ब्रायन बांग्ला भाषा में प्रकाशित 'जागो बांग्ला' के प्रकाशक हैं।

वे तृणमूल के दूसरे सांसद हैं, जिनसे केंद्रीय जांच एजंसी ने चिटफंड घोटाला मामले में पूछताछ की है। सीबीआइ पिछले दो दिन में दो नेताओं से पूछताछ कर चुकी है। चिटफंड घोटाला मामले में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तृणमूल सांसद शताब्दी रॉय से पूछताछ की थी। ओ ब्रायन दिन में करीब डेढ़ बजे सीबीआइ कार्यालय पहुंचे और वहां से दिन में करीब साढ़े तीन बजे रवाना हुए।

सीबीआइ ने 26 जुलाई को उन्हें कई करोड़ रुपए के चिटफंड घोटाला मामले में जांच में शामिल होने के लिए तलब किया था। उन्हें अगस्त के पहले सप्ताह में पूछताछ के लिए जांच एजंसी के समक्ष पेश होने को कहा गया था। इसके बाद राज्यसभा सदस्य ने संसद सत्र का हवाला देकर पेशी के लिए कुछ समय की मोहलत मांगी थी और कहा था कि सात अगस्त को संसद सत्र खत्म होने के बाद ही वह जांच एजंसी के समक्ष पेश हो पाएंगे।

तृणमूल के एक वरिष्ठ नेता ने बताया, 'चूंकि संसद सत्र समाप्त हो गया है, इसलिए ब्रायन पूछताछ के लिए कोलकाता के साल्टलेक स्थित सीजीओ परिसर गए थे। उन्होंने जांच एजंसी को पूरा सहयोग दिया।' उन्होंने कहा, 'हमने कुछ गलत नहीं किया है। हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है।' कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार भी सारदा चिटफंड घोटाले में पूछताछ का सामना कर रहे हैं। रोज वैली घोटाला मामले में सीबीआइ गुरुवार को उन्हें समन भेज चुकी है।

घाटी में शादी की सालगिरह नहीं मना पाया दक्षिण अफ्रीकी जोड़ा

श्रीनगर, 9 अगस्त (भाषा)।

कश्मीर घाटी में शादी की 38वीं सालगिरह मनाने की योजना बना रहे दक्षिण अफ्रीका के दंपति को घाटी के सुरक्षा हालात के कारण निराशा हाथ लगी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि हालात में सुधार के बाद वे फिर यहां का रुख करेंगे।

नील स्टॉर्म और उनकी पत्नी मेरिल ताजमहल के दीदार के अगले दिन अपनी शादी की सालगिरह मनाने दो अगस्त को कश्मीर आए थे और उनकी योजना पूरा सप्ताह यहीं बिताने की थी।

सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी स्टॉर्म ने दिल्ली रवाना होने से कुछ मिनट पहले को बताया, हम यहां से निराश होकर लौट रहे हैं। हमारी पहाड़ों पर ट्रेकिंग की योजना थी, लेकिन यह योजना अंजाम तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि सुरक्षा बलों ने सब कुछ बंद कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि हालात में सुधार होते ही वे घाटी लौटेंगे।

स्टॉर्म ने कहा, हम फिर किसी समय यहां आना चाहेंगे क्योंकि हमारे मेजबान बहुत भले और अच्छे लोग हैं। हमें यह जगह पसंद है और हम बेहतर हालात की जानकारी हासिल करने के लिये मेजबानों से संपर्क रखेंगे ताकि हम बिना किसी रोक टोक या बहुत ज्यादा पैसा खर्च किए अपनी यात्रा की योजना बना सकें। उन्होंने कहा, यहां की झीलें और हाउस बोट बेहद सुंदर हैं। हमने बीते 20 सालों में कई देशों की यात्रा की लेकिन ऐसी चीज जिंदगी में कभी नहीं देखी। हाउसबोट तो वाकई लाजवाब थीं। स्टॉर्म ने कहा कि वह शहर की झीलों और मुगल गार्डन को छोड़कर कोई और पर्यटन स्थल नहीं देख पाए।

सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी स्टॉर्म ने दिल्ली रवाना होने से कुछ मिनट पहले को बताया, हम यहां से निराश होकर लौट रहे हैं। हमारी पहाड़ों पर ट्रेकिंग की योजना थी, लेकिन यह योजना अंजाम तक नहीं पहुंच पाई।

उन्होंने कहा, मैंने भी अपने देश की सेना में सेवाएं दी हैं और मैं जानता हूं कि सुरक्षा बल क्या कर रहे हैं। वे सिर्फ सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं।

Subros Limited

CIN: L74899DL1985PLC020134
Regd. Office: LGF, World Trade Centre, Barakhamba Lane, New Delhi-110001.
Tel. No.: 011-23414946, Fax No.: 011-23414945; Website: www.subros.com; Email: rakesh.arora@subros.com

Net Revenue +8%
PBT (before exceptional) at 3.75%
PBT (after exceptional) at 10.97%
PAT +121%
EPS +103%

EXTRACT OF STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2019

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	PARTICULARS	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		QUARTER ENDED (UNAUDITED)			YEAR ENDED (AUDITED)	QUARTER ENDED (UNAUDITED)			YEAR ENDED (AUDITED)
		30.06.2019	31.03.2019	30.06.2018	31.03.2019	30.06.2019	31.03.2019	30.06.2018	31.03.2019
1	Total Income from Operations	57,224	51,807	53,169	212,448	57,224	51,807	53,169	212,448
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,141	2,944	2,832	11,731	2,115	2,940	2,850	11,742
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6,270	2,944	2,498	11,397	6,244	2,940	2,516	11,408
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4,176	1,620	1,893	7,613	4,150	1,616	1,911	7,624
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4,151	1,420	1,892	7,410	4,123	1,417	1,909	7,419
6	Equity Share Capital	1,305	1,305	1,200	1,305	1,305	1,305	1,200	1,305
7	Earnings Per Share (in ₹) (Face value of ₹ 2 each) (for continuing and discontinued operations)								
	(a) Basic (not annualised) :	6.40	2.44	3.15	12.35	6.36	2.48	3.19	12.37
	(b) Diluted (not annualised) :	6.40	2.44	3.15	12.35	6.36	2.48	3.19	12.37

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of quarterly/annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone quarterly and consolidated financial results are available on website of the Stock Exchange(s) www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website www.subros.com.
2. Figures for the quarters ended 31st March, 2019 represent the difference between the audited figures in respect of full financial year and the published figures for the nine months ended 31st December, 2018, which were subject to limited review.
3. a) There was a fire accident in one of the plants of the Company situated at Manesar on 29th May, 2016. The fire had severely impacted the building, stocks, plant & machinery. These assets were adequately insured with reinstatement clause and a claim was made with the Insurance Company. Special/urgent actions to restart supplies to the customer post fire incident had resulted into additional costs which were included under the head Exceptional Items in the Statement of Profit and Loss in the earlier years. An amount of ₹ 5,067 Lakhs has been assessed, settled and received during the quarter ended 30th June, 2019 and accordingly ₹ 4,129 Lakhs, over and above of ₹ 938 Lakhs disclosed as recoverable under the head "Other Financial Assets" as on 31st March, 2019, has been disclosed as an income under the head Exceptional Items for the quarter ended 30th June, 2019.
   b) The Company had introduced a Voluntary Separation Scheme to provide an opportunity to the workmen of Pune Plant to opt for early separation to optimise on manpower cost and productivity improvement and incurred one time expenditure of ₹ 334 Lakhs during the quarter ended 30th June, 2018. This has been disclosed as Exceptional Item.
4. Pursuant to the approval of Board of Directors in their meeting held on 28th May, 2018 for closure of Company's overseas subsidiary Thai Subros Ltd. and filing of liquidation application in Thailand on 9th January, 2019, the management has assessed the recoverability of their investment in subsidiary and recognised the provision for diminution in the value of its investment in subsidiary amounting to ₹ 14 Lakhs and ₹ 7.35 Lakhs during the quarter ended 30th June, 2018 and 31st March, 2019 respectively and ₹ 21.35 Lakhs during the year ended 31st March, 2019. The company reassessed the recoverability of their investment as on 30th June, 2019 and no further provision for diminution in the value of its investment is required to be recognized during the quarter ended 30th June, 2019. The liquidation of the subsidiary was under process as on 30th June, 2019 and the liquidation was subsequently completed on 1st August, 2019 vide Certificate issued by Department of Business Development, Ministry of Commerce, Thailand.
5. The consolidated financial results include the results of the entities namely, Thai Subros Limited (Subsidiary) and Denso Subros Thermal Engineering Centre India Private Limited (Joint Venture).

For and on behalf of the Board of Directors
SUBROS LIMITED

Place : New Delhi
Date : 09.08.2019

RAMESH SURI
CHAIRMAN

आदिवासी समाज के कल्याण के लिए काम कर रही है सरकार: गहलोत

जयपुर, 9 अगस्त (भाषा)।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार आदिवासी समाज के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासियों से अपील की है कि वे अपनी भावी पीढ़ी को शिक्षित बनाने का संकल्प लें।

विश्व आदिवासी दिवस पर अपने संदेश में गहलोत ने ट्वीट किया, 'हमारी सरकार आदिवासी समाज के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के साथ ही उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।' गहलोत के अनुसार-हमने अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस के महत्त्व को समझते हुए इस दिन ऐच्छिक अवकाश घोषित किया है।

उन्होंने आदिवासी बहुल क्षेत्र में माही और जाखम जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा है ये योजनाएं हमारी पिछली सरकारों की देन है जिससे आदिवासी किसानों के जीवन में खुशहाली आई है।

इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी समुदाय से शिक्षा पर ध्यान देने की अपील की और लिखा, 'इस अवसर पर आदिवासी भाई अपनी भावी पीढ़ी को शिक्षित बनाने का संकल्प लें ताकि वे देश एवं प्रदेश के विकास में और अधिक सक्रिय भागीदारी निभा सकें।' गहलोत ने कहा कि हमारे प्रदेश के आदिवासी भाइयों ने आजादी के आंदोलन में महत्त्वपूर्ण योगदान देने के साथ ही अपनी मूल संस्कृति को संरक्षित रखने में महती भूमिका निभाई है। आज वे हर क्षेत्र में अपनी क्षमता, योग्यता का उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहे हैं।

विश्व आदिवासी दिवस पर राजस्थान भर में कई कार्यक्रम हुए। मुख्य कार्यक्रम आदिवासी बहुल बेणेश्वर धाम (डूंगरपुर) में हुआ।

कुट्टी को आज से कुछ समय के लिए इस्पात मंत्रालय में सचिव का अतिरिक्त प्रभार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली,9 अगस्त।

पेट्रोलियम सचिव एमएम कुट्टी को शनिवार से कुछ समय के लिए इस्पात मंत्रालय में सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के संघ शासित क्षेत्र कैडर के 1985 बैच के अधिकारी कुट्टी 10 से 19 अगस्त तक इस्पात मंत्रालय में सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। इस अवधि में इस्पात सचिव विनय कुमार अवकाश पर हैं। सक्षम प्राधिकरण ने एमएम कुट्टी को 10 अगस्त से 19 अगस्त तक इस्पात सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपने की मंजूरी दी है।

TV TODAY NETWORK

T.V. TODAY NETWORK LIMITED

Regd Office: F-26, First Floor, Connaught Circus, New Delhi-110 001, CIN: L92200DL1999PLC103001
Website: www.aajtak.intoday.in, Email: investors@aajtak.com, Telephone: 0120-4807100, Fax: 0120-4807172

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2019

(Rs. in lakhs, unless otherwise stated)

Sl.No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Three months ended 30 June 2019	Corresponding three months ended in the previous year 30 June 2018	Year ended 31 March 2019	Three months ended 30 June 2019	Corresponding three months ended in the previous year 30 June 2018	Year ended 31 March 2019
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations (Net)	24,520.63	18,833.77	73,900.20	24,613.48	18857.77	74224.17
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items)	7,840.76	6,164.21	20,264.47	7,839.01	6159.79	20392.72
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional Items)	7,840.76	6,164.21	20,264.47	7,839.01	6159.79	20392.72
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional Items)	5,104.76	4,010.74	13,004.09	5,103.01	4007.09	13110.16
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	5,115.11	3,993.29	13,042.77	5,113.36	3989.64	13148.84
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 5/- per share)	2,983.06	2,983.06	2,983.06	2,983.06	2,983.06	2,983.06
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet of the previous year			86,361.30			86,610.95
8	Earning Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations):						
	(a) Basic (in Rs.)	8.56	6.72	21.80	8.55	6.72	21.97
	(b) Diluted (in Rs.)	8.56	6.72	21.80	8.55	6.72	21.97

Note:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarter ended June 30, 2019 financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended June 30, 2019 financial results are available on the website of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) and Company's website (www.aajtak.intoday.in).
2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and have been approved and taken on record by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on August 9, 2019.

For and on behalf of the Board

Date: August 9, 2019
Place: New Delhi

KALLI PURIE BHANDAL
Vice Chairperson & Managing Director
DIN: 00105318

आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल महासंघ बना भारतीय क्रिकेट बोर्ड

नाडा के दायरे में आने को तैयार हुआ बीसीसीआइ

नई दिल्ली, 9 अगस्त (भाषा)।

बरसों तक ना-नुकुर करने के बाद आखिरकार भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआइ) राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजंसी (नाडा) के दायरे में आने को तैयार हो गया। इस तरह से वित्तीय रूप से स्वायत्त होने के बावजूद वह राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) बन गया। खेल सचिव राधे श्याम जुलानिया ने नाडा महानिदेशक नवीन अग्रवाल के साथ बीसीसीआइ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी और बोर्ड के महाप्रबंधक (क्रिकेट परिचालन) सबा करीम से शुक्रवार को मुलाकात की। मुलाकात के बाद जुलानिया ने कहा कि बोर्ड ने लिखित में दिया है कि वह नाडा की डोपिंग निरोधक नीति का पालन करेगा।

उन्होंने कहा कि अब सभी क्रिकेटरों का टेस्ट नाडा करेगी। इस घटनाक्रम का काफी बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि बीसीसीआइ अब एनएसएफ बन गया है। अब उस पर काफी दबाव बन जाएगा क्योंकि सरकारी नियमों के अनुसार वह सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के अंतर्गत आ जाएगा। उन्होंने कहा कि बीसीसीआइ ने हमारे सामने तीन मसले रखे जिसमें डोप टेस्ट किट्स की गुणवत्ता, पैथॉलाजिस्ट की काबिलियत और नमूने इकट्ठे करने की प्रक्रिया शामिल थी।

उन्होंने कहा कि हमने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें उनकी जरूरत के मुताबिक सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन, उसका कुछ शुल्क लगेगा और सभी एनएसएफ के लिए उच्चस्तरीय सुविधा बराबर ही है। बीसीसीआइ दूसरों से अलग नहीं है। उन्हें नियमों का अनुकरण करना होगा। जौहरी ने कहा कि बीसीसीआइ नियमों का पालन करेगा। हमने कुछ सवाल उठाए हैं और खेल सचिव ने कहा है कि उनका निवारण किया जाएगा। हमने उच्च स्तरीय परीक्षण की अतिरिक्त कीमत देने पर सहमति जताई है।

अब तक बीसीसीआइ नाडा के दायरे में आने से इनकार करता आया है। उसका दावा रहा है कि वह स्वायत्त इकाई है। चिंता की मुख्य बात टूर्नामेंट से बाहर के परीक्षण के लिए 'स्थान बताने वाला अनुच्छेद' है जिससे भारत के सभी स्टार क्रिकेटर चिंतित हैं क्योंकि वे इसे निजता में प्रवेश मानते हैं। 'जगह का खुलासा करने वाले अनुच्छेद' में हर खिलाड़ी को एक घोषणापत्र वाला फॉर्म भरना होता है जिसमें उसे एक साल में तीन सही तारीख का जिक्र करना होता है कि जब वे खेल नहीं रहे होंगे लेकिन नाडा डोप नियंत्रण अधिकारी के नमूने एकत्रित करने के लिए उस स्थान पर उपलब्ध होंगे।

अगर कोई एथलीट इन जिक्र की गई तारीखों में मौजूद नहीं होता तो उसे विश्व डोपिंग रोधी एजंसी (वाडा) संहिता का उल्लंघन के लिए जुर्माना झेलना होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल हैं जिन्हें जमैका डोपिंग रोधी एजंसी द्वारा इसी कारण एक साल के लिए प्रतिबंधित किया गया था। अब तक स्वीडन का अंतरराष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रबंधन (आइडीटीएम) नमूने एकत्रित करता है और इन्हें राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) को सौंपता है। जुलानिया ने माना कि आइडीटीएम हालांकि कोई अधिकृत एजंसी नहीं है। खेल मंत्रालय लगातार कहता आया है कि बीसीसीआइ को नाडा के अंतर्गत आना होगा। हाल ही में उसने दक्षिण अफ्रीका ए और महिला टीमों के दौरों को मंजूरी रोक दी थी जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि बीसीसीआइ पर नाडा के दायरे में आने के लिए दबाव बनाने के मकसद से ऐसा किया गया।

जब चाहे क्रिकेटरों का परीक्षण करेगा नाडा

"राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजंसी (नाडा) 'कभी भी और कहीं भी, जहां चाहे' क्रिकेटरों का परीक्षण कर सकती है। आइडीटीएम बाहरी एजंसी थी जिसे बीसीसीआइ ने रखा था। अब यह एजंसी नाडा होगी। मैंने बीसीसीआइ को बता दिया है कि आपके पास कानून का पालन करने या नहीं करने का कोई विकल्प नहीं है। कानून सभी के लिए बराबर है। - राधे श्याम जुलानिया

क्या होगा इसके बाद

इस घटनाक्रम का काफी बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि बीसीसीआइ अब एनएसएफ बन गया है। अब उस पर काफी दबाव बन जाएगा क्योंकि सरकारी नियमों के अनुसार वह सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के अंतर्गत आ जाएगा।

जौहरी ने आरटीआइ से जुड़े सवाल टाले

"आरटीआइ बैठक के एजंडा में शामिल नहीं था। यह संदर्भ का हिस्सा नहीं है। हम देश के नियमों का पालन करेंगे और बीसीसीआइ वर्तमान नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। -राहुल जौहरी

एटीपी की राजनीति में मिलकर उतरेंगे नडाल और फेडरर

मांट्रियल, 9 अगस्त (एएफपी)।

दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी रफेल नडाल ने कहा कि वह और उनके चिर प्रतिद्वंद्वी रोजर फेडरर ने मिलकर एटीपी खिलाड़ियों की परिषद का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अठारह बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन स्पेन के 33 बरस के नडाल यहां अर्जेंटीना के गुइडो पेल्ला को 6-3, 6-4 से हराकर एटीपी मांट्रियल मास्टर्स में पहुंच गए हैं। वहीं बीस बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन फेडरर और नडाल को साथी खिलाड़ियों ने चुना है। राबिन हासे, जैमी मर्रे और सर्जेइ स्टाखोवस्की के इस्तीफे के बाद ये पद रिक्त हुए थे।

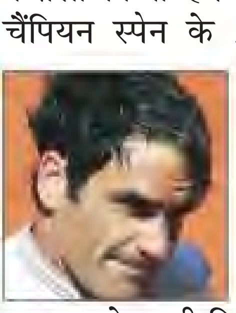

नडाल ने कहा कि हमने मिलकर जाने का फैसला किया है। ना वह अकेला होगा और ना ही मैं। हम मिलकर खेल की भलाई के लिए काम कर सकेंगे। पिछले कुछ महीनों से कई मसलों पर विवाद देखे गए हैं जिनमें एटीपी परिषद अध्यक्ष नोवाक जोकोविच और नडाल तथा फेडरर की राय अलग अलग रही।

बारिश की भेंट चढ़ा भारत-विंडीज मुकाबला

पहले एकदिवसीय में सिर्फ 13 ओवर का खेल हो पाया

प्रोविडेंस (गयाना), 9 अगस्त (भाषा)।

भारत और वेस्ट इंडीज के बीच गुरुवार देर रात पहला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच लगातार बारिश के कारण रद्द करना पड़ा। बारिश के खलल के कारण मैच में सिर्फ 13 ओवर का खेल हो पाया जिसमें वेस्ट इंडीज ने एक विकेट पर 54 रन बनाए। मैच शुरू होने से पहले और बाद में भी लगातार बारिश होती रही जिसके कारण इसे रद्द करना पड़ा। अपने समय से दो घंटे के विलंब के बाद जब मुकाबला शुरू हुआ तो इसे 43 ओवर का कर दिया गया। वेस्ट इंडीज ने अभी 5.4 ओवर में बिना विकेट खोए नौ रन बनाए थे तभी दोबारा बारिश आ गई। इस बार मैच को 34 ओवर का किया गया।

दोबारा मैच शुरू होने पर वेस्ट इंडीज ने जब 13 ओवर में एक विकेट पर 54 रन बनाए थे तो फिर तेज बारिश होने लगी और मैच रोकना पड़ा। यह दोबारा शुरू नहीं हो पाया। इस समय सलामी बल्लेबाज एविन लुईस 40 जबकि शाई होप छह रन बनाकर खेल रहे थे। सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल 31 गेंद में चार रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी की तेज गेंदबाजी जोड़ी ने गेल और लुईस की सलामी जोड़ी को वेस्ट इंडीज को तेज शुरुआत दिलाने से रोका।

मैच के दौरान पिच का आकलन करते भारतीय खिलाड़ी।

गेल ने इस मैच में उतरते ही सर्वाधिक एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर के रूप में महान बल्लेबाज ब्रायन लारा (299 मैच) के रेकार्ड की बराबरी की। वेस्ट इंडीज ने हालांकि जब 5.4 ओवर में बिना विकेट खोए नौ रन बनाए थे तब बारिश के कारण मैच रोकना पड़ा। आधे घंटे तक मैच रुका रहा जिसके बाद खिलाड़ी मैदान पर लौटे लेकिन मैदान गीला होने के कारण मैच तुरंत शुरू नहीं हो पाया। इस दौरान कोहली को डीजे की धुन पर थिरकते देखा गया जबकि गेल ने भी उनका साथ दिया।

मैच जब दोबारा शुरू हुआ तो इसे 34 ओवर का कर दिया गया। इसके बाद लुईस ने आक्रामक तेवर दिखाए। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सातवें ओवर में भुवनेश्वर पर छक्के के रूप में मैच की पहली बाउंड्री लगाई। उन्होंने खलील अहमद का स्वागत दो चौकों और एक छक्के के साथ किया और फिर इस तेज गेंदबाज के अगले ओवर में एक और छक्का मारा। गेल हालांकि अपने अंदाज के विपरीत 31 गेंद में चार रन की बेहद धीमी पारी खेलने के बाद कुलदीप यादव की गेंद को विकेटों पर खेल गए।

लुईस ने शाई होप के साथ मिलकर 12वें ओवर में टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया। अगला ओवर खत्म होने के बाद दोबारा बारिश आने लगी और मैच फिर रोकना पड़ा जो दोबारा शुरू नहीं हो पाया।

तोक्यो ओलंपिक : निर्माण कार्य से जुड़े एक मजदूर की गर्मी से मौत

तोक्यो, 9 अगस्त (एएफपी)।

भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे जापान में तोक्यो ओलंपिक 2020 की तैयारी में जुटे एक मजदूर की निर्माण स्थल पर गर्मी से मौत हो गई। पचास बरस का यह व्यक्ति बिजली के तार बिछाने का काम कर रहा था। गुरुवार को तेज गर्मी की वजह से वह बेहोश हो गया जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी।

आयोजकों ने बताया कि अभी आधिकारिक तौर पर मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है लेकिन मीडिया रपटों में पुलिस के हवाले से कहा गया है कि गर्मी ने उसकी जान ली।

तोक्यो ओलंपिक निर्माण स्थलों पर यह तीसरी मौत है। इससे पहले एक मजदूर ने काम की अधिकता के कारण खुदकुशी कर ली थी। वहीं दूसरे मजदूर की मौत एक हादसे में हो गई थी। तोक्यो का गर्म और उमस भरा मौसम आयोजकों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है।

बारिश की बाधा सबसे बुरी चीज : कोहली

प्रोविडेंस (गयाना), 9 अगस्त (भाषा)।

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने गुरुवार को बारिश के कारण वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला एकदिवसीय मैच रद्द होने के बाद कहा कि मैच शुरू होना और रुकना क्रिकेट में सबसे 'बुरी' चीज है जिससे खिलाड़ी चोटिल हो सकते हैं।

श्रृंखला के शुरुआती मैच को बारिश के कारण पहले 43-43 ओवर का कर दिया गया जिसके बाद यह 34 ओवर का मुकाबला बन गया लेकिन बारिश से लगातार व्यवधान पड़ने के बाद इसे रद्द कर दिया गया।

वेस्ट इंडीज ने मैच रद्द होने से पहले 13 ओवर में एक विकेट पर 54 रन बनाए थे। कोहली ने मैच के रद्द होने के बाद कहा कि यह मैच शुरू होना और रुकना, शायद क्रिकेट में सबसे बुरी चीज है। मैच जितनी ज्यादा बार रुकेगा, आपको मैदान पर चोटों के बारे में उतना ही ज्यादा सतर्क होना होता है। कुछ पिचें सचमुच आपकी परीक्षा लेती हैं।

कैरेबियाई सरजमीं पर खेलने की चुनौती के बारे में पूछने पर कोहली ने कहा कि कुछ पिचों पर काफी अच्छी उछाल और तेजी होती है जबकि कुछ काफी धीमी भी हो सकती हैं।

उन्होंने कहा कि इसलिए आप परिस्थितियों का आकलन करके ही खेलते हैं। दूसरा वनडे रविवार को पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। तीन मैचों की वनडे श्रृंखला से पहले टी-20 श्रृंखला में भारत ने 3-0 से जीत हासिल की थी।

टोरंटो टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में सेरेना और ओसाका

टोरंटो, 9 अगस्त (एएफपी)।

सेरेना विलियम्स और जापान की नाओमी ओसाका पिछले साल के अमेरिकी ओपन फाइनल के बाद डब्लूटीए टोरंटो क्वार्टर फाइनल में फिर एक दूसरे के आमने-सामने होंगी। अमेरिकी और आस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियन ओसाका ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को 7-6, 6-4 से मात दी। दुनिया की दसवें नंबर की खिलाड़ी सेरेना ने रूस की 48वीं रैंकिंग वाली एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा को 7-5, 6-4 से हराया।

केकेआर के सहायक कोच बने ब्रैंडन मैकुलम

नई दिल्ली, 9 अगस्त (भाषा)।

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैकुलम कोलकाता नाइटराइडर्स में वापसी कर रहे हैं। लेकिन, इस बार वह कोच की भूमिका में नजर आएंगे। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस आइपीएल टीम ने उन्हें सहायक कोच के रूप में अनुबंधित किया है।

ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार हाल में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले मैकुलम इसके साथ ही कैरेबियाई प्रीमियर लीग की टीम त्रिनिदाद नाइटराइडर्स के साथ मुख्य कोच के रूप में भी जुड़ेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों टीमों में वह साइमन कैटिच की जगह लेंगे। मैकुलम ने 2016 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था लेकिन वह दुनिया भर के विभिन्न टी-20 लीग में खेलते रहे।

केकेआर से मैकुलम आइपीएल के शुरुआती सत्र में जुड़े थे। उन्होंने आइपीएल के सबसे पहले मैच में 158 रन की पारी खेली थी। वह पांच सत्र तक केकेआर टीम के सदस्य रहे और इस बीच 2009 में उन्होंने टीम की अगुआई भी की थी।

न्यूजीलैंड के खिलाफ टैस्ट श्रृंखला के लिए चांदीमल की टीम में वापसी

कोलंबो, 9 अगस्त (एएफपी)।

श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले क्रिकेट टैस्ट के लिए पूर्व कप्तान दिनेश चांदीमल को टीम में शामिल किया है जो छह महीने बाद वापसी करेंगे। चांदीमल को आस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला में खराब प्रदर्शन के कारण टीम से बाहर कर दिया गया था। वह दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भी नहीं गए जिसमें श्रीलंका को 0-2 से पराजय झेलनी पड़ी। पहला टैस्ट गाले में बुधवार से शुरू होगा। न्यूजीलैंड टीम दौरे पर तीन टी-20 मैच भी खेलेगी। श्रीलंका टीम : दिमुथ करुणारत्ने (कप्तान), एंजेलो मैथ्यूज, दिनेश चांदीमल, लाहिरू तिरिमन्ने, कुसाल मेंडिस, कुसल परेरा, निरोशन डिकवेला, धनंजय डिसिल्वा, अकिला धनंजया, लसिथ एम्बुलडेनिया, सुरंगा लकमल, लाहिरू कुमारा, ओशादा फर्नांडो, लक्षण संदाकन, विश्वा फर्नांडो।

सोलोजानो और किंग के अर्धशतक, वेस्ट इंडीज के दो विकेट पर 179 रन

तारोबा, 9 अगस्त (भाषा)।

वेस्ट इंडीज 'ए' ने जेरेमी सोलोजानो और बार्नडोन किंग की अर्धशतकीय पारियों से भारत 'ए' के खिलाफ तीसरा अनधिकृत टैस्ट ड्रॉ की ओर अग्रसर कर दिया। वेस्ट इंडीज 'ए' ने जीत के लिए 373 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरे सत्र में दो विकेट पर 179 रन बना लिए थे। उसने बिना किसी नुकसान के 37 रन से खेलना शुरू किया। सोलोजानो 63 रन और सुनील अम्बरीस 10 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं।

मोंटसिन होज (25) शाहबाज नदीम की गेंद पर आउट हुए। उन्होंने सोलोजानो के साथ पहले विकेट के लिए 68 रन जोड़े। किंग ने भी भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अच्छी पारी खेली। उन्होंने और सोलोजानो ने दूसरे विकेट के लिए 99 रन की भागीदारी की। नदीम ने ही भारत को दूसरा विकेट किंग के रूप में दिलाया। मैच के अब दो सत्र बचे हैं जिससे इसके ड्रॉ होने की संभावना ज्यादा है।

खेल के तीसरे दिन शुभमन गिल प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दोहरा शतक जमाने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बन गए जिन्होंने कप्तान हनुमा विहारी के साथ मिलकर स्थिति मजबूत की। भारतीय क्रिकेट टीम के भविष्य के स्टार माने जा रहे 19 बरस के गिल ने 250 गेंद में नाबाद 204 रन बनाकर सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर का रेकार्ड तोड़ा। गंभीर ने 2002 में जिंबाब्वे के खिलाफ अभ्यास मैच में भारत बोर्ड अध्यक्ष एकादश के खिलाफ 218 रन बनाए थे तब तक 20 साल के थे।

भारत ने तीन विकेट पर 23 रन से आगे खेलना शुरू किया तब गिल दो रन बनाकर क्रीज पर थे। उन्होंने लंच तक शतक पूरा किया। कप्तान विहारी ने भी 118 रन की नाबाद पारी खेली। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 315 रन की अटूट साझेदारी की। भारत ने गिल का दोहरा शतक पूरा होते ही चार विकेट पर 365 रन के स्कोर पर पारी घोषित की।

SpiceJet Limited

Regd Office : Indira Gandhi International Airport, Terminal 1D, New Delhi 110 037
CIN: L51909DL1984PLC288239
E-mail: investors@spicejet.com | Website: www.spicejet.com.Telephone: +91 124 391 3939 | Facsimile: +91 124 391 3888

Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2019

(Rupees in millions)

S. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter ended			Year ended	Quarter ended			Year ended
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
		30-Jun-19	31-Mar-19	30-Jun-18	31-Mar-19	30-Jun-19	31-Mar-19	30-Jun-18	31-Mar-19
1	Total income from operations	30,020.7	25,312.5	22,204.0	91,132.5	30,028.5	25,347.0	22,215.9	91,214.7
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,616.7	562.9	254.1	(2,526.1)	2,628.9	725.3	278.9	(2,389.0)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	2,616.7	562.9	(380.6)	(3,160.8)	2,628.9	725.3	(355.8)	(3,023.7)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,616.7	562.9	(380.6)	(3,160.8)	2,628.9	725.0	(355.8)	(3,024.0)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,603.1	554.2	(379.1)	(3,175.3)	2,615.3	715.9	(354.3)	(3,038.5)
6	Equity share capital				5,997.2				5,997.2
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the year ended March 31, 2019				(9,504.1)				(9,496.8)
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (not annualized)								
	a) Basic (Rs)	4.4	0.9	(0.6)	(5.3)	4.4	1.2	(0.6)	(5.0)
	b) Diluted (Rs)	4.4	0.9	(0.6)	(5.3)	4.4	1.2	(0.6)	(5.0)

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2019, filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2019 are available on the Company's website www.spicejet.com and on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com.

For SpiceJet Limited
Sd/-
Ajay Singh
Chairman and Managing Director

Place: Gurugram, Haryana
Date: August 9, 2019

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 265, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।